ISSN - 0974-0118

मेकल मीमांसा

जुलाई–दिसम्बर 2024 वर्ष- 16, अंक - 02

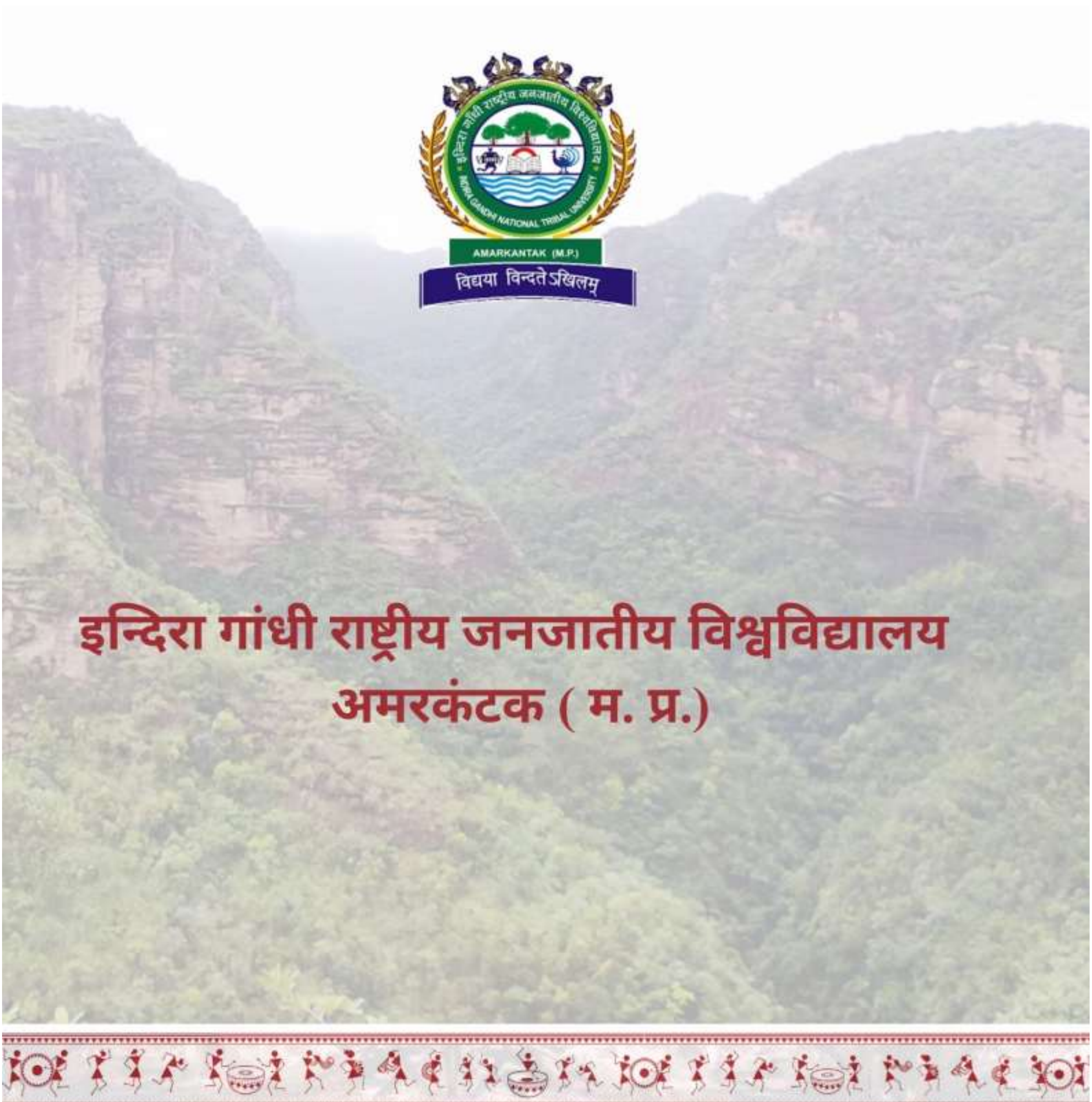

AMARKANTAK (M.P.)

विद्यया विन्दतेऽखिलम्

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म. प्र.)

अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड
यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx
ISSN - 0974-0118

मेकल मीमांसा

अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

संरक्षक

प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी

प्रभारी कुलपति

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

प्रधान संपादक

प्रोफेसर भूमि नाथ त्रिपाठी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यकारी संपादक

प्रोफेसर रक्षा सिंह, अर्थशास्त्र विभाग

संपादकीय मंडल सदस्य

डॉ. मोहनलाल चढार, एसोसिएट प्रोफेसर, एआईएचसी और पुरातत्व विभाग
डॉ. मनोहर बी. येरकलवार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग
डॉ. सतीश मोदी, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
डॉ. देवेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
डॉ. प्रवीण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
डॉ. शिखा बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
डॉ. प्रणय सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भैषजिक विज्ञान विभाग
डॉ. मालती लोधी, एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग विभाग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

अमरकंटक (म. प्र.)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश -484887

प्रकाशक :

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

अमरकंटक, (म. प्र.)- 484887

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

ध्यानार्थ :

मेकल मीमांसा में प्रकाशन संबंधी निर्णय संपादक मण्डल द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। प्रकाशित लेखकों के विचार उनके अपने हैं, जिनसे संपादक मण्डल की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। संपादक मण्डल को प्रकाशित होनी वाली सामग्री में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार होगा। मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोधपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइन्ड पीयर रीव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है।

संपादक की कलम से (From the Editor’s Desk)

मानवीय सभ्यता-संस्कृति में नदियों, पहाड़ों–पर्वतों की भूमिका सबसे अहम रही है। वह जीवनदायनी है। भारतीय सभ्यता–संस्कृति में नर्मदा और मेकल पर्वत की वैश्विक पहचान है। जीवनमूल्यों के निर्माण, विकास और संवर्धन में नर्मदा की बहती धारा और मेकल की बायोडवर्सिटी का तंत्र भारत के जनजीवन को पल्लवित, पुष्पित और फलित करता है। मानवीय कलाओं ने मानवीय जीवन को उत्कृष्ट, गंभीर, सौंदर्यपरक एवं उत्सवपूर्ण बनाया है। उनके गहन चिंतन-मनन को अकादमिक और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बनाने में पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 'मेकल मीमांसा' उन्हीं प्रयासों में से एक है। मेकल की पवित्र भूमि, अमरकंटक से नर्मदा की अविरल प्रवाह धारा आरंभ होती है। इस अविरल धारा की कल-कल से प्रस्फुटित ज्ञान की ध्वनि को सहेजने के लिए 'मेकल मीमांसा' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक की यह शोध पत्रिका अकादमिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो भारतीय स्वदेशी ज्ञान, संस्कृति, समाज और समकालीन विमर्शों को एक साझा मंच प्रदान करती है। 'मेकल मीमांसा' का उद्देश्य केवल ज्ञान का संकलन नहीं, बल्कि संवाद और चिंतन की एक सतत परंपरा को आगे बढ़ाना है।

मेकल मीमांसा सदैव से ही एक ऐसा मंच रहा है जहाँ शोधार्थी, अध्यापक, अकादमिक और चिंतक समाज, संस्कृति तथा स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के विविध आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आपके सम्मुख इसे प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

इस अंक में प्रकाशित आलेख न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जनजातीय जीवन, पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संचार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जैसे अन्य विषयों पर गहन विमर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारी यह कोशिश रही है कि इस मंच का ऐसा विस्तार हो जहाँ चिंतन-मनन का स्वरूप स्थानीय से लेकर वैश्विक, विविधतापूर्ण और भिन्न-भिन्न दृष्टि एवं मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति हो। संपादक मण्डल के सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है। विषय की विविधता, मौलिकता और उत्कृष्टता का सदैव ख्याल रखा गया है।

इस दिशा में सहयोग देने वाले सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय सदस्यों एवं पाठकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से यह अंक प्रकाशित हो रहा है। इस यात्रा में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति(प्रभारी) प्रो. ब्योमकेश त्रिपाठी का मार्गदर्शन, प्रेरणा और सतत सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण, प्रोत्साहन और शोधपरक चिंतन ने मेकल मीमांसा को निरंतर नई दिशा प्रदान किया है। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय में अनुसंसाधन, नवाचार और स्वदेशी अध्ययन के क्षेत्र में जो वातावरण निर्मित हुआ है। वह सदा स्मरणीय है और उसका बिम्ब पत्रिका की प्रगति के मूल आधार में है।

आशा है कि यह अंक पाठकों के मन में नई दृष्टि और विचार की ज्योति प्रज्वलित करेगा।

— संपादक

प्रोफेसर भूमि नाथ त्रिपाठी

अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

इस अंक में

क्रम संख्या	लेख का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	बिहार में मद्यनिषेध का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव : पूर्वी चंपारण जिले के विशेष सन्दर्भ में आनुभवात्मक अध्ययन	आशुतोष शरण, प्रोफेसर सुनील महावर	1 – 13
2	1857 के स्वातंत्र्य समर से सावरकर के स्वराज का अभ्युदय: एक मौलिक चिंतन	डा. प्रखर कुमार	14 – 17
3	डिजिटल युग में नैतिक बुद्धिमत्ता का पोषण: मूल्य शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का वर्तमान संदर्भ	डॉ. कविता साहू, डॉ. अभिषेक बंसल	18 – 25
4	राज्य सार्वजनिक व्यय का बाल मृत्यु दर पर प्रभाव	डॉ. स्वाति जैन,डॉ. भानु प्रताप पांडे, प्रो. रक्षा सिंह	26 – 33
5	भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन एवं उसका भोपाल महानगरीय उपातं की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर प्रभाव	डॉ. दुर्गेश कुर्मी	34 – 44
6	महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता में महिला स्व-सहायता समूहों का योगदान	डॉ. जी.डी.एस. ,बग्गा,अनामिका साहू	45 – 53
7	मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के उपचार : विपश्यना ध्यान के विशेष संदर्भ में	खिलेश्वरी, डॉ. प्रवीण कुमार गुप्त	54 – 58
8	कलचुरियों की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष : एक अध्ययन	राज कुमार सिंह, डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह	59 – 63
9	किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की समायोजन संबंधी समस्या: एक सूक्ष्म अध्ययन	डॉ. विरेन्द्र कुमार	64 – 67
10	गोंडकालीन जलाशय के तटीय क्षेत्रों पर निर्मित मंदिर स्थापत्य कला की विलक्षण विशेषताएँ : बजनामठ, देवताल, सूपाताल, हनुमानताल के विशेष सन्दर्भ में	पूजा दाहिया ,डॉ. अमित कुमार रवि	68 – 75
11	बांग्लादेश संकट और भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर इसका प्रभाव	अनुज, डॉ. रमेश कुमार	76 – 84
12	महात्मा गाँधी की पत्रकारिता-दर्शन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. पंकज सिंह,आशु अहिरवार	85 – 89
13	मध्यकालीन हिन्दी साहित्य : भक्ति और नारी	प्रो. राम चंद्र	90 – 95
14	औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में जनजातियों का नृवंशविज्ञान अध्ययन	डॉ. विवेक पाठक	96 – 104
15	विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए आयोगों, समितियों के प्रस्ताव और क्रियान्वयन	डॉ. व्यंकट धारासुरे	105 – 110
16	एक राष्ट्र एक सदस्यता : उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पहल और विकसित भारत 2047 की अवधारणा : एक अध्ययन	डॉ. ओमप्रकाश पटेल डॉ. सलिता पटेल ओमप्रकाश राठौर	111 - 117

बिहार में मद्यनिषेध का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव : पूर्वी चंपारण जिले के विशेष सन्दर्भ में अनुभवात्मक अध्ययन

आशुतोष शरण*

प्रोफेसर सुनील महावर**

सारांश

बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। बिहार में शराब व्यसन के कारण समाज में महिला उत्पीड़न, पारिवारिक हिंसा, सामाजिक अशांति तथा अपराधीकरण आदि की समस्याएं अत्यधिक रूप से बढ़ गई थी तथा इसके साथ ही जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु दर साल-दर-साल बढ़ती जा रही थी। इन सभी घटनाओं, दुष्परिणामों एवं शराब से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए तथा महात्मा गांधी के मद्यनिषेध संबंधी विचारों से प्रेरित होकर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 से देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू करने का सरकार का लक्ष्य शराब मुक्त बिहार के साथ-साथ नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू करने का उद्देश्य था- घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव, सामाजिक अशांति, विभिन्न आपराधिक घटनाओं तथा गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना भी है। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शराब व्यसनी व्यक्ति के परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है। क्या वास्तविक रूप में बिहार में मद्यनिषेध सफल हुआ है ?, समाज पर मद्यनिषेध के क्या प्रभाव पड़े हैं ?, बिहार का समाज इस निर्णय को किस प्रकार समझ रहा है ? इन सभी प्रश्नों को वास्तविक रूप में समझने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों का संकलन कर एक अनुभवात्मक एवं विश्लेष्णात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

बीजशब्द: मद्यनिषेध, शराब, व्यसन, महात्मा गाँधी, रचनात्मक कार्यक्रम।

प्रस्तावना

मद्यनिषेध के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि "यदि मुझे अखिल भारत के लिए एक घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मेरा पहला कम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद करवा दिया जाए।" "मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाशत नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो। अगर भारत में शराबबंदी जारी करने के लिए शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर शराबखोरी को बंद करूंगा।" उनका मानना था कि "कोई भी देश कितना ही धनी और खुशहाल क्यों न हो, वास्तव में मद्यपान का बोझ सहन करने की क्षमता नहीं रखता क्योंकि शराबखोरी से राष्ट्र नाश की कगार पर पहुचते है" शराब का ठेका लोकतंत्र के लिए कलंक और अभिशाप दोनों हैं। गांधी जी ने भारत में सामाजिक दुष्परिणामों को देखते हुए देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से ही पूर्ण मद्यनिषेध को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल किया और आजाद सपनों के भारत के नवनिर्माण में 'मद्यनिषेध' को उसका मुख्य केंद्र बिंदु माना। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के इस आदर्श विचार 'मद्यनिषेध' पर ध्यान देते हुए भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद-47 में शामिल किया, जिसमें यह कहा गया कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा/शराब, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग को प्रतिबंधित करेगा। परंतु इसका क्रियान्वयन करना राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर है, इसे आवश्यक रूप से लागू करने हेतु राज्यों को बाध्य नहीं किया गया है।

शराब के दुष्परिणामों को देखें तो यह ज्ञात है कि शराब व्यसन व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्तेजना और व्याकुलता उत्पन्न करती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है, ज्ञान तंतुओं को समेटती है, नशों और पुट्ठों की छोटी सेलों को नष्ट कर उनका बढ़ाना रोक देती है, यह ऑक्सीजन के प्रचार को भी रोकती है, जिनसे चर्बी बढ़ने लगती है। इस संबंध में प्रोफेसर सिंबुड हेड स्पष्ट रूप से कहते हैं, कि "मैं बहुत काल से इस बात का अनुभव करता हूं कि अल्कोहल केवल शारीरिक विष ही नहीं बल्कि वह रोग-उपचार में जब अन्य औपचारिक विषों के साथ दिया जाता है तब वह उन सब विषों के प्राकृतिक गुनों को नष्ट कर डालता है और उन्हें और भी अधिक कातिल विष बनाकर रोगी को स्वस्थ करने में बाधा डालता है।"

*शोधार्थी, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।

**प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 6.4 लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक विश्व में (6.4-7) लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति शराब की खपत का अनुमान लगाया है। वही डब्ल्यूएचओ की बेसिक स्टेटस रिपोर्ट (2018) के अनुसार भारत में शराब का सेवन करने वाली कुल जनसंख्या का 17% व्यक्ति भारी मात्रा में शराब का व्यसन करते हैं और इनमें (15-19 वर्ष) की संख्या 25.2% है। यदि मद्य व्यसन के दुष्परिणामों की बात करें तो यह ज्ञात है कि "60 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण शराब का सेवन है, जो वैश्विक बीमारी का अनुमानित 4% है। डब्ल्यूएचओ की 2018 रिपोर्ट के अनुसार शराब व्यसन के कारण विश्व में 2016 में अनुमानतः 30 लाख मौतें हुई हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि "मद्यपान मानसिक रूप से विकृत संतानों का एक प्रमुख कारण है।"

मद्यनिषेध

मद्यनिषेध से तात्पर्य शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों के उपभोग, निर्माण तथा बिक्री को औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, कानून द्वारा निषिद्ध करना है। अर्थात् मद्य व्यसन, मद्य का निर्माण, मद्य का क्रय-विक्रय आदि का गैरकानूनी होना। मद्यनिषेध सामाजिक दुष्परिणामों से मुक्ति, उत्थान, विकास एवं युवा पीढ़ी को दुर्गुणों से मुक्त कराने व गरीब-मजदूर कल्याण के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता है। भारत में मद्यनिषेध की स्थिति देखें तो यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने मद्यनिषेध की शुरुआत की थी। गांधी जी ने स्वराज्य की लड़ाई में जिन रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया था उसमें एक महत्त्वपूर्ण अंग 'मद्यनिषेध' था। गांधी जी जब 1917 में बिहार के चंपारण आए थे और नीलहों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जो बाद में देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा प्रयोग सिद्ध हुआ। उसी दौरान गांधी जी ने चंपारण के मोतिहारी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित बडहरवा लखन सेन आश्रम से उन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था। यहाँ गांधी जी ने गांव में एक बांस का खंभा लगवाया और लोगों से नशीले पदार्थों को उसी पर लटकाने की अपील की एवं नशा छोड़ने का आग्रह भी किया। कई लोगों ने नशीले पदार्थों एवं शराब की बोतलों को वहां पर लटकाया और नशा भी त्याग दिया। गांधी जी के यहाँ से चले जाने के पश्चात लोगों ने धीरे-धीरे पुन: नशा करना प्रारंभ कर दिया।

जब प्रांतों में स्थानीय सरकार का गठन हुआ, तभी गांधी जी ने मंत्रिमंडल को चेतावनी देते हुए कहा था कि, "मद्यनिषेध से लाखों व्यक्तियों को नई जिंदगी हासिल होगी, इससे उन्हें ठोस रूप में नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा। आजादी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना महंगा नहीं है, लेकिन अगर हम शराब और नशेबाजी के शिकार बने रहें, तो हमारी आजादी, खाली गुलामों की आजादी होगी। तमाम सूबों में पूर्ण मद्यनिषेध करने के लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है?"

आजादी के पश्चात् भारत में गांधी जी के मद्यनिषेध विचार को शामिल करते हुए भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद-47 में जगह प्रदान की गई। इसे कार्यान्वित करने तथा इस आदर्श को ठोस रूप देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 1954 में एक "मद्यनिषेध जांच कमेटी" नियुक्त की। इस कमेटी की प्रमुख सिफारिश यह थी कि मद्यनिषेध कार्यक्रम को देश की विकास योजना का एक अभिन्न अंग मान लिया जाए। इस सिफारिश को 31 मार्च 1956 में लोकसभा ने स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर देश भर में मद्यनिषेध आंदोलन चलाया गया।

देशभर में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 से एक राष्ट्रव्यापी 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध, शराब के विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध, वेतन के दिन को मद्यनिषेध का दिन (शुष्क दिवस) घोषित करना आदि सम्मिलित था। मद्यनिषेध के संबंध में राष्ट्रीय नीति स्थिर करने के लिए जनता पार्टी की सरकार के द्वारा केंद्रीय मद्यनिषेध समिति (1977) गठित की गई। समिति ने 4 साल में चरणबद्ध तरीके से मार्च 1983 के अंत तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने की सिफारिश की थी। किंतु जनवरी 1980 में केंद्र में इन्दिरा गांधी की नई सरकार ने मद्यनिषेध की नीति को व्यवहारिक रूप में बिल्कुल ही उलट दिया। 1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी मद्यनिषेध को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस समय केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि मद्यनिषेध से राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व क्षति के आधे हिस्से की भरपाई केंद्र सरकार करेगी लेकिन केंद्र सरकार असफल हो गई।

बिहार में मद्यनिषेध

वर्तमान समय में बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। बिहार में शराब व्यसन के कारण समाज में महिला उत्पीड़न, पारिवारिक हिंसा तथा अपराधीकरण आदि की समस्याएं अत्यधिक रूप से बढ़ गई थी तथा इसके साथ ही जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु दर, साल-दर-साल बढ़ती जा रही थी। इन सभी समस्याओं से पीड़ित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने 9 जुलाई 2015 को महिला विकास निगम बिहार और डी.एफ.आई.डी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ग्राम वार्ता' के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मद्यनिषेध लागू करने की मांग की। उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि हम अगली बार सत्ता में आएं तो मद्यनिषेध लागू करेंगे। तत्पश्चात नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 26 नवंबर 2015 को मद्यनिषेध दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के प्रावधानों के तहत गांधी जी के मद्यनिषेध संबंधी विचारों एवं समाज के गरीब निर्धन लोगों को खुशहाल बनाने के दृष्टिकोण से सरकार राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए राज्य में 1 अप्रैल 2016 से मद्यनिषेध लागू होगा। प्रथम चरण में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब को पूरे प्रदेश में तथा विदेशी शराब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित होगा। इस घोषणा के पश्चात राज्य में महिला समूह ने यह मांग की कि शहरी क्षेत्र में भी विदेशी शराब को प्रतिबंधित कर पूरे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू किया जाए। सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए विचार-विमर्श कर 5 अप्रैल 2016 से पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मद्यनिषेध के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने की दृष्टि से किया गया है। इस शोध के उद्देश्य इस प्रकार है-

1. मद्यनिषेध के पश्चात समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. मद्यनिषेध के पश्चात पारिवारिक हिंसा का अध्ययन करना।
3. मद्यनिषेध के पश्चात आपराधिक घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. क्या मद्यनिषेध के पश्चात समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ?
2. क्या मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसनी के परिवार में घरेलू हिंसा में कमी आई है ?
3. क्या मद्यनिषेध के पश्चात बिहार में अवैध रूप से शराब उपलब्ध है ?

शोध पद्धति

यह शोध आनुभविक प्रकृति का है, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक श्रोतों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। इस शोध अध्ययन हेतु बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चयन किया गया है जिसके अंतर्गत 6 अनुमंडल है एवं इन 6 अनुमंडल के अंतर्गत 27 प्रखंड शामिल है। इन 27 प्रखंडों में से 4 प्रखंडों (पकड़ी दयाल, चकिया, मोतिहारी तथा अरेराज) का चयन संभाव्यता निदर्शन प्रणाली की लॉटरी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया तथा सामान्य व्यक्तियों से साक्षात्कार का कार्य किया गया। प्रत्येक चयनित प्रखंड से 100 सामान्य व्यक्तियों अर्थात100×4=400 इस प्रकार आंकड़ों के संकलन हेतु कुल 400 सूचनादाताओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया तथा इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तालिका का निर्माण कर अवलोकन व विश्लेषण किया गया ताकि मद्यनिषेध की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध हेतु बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चयन किया गया है। पूर्वी चंपारण जिला बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण जिला है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसकी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से मिलती है। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। इस जिला के उत्तर में नेपाल, पूरब में सीतामढ़ी तथा शिवहर, दक्षिण में मुजफ्फरपुर तथा पश्चिम में गोपालगंज स्थित है। यह जिला 26°39'00" उत्तरी अक्षांश और 84°55'00" पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3968 वर्ग किलोमीटर है एवं यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख 99 हजार 371 है। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी में स्थित है। वर्तमान में इस जिले में 6 अनुमंडल, 27 प्रखंड तथा 1293 गांव है। यहां की स्थानीय भाषा भोजपुरी है लेकिन शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं उर्दू है।

पूर्वी चंपारण का मानचित्र

स्रोत:-https://www.mapsofindia.com/maps/bihar/tehsil/east-champaran.html(Accessed on 12-04-2023)

आंकड़ों का सारणीयन तथा विश्लेषण

बिहारकेपूर्वीचंपारणजिलेमेंमद्यनिषेधकेसामाजिकएवंआर्थिकप्रभावोंकीवास्तविकस्थितिकोज्ञातकरनेहेतुसाक्षात्कार पद्धतिकाप्रयोगकियागयातथाइनसाक्षात्कारोंसेप्राप्तसूचनाओंकेआधारपरअवलोकनकरमद्यनिषेधकीवास्तविकस्थितिकाअध्ययन किया गया।मद्यनिषेधकेउद्देश्योंकोध्यानमें रखते हुएसमग्र में से प्रतिदर्शकाचयनकरसाक्षात्कारअनुसूचीकेमाध्यमसेआंकड़ोंकासंकलनकियागया। साक्षात्कारकाकार्यबिहारमेंमद्यनिषेधलागूहोनेकेलगभग 6 वर्षोंबाद (अप्रैल 2022-फरवरी 2023) कियागया।साक्षात्कारअनुसूचीमेंवस्तुनिष्ठप्रश्नोंकेसाथ-साथव्यक्तिनिष्ठप्रश्नोंकोभीरखागयाजिससेसूचनादाताओंकोमद्यनिषेधकेप्रभावसेसंबंधितअपनाअनुभवप्रस्तुतकरनेकाअवसरप्राप्तहोजिससेगुणवत्तापूर्ण अध्ययनकियाजासके।प्रस्तुतअध्ययनमेंसाक्षात्कारअनुसूचीकेमाध्यमसेप्राप्तसूचनाओंका वर्गीकरण संसाधनएसपीएसएस(SPSS) सॉफ्टवेयरके माध्यम सेकियागयाएवंप्रश्नोंकेअनुरूपविभिन्नतालिकाओंकानिर्माणकियागया।इनतालिकाओंकेमाध्यमसेबिहारकेपूर्वीचंपारणजिलेमेंमद्यनिषेधकेसामाजिकएवंआर्थिकप्रभावोंकोस्पष्टरूपसेदेखाजासकताहै।

सूचनादाताओं का व्यक्तिगत पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन में सूचनादाताओं के आयु, लिंग, वर्ग, धर्म, शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, आय, निवास स्थान, परिवार का स्वरूप तथा घरों में शामिल मूलभूत आवश्यकताओं को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन में शामिल 33% सूचनादाता 41-50 वर्ष, 27.5% 31-40 वर्ष, 20.25% 21-30 वर्ष,7.5% 61 वर्ष/इससेअधिक, 6% 51-60 वर्षतथा5.75% 20 वर्ष/इससेकमआयु वर्गकेथे।इनमें79.25% पुरुष व20.75% महिला सूचनादाताएं शामिल थे। जिनमें54.5% सूचनादातापिछड़ावर्ग,34% सामान्य वर्गतथा11.5% अनुसूचित जातिकेथे। इनसूचनादाताओं में 88% व्यक्तिहिंदूधर्म,11.75% मुस्लिम धर्म तथा 0.25% सिक्ख धर्मसेसंबंधरखतेहैं। इनमें31% सूचनादाता नेउच्चमाध्यमिक, 19.5% माध्यमिकस्तर, 18.25% स्नातक, 13.75% प्राथमिक तथा4.75% स्नातकोत्तरस्तरतक शिक्षा प्राप्त कियाहै। जबकि 12.75% सूचनादातानिरक्षरहै। सूचनादाताओं में 39% व्यक्तिअन्य कार्य,32.75% व्यक्तिव्यापार, 18.5% मजदूरी करते हैं तथा9.75% सूचनादाता नौकरीकरतेहैं। जिनमें 24.5%सूचनादाता ₹ 60,000 से कम, 23% ₹ 2,40,000 से अधिक, 20.5% ₹1,80,000-2,40,000, 16.75% ₹ 60,000- 1,20,000 तथा15.25% ₹ 1,20,000-1,80,000वार्षिकआयवार्षिकआयप्राप्तकरतेहैं।इनमें60%सूचनादातागांवोंमेंजबकि40% शहरोंमेंनिवासकरतेहैं।58.75% सूचनादातापरिवार मेंसंयुक्त रूप से तो वहींइसकेविपरीत41.25% एकाकी रूप से रहते हैंतथाइनमें से85.5%सूचनादाताओं के घरों में सभी मूलभूतसुविधाएं(बिजली, पानी, रसोई गैसतथाशौचालय), 9% एकसेअधिक (अर्थातबिजली, पानी, रसोई गैसतथाशौचालयमेंसेकिन्हीं 2/3 सुविधाएंहीहै),3.75% व्यक्तियोंकेघरोंमेंकेवलबिजली, 1% व्यक्तियोंकेघरोंमेंकेवलपानी, 0.5% व्यक्तियोंकेघरोंमेंकेवल रसोईगैस तथा 0.25% घरों में शौचालय कीसुविधाएं उपलब्धहै।

मुख्य प्रश्न के परिणाम व विश्लेषण

मद्यनिषेधके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को ज्ञात करने हेतु सूचनादाताओं से यह समझने का प्रयास कियागया कि समाजमेंमद्यनिषेधसेपूर्व क्या स्थिति थी ?, मद्यनिषेधकेपश्चातसमाजपरक्याप्रभावपड़ाहै ?, मद्यनिषेधकेपश्चात शराब व्यसनी व्यक्ति केपरिवारमेंघरेलूशांतिस्थापितहुईहैयानहीं ?, पुलिसप्रशासनद्वाराशराबव्यसनीव्यक्तिपरकिसप्रकारकीकार्रवाईकी जा रहीहै ?, मद्यनिषेधकासकारात्मकयानकारात्मकप्रभावपड़ेहैं ?, क्या सामाजिक शांति स्थापित हुई है ?, बिहार में आम व्यक्ति मद्यनिषेध को अच्छा मान रहा है या नहीं? इन सभी तथ्यों की जाँच करने हेतु कुल 400 सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाओंको विभिन्न तालिकाओंके माध्यम से दर्शाया गया है एवं इसके विश्लेषण को प्रस्तुत किया गयाहै।

मद्यनिषेध से पूर्व व्यसनियों की संख्या

सर्वप्रथमसूचनादाताओं से यह जानकारी एकत्र की गई कि मद्यनिषेध से पूर्व शराब व्यसनियों की क्या संख्याएँ थी?

तालिकासंख्या-1

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	शराब व्यसनियों की संख्या अधिकथी	211	52.75%
2	शराब व्यसनियों की संख्याकमथी	146	36.5%
3	कोई परिवर्तन नहीं	43	10.75%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.- 1 मद्यनिषेधसेपूर्वशराब व्यसनियों की संख्याकोप्रदर्शितकरतीहै।

सूचनादाताओं में सर्वाधिक 52.75% नेयहसहमतिव्यक्त कीकिमद्यनिषेधसेपूर्वजब शराब सामान्य रूप से उपलब्ध थी तो हमारे आस-पास शराब का सेवन करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, 36.5% नेयहमानाकिशराब व्यसनियों की संख्या कम थीतथा 10.75% नेयहकहाकिशराब व्यसनियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं था । इस प्रकार विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मद्यनिषेध के पश्चात मद्य व्यसनियोंकी संख्या में कमी आई है।

शराब व्यसन के कारण घरेलु हिंसा

तालिकासंख्या-2

क्रम सं.	विकल्प	मद्यनिषेध के पूर्व		मद्यनिषेध के पश्चात	
		कुल आवृति	कुल प्रतिशत	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	382	95.5%	84	%21
2	नहीं	18	4.5%	316	79%
कुल योग		**400**	**100%**	**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.- 2 मद्यनिषेधसेपूर्वव मद्यनिषेध के पश्चात शराबव्यसनकेकारण होनेवालीघरेलू हिंसाकोप्रदर्शितकरतीहै। सूचनादाताओं से यह जानकारी एकत्र की गई कि क्या शराब व्यसन के पश्चात घरेलु हिंसा होता है ? इस संबंध में 95.5% सूचनादाताओंनेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेधसेपूर्वशराब व्यसनी व्यक्ति शराब पीकरघरेलू हिंसा करता था तथा 4.5% ने कहा कि घरेलू हिंसानहींकरता था, जबकि 79% सूचनादाताओं ने यह जानकारी दी कि मद्यनिषेध के पश्चात अब व्यसनी व्यक्ति शराब व्यसन करने के पश्चात घरेलु हिंसा नहीं करता है तथा 21% ने कहा कि व्यसनी व्यक्ति घरेलु हिंसा करता है। विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मद्यनिषेध के पश्चात घरेलु हिंसा में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है।

मद्यनिषेध का सामाजिक वातावरण पर प्रभाव

तालिकासंख्या-3

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	शांत	277	69.25%
2	अशांत	93	23.25%
3	किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं	30	7.5%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं.- 3 मद्यनिषेधके पश्चातसामाजिकवातावरणकीस्थितिकोप्रदर्शितकरतीहै। सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है ? इस विषय में 69.25% सूचनादाताओं का यह मानना है किमद्यनिषेधके पश्चात सामाजिकवातावरणशांत हुआ है, 23.25% नेयहमानाकिअशांत है तथा 7.5% नेयहमानाकिमद्यनिषेधसेसामाजिकवातावरणमेंकिसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है । (अर्थातजिसप्रकारकावातावरणवर्तमानसमयमेंहैवैसाहीवातावरणमद्यनिषेधसेपूर्वमेंभीथा) विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि मद्यनिषेध के कारण सामाजिक वातावरण शांत हुआ है।

शराब व्यसन का कारण

तालिकासंख्या- 4

क्रम सं.	विकल्प	मद्यनिषेध के पूर्व		मद्यनिषेध के पश्चात	
		कुल आवृति	कुल प्रतिशत	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	शराब की व्यापक मात्रा में उपलब्धता	58	14.5%	128	32%
2	शराब की लत	165	41.25%	131	32.75%
3	शौक	27	6.75%	20	5%
4	प्रतिष्ठा का विषय	4	1%	2	0.5%
5	अन्य	20	5%	10	2.5%
6	एकसेअधिक	126	31.5%	109	27.25%
कुल योग		**400**	**100%**	**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.- 4मद्यनिषेधसेपूर्व व मद्यनिषेध के पश्चातशराब व्यसनी व्यक्तियों केशराबव्यसनके विभिन्नकारणोंकोप्रदर्शितकरतीहै। सूचनादाताओं से यह आंकड़े जुटाने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध से पूर्व शराब व्यसनी व्यक्तियों के शराब व्यसन का क्या कारण था ? और मद्यनिषेध के बावजूद क्या कारण है ? इस सन्दर्भ में यह ज्ञात हुआ किमद्यनिषेध से पूर्व 41.25% व्यसनी व्यक्ति शराबकीलत, 31.5% एकसेअधिककारणों से (अर्थातशराबकीव्यापकमात्रामेंउपलब्धता, शराबकीलत, शौक, प्रतिष्ठाकाविषयतथाअन्यमेंसे 2 या 3 या 4 कारण), 14.5% शराब की व्यापक मात्रा में उपलब्धता, 6.75% शौक, 5% अन्य कारणों से (अपराधिकघटनाकोअंजामदेने, दूसरेकेअधिकारपरकब्जाकरनेआदि) तथा 1% प्रतिष्ठा का विषय माने जाने के कारणों से शराब व्यसन करता था । जबकि मद्यनिषेध के पश्चात 32.75% व्यसनी व्यक्तिशराबकीलत, 32% शराबकीव्यापकमात्रामेंउपलब्धता, 27.25% एकसेअधिककारणों से (अर्थातशराबकीव्यापकमात्रामेंउपलब्धता, शराबकीलत, शौक, प्रतिष्ठाकाविषयतथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3/4 कारण), 5% शौक, 2.5% अन्य कारणों से (अपराधिकघटनाकोअंजामदेने, दूसरेकेअधिकारपरकब्जाकरनेआदि) तथा 0.5% प्रतिष्ठा का विषय माने जाने के कारण शराब व्यसन करताहै। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध के बावजूद भी व्यसनी व्यक्ति शराब की लत व शराब की व्यापक मात्रा में उपलब्धता के कारण शराब व्यसन कर रहा है ।

शराब उपलब्धताकी प्रकृति

तालिकासंख्या- 5

क्रम सं.	विकल्प	मद्यनिषेध के पूर्व		मद्यनिषेध के पश्चात	
		कुल आवृति	कुल प्रतिशत	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	होम डिलीवरी	13	3.25%	115	28.75%
2	किसी निश्चित दुकान	32	8%	54	13.5%
3	किसी निश्चित घर	11	2.75%	43	10.75%
4	सरकारी ठेके की दुकान	298	74.5%	0	0%
5	अन्य	8	2%	16	4%
6	एकसेअधिक	38	9.5%	172	43%
कुल योग		**400**	**100%**	**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.-5 मद्यनिषेधसेपूर्व व मद्यनिषेध के पश्चातव्यसनीव्यक्तिकोविभिन्न माध्यमों से उपलब्धहोनेवाली शराब उपलब्धता की प्रकृतिकोप्रदर्शितकरतीहै। यह जानकारी एकत्रित की गई की व्यसनी व्यक्तियों को मद्यनिषेध से पूर्व शराब किन माध्यमों से प्राप्त होता था और मद्यनिषेध के पश्चात उन्हें किस प्रकार शराब प्राप्त हो रहे हैं ? इसके प्रतिउतर मेंयह ज्ञात हुआ कि मद्यनिषेध से पूर्व 74.5% व्यसनीव्यक्तियोंकोशराबसरकारी ठेके की दुकान, 9.5% कोशराबएकसेअधिक माध्यमों (अर्थातहोमडिलीवरी, किसीनिश्चितदुकान, किसीनिश्चितघर, सरकारीठेकेकीदुकानतथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3/4 कारण), 8% कोकिसीनिश्चितदुकान, 3.25% कोहोम डिलीवरी, 2.75% कोकिसीनिश्चितघरतथा 2% कोअन्यमाध्यमोंसे शराबउपलब्धहोतीथी। जबकि मद्यनिषेध के पश्चात 43% व्यसनीव्यक्तियोंकोशराबएकसेअधिक माध्यमों (अर्थातहोमडिलीवरी, किसीनिश्चितदुकान, किसीनिश्चितघर तथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3/4 कारण), 28.75% कोहोमडिलीवरी, 13.5% कोकिसीनिश्चितदुकान, 10.75% कोकिसीनिश्चितघर तथा4% कोअन्यमाध्यमोंसेउपलब्धहोतीहै। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को शराब विभिन्न श्रोतों (अर्थातहोमडिलीवरी, किसीनिश्चितदुकान, किसीनिश्चितघर) से प्राप्त हो रही है।

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

तालिकासंख्या- 6

क्रम सं.	विकल्प	मद्यनिषेध के पूर्व		मद्यनिषेध के पश्चात	
		कुल आवृति	कुल प्रतिशत	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना	319	79.75%	187	46.75%
2	आर्थिक रूप से कोई प्रभाव नहीं	76	19%	111	27.75%
3	आर्थिक रूप से समृद्ध होना	0	0%	96	24%
4	अन्य	5	1.25%	6	1.5%
कुल योग		**400**	**100%**	**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.- 6मद्यनिषेधसेपूर्व व मद्यनिषेध के पश्चातशराब व्यसन काव्यसनीव्यक्तियोंकेपरिवारपरपड़नेवालेआर्थिक प्रभावोंकोप्रदर्शितकरतीहै। सूचनादाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई कि शराब व्यसनियों के आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?मद्यनिषेध से पूर्व 79.75% व्यसनी व्यक्तियोंकापरिवार शराब व्यसन के कारणआर्थिकरूपसेकमजोरहोजाताथा।19% व्यसनी व्यक्तियों केपरिवारपरआर्थिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ताथा तथा 1.25% परिवारों पर आर्थिक रूप से अन्य प्रभावपड़ताथा। जबकि मद्यनिषेध के पश्चात 46.75% व्यसनी व्यक्तियोंकापरिवारआर्थिकरूपसेकमजोरहुआ है। (विशेषकरनिर्धनपरिवारआर्थिकरूपसेअत्याधिककमजोरहुएहैं)27.75% व्यसनियोंकेपरिवारपरआर्थिक रूप से कोई परिवर्तन नहींहुआहै। (विशेषकरमध्यमएवंउच्चवर्गवालेपरिवारमेंआर्थिकरूपसेकिसीप्रकारकाप्रभावनहींपड़ाहै) 24% व्यसनी व्यक्तियों कापरिवारपरआर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। (विशेषकरवहपरिवारजोअवैधशराबकीबिक्रीमेंसंलग्नहै, समृद्धहुएहैं) 1.5% परिवारोंपरआर्थिक रूप सेअन्यप्रभावपड़ा है। विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसन के कारण विशेषकर निर्धन परिवार ही आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है तथा वैसे परिवार जो शराब के कारोबार में संलग्न है वह आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है।

मद्यनिषेध के पश्चात शराब की उपलब्धता

तालिकासंख्या- 7

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	सरलता पूर्वक	310	77.5%
2	कठिनाई पूर्वक	90	22.5%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.-7 मद्यनिषेध केपश्चातशराब उपलब्धताकोप्रदर्शितकरतीहै। उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या मद्यनिषेध के पश्चात बिहार में शराब उपलब्ध है ? और यदि है तो उन्हें सरलता/कठिनाई पूर्वक प्राप्त हो रहा है इस सन्दर्भ में 77.5% सूचनादाताओं का मत है किमद्यनिषेध केपश्चातव्यसनी व्यक्तियोंको शराबआसानीसेउपलब्धहोजातीहै।जबकि 22.5% का मत है किव्यसनियों को शराब कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। अतः विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात बिहार में शराब उपलब्ध होने के साथ ही व्यसनी व्यक्तियों को सरलता पूर्वक प्राप्त भी हो रहा है।

मद्यनिषेध केपश्चातव्यसनियों में प्रशासन के प्रति भय

तालिकासंख्या-8

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	293	73.25%
2	नहीं	107	26.75%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं.-8मद्यनिषेध केपश्चातमद्य व्यसनियों में प्रशासन के प्रति भयकोप्रदर्शितकरतीहै। सूचनादाताओं से यह समझने का प्रयास किया गया कि क्या मद्यनिषेध के पश्चात शराब का सेवन करने वाले व्यसनियों में प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने का भय होता है ? तो इसके प्रतिउत्तर में 73.25% सूचनादाताओंनेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेध केपश्चातशराब व्यसन करने वाले लोगों में प्रशासन के प्रतिपकड़ेजानेका डरहोताहै।जबकि 26.75% नेयहप्रतिक्रियादीकिमद्यनिषेध व्यसनियों में प्रशासन के प्रतिपकड़ेजानेका डरनहींहोताहै। विश्लेषण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिहार में मद्यनिषेध कानून के कड़े प्रावधानों के कारण व्यसनी व्यक्तियों को शराब व्यसन के पश्चात प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने का डर बना रहता है।

मद्यनिषेध केपश्चातव्यसनियों में प्रशासन के प्रति विभिन्न भय

तालिकासंख्या-8.1

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	कारावास	138	47.09%

2	अर्थदंड	28	9.55%
3	प्रतिष्ठा में कमी	50	17.06%
4	अन्य	5	1.70%
5	एकसेअधिक	72	24.5%
कुल योग		**293**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं- 8.1 मद्यनिषेध केपश्चातशराब व्यसनियों में प्रशासन केप्रतिउत्पन्न विभिन्न प्रकार के डर कोप्रदर्शितकरतीहै। यह तालिका सं- 8 से संबंधित है, वैसे सूचनादाता जिन्होंने यह जानकारी दी थी कि मद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनियोंमें प्रशासन के प्रतिपकड़ेजानेका डरहोताहै।उनसे यह समझने का प्रयास किया गया कि शराब व्यसनियों में प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर किस प्रकार का भय होता है ? इसके प्रतिउतर में 47.09% सूचनादाताओं नेमद्यनिषेध केपश्चातशराब का सेवन करने वाले लोगों में प्रशासन के प्रतिपकड़ेजानेपरकारावासका डर, 24.57% नेएकसेअधिक (अर्थातकारावास, अर्थदंड, प्रतिष्ठामेंकमीतथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3 कारण) प्रकार का डर, 17.06% नेप्रतिष्ठा में कमीका डर, 9.55% नेअर्थदंडका डरतथा1.70% नेअन्यबातोंका डरमाना। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसन करने वाले व्यक्तियों में कारावास जाने का डर होता है।

मद्यनिषेध केपश्चातदंडात्मक कार्रवाई

तालिकासंख्या-9

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	328	82%
2	नहीं	72	18%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.-9 मद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनी व्यक्तियोंकोपुलिसप्रशासनकेद्वारापकड़ेजानेपरकीजानेवालीदंडात्मककार्रवाईकोप्रदर्शितकरतीहै।सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध केपश्चातक्या शराब व्यसनी व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ेजानेपर दंडात्मक कारवाई की जातीहै **?** इसके प्रतिउतर में 82% सूचनादाताओं नेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनीकोपुलिसप्रशासनकेद्वारा पकड़ेजानेपरदंडात्मक कार्रवाई की जातीहैतथा 18% नेयहप्रतिक्रियादीकिमद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनीकोपुलिसप्रशासनकेद्वारापकड़ेजानेपरदंडात्मक कार्रवाई नहींकी जातीहै। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात मद्यनिषेध कानून का अनुपालन न किये जाने के पश्चात व्यसनी व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कारवाई की जाती है।

मद्यनिषेध केपश्चात विभिन्नदंडात्मक कार्रवाई

तालिकासंख्या-9.1

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	केवलचेतावनी	45	13.71%
2	कारावास	142	43.29%
3	अर्थदंड	70	21.34%
4	अन्य	23	7.01%
5	एकसेअधिक	48	14.63%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं.- 9.1 मद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनी व्यक्तियोंकोपुलिसप्रशासनकेद्वारापकड़ेजानेपरकीजानेवालीविभिन्नदंडात्मककार्रवाईकोप्रदर्शितकरतीहै।यहतालिकासं.-9सेसंबंधितहै वैसे सूचनादाता जिन्होंनेयहसहमतिदी थी उनसे यह जानने का प्रयास किया गयाकिमद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनीकोपुलिसप्रशासनकेद्वारा पकड़ेजानेपर किस प्रकार कादंडात्मक कार्रवाई किया जाता है, इसके प्रतिउतर में 43.29% लोगोंनेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेध केपश्चातशराबव्यसनीकोपुलिसप्रशासनकेद्वारापकड़ेजानेपरकारावासभेजाजाताहै, 21.34% लोगोंनेयहमानाकिमद्यनिषेध अर्थदंडदियाजाताहै, 14.63% नेकहाकिएकसेअधिक (अर्थातकेवलचेतावनी, कारावास, अर्थदंडतथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3 कारण)प्रकार कीकार्रवाईकीजातीहै,13.71% नेयहमानाकिकेवलचेतावनीदीजातीहैतथा 7.01% नेयहमानाकिमद्यनिषेध केपश्चातअन्यकार्रवाईकीजातीहै। विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसन करने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़े जाने पर कारावास भेजा जाता है।

मद्यनिषेध केपश्चात मद्यनिषेध कानून

तालिकासंख्या-10

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	109	27.25%
2	नहीं	291	72.75%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं.10 मद्यनिषेध कानूनकी सफलता एवंअसफलताकोप्रदर्शितकरतीहै।सूचनादाताओं से यह समझने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध केपश्चातक्या मद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में सफल हुआ है ?इसके प्रतिउतर में 72.75% सूचनादाताओं नेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेधकानून अपने उद्देश्य में असफल हुआ हैतथाइसकेविपरीत 27.25% नेप्रतिक्रियादीकिमद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। विश्लेषण के उपरांत यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में असफल हुआ है।

मद्यनिषेध कानून की सफलता के कारण

तालिकासंख्या-10.1

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	प्रशासन द्वारा व्यसनी व्यक्ति पर कार्रवाई	37	33.94%
2	शराब की अवैध बिक्री कार्रवाई	20	18.34%
3	सख्त कानून	20	18.34%
4	अन्य	0	0%
5	एकसेअधिक	32	29.35%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.- 10.1मद्यनिषेध कानूनकीसफलताकेकारणोंकोप्रदर्शितकरतीहै।यहतालिकासं.-10सेसंबंधितहैवैसे सूचनादाता जिन्होंने यहप्रतिक्रियादी थीकिमद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में सफल हुआ हैउनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध की सफलता के क्या कारण है ?इस संबंधमें 33.94% लोगोंनेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेध कानूनकाअपनेउद्देश्यमेंसफलहोनेकाकारणप्रशासनद्वाराशराबव्यसनीव्यक्तिपरकार्रवाई करनाहै, 29.35% नेयहमानाकिएकसेअधिक (अर्थातप्रशासनद्वाराशराबव्यसनीव्यक्तिपरकार्रवाई, शराबकीअवैधबिक्रीपरकार्रवाईतथासख्तकानूनमेंसेकिन्हीं 2/3 कारण) कारणहै,18.34% लोगोंनेसख्तकानून को मानातथा 18.34% लोगोंनेशराबकीअवैधबिक्रीपरकार्रवाईको माना है। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासन द्वारा मद्यनिषेध व्यसनी व्यक्ति पर कारवाई किये जाने के कारण मद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में सफल हुआ है

मद्यनिषेध की असफलता के कारण

तालिकासंख्या-10.2

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	सख्त कानून का अभाव	28	9.62%
2	पुलिस प्रशासन में लिप्त भ्रष्टाचार	94	32.30%
3	लोगों में जागरूकता का अभाव	10	3.43%
4	अन्य	148	3.78%
5	एकसेअधिक		50.85%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं-10.मद्यनिषेध कानूनकीअसफलताकेकारणोंकोप्रदर्शितकरतीहै।यहतालिकासं-10सेसंबंधितहै वैसे सूचनादाता जिन्होंने यह जानकारी दी थी कि मद्यनिषेध कानून अपने उद्देश्य में असफल हुआ है,उनसे यह समझने का प्रयास किया गया कि मद्यनिषेध कानून की असफलता के पीछे क्या कारण है ? इसके प्रतिउतर में 50.85% सूचनादाताओंनेयहसहमतिदीकिमद्यनिषेध कानूनकाअपनेउद्देश्यमेंअसफलहोनेकाएकसेअधिक (अर्थातसख्तकानूनकाअभाव, पुलिसप्रशासनमेंलिप्तभ्रष्टाचार, लोगोंमेंजागरूकताकाअभावतथाअन्यमेंसेकिन्हीं 2/3 कारण) कारणहै, 32.30% नेमद्यनिषेध कानूनकी असफलता काकारणपुलिस प्रशासन में लिप्त भ्रष्टाचारको माना,9.62% सख्तकानूनकाअभाव, 3.78% नेअन्य (अचानकनिर्णयलिएजानेतथानेता,

पदाधिकारीवमाफियागठजोड़आदिकेकारण) कारणों को माना तथा3.43% नेयहमानाकिमद्यनिषेध कानूनकाअपनेउद्देश्यमेंअसफलहोनेकाकारणलोगोंमेंजागरूकताकाअभाव भीहै। अतः विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि मद्यनिषेध कानून का अपने उद्देश्य में एक से अधिक कारणों से सफल नहीं हुआ है ।

मद्यनिषेध केपश्चातशराब बिक्री का गैरकानूनी धंधा

तालिकासंख्या-11

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	383	95.75%
2	नहीं	17	4.25%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिका सं.-11 मद्यनिषेधकेपश्चात शराब बिक्री के गैरकानूनी धंधे कोप्रदर्शितकरती है। सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या मद्यनिषेध के पश्चात शराब बिक्री का गैर कानूनी धंधाएक अत्यधिक मुनाफे वालेवैकल्पिक रोजगार के रूप में उभरा है,इसकेप्रतिउतर में 95.75% सूचनादाताओंनेयहसहमतिव्यक्त कीकिमद्यनिषेधकेपश्चात शराब बिक्री का गैरकानूनी धंधा एक अत्यधिक मुनाफे वालेवैकल्पिक रोजगार के रूप में उभरा है।जबकि इसकेविपरीत 4.25% ने यहप्रतिक्रियादीकिमद्यनिषेधकेपश्चात शराब बिक्री का गैरकानूनी धंधा एक अत्यधिक मुनाफे वालेवैकल्पिक रोजगार के रूप मेंनहीं उभरा है। विश्लेषण के उपरांत स्पष्तः यह कहा जा सकता है कि शराब बिक्री का गैरकानूनी धंधा एक अत्यधिक मुनाफे वालेवैकल्पिक रोजगार के रूप मेंउभरा है।

मद्यनिषेध की प्रकृति

सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे बिहार में मद्यनिषेध को अच्छा मानते हैं ?इसके प्रतिउतर में निम्न तथ्य प्राप्त हुए-

तालिकासंख्या-12

क्रम सं.	विकल्प	कुल आवृति	कुल प्रतिशत
1	हां	220	55%
2	नहीं	180	45%
कुल योग		**400**	**100%**

उपर्युक्ततालिकासं.-12बिहारमेंमद्यनिषेधकीअच्छाईकोप्रदर्शितकरतीहै। 55% सूचनादाताओंनेयहसहमतिव्यक्त कीकिवेबिहार में मद्यनिषेध को अच्छा मानतेहैंजबकिइसकेविपरीत 45% नेप्रतिक्रियादीकिवेबिहार में मद्यनिषेध को अच्छानहीं मानते हैं।

जबउपर्युक्ततालिकासं.-12केअंतर्गतसूचनादाताओंसेपूछागयाकियदिआपमद्यनिषेधकोअच्छामानतेहैंतोकृपयाकारणबताएंतोइससंदर्भमेंनिम्नमहत्वपूर्णबातेंसाझाकीगई, जोइसप्रकारहैं-

- बिहार में मद्यनिषेध के कारण शराबी व्यक्ति अब शराब का सेवन करने के बाद झगड़ा-झंझट, मारपीट व हल्ला हंगामा नहीं करता है, जिससे समाज में शांति का माहौल स्थापित हुआ है ।
- इससे महिला उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा में कमी आई है।
- बिहार में मद्यनिषेध को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि बिहार वासियों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है।
- मद्यनिषेध के बाद लोगों ने शराब का व्यसन कम कर दिया है तथा आर्थिक रूप से सुधार हुआ है। क्योंकि शराब व्यसन के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाता है तथा शराब व्यसनी व्यक्ति किसी को भी गाली दे देता है एवं झगड़ा-झंझट करने लगता है। यहां तक कि अपने परिवार में भी मारपीट व गाली गलौज करता है इन सभी स्थितियों में कमी आई है तथा शांति का माहौल स्थापित हुआ है।
- मद्यनिषेध के बाद शराब व्यसनी व्यक्ति के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है।
- मद्यनिषेध के बाद ज्यादातर शराब व्यसनी व्यक्ति के घरों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है उनके घरों में शांति तथा खुशहाली स्थापित हुई है।

- मद्यनिषेध के कारण घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटना में कमी आई है।
- शराब के सेवन से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए मद्यनिषेध आवश्यक प्रतीत होता है।
- मद्यनिषेध कानून के लागू होने से शराब व्यसनी व्यक्ति के शराब की लत में कमी आई है तथा सामाजिक वातावरण शांत हुआ है।
- बिहार में मद्यनिषेध कानून इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके लागू होने से शराब व्यसनी व्यक्ति में डर का माहौल है तथा वह यदि चोरी-चुपके पीता भी है तो वह किसी प्रकार का हल्ला-हंगामा नहीं करता इस प्रकार समाज में शांति बनी रहती है।
- शराब व्यसनी परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है तथा इसके लत में भी कमी आई है।
- अब महिलाएं शाम के समय में भी बिना किसी कठिनाई व डर के कहीं भी आ-जा सकती हैं। अब उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
- मद्यनिषेध के कारण शराब व्यक्ति व्यक्ति के परिवार में भी बच्चे अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा उनके घरों में खुशहाली आई है।
- मद्यनिषेध इसलिए अच्छा एवं आवश्यक है क्योंकि इससे कई घरों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है तथा उनके बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जा सकता है।
- पारिवारिक कलह, चोरी, डकैती, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाओं में कमी आई है जिससे हमारे राज्य में शांति स्थापित हुई है।
- इससे हमारी भावी पीढ़ी काफी सुसज्जित, संस्कारी व सुरक्षित होगी एवं वह सामाजिक दुष्परिणामों से वंचित रहेगा तथा उनका भविष्य उज्जवल एवं समृद्धशाली होगा।
- बहुत से लोगों ने शराब व्यसन को त्याग दिया है।
- इससे आम जनता में खुशहाली आई है, सामाजिक वातावरण शांत हुआ है तथा घर की महिलाएं सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं।
- सामाजिक मूल्यों एवं आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई है।

जबकिउपर्युक्ततालिकासं.-12के हीअंतर्गतसूचनादाताओंसेपूछागयाकिआपमद्यनिषेधकोअच्छाक्योंनहींमानतेहैंकृपयाकारणबताएंतोइससंदर्भमेंनिम्नमहत्वपूर्णबातेंसाझाकीगई, जोइसप्रकारहैं-

- मद्यनिषेध से व्यसनी व्यक्ति की सुविधाएं और अत्यधिक बढ़ गई है तथा प्रशासन की गैरकानूनी रूप से कमाई भी बढ़ गई है इसके साथ ही जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की जानें भी गई है।
- मद्यनिषेध के बावजूद भी शराब सभी जगह उपलब्ध है। इसका अवैध रूप से निर्माण, बिक्री एवं सेवन धड़ल्ले से की जा रही है।
- मद्यनिषेध सामाजिक एवं राजकीय दृष्टिकोण से अच्छा तो है परंतु वर्तमान समय में इसके दुष्परिणाम अत्यधिक है। प्रशासन के भ्रष्टाचार एवं इसे सख्ती पूर्वक लागू न किए जाने के कारण विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है तथा जहरीली शराब के सेवन से शराब व्यसनियों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
- मद्यनिषेध सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से तो जरूर अच्छा है परंतु इसका विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ा है। प्रशासन के भ्रष्ट होने के कारण शराब की बिक्री सभी जगह खुलेआम की जा रही है।
- मद्यनिषेध के पश्चात हमारी युवा पीढ़ी धड़ल्ले से बर्बाद हो रही है। मद्यनिषेध से पहले शराब केवल बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ही खरीदते थे या कोई युवा यदि खरीदने की कोशिश भी करता था तो वह शराब की दुकान से यह डर कर भाग आता था या वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, कि कोई उसे गांव के बड़े बुजुर्ग या आस-पड़ोस के रिश्तेदार देख ना लें। यदि कोई युवा हिम्मत करके खरीदने भी चला जाता था तो कल तक उसके अभिभावक को उसके शराब खरीदने की जानकारी हो जाती थी उसके बाद उसे सख्त हिदायत अभिभावक की ओर से हो जाता था। परन्तु वर्तमान समय में शराब की होम डिलीवरी बिक्री किये जाने के कारण हमारी युवा पीढ़ी शराब की ओर आकृष्ट हो रही है।
- वर्तमान समय में वार्ड पार्षद एवं मुखिया के संरक्षण में गांवों में शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है।
- वर्तमान समय में जो शराब घर-घर बनाकर बिक्री की जा रही है यह व्यसनी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नुकसानदायक व जहरीली है।
- मद्यनिषेध के बावजूद शराब सभी जगह सरलता पूर्वक उपलब्ध हो रहा है परंतु सरकार को इसका राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है और इसका लाभ दूसरे पड़ोसी राज्य उठा रहे हैं।
- मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसनी व्यक्ति की सुविधाएं और अत्यधिक बढ़ गई है जिसके कारण व्यसनी व्यक्ति और अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा है।
- मद्यनिषेध के बावजूद शराब की होम डिलीवरी की जा रही है तथा प्रशासन रिश्वत लेकर शराब पीने और पिलाने में मदद कर रही है।
- मद्यनिषेध के बाद शराब व्यसनी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेषकर युवा वर्ग शराब का सेवन अत्यधिक रूप से कर रहा है।
- मद्यनिषेध से पहले शराब की बिक्री करते समय केवल व्यस्क व्यक्तियों को ही शराब बेची जाती थी परंतु वर्तमान समय में घर-घर शराब का निर्माण व होम डिलीवरी बिक्री की जाने के कारण अब उम्र की कोई सीमा नहीं रह गई है, अब बच्चे भी शराब की खरीद, बिक्री व सेवन कर रहे हैं।

- ✧ मद्यनिषेध के बाद अपने राज्य के राजस्व में जो कमी आई है वह आम जनता को विभिन्न करों (टैक्स) में वृद्धि के माध्यम से चुकानी पड़ रही है तथा इसका लाभ राज्य से सटे दूसरे पड़ोसी राज्यों को हो रहा है।
- ✧ मद्यनिषेध से पहले कुछ खास दुकानों पर ही शराब की बिक्री की जाती थी जहां केवल व्यस्क व्यक्ति ही शराब खरीद सकते थे परंतु वर्तमान समय में चोरी-छिपे वह शराब की होम डिलीवरी किए जाने के कारण हमारी युवा पीढ़ी आसानी से शराब प्राप्त कर रही है और शराब पीकर बर्बाद हो रहे हैं। शराब की बिक्री करने वाला एक ही व्यक्ति दादा, पिता व पोते तीनों को शराब की बोतलें दे रहा है एवं उनके परिवारों को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है।
- ✧ मद्यनिषेध के बाद शराब की बिक्री अवैध रूप से ऊंचे कीमत पर की जा रही है तथा सरकार के राजस्व का भरपाया आम जनता अन्य सामानों पर अत्यधिक कर भुगतान के माध्यम से कर रही है। वहीं वर्तमान समय में मजदूर वर्ग के शराब बनाने में संलिप्त हो जाने के कारण मजदूरों की कमी हो गई है। मजदूर वर्ग को शराब की निर्माण और बिक्री में अत्यधिक लाभ हो रहा है जिसके कारण वह मजदूरी करना पसंद नहीं कर रहे हैं।
- ✧ मद्यनिषेध के बाद यूरिया, नशादर आदि का प्रयोग कर शराब की निर्माण की जा रही है जिससे शराब जहरीली हो जाती है और इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और इस प्रकार की घटनाएं कुछ जगह पर देखने को भी मिली है।
- ✧ मद्यनिषेध को अच्छा तो कहा जा सकता है परंतु बिहार में मद्यनिषेध के बाद जो स्थिति देखने को मिल रही है उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है, मद्यनिषेध के बावजूद गांवों में अप्रत्याशित रूप से शराब की निर्माण व बिक्री कुछ विशेष समुदाय या वर्ग के लोग कर रहे हैं।
- ✧ शराब का वितरण और अत्यधिक आसान हो गया है तथा प्रशासन की भ्रष्टाचारी संलिप्तता भी अत्यधिक बढ़ गई है।
- ✧ बिना सोचे-समझे अचानक से निर्णय लिए जाने कारण मद्यनिषेध को अच्छा नहीं कहा जा सकता।
- ✧ सरकार की नजरों में तो मद्यनिषेध दिख रहा है परंतु आम जनता की नजरों में नहीं। वास्तविकता यह है कि शराब सर्वत्र उपलब्ध है और जहरीली शराब पीने से शराब व्यसनी व्यक्ति की स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है तथा अत्यधिक मौतें भी हो रही हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन के उपरांत यह ज्ञात होता है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मद्यनिषेध का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात शराब व्यसनी व्यक्ति की संख्या में कमी आई है तथा इनके परिवारों में शांति का माहौल स्थापित हुआ है। घरेलु हिंसा, पारिवारिक कलह, चोरी, डकैती, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाओं में कमी आई है जिससे समाज में शांति स्थापित हुई है। वहीं नकारात्मक प्रभावों को देखें तो ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के बावजूद शराब सभी जगह आसानी से उपलब्ध है और जहरीली शराब पीने से शराब व्यसनी व्यक्ति की स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है तथा अत्यधिक मौतें भी हो रही है। इसके साथ ही शराब की सरलता पूर्वक उपलब्धता के कारण शराब व्यसनी की शराब सेवन की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में मद्यनिषेध के बावजूद 15.5% पुरुष तथा 0.4% महिलाएं शराब का सेवन करते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में मद्यनिषेध के बावजूद शराब सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन फिर भी इन सभी आंकड़ो और विभिन्न कमियों के बावजूद मद्यनिषेध के सकारात्मक प्रभाव कुछ सीमा तक जरूर दिखाई दे रहे हैं। बिहार में मद्यनिषेध समाज के लोगों के लिए लाभप्रद साबित हुआ है।

सन्दर्भ सूची

गांधी. मो.क. (2019). मेरे सपनों का भारत. नई दिल्ली: राजपाल एंड संस. पृष्ठ -139

उपर्युक्त, गांधी. मो.क. (2019). पृष्ठ -139

यंग इंडिया, 04-02-1926, सम्पूर्ण गांधी वांड्मय, भाग-29 , पृष्ठ 429-30

प्रसाद, धनेश्वर .(2018). शराबबंदी एक फौलादी फैसला. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ 62

चंद्रसेन. (1940). हिंदुस्तान लूट गया: कब और कैसे. दिल्ली : प्रकाशक मंडल, पृष्ठ 86

चंद्रसेन. (1990). मद्यनिषेध: नशे का व्यसन. दिल्ली: शारदा प्रकाशन, पृष्ठ 9

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/466

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

डोनाल्ड, ए. मायकेला, एस. लिशा, ए. फुलविया, पी & अल्बर्ट, बी. (2007). पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस मेडिसिन. वॉल्यूम. 4, पृष्ठ 36

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

एरिक जे. & रोबर्ट सी. (1998). जेनेटिक्स ऑफ अल्कोहलिज्म. एनुअल रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स. वॉल्यूम.23, पृष्ठ, 19-36

शरण, आशुतोष & महावर, सुनील.(2023). भारत में मद्यनिषेध और महात्मा गाँधी की विचार दृष्टि. मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल. वर्ष 21. अंक 1. पृष्ठ 79-80

उपर्युक्त, प्रसाद, धनेश्वर. (2018). पृष्ठ -32

श्रीवास, डी. (2008). युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पृष्ठ 78

उपर्युक्त, शरण, आशुतोष & महावर, सुनील.(2023).पृष्ठ 80-81

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020. http://rchiips.org/nfhs/

1857 के स्वातंत्र्य समर से सावरकर के स्वराज का अभ्युदय: एक मौलिक चिंतन

डॉ. प्रखर कुमार*

सारांश

"हिन्दू चिन्तन ने अज्ञात की प्रकृति के सम्बन्ध में मानव चिन्तन की संभावनाओं को ही निःशेष कर दिया है। सावरकर कहते है कि जिस जाति का कोई अतीत नहीं उसका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता, यदि यह भक्ति सत्य पर आधारित है, तो हिन्दूजाति आत्मगौरव की भावनाओं को जागृत करने के लिए उतना प्रयत्न नहीं करता जितना कि वह स्वयं को उद्घाटित करने की दिशा में प्रयत्नशील है"। जो भी व्यक्ति हिन्दूजाति को अपनी जाति तथा हिन्दुस्तान को अपनी पितृभूमि मानने के कारण उस हिन्दू संस्कृति को अपनी संस्कृति के रूप में मान्यता देता है, जो संस्कृति, समान इतिहास, समान परम्परा, समान साहित्य, समान शिल्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व और उत्सवों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, हिन्दुत्त्व को परिपूर्ण करती है। इस प्रकार हिन्दुत्त्व की तीन बातों अर्थात एक राष्ट्र, एक जाति तथा एक संस्कृति की दृष्टि से वे सब हिन्दू है। प्रत्येक हिन्दू का धर्म उसकी इस जन्मभूमि से इतना अभिन्नतम है कि यह भूमि प्रत्येक हिन्दू की दृष्टि में उसकी पितृभूमि न होकर पुण्यभूमि है। हमने रोम, यूनान जैसे राष्ट्रों को नष्ट कर देने वाली शक्तियों का भी मान मर्दन कर देने का महान शौर्य एवं पराक्रम भी प्रदर्शित किया है। "यूरोप में जब क्रुसेड अर्थात धर्मयुद्ध के दौरान अपनी पुण्यभूमि के लिए विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के लोग, जिनकी भाषाएं भी पृथक थी, उन्होंने संयुक्त होकर संग्राम किया था, जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि पुण्यभूमि की ममता कितनी अद्भुत होती है।" अतः किसी भी राष्ट्र की पूर्ण एकता, अखण्डता और संगठित अवस्था के लिए सर्वोत्तम स्थिति यही हो सकती है कि उसकी मातृभूमि और पुण्यभूमि एक हो।

बीज शब्द: स्वराज, हिन्दुत्त्व, राष्ट्र, पितृभूमि, पुण्यभूमि

प्रस्तावना

स्वराज का शाब्दिक अर्थ है- 'स्वशासन' या "अपना राज्य"। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्म-निर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल दिया। 'स्वराज' शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था। तत्पश्चात इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ई. में किया गया था। आधिकारिक रूप से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 ई. में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 'स्वराज' की मांग को रखा गया। इस पर प्रमुखता से विमर्श तब हुआ, जब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ई. में "होमरुल लीग" की स्थापना के समय यह उद्घोषणा कि "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" जबकि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1920 ई. में स्वराज के विषय में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। गांधी के स्वराज का अर्थ "जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन-आवश्यकताओं तथा जन-आकांक्षाओं के अनुरूप हो।" वस्तुत: गांधीजी के स्वराज का विचार ब्रिटेन के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नौकरशाही, कानून, सैनिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार करने का उपक्रम था। वही सावरकर की विचारधारा "स्वधर्म के बिना स्वराज्य तुच्छ है और स्वराज्य के बिना स्वधर्म बलहीन है। स्वराज्य नामक ऐहिक सामर्थ्य की तलवार, स्वधर्म नामक पारलौकिक साध्य के लिए हमेशा बाहर निकली रहनी चाहिए।" 'पूर्ण स्वराज' की मांग पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।

समकालीन आधुनिक विचारकों ने 1857 के स्वातंत्र्य समर को "मुस्लिम साजिश" के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था किन्तु सैयद अहमद खान ने इस आरोप का खंडन किया तथा साथ ही 1857 के स्वातंत्र्य समर की प्रकृति को दिशा निर्देशित करने का प्रयास किया था। हालांकि इस स्वातंत्र्य समर की प्रकृति पर एकमत होना दुरूह कार्य था, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण प्रस्तुत था, वह एक संयोग ही था, जबकि इसके पीछे की पृष्ठभूमि सदियों से चली आ रही औपनवेशिक दासता से मुक्त होना था। वास्तविकता यह थी की स्वातंत्र्य प्राप्ति का असुनियोजित प्रयास कालक्रम में सुनियोजित और प्रेरणाप्रद रहा, जिसने भावी भविष्य के भारत की तस्वीर को स्पष्ट कर दिया। राजनैतिक गुलामी को व्यापारिक सन्दर्भो ने तय किया था। 1857 के स्वातंत्र्य समर की पृष्ठभूमि द्वारा डोमिनियन स्टेट्स के विपरीत पूर्ण स्वराज को लक्षित किया गया। 'स्वराज्यते स्वराजे' ने भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से निर्णयन की क्षमता को विकसित करने के साथ ही सम्पूर्ण विश्व पर सांस्कृतिक हस्ताक्षर का भी अवसर प्रदान किया। जिसकी परिणति स्पष्ट रूप से आज विश्व पटल पर अंकित है।

***डॉ. प्रखर कुमार,**सहायक आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

अर्नेस्ट जोन्स एक प्रमुख ब्रिटिश कट्टरपंथी कार्यकर्ता और लेखक थे। वह ब्रिटेन में श्रमिक वर्ग आंदोलन से जुड़े थे, मार्क्स के संपर्क में थे और उनसे प्रभावित थे। अर्नेस्ट जोन्स 1830-1840 के दशक के चार्टिस्ट आंदोलन के अग्रणी आयोजकों में से एक थे। चार्टिस्ट आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली संघर्ष था। यह विशेष रूप से श्रमिक वर्ग और शहरी गरीबों के लिए मताधिकार के लिए कार्य करता था। इनका संघर्ष 1848 में अपने चरमोत्कर्ष पर था। 1848 ई. में जोन्स को राजद्रोह के आरोप में दो साल की कैद हुई क्योंकि उन्होंने लंदन में एक भाषण दौरान आन्दोलन को और अधिक उग्र ढंग से करने का आह्वान किया था। सम्पूर्ण सजा के दौरान उन्हें कारावास में एकान्त रखा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य "द रिवोल्ट ऑफ हिंदोस्तान" (1851 में प्रकाशित, विद्रोह के समय पुनः प्रकाशित) की रचना की। जोन्स ने जेल की प्रार्थना पुस्तकों पर अपने खून से कविताएँ लिखी। 1850 के दशक के दौरान उन्होंने "पीपुल्स पेपर नाम" से एक अखबार निकाला, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह पर लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। इनमें से एक लेख "द इंडियन स्ट्रगल" का सम्पूर्ण पाठ पीपुल्स पेपर के 5 सितंबर 1857 अंक में प्रकाशित हुआ था। 1857 के विद्रोह पर जोन्स के लेखन पर जेम्स ब्रायन के एक निबंध के अंश भी प्रस्तुत हैं, (ब्रायन का निबंध पी.सी. जोशी संस्करण, रिबेलियन 1857, नई दिल्ली, 1957 में प्रकाशित हुआ था) जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जोन्स 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग 'भारतीय' शब्द के रूप में करते हैं।

बेशक, समकालीन लेखन ने राजनीतिक उन्माद और नस्लवाद को उत्पन्न किया था लेकिन गंभीर असहमति की आवाज कार्ल मार्क्स की थी, जिन्होंने ने भारत के औपनिवेशिक शोषण को 1857 के दौरान लोगों द्वारा प्रदर्शित आक्रोश से जोड़ा था। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा प्रदर्शित एकता का मार्क्स और एंगेल्स दोनों के द्वारा सराहना की गयी थी। 19वीं सदी के अंत तक विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवादियों की पहली पीढ़ी को आकर्षित और प्रेरित किया था। वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के साथ 1857 के स्वातंत्र्य समर के रूप में हुई घटनाओं को जल्द ही राष्ट्रवादियों ने "स्वराज्य" के रूप में शामिल और विनियोजित किया था। इस प्रकार सावरकर जो संभवतः 1909 में 1857 की क्रान्ति के बारे में लिखने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होने ने इसे "प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" कहा। ब्रिटिश राष्ट्र-समर्थक लोगों ने सावरकर को घृणा की दृष्टि से देखा तथा उनके दावे को खारिज कर दिया। 1857 के स्वातंत्र्य समर के लिए चर्बी वाले कारतूसों को प्रमुख कारण माना गया। सावरकर ने कहा यदि यह कारण प्रमुख होता तो इसे समझाना मुश्किल होता कि नाना साहब, दिल्ली के मुगल सम्राट, झाँसी की रानी और खान बहादुर खान को इसमें शामिल होने के लिए कैसे आकर्षित कर सकता था? इसके अलावा, सावरकर ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा आपत्तिजनक चर्बी वाले कारतूसों को वापस लेने की घोषणा जारी करने के बाद भी 1857 का आंदोलन अनवरत चलता रहा, जिसकी पूर्णता 1947 में जाकर मिली। सावरकर ने विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा किए गए दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों से जोड़ा था। 1857 की क्रांति ने एकता सूत्र की सभी धार्मिक सीमाओं को तोड़ दिया था।

सावरकर के समय में 1857 की स्थिति बाद में बदलाव के खिलाफ अर्थात हिन्दुस्तान की एकता के विरुद्ध जाता है, जिसमें उन्होंने हिंदू-मुस्लिम विभाजन के वीभत्स को भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा था। भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलन के विकास के साथ, एम. एन. रॉय और रजनी पाम दत्त द्वारा 1857 की क्रांति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया था। एम. एन. रॉय ने 1857 के स्वातंत्र्य समर को खारिज किया, क्योंकि उन्होंने इसकी विफलता में सामंती सत्ता के अंतिम अवशेषों को बिखरते हुए देखा था। वह इस बात पर ज़ोर देते थे कि "1857 की क्रांति" घिसी-पिटी सामंती व्यवस्था और नए शुरू किए गए व्यावसायिक पूंजीवाद के बीच का संघर्ष था, जो पूर्व पर राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रजनी पाम दत्त ने "1857 की क्रांति" को एक प्रमुख किसान विद्रोह के रूप में भी देखा, हालाँकि इसका नेतृत्व पतनशील सामंती ताकतों द्वारा किया गया था, जो अपने विशेषाधिकारों को वापस पाने और विदेशी प्रभुत्व के ज्वार को वापस लाने के लिए लड़ रहे थे। परिणामस्वरूप, एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत देखी गई जिसने आंतरिक सामंती व्यवस्था की सराहना करते हुए उससे पूछताछ और बाद में उसकी आलोचना भी किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1857 के स्वातंत्र्य समर के स्रोतों तक पहुंच ने इससे संबंधित बहस में नवीन विकास देखा। यह एक परिष्कृत राष्ट्रवादी इतिहासलेखन था जिसने 1857 के आंदोलन की जटिलताओं पर जोर दिया था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 12 मई 2007 में आर. सी. मजूमदार, एस. बी. चौधरी, एस. एन. सेन और के. के. दत्ता जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार के लेख शामिल थे, जो इस विचार से समान रूप से सहज नहीं थे कि 1857 का स्वातंत्र्य समर "प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" था, साथ ही साथ यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि एस. एन. सेन का काम राज्य द्वारा प्रायोजित था। परिणामस्वरूप 1857 के उनके आधिकारिक उत्तर-औपनिवेशिक विवरण में स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के जश्न मनाने का एक स्पष्ट एजेंडा था। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की भावना ने इन इतिहासकारों को प्रभावित किया। इसका तात्पर्य यह था कि उनमें से कुछ ने राष्ट्रवाद जैसे विचारों का उल्लेख किया था जो कथित तौर पर विद्रोह के दौरान देखे गए थे। 1857 के स्वातंत्र्य समर में राष्ट्रीय आंदोलन की झलक प्रारंभ में दिखाई दी थी फिर भी वे उन सरल वर्गीकरणों से आगे निकल गए जिनमें दो प्रमुख और विरोधी विचार देखे गए थे। एक जिसने युद्ध "जीतने" वाले विजेता के रूप में अंग्रेजों की सराहना की और दूसरी तरफ "विद्रोही" एवं परास्त हुए क्रांतिकारियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी। इसका निहितार्थ यह था कि उनके केंद्र में बदलाव। आंतरिक विरोधाभासों (व्यापारिक वर्ग) और 1857 के लोकप्रिय आधार का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे थे। अब तक प्रभावशाली वर्गों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। समकालीन ब्रिटिश अधिकारियों या बेंजामिन डिज़रायली जैसे राजनेताओं का ध्यान इसी पर केंद्रित था। यहीं पर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने काम किया और मार्क्सवादियों की विरासत को विकसित किया। यहां तक कि कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे "स्वतंत्रता के पहले युद्ध" के रूप में देखने की अपनी अस्वीकृति भी दर्ज की थी। इसके अलावा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 1857 के आंदोलन के लोकप्रिय आधार को चाहे वह कितना भी सीमित क्यों न हो जगह

दी थी। उन्होंने 1857 के "विद्रोह" के घटकों पर प्रकाश डाला, जिसने जल्द ही "नागरिक विद्रोह" की प्रकृति ग्रहण कर ली। परिणामस्वरूप, राष्ट्रवादी इतिहासलेखन ने निश्चित रूप से नई संभावनाओं के द्वार खोले।

सावरकर ने अपनी पुस्तक "1857 के स्वातंत्र्य समर" में लिखा है कि "हमारे कर्मों में धर्म और देशभक्ति की ऐसे गठबंधन की कुलीनता का मंत्र उच्चरित करो कि वह सच्चा धर्म जो सर्वदा देशभक्ति का पक्षधर है, वह सच्ची देशभक्ति जो धर्म की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। हमें वह अत्युत्तम उर्जा प्रदान करो, वह साहस और गोपनीयता प्रदान करो, जिसके बल पर आपने शक्तिशाली ज्वालामुखी को संगठित किया। 1909 ई0 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ "दी इंडियन वार आफ इन्डिपेन्डेन्स" में यह सिद्ध किया कि 1857 ई0 का युग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो भारत से ब्रिटिश शासन को निकाल फेंकने का हिन्दू मुस्लिम का सम्मलित एवं सशक्त प्रयास था। इसी से सावरकर ने अपने ग्रन्थ "भारतीय इतिहास के छः स्वर्णिम पृष्ठ" में यह सिद्ध किया कि आक्रामक यवन, शक, कुषाण एवं हुण के कुस्वप्न को विफल करने के लिए चन्द्रगुप्त, पुष्पमित्र, विक्रमादित्य एवं यशोवर्मा की पौरूषर्पूण विजय तथा तत्कालीन परिस्थितियों का सत्य भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में से है। उनके शौर्य के सम्मुख सिकन्दर जैसा तथाकथित महान एवं विश्वविजेता भी अपनी कल्पना साकार नहीं कर सका तथा नतमस्तक हुआ।

क्रांतिकारी मैजिनी कहता है "स्वतंत्रता प्रत्येक का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और इसलिए इस पवित्र अधिकार का अपहरण करने की इच्छा के अत्याचार को मिटाना भी प्रत्येक का प्राकृतिक कर्तव्य है। व्यक्ति की, राष्ट्र की एवं मनुष्य जाति की प्रगति के लिए उसमें चैतन्य चाहिए। परन्तु जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ चैतन्य रहना सम्भव नहीं है। जो लोगों की स्वतंत्रता छीन लेता है वह लोगों की प्रगति का विरोध कर, परपीड़न का अक्षम्य पाप करता है। अनजाने में ही सारी मानव जाति का अर्थात अपनी ही गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर आत्महत्या के भयंकर पाप का भी भागीदार हो जाता है। ये गुलामी की बेड़ियाँ परमेश्वर की इच्छा के विरुध्द अपने मानवी बंधुओं के पैरों को जकड़कर आजतक किस पक्ष की विजय हुई है? स्वतंत्रता और गुलामी के झगड़े में अंतिम विजय स्वतंत्रता की ही होती है।सीले कहता है कि अंग्रेजो का हिन्दुस्तान से संबंध प्रकृति से मजाक है इन दोनों में किसी भी तरह का प्राकृतिक बंधन नहीं है। उनका रक्त भिन्न है। स्वतंत्रता के तेजस्वी गर्भ को जन्म देते समय उस उदात्त प्रसव वेदना से जो राजमंदिर और देवमंदिर मरते हैं, उनकी मृत्यु गुलामों के झुंड पैदा करने वाले राजमंदिरों के अस्तित्व से हजार गुना अधिक चैतन्यकारी है। चिता की अग्नि में उपयोग में आने की अपेक्षा यज्ञ की हवि के उपयोग के लिए जाने वाला कष्ट हजार गुना अधिक चैतन्यदायी होता है। सकल हिन्दू बन्धु बन्धु, यहाँ कहाँ भेद बिन्दु।

इससे भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय एवं जातीय दृष्टि से हमारे विभिन्न पावन तीर्थस्थल हमारी जाति की परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा है। हमारी स्वधर्म की कल्पना स्वराज्य से भिन्न नहीं है। ये दोनों साध्य होने के नाते से संलग्न है। स्वधर्म के बिना स्वराज्य तुच्छ है और स्वराज्य के बिना स्वधर्म बलहीन है। स्वराज्य नामक ऐहिक सामर्थ्य की तलवार स्वधर्म नामक पारलौकिक साध्य के लिए हमेशा बाहर निकली रहनी चाहिए। स्वधर्म के लिए उठों और स्वराज्य प्राप्त करो, इस तत्त्व ने हिन्दुस्तान के इतिहास में कितने दैवी चमत्कार किये है। श्री समर्थ रामदास ने महाराष्ट्र में ढाई सौ वर्ष पहले यही दीक्षा दी थी कि- धर्म हेतु मरे, मरते हुए सारों को मारे। मारते मारते जीतें, राज्य अपना।। हर क्रांति की नींव में कोई न कोई तत्त्व होना ही चाहिए। इटली के प्रख्यात दार्शनिक और देशभक्त मैजिनी ने कार्लाइल लिखित फ्रांसीसी राज्य क्रांति की एक पुस्तक पर टीकात्मक लेख में कहा था "क्रांति अथवा इतिहास में मनुष्य जाति के जीवन की उठा पटक होती है।

जो भी व्यक्ति हिन्दूजाति को अपनी जाति तथा हिन्दुस्तान को अपनी पितृभूमि मानने के कारण उस हिन्दू संस्कृति को अपनी संस्कृति के रूप में मान्यता देता है, जो संस्कृति, समान इतिहास, समान परम्परा, समान साहित्य, समान शिल्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व और उत्सवों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।" इस प्रकार हिन्दुत्त्व की तीन बातों अर्थात एक राष्ट्र, एक जाति तथा एक संस्कृति की दृष्टि से वे सब हिन्दू है। प्रत्येक हिन्दू का धर्म उसकी इस जन्मभूमि से इतना अभिन्नतम है कि यह भूमि प्रत्येक हिन्दू की दृष्टि में उसकी पितृभूमि न होकर पुण्यभूमि है।

निष्कर्ष

मानवतावाद तथा सार्वभौमवाद को दृष्टि में रखकर ही सावरकर ने 'स्वराज' के विचार में यह व्यक्त किया है कि हिन्दुओं को हिन्दू राष्ट्रीयता को बलवती बनाते हुए हमें गैरहिन्दुओं के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण नहीं रखना है किन्तु अपने आत्मरक्षार्थ हेतू हमें प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए। जिससे किसी भी आकास्मिक आक्रमण का साहसपूर्ण तरीके से सामना किया जा सके। सावरकर की यह विचारणा थी कि भारत सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अपने राष्ट्रीय बहुमत की संस्कृति का प्रतीक बने। सावरकर हिन्दुओं को, एक महान राष्ट्र के रूप में सदैव देखना चाहते थे। हिन्दुओं को हिन्दूराष्ट्र का गौरव प्राप्त करने के लिए हिन्दूध्वज के नीचे अपने 'स्वराज' की स्थापना करनी होगी। हमारी स्वधर्म की कल्पना 'स्वराज' से भिन्न नहीं है। ये दोनों साध्य होने के नाते से संलग्न है। स्वधर्म के बिना 'स्वराज' तुच्छ है और 'स्वराज' के बिना स्वधर्म बलहीन है। हेतु से जैसे कृत्य का परीक्षण सामान्य व्यवहार में किया जाता है उसी तरह इतिहास में भी व्यक्ति या राष्ट्र के हेतु से उसके कृत्य का स्वरूप निश्चित होता है। यदि यह कसौटी छोड़ दे तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को मारना या किसी एक सेना द्वारा दूसरी सेना को मारने में कोई भेद नहीं रहेगा। साम्राज्य के लिए सिकंदर महान की चढ़ाइयाँ और इटली की स्वतंत्रता के लिए गैरीवाल्डी द्वारा की गयी चढ़ाइयाँ दोनों समान मूल्य की मानी जायेगी। सावरकर के 'स्वराज' की अवधारणा में राष्ट्र सर्वोच्च है। विभिन्न विचारकों द्वारा 'स्वराज' की संकल्पना उनके अपने भू-राजनीतिक परिवेश एवं आध्यात्मिक आदर्शों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गयी थी, सावरकर हिदुस्तान की विविधता में एकता स्थापित करने के क्रम में तुष्टीकरण का मार्ग नहीं अपनाते है। सावरकर द्वारा प्रस्तुत 'स्वराज' की संकल्पना अब तक विद्यमान सभी वैचारिक पृष्ठभूमियों की व्याख्या में तर्कसंगत एवं व्यवहारिकता को प्रस्तुत करता है। सावरकर की दृष्टि में राष्ट्र की एकता और अखंडता की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए सापेक्षिक प्रतिकार आवश्यक है।

निसंदेह इस स्थिति में सावरकर और गांधी एक धरातल पर उपस्थित प्रतीत होते है। व्यक्ति के 'स्वराज' और राष्ट्र के 'स्वराज' की परिणति पूर्णता की प्राप्ति है, जहाँ व्यक्ति अपने नैतिक प्रतिष्ठा के साथ स्वातंत्र्य की पूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। व्यक्ति राष्ट्रभावापन्न है तथा राष्ट्र लोकहितभावापन्न है। इसलिए सावरकर कहते है कि शक्ति तथा पौरूष के अभाव में स्वतंत्रता असम्भव है। हम अहिंसा का त्याग इसलिए नहीं करते कि हम साधुवृत्ति के है, बल्कि इसलिए करते है कि हम बुद्धिमान है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि अहिंसा के स्थान पर सापेक्षिक प्रतिकार को ही व्यावहारिक जीवन में स्वीकार किया जाये।

सन्दर्भ सूची

सावरकर, विनायक दामोदर.(2019), हिन्दुत्व, नई दिल्ली: हिन्दी साहित्य सदन.

सावरकर, विनायक दामोदर. (2021),1857 का स्वतांत्र्य समर, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

सावरकर, विनायक दामोदर. (2021),हिन्दू पदपादशाही, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

सावरकर, विनायक दामोदर. (2006) हिन्दुत्व के पंच प्राण, देशबन्धु गुप्ता रोड,करोल बाग,नई दिल्ली: हिन्दी साहित्य सदन.

सम्पत, विक्रम. (2023),सावरकर, एक भूले-बिसरे अतीत की गूंज नई दिल्ली:(1883-1924),हिन्दू पॉकेट बुक्स.

आर्या, राकेश कुमार.(2016),गांधी और सावरकर, नई दिल्ली: डायमंड पब्लिकेशन.

लोहिया, राम मनोहर. (2019),भारत विभाजन के गुनाहगार, नई दिल्ली: लोक भारती प्रकाशन.

सावरकर, विनायक दामोदर.(2013),मोपला अर्थात मुझे इससे क्या, नई दिल्ली: हिंदी साहित्य सदन.

भागवत,मोहन राव. (2020), यशस्वी भारत, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

इस्लाम, शमसुल.(2019), सावरकर-हिंदुत्व, मिथक और सच, नई दिल्ली: फरोश मीडिया पब्लिकेशन.

सावरकर, विनायक दामोदर. (2019),कालापानी, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इण्डिया.

सावरकर, विनायक दामोदर.(2020),मेरा आजीवन कारावास, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

सावरकर, विनायक दामोदर. (2021),छः स्वर्णिम पृष्ठ, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

मिश्र, विवेक. (2020), हिन्दू राष्ट्र प्रणेता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़: संकल्प पब्लिकेशन.

संपत, विक्रम. (2021),सावरकर: एक विवादित विरासत(1924-1966), नई दिल्ली: हिंदू पॉकेट बुक्स.

पुरंदर, वैभव .(2019),हिंदुत्व के पिता की सच्ची कहानी, नई दिल्ली: जगरनॉट पुस्तक.

डिजिटल युग में नैतिक बुद्धिमत्ता का पोषण: मूल्य शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का वर्तमान संदर्भ

डॉ. कविता साहू*
डॉ. अभिषेक बंसल**

सारांश

डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभुत्व वाले युग में, नैतिक मूल्यों और डिजिटल शिक्षा का अभिसरण भारत के जिम्मेदार नागरिकों के विकास के लिए आधारशिला बन गया है। यह पेपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नैतिक मूल्यों और डिजिटल शिक्षा के बीच सूक्ष्म संबंधों पर प्रकाश डालता है, जिसमें डिजिटल भारत के जटिल परिदृश्यों को समझने वाले छात्रों में नैतिक निर्णय लेने के कौशल को विकसित करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। पारंपरिक शैक्षिक उद्देश्यों से परे, यह अध्याय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका और छात्रों के नैतिक मूल्यों पर इसके प्रभाव, एक सकारात्मक ऑनलाइन वातावरण तैयार करने और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को सक्षम करने की पड़ताल करता है। यह अध्याय मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा का भी प्रस्ताव करता है।

बीज शब्द: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नैतिक मूल्य, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल भारत, मूल्य आधारित शिक्षा

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वव्यापी प्रभाव सीमाओं से परे फैल गया है और इसने शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ ज्ञान के साथ व्यक्तिगत संपर्क को भी बदल दिया है। प्रौद्योगिकी और नैतिकता के बीच सहजीवी अंतःक्रिया शिक्षकों तथा व्यापक समाज के लिए चिंतन और मार्गदर्शन का एक प्रमुख विषय बन जाती है। क्योंकि शैक्षिक प्रतिमान डिजिटल प्लेटफार्मों को अपनाने के लिए बदलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समकालीन डिजिटल शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षकों और छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी क्षमता के माध्यम से प्रभावशीलता बढ़ाकर शैक्षिक परिणामों में सुधार करने में एक नया मानदंड स्थापित किया है।

टीमलीज एडटेक के एक अध्ययन से पता चलता है कि देश में 60% से अधिक शिक्षक शिक्षण, तैयारी और छात्र प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 9.49% शिक्षण में मानवीय संपर्क की कमी और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंतित हैं। [1] भारत में AI के स्तंभों में AI के लिए डेटा, कौशल विकास, AI नैतिकता और शासन, कंप्यूटर, AI अनुसंधान और विकास तथा AI के लिए राष्ट्रीय केंद्र शामिल हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) AI कार्यक्रम को सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए एक व्यापक पहल के रूप में देखता है।[2]

व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों के अनुरूप सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने की क्षमता कृत्रिम बुद्धिमत्ता शैक्षणिक संस्थानों की सबसे आवश्यक विशेषताओं में से एक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम जटिल एल्गोरिदम विकसित कर सकता है जो छात्रों की सीखने की प्राथमिकताओं, ताकत और कमजोरियों और शैक्षिक प्रक्षेपवक्र का आकलन करता है।यह परिचय डिजिटल शिक्षा ढांचे में नैतिक सिद्धांतों के जानबूझकर एकीकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है और शिक्षा पर डिजिटल क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करने का प्रयास करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग संचार, सीखने और टीम वर्क के लिए अनसुने अवसर लेकर आया है। हालाँकि, यह प्रगति नैतिक प्रश्नों के बिना नहीं आई है। ऑनलाइन गोपनीयता और साइबरबुलिंग के मुद्दों से लेकर शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक प्रभाव तक, प्रौद्योगिकी और नैतिकता के जंक्शन पर सावधानीपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि इस कठिन क्षेत्र में शिक्षा के पारंपरिक उद्देश्य - जो अकादमिक ज्ञान हस्तांतरण पर निर्भर करते हैं - में नैतिक निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास भी शामिल होना चाहिए। यह विकास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि छात्र न केवल डिजिटल शिक्षा के लाभों को उपयोग करें बल्कि जवाबदेही और ईमानदारी के साथ इसकी नैतिक चुनौतियों का भी सामना करें। यह पत्र डिजिटल शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ-साथ इसकी संभावनाओं के साथ नैतिक आवश्यकताओं पर जोर देता है।

*डॉ. कविता साहू, सहायक प्राध्यापक, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।
**डॉ. अभिषेक बंसल, सह-प्राध्यापक, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।

यह पत्र डिजिटल शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ-साथ इसकी संभावनाओं के साथ नैतिक आवश्यकताओं पर जोर देता है।बातचीत के बहु-विषयक चरित्र पर जोर देते हुए, यह नैतिकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा को जोड़ता है। लेख के आगामी खंड इन जटिल पहलुओं का विश्लेषण करते हुए यह रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिक मूल्यों के एकीकरण से डिजिटल युग की जटिल समस्याओं से निपटने हेतु उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण संभव हो सकता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा ढांचे में नैतिक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए एक सक्रिय रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है क्योंकि यह तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के परिणामस्वरूप संभावित नैतिक खतरों को स्वीकार करता है।

मूल्यों को आकार देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय शिक्षा प्रणाली में उत्तरोत्तर एकीकृत हो रहा है, जो इसके ढांचे और इसे नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को प्रभावित कर रहा है। भारत के बहुआयामी शैक्षिक ढांचे को देखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिवर्तनकारी बदलावों को प्रेरित करने की क्षमता है, साथ ही यह समानता, पहुँच और नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण पूछताछ को भी प्रेरित करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर मूल्यों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव इस प्रकार है:

शिक्षा में समानता और पहुँच को आगे बढ़ाना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय शिक्षा प्रणाली में समानता और पहुँच को बढ़ाकर मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

- शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना: भारत में, शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच काफी असमानता मौजूद है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल ट्यूटर जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित उपकरण दूरदराज या गरीब क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करके इस असमानता को कम कर सकते हैं। यह समावेशिता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, यह गारंटी देता है कि शिक्षा भौगोलिक सीमाओं से बाधित नहीं है।
- लागत-प्रभावी शिक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित शैक्षिक प्लेटफ़ॉर्म और एप्लिकेशन (जैसे BYJU’s, वेदांतु और खान अकादमी) पूरक या सस्ते संसाधन प्रदान करते हैं, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाते हैं। यह शिक्षा के महत्व को एक विशेषाधिकार के बजाय एक अधिकार के रूप में रेखांकित करता है।

व्यक्तिगत शिक्षण और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपरिक एकरूप मॉडल से हटकर एक अनुकूलित शैक्षिक अनुभव की सुविधा देता है। यह व्यक्तिगत विकास और स्वायत्त शिक्षा से संबंधित मूल्यों को बदल सकता है:

- अनुकूली शिक्षण प्रणाली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित प्रणालियाँ छात्र की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करती हैं, बाद में अनुकूलित सामग्री, अभ्यास कार्य और प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। यह व्यक्तिगत विधि छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने में सक्षम बनाती है, जिससे छात्र स्वायत्तता और स्व-निर्देशित शिक्षण का महत्व बढ़ जाता है।
- विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकता है, जो डिस्लेक्सिया या ADHD सहित विकलांगता या सीखने की चुनौतियों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह समावेशन के महत्व को रेखांकित करता है, यह आश्वासन देता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के पास सफलता की समान संभावनाएँ हैं।

शिक्षक सहायता और व्यावसायिक उन्नति को बढ़ाना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता शैक्षिक ढांचे के अंदर शिक्षकों की भूमिका की धारणाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है:

- शिक्षकों की सहायता करना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रेडिंग और उपस्थिति निगरानी सहित प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे शिक्षकों को निर्देश और सलाह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। यह परिवर्तन शिक्षक सशक्तिकरण के महत्व और छात्रों की आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षकों के अपरिहार्य कार्य को रेखांकित करता है।
- पेशेवर विकास: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित प्रणालियाँ छात्रों के प्रदर्शन में डेटा-सूचित अंतर्दृष्टि प्रदान करके, उन क्षेत्रों की पहचान करके जहाँ आगे प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है, और नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रस्ताव देकर शिक्षकों का समर्थन कर सकती हैं। यह शिक्षकों के लिए चल रहे पेशेवर विकास और सतत सीखने की संस्कृति को विकसित कर सकता है।

आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करना

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियाँ कक्षा में तेज़ी से प्रवेश कर रही हैं, वे आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान से संबंधित मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं।

- STEM शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग छात्रों को जटिल वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जुड़ने में मदद करता है, आलोचनात्मक सोच और नए समाधानों के विकास को बढ़ावा देता है। यह पूछताछ-आधारित सीखने और व्यावहारिक समस्या-समाधान के महत्व को रेखांकित करता है।
- भविष्य-उन्मुख प्रशिक्षण: भारतीय शिक्षा प्रणाली तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार से संबंधित कौशल के निर्देश पर जोर दे रही है, जिसमें कोडिंग, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता शामिल है। यह भविष्य के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने, कौशल अधिग्रहण और पेशेवर तैयारी को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है।

डिजिटल साक्षरता और डिजिटल नागरिकता को आगे बढ़ाना

जैसे-जैसे शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आवश्यक होती जा रही है, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

- डिजिटल साक्षरता: शैक्षिक सेटिंग्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकें, जैसे कि बुद्धिमान ट्यूटरिंग सिस्टम और शैक्षिक अनुप्रयोग, यह आवश्यक बनाती हैं कि विद्यार्थी तकनीक की कार्यप्रणाली को समझें। यह डिजिटल साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र डिजिटल उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट क्षेत्र को सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं।[2]
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग: छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ बातचीत करते समय गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों सहित प्रौद्योगिकी के नैतिक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। यह जिम्मेदारी और नैतिक आचरण के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।

पारंपरिक कक्षा से परे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शिक्षा नैतिक सिद्धांतों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूचना उपभोग और नई तकनीक के बारे में नैतिक चिंताएँ इस आंदोलन के केंद्र में हैं, जो सहानुभूति और डिजिटल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। इन पूरक तत्वों को शामिल करके, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कक्षा में पनपने और गतिशील कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में जिम्मेदारी और नैतिक रूप से योगदान करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से, मूल्यों के निर्माण पर डिजिटल शिक्षा का प्रभाव पारंपरिक रूप से स्कूलों में सिखाई जाने वाली बातों से कहीं आगे जाता है। यह एक आकर्षक और सहभागी प्रक्रिया में बदल जाता है जो व्यक्तियों को जिम्मेदार, नैतिक और तकनीकी रूप से कुशल नागरिकों के रूप में आकार देता है जो आज के समाज की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तेजी से डिजिटल होते युग में समाज में लाभकारी योगदान देने वाले व्यक्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से, शिक्षा की यह सर्वव्यापी पद्धति प्रौद्योगिकी और नैतिकता के बीच की बातचीत को स्वीकार करती है।[2]

शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण के लाभ

गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिव लर्निंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग इंटरैक्टिव पाठ, मूल्यांकन और सिमुलेशन विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यह सीखने की प्रक्रिया के आकर्षण और आकर्षण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। गेमिफिकेशन तकनीकों द्वारा छात्रों को उनके अध्ययन में प्रेरित और शामिल रखा जाता है जो उनकी प्रगति को ट्रैक और पुरस्कृत करते हैं। चूँकि गेमिफिकेशन शिक्षण प्रक्रिया में गेमिंग के पहलुओं को शामिल करता है, इसलिए लीडरबोर्ड, बैज और पॉइंट छात्रों को सीखने और अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग इंटरैक्टिव लर्निंग में व्यक्तिगत और दिलचस्प सीखने के अनुभव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें वर्चुअल इंस्ट्रक्टर या स्तर-उपयुक्त अनुकूली परीक्षण शामिल हैं। [3] जटिल विषयों को सरल बनाकर, ये तकनीकें छात्रों की रुचि को बढ़ाती हैं और शिक्षकों को उनकी प्रगति की निगरानी करने और उन क्षेत्रों को इंगित करने का साधन देती हैं जिनमें छात्र अधिक सहायता चाहते हैं।

संवादात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके 24/7 सहायता

पारंपरिक शिक्षा छात्रों को उनकी अनिश्चितताओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कक्षा के घंटों पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षक शिक्षण के साथ आगे बढ़ने से पहले प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित अंतराल निर्धारित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश शिक्षकों को वर्चुअल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान करके इस प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह छात्रों को ज़रूरत पड़ने पर तत्काल सहायता की सुविधा प्रदान करता है, कक्षा की शिक्षा को बढ़ाता है और शिक्षकों को कक्षा के समय में अधिक व्यापक चर्चाओं और व्यक्तिगत सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यह संसाधनों और सहायता तक निरंतर पहुँच प्रदान करके छात्रों के सीखने के अनुभवों को बदल देता है। निरंतर उपलब्धता छात्रों को किसी भी समय उनकी पढ़ाई में सहायता की गारंटी देती है, जिसमें जटिल विषयों की व्याख्या और व्यक्तिगत शिक्षण का प्रावधान शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रणालियाँ अलग-अलग सीखने की शैलियों और गति को समायोजित कर सकती हैं, यह गारंटी देती हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी को आवश्यक अनुकूलित सहायता प्राप्त होती है।

वास्तविक समय प्रतिक्रिया

शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तात्कालिक विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करके छात्रों को उनकी परियोजनाओं और अध्ययन सामग्री पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसे अंकगणित में परेशानी हो रही है, उसे तत्काल सहायता और सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें अपनी गलतियों को तुरंत पहचानने में मदद मिलती है। इसी तरह, निबंध पर काम करने वाले छात्रों को अपनी भाषा और वाक्य संरचना को मजबूत करने के तरीके पर तत्काल प्रतिक्रिया मिल सकती है। छात्रों को अपनी अध्ययन सामग्री और परीक्षा की तैयारी में सुधार के मामले में इस त्वरित प्रतिक्रिया से लाभ होता है। छात्र अपने कार्यों और परीक्षणों के लिए अधिक तैयार होने के कारण इस त्वरित प्रतिक्रिया से लाभान्वित होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्दिष्ट उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए अनुकूलित शैक्षणिक सुधार सुझाव भी दे सकता है, जिसमें परीक्षा परिणाम बढ़ाना या किसी निश्चित विषय में विशेषज्ञ बनना शामिल है। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष गतिविधियों और सामग्रियों की सिफारिश कर सकता है जो छात्र की ज़रूरतों के अनुकूल हैं जब उन्हें पढ़ने और समझने में बेहतर होने की आवश्यकता होती है।

सब कुछ उपलब्ध और समावेशी बनाना

किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक सीमाओं के बावजूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शैक्षणिक अवसर के मामले में खेल के मैदान को समतल करने की क्षमता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित अनुवाद उपकरण विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम को समझने में सहायता कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को अपने विचारों को लिखने में परेशानी हो रही है, तो स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक उनके बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में परिवर्तित करके मदद कर सकती है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकलांग और अन्य हाशिए के समूहों के छात्रों के लिए खेल के मैदान को समतल करके भारत को अपने "सभी के लिए शिक्षा" उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। श्रवण बाधित छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से वास्तविक समय के उपशीर्षक तक पहुँच सकते हैं, और जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

आत्मसात और शिक्षण सामग्री

डिजिटल संसाधनों और हाइब्रिड शिक्षण में तेजी से बदलाव के साथ, यह जरूरी है कि शिक्षक स्मार्ट कक्षाओं और उपकरणों के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री विकसित करें। यह एक महंगी और श्रम-गहन प्रक्रिया है।शिक्षकों को ऑनलाइन क्विज़ और इंटरैक्टिव प्रस्तुतियाँ बनाने में काफी समय लग सकता है। जब शिक्षकों के पास सही संसाधनों तक पहुंच होगी तो वे सामग्री तैयार करने में कम समय और वास्तविक शिक्षण में अधिक समय लगा सकते हैं, और छात्र भी दिलचस्प और गतिशील कक्षाओं में भाग लेते हुए अनावश्यक तैयारी के वित्तीय बोझ से बच सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित अनुकूली परीक्षण

जैसे-जैसे सिस्टम अनुकूलन करना सीखता है, यह छात्रों की क्षमता के आधार पर प्रश्नों को संशोधित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अंकगणित की समस्या को सही हल करता है, तो यह आसान हो जाएगा; यदि वे इसे गलत हल करते हैं, तो यह कठिन हो जाएगा।अब एक शिक्षक किसी विषय में अपने छात्रों के "समझ के स्तर" का आकलन कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि उनके छात्र कहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को लाभ होता है क्योंकि परीक्षण उनके कौशल स्तर के अनुरूप होता है, जो परीक्षा की चिंता को कम करता है और ज्ञान मूल्यांकन के लिए अधिक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।[3-4]

पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण

यह विधि वास्तविक समय में प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करके तुरंत सिफारिशें और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को भौतिकी में लगातार समस्याएँ हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षक को सूचित कर सकता है कि छात्र को उस क्षेत्र में पूरक निर्देश की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट है, लेकिन अंकगणित में संघर्ष करता है, तो सिस्टम पैटर्न का पता लगा सकता है और शिक्षकों को उनके दृष्टिकोण को तदनुसार समायोजित करने में मदद कर सकता है। शिक्षक इस जानकारी का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि कक्षा में अधिक समय से किन छात्रों को लाभ हो सकता है और उन्हें सबसे अच्छा कैसे पढ़ाया जाए।

मूल्यांकन और ग्रेडिंग को सरल बनाना

छात्रों का मूल्यांकन करना, परीक्षा के पेपर बनाना और उत्तर पुस्तिकाओं पर जाना शिक्षकों के लिए सबसे अधिक समय लेने वाले कार्यों में से कुछ हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इस भार को बहुत कम करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी प्रमुख विषयों को कवर करने वाले संतुलित प्रश्न दे सकता है, जो परीक्षा के पेपर तैयार करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्वचालित रूप से स्कोर कर सकता है और निबंध-शैली के उत्तरों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन भी दे सकता है।[3-5]

अब जबकि ग्रेडिंग अधिक कुशल और सटीक है, शिक्षक वास्तव में अपने छात्रों को पढ़ाने और उनके साथ बातचीत करने में अधिक समय दे सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों और शिक्षकों दोनों के कक्षा में सीखने के तरीके को बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को सफल होने के लिए

आवश्यक विशेषज्ञ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित शिक्षण योजनाएँ, तत्काल प्रतिक्रिया और 24/7 सहायता प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक कार्यों को कम करता है, जिससे शिक्षक अपने छात्रों को आकर्षक और उच्च-गुणवत्ता वाले पाठ प्रदान करने के लिए अधिक समय दे सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगे बढ़ने के साथ ही अगले वर्षों में शिक्षा का एक अधिक प्रभावी, कुशल और समावेशी रूप लागू किया जाएगा; इससे सभी छात्रों को बहुत लाभ होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मूल्य शिक्षा

पहला कदम डिजिटल युग में नैतिक बुद्धिमत्ता को समझना है। नैतिक बुद्धिमत्ता सही और गलत में अंतर करने, नैतिक रूप से व्यवहार करने और यह सोचने की क्षमता है कि किसी के कार्यों का दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिजिटल युग में नैतिक बुद्धिमत्ता में न केवल किसी का अपना नैतिक आचरण शामिल है, बल्कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रभाव डालते समय किसी की ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम विकल्पों में आपराधिक न्याय परिणामों, स्वास्थ्य सेवा विकल्पों या अनुकूलित अनुशंसाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता है। ये सिस्टम आंतरिक रूप से तटस्थ नहीं हैं; बल्कि, वे रचनाकारों की नैतिकता, मूल्यों और पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब हैं, और उन्हें कैसे बनाया, लागू और उपयोग किया जाता है, यह निर्धारित करेगा कि वे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं।

नैतिक बुद्धिमत्ता को बड़े पैमाने पर मूल्यों की शिक्षा द्वारा आकार दिया जाता है, जो नैतिकता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की मजबूत भावना के विकास में सहायता करती है। [4] मूल्य शिक्षा डिजिटल युग में लोगों को उनके आभासी व्यवहार के नैतिक प्रभावों को समझने में मदद कर सकती है। इस अर्थ में, मूल्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- दूसरों की ज़रूरतों, अधिकारों और गरिमा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, खासकर डिजिटल संपर्कों में जहाँ सहानुभूति अक्सर व्यक्तिगत बातचीत की तुलना में कम होती है।
- आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना: लोगों को संभावित लाभ या नुकसान की पहचान करने के लिए डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम और ऑनलाइन आचरण के नैतिक पहलुओं का गंभीरता से आकलन करने की क्षमता देना। डिजिटल क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन गोपनीयता और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी उपयोग के ज्ञान सहित जिम्मेदार, नागरिक और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, "डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना" के रूप में जाना जाता है।
- नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और डिजाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीकें, जिनमें चेहरे की पहचान, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और स्वचालित निर्णय लेने वाली प्रणालियाँ शामिल हैं, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण को गहराई से बदलने की क्षमता रखती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डिज़ाइन और विकास में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिथम नैतिकता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को न्यायसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए, डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को सिस्टम में नैतिक मानकों को शामिल करना चाहिए। इसमें निर्णय लेने में एआई को इस तरह लागू करना शामिल है कि पूर्वाग्रह, भेदभाव और असमानता कायम न रहे।
- एआई में पेशेवर: नैतिक प्रशिक्षण: महत्वाकांक्षी डेवलपर्स को उनके काम के व्यापक सामाजिक प्रभावों को समझने में मदद करने के लिए, एआई चिकित्सकों को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए जो तकनीकी दक्षता के अलावा नैतिक मुद्दों पर जोर देता हो।
- नैतिक दिशानिर्देशों का उपयोग करना: उभरते हुए ढांचे जो मानव मूल्यों के अनुरूप और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली एआई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एक रोड मैप पेश करना चाहते हैं, उनमें स्वायत्त और बुद्धिमान प्रणालियों की नैतिकता पर IEEE वैश्विक पहल, जिम्मेदार एआई परियोजनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता दिशानिर्देश शामिल हैं।[5]

मूल्यवर्धित शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा की रूपरेखा

स्वायत्त वाहनों, स्वास्थ्य सेवा निदान, क्रेडिट स्कोरिंग और रोजगार भर्ती जैसे क्षेत्रों में, एआई सिस्टम तेजी से ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय लेने में नैतिक बुद्धिमत्ता को शामिल करना होगा।

व्यक्तिगत डेटा की बड़ी मात्रा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम के लिए सुलभ है। यह सुनिश्चित करना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता गोपनीयता की रक्षा करता है, डेटा के दुरुपयोग से बचता है, और गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करता है, महत्वपूर्ण है। ऐसे विकल्प बनाना जो उपयोगकर्ता की सहमति और पारदर्शिता को व्यवसाय या सरकारी हितों से आगे रखते हैं, इस सेटिंग में नैतिक बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। इस पंक्ति में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से इंटरैक्टिव सीखने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो चित्र 1 में दिखाया गया है।

चित्र 1: मूल्य शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चरण

इस रूपरेखा के स्तर और उनका विवरण इस प्रकार है:

सामग्री निर्माण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक सामग्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उल्लेखनीय दक्षता के साथ पाठ योजना, क्विज़, अध्ययन मार्गदर्शिकाएँ और अभ्यास तैयार कर सकता है। यह चरण संसाधन निर्माण को स्वचालित करके पारंपरिक सामग्री वितरण को बदल देता है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों और शिक्षार्थियों के पास उच्च-गुणवत्ता, अनुकूलन योग्य सामग्री तक पहुंच हो।

वैयक्तिकृत शिक्षण

एआई-संचालित वैयक्तिकरण सीखने के अनुभवों को व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों के अनुरूप बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुरूप अनुशंसाएं और अनुकूली सीखने के रास्ते बनाने के लिए सीखने के पैटर्न, प्राथमिकताओं और प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करता है। यह दृष्टिकोण अधिक आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां छात्र अपनी गति से प्रगति कर सकते हैं।

कौशल मूल्यांकन और संवर्धन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए नवीन तरीकों की सुविधा प्रदान करता है। यह रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को सक्षम बनाता है, कौशल अंतराल की पहचान करता है, और लक्षित सुदृढीकरण गतिविधियों की पेशकश करता है। तत्काल, डेटा-संचालित फीडबैक प्रदान करके, यह चरण शिक्षकों को शिक्षण रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है और शिक्षार्थियों को कमजोरियों को कुशलतापूर्वक संबोधित करने में सक्षम बनाता है।

इंटरएक्टिव सिमुलेशन और वर्चुअल लैब्स

एआई-जनरेटेड सिमुलेशन और वर्चुअल लैब जटिल अवधारणाओं को जीवन में लाते हैं। विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषयों के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता गहन, इंटरैक्टिव वातावरण बनाता है जहां छात्र प्रयोग कर सकते हैं, प्रक्रियाओं की कल्पना कर सकते हैं और भौतिक बाधाओं के बिना व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

रचनात्मक समस्या-समाधान

यह चरण विचार-मंथन, परियोजना-आधारित शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाकर नवाचार को प्रोत्साहित करता है। छात्र नए समाधान तलाशने और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाने, पारंपरिक समस्या-समाधान दृष्टिकोण को गतिशील, सहयोगात्मक अनुभवों में बदलने के लिए एआई टूल के साथ सहयोग करते हैं।

सहयोगात्मक शिक्षण और सहभागिता

एआई चर्चा संकेत बनाकर, सहकर्मी इंटरैक्शन का अनुकरण करके और वैश्विक शिक्षण मंचों को सक्षम करके सहयोग को बढ़ावा देता है। विविध पृष्ठभूमि के छात्र एआई-जनरेटेड सामग्री और अंतर्दृष्टि द्वारा निर्देशित होकर सार्थक रूप से जुड़ सकते हैं और संलग्न हो सकते हैं जो समूह सीखने की गतिशीलता को समृद्ध करते हैं।

आजीवन सीखना और अपस्किलिंग

एआई निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करके पेशेवरों और आजीवन शिक्षार्थियों का समर्थन करता है। यह उभरती उद्योग की माँगों के अनुरूप वैयक्तिकृत पाठ्यक्रम अनुशंसाएँ, प्रमाणपत्र और कैरियर विकास मार्ग प्रदान करता है। यह चरण सुनिश्चित करता है कि कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा औपचारिक स्कूली शिक्षा से आगे बढ़े।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा: भविष्य

हम अभी उन तरीकों की सतह को खरोंच रहे हैं जिनसे आने वाले वर्षों में AI शैक्षिक प्रणाली में क्रांति लाना जारी रखेगा। आने वाले वर्षों में शिक्षा की दिशा को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित नए रुझान हैं:

एक क्षेत्र जो AI सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ-साथ क्षमता में बढ़ेगा, वह है व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने की क्षमता। AI में व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ बनाकर शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता है जो प्रत्येक छात्र की ताकत, कमज़ोरियों और वर्तमान प्रगति के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित होती हैं।

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सहयोगात्मक शिक्षण:** जब सहयोगात्मक शिक्षण की बात आती है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेल को बदलने जा रहा है। छात्रों को समूह परियोजनाओं पर काम करने, सहकर्मी मूल्यांकन करने और समूह के रूप में समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए अधिक से अधिक उपकरण उपलब्ध होंगे। यह उनके सहयोग को और अधिक कुशल बनाएगा और नवाचार को बढ़ावा देगा।
- **आजीवन सीखने को अपनाना:** शिक्षा का विचार एक अलग अवधि से एक सतत प्रक्रिया में विकसित हो रहा है। लोगों को हमेशा बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने में सहायता करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुकूली शिक्षण उपकरण और मार्गदर्शन के प्रावधान के माध्यम से आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित आभासी और संवर्धित वास्तविकता, कक्षा में विज्ञान कथा-स्तर के विसर्जन के एक नए युग की शुरुआत करेगी। एक ऐसी कक्षा की कल्पना करें जहाँ छात्र ऐतिहासिक पात्रों के साथ बातचीत कर सकें, जटिल वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें या प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों में भी उतर सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से, हम भौतिक सीमाओं को अलविदा कह सकते हैं और वास्तव में वैश्विक कक्षा को नमस्ते कह सकते हैं। दुनिया भर के छात्रों के साथ सहयोग करना और सीखना आपकी कक्षा को अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभवों से समृद्ध करेगा। शिक्षा में एकीकृत होने के साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जिम्मेदारी से और समान रूप से किया जाता है, और यह कि छात्र समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक निहितार्थों को समझते हैं, शिक्षकों को इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।[5-6]

इन आगामी रुझानों के लिए तैयार होने के साथ ही अनुकूलनीय और अच्छी तरह से सूचित होना महत्वपूर्ण होगा। एआई को मानव शिक्षकों के प्रतिस्थापन के रूप में देखने के बजाय, इसे अपने पाठों को पूरक बनाने और अपने छात्रों को एक गतिशील और अप्रत्याशित भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखें।

निष्कर्ष

एक अम्ब्रेला पहल की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा की गई थी। "AI For All" नामक एक स्व-शिक्षण ऑनलाइन परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाना है। यह एप्लिकेशन, जो 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, दो भागों में विभाजित है: AI अवेयर और AI एप्रिसिएट। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उपयोगकर्ताओं को बैज दिए जाते हैं जो AI के बारे में उनकी समझ और प्रशंसा को दर्शाते हैं।[8] इस शोध से पता चला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिकता का निर्माण करना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब तकनीक और स्कूली शिक्षा के बीच जटिल संबंधों की बात आती है। क्योंकि डिजिटल युग सब कुछ बदल रहा

है, इसलिए शैक्षिक लक्ष्यों को भी बदलने की जरूरत है। वे केवल अकादमिक जानकारी सिखाने तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं; उन्हें नैतिकता और नैतिक निर्णय लेने के कौशल को भी शामिल करना होगा जो आज की जुड़ी हुई दुनिया पर लागू होते हैं। चूंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य डिजिटल उपकरण दुनिया को बदलना जारी रखते हैं, इसलिए हर किसी का काम अपनी नैतिक बुद्धिमत्ता पर काम करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीक का उपयोग अच्छे के लिए किया जाता है, नैतिकता, सहानुभूति और कर्तव्य जैसे मूल्यों को सिखाना महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिक विचारकों और जिम्मेदार नवप्रवर्तकों की एक पीढ़ी को तैयार करके उन्हें नष्ट करने के बजाय मानवीय सम्मान, निष्पक्षता और समानता को बनाए रखे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माण, स्कूली शिक्षा और दैनिक डिजिटल इंटरैक्शन में नैतिक बुद्धिमत्ता को जोड़ने से तकनीक के भविष्य को अधिक निष्पक्ष, दयालु और न्यायपूर्ण बनाने में मदद मिल सकती है। मूल्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शिक्षा का हिस्सा होने चाहिए, न कि केवल अतिरिक्त। उन्हें दोनों का एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। लोग इस बात से अधिक अवगत हो रहे हैं कि वे जो कौशल ऑनलाइन सीखते हैं, उनका स्क्रीन के बाहर भी प्रभाव पड़ता है। परिणाम यह भी कहते हैं कि शिक्षक छात्रों को नैतिक रूप से व्यवहार करने का तरीका दिखाने, एक स्वागत योग्य डिजिटल संस्कृति बनाने और छात्रों को नई तकनीकों द्वारा लाई गई नैतिक समस्याओं से निपटने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षक अगली पीढ़ी के आदर्शों को समाज के लिए अच्छे तरीकों से आकार देते हैं, तो वे एक सकारात्मक डिजिटल भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि क्या करने की आवश्यकता है: स्कूलों को एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो छात्रों को डिजिटल युग की चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार करने के लिए नैतिक मूल्यों को डिजिटल शिक्षा के केंद्र में रखता है।

सन्दर्भ सूची

रिपोर्ट https://www.ibef.org/news/over-61-of-educators-are-adopting-ai-tools-for-teaching-student-management-report पर उपलब्ध है

रिपोर्ट https://www.digitalindia.gov.in/initiative/national-program-on-artificial-intelligence/#:~:text=MeitY%20has%20started%20implementing%20the,this%20vision%20of%20India%20AI पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

जायसवाल, ए., और अरुण, सी. जे. (2021)। भारत में शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा और विकास का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 17(1), 142-158।

करण, बी., और अंगदी, जी.आर. (2023)। स्कूल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण: भारतीय और विदेशी दृष्टिकोणों की समीक्षा। मिलेनियल एशिया, 09763996231158229।

म्यू, पी. (2019, सितंबर)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और इसके मूल्य अभिविन्यास पर शोध। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सम्मेलन (आईईटीआरसी 2019), चीन में, https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/IETRC (वॉल्यूम 202019) से लिया गया।

लुआन, एच., गेज़ी, पी., लाई, एच., गोबर्ट, जे., यांग, एस. जे., ओगाटा, एच., ... और त्साई, सी. सी. (2020)। शिक्षा में बड़े डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ। मनोविज्ञान में फ्रंटियर्स, 11, 580820।

झाई, ज़ियाओमिंग, और जोसेफ़ क्राजिक, 'आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस-आधारित STEM शिक्षा', ज़ियाओमिंग झाई, और जोसेफ़ क्राजिक (संपादक), STEM शिक्षा में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के उपयोग (ऑक्सफ़ोर्ड, 2024; ऑनलाइन संस्करण, ऑक्सफ़ोर्ड एकेडमिक, 21 नवंबर 2024), https://doi.org/10.1093/oso/9780198882077.003.0001, 20 जनवरी 2025 को एक्सेस किया गया।

रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) - कौशल और शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत सरकार की पहल ऑनलाइन उपलब्ध है।

राज्य सार्वजनिक व्यय का बाल मृत्यु दर पर प्रभाव

डॉ. स्वाति जैन*
डॉ. भानु प्रताप पांडे**
प्रो. रक्षा सिंह***

सारांश

भारत में अधिकांश राज्य सतत विकास लक्ष्य -3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण) के तहत निर्धारित लक्ष्यों, विशेषकर बाल मृत्यु दर (तीन प्रकार की), को प्राप्त नहीं कर पाएं है। सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसके बावजूद शिशु मृत्यु दर में गिरावट में एकरूपता के बजाय विचलन अधिक दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ आठ राज्य, जिनमें उच्च मृत्यु दर और निम्न स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ उच्च गरीबी अनुपात और निम्न प्रति व्यक्ति आय का स्तर है, उनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधानों और सार्वजनिक व्यय पर अधिक निर्भरता अपरिहार्य है। वस्तुतः इस तथ्य का परिक्षण किया जाना आवश्यक है की क्या मात्र सार्वजनिक व्यय बढ़ने से इन राज्यों में बाल मृत्यु दर में कमी आ जाएगी या कुछ अन्य कारकों में भी गुणात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी ? प्रस्तुत शोध प्रपत्र का सर्वप्रमुख उद्देश्य शिशु मृत्यु दर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय तथा महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रसव पश्चात देखभाल के अन्तर्सम्बन्धों को अंतर - राज्यीय स्तर पर परीक्षित करना है। इस अध्ययन में एनएफएचएस-4 से एनएफएचएस-5 की अवधि में चौदह भारतीय राज्यों में शिशु मृत्यु दर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यय के प्रभाव का आकलन किया गया। पैनल प्रतिगमन मॉडल राज्यों में शिशु मृत्यु दर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, मॉडल शिशु मृत्यु दर पर संस्थागत जन्म, प्रसव देखभाल और महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

बीज शब्द: ईएजी राज्य, बाल मृत्यु दर, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, एस डी जी ३, प्राथमिक स्वास्थ्य

प्रस्तावना

बाल मृत्यु दर, शून्य से ८० माह तक के बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह किसी विशेष क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिवेश और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति समाज तथा सरकार दोनों के सरोकारों को भी इंगित करता है (पेरिन आदि २०२२; रे एवं लिंडन २०२०)। बाल मृत्यु दर को तीन वर्गों में परिभाषित किया जाता है। नवजात (एनएनएमआर), शिशु (आईएमआर), और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर)। नवजात मृत्यु दर, जन्म के पहले सप्ताह में बच्चे की मृत्यु की संभावना को मापती है। शिशु मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जन्म के एक वर्ष और पाँच वर्ष के भीतर बच्चे की मृत्यु की संभावना और बाल मृत्यु दर को मापती है।

भारत ने इन तीनों मृत्यु दरों में उल्लेखनीय और निरंतर गिरावट हासिल की है, हालाँकि राज्यवार व्यापक भिन्नताएँ बनी हुई हैं, साथ ही, भारत वैश्विक बाल मृत्यु दर का लगभग पाँचवाँ हिस्सा साझा करता है। समान मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने वाले देशों में भारत की बाल मृत्यु दर सर्वाधिक है। सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य-३ के अंतर्गत २०३० तक यू5एमआर २५ और एनएमआर १२ प्रति १००० जीवित जन्मों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । बाल मृत्यु दर के पीछे कई चिकित्सीय और सामाजिक-आर्थिक कारण हैं (डब्ल्यू एच ओ २०२०, हसना और इब्राहिम 2014)। इसके अलावा, राज्य और जिला स्तर पर कारणों की मात्रा भी भिन्न होती है। नवजात शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण जन्म संबंधी जटिलताएँ, समय से पहले जन्म और जन्म दोष हैं (सौरभ, सरकार और पांडे 2013)। निमोनिया, दस्त, जन्म दोष और मलेरिया पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मुख्य कारण हैं। यू5एमआर में प्रभावी संस्थागत कवरेज, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, स्वच्छता, पर्याप्त पोषण, स्तनपान और टीकाकरण शामिल हैं। एक व्यापक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, बदले में, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यय पर निर्भर करती है। पिछले २५ वर्षों में ग्रामीण भारत में बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज ने एनएनएमआर को ३९ से घटाकर २५ प्रति हजार जीवित जन्म कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर आईएमआर के लिए भी इसी तरह की गिरावट ५७ से घटकर ४१और ३५ प्रति हजार जीवित जन्म हो गई। २०२१ में यू5एमआर ७४ (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) राउंड 3 से घटकर ५० (एनएफएचएस राउंड- 4) और ४२ (एनएफएचएस -5) हो गया है। लगभग ४८ % भारतीय राज्यों (यानी चौदह गैर-सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों) ने शहरी क्षेत्रों में यू5एमआर में सतत विकास लक्ष्य (SDG) अनिवार्य लक्ष्य हासिल कर लिया है।

*डॉ. स्वाति जैन, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
**डॉ. भानु प्रताप पांडे, सहायक प्रोफेसर, एस.एस.बी.एस. शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा।
***प्रो. रक्षा सिंह, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, इन्दिरा गाँधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक।

आरेख 1 ईएजी और गैर- ईएजी राज्यों के लिए तीन मृत्यु अनुपातों के औसत मूल्यों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। सशक्त कार्रवाई समूह (EAG) राज्यों में मृत्यु दर गैर- ईएजी राज्यों की तुलना में दोगुनी है। एनएफएचएस राउंड तीन से पांच के बीच, आईएमआर में ३७ प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि यू5एमआर में ४४ की गिरावट आई है, लेकिन एनएनएमआर में केवल ३१ प्रतिशत की गिरावट आई है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि एनएफएचएस राउंड चार से पांच के बीच में बाल मृत्यु दरों की गिरावट में धीमापन आ गया है।

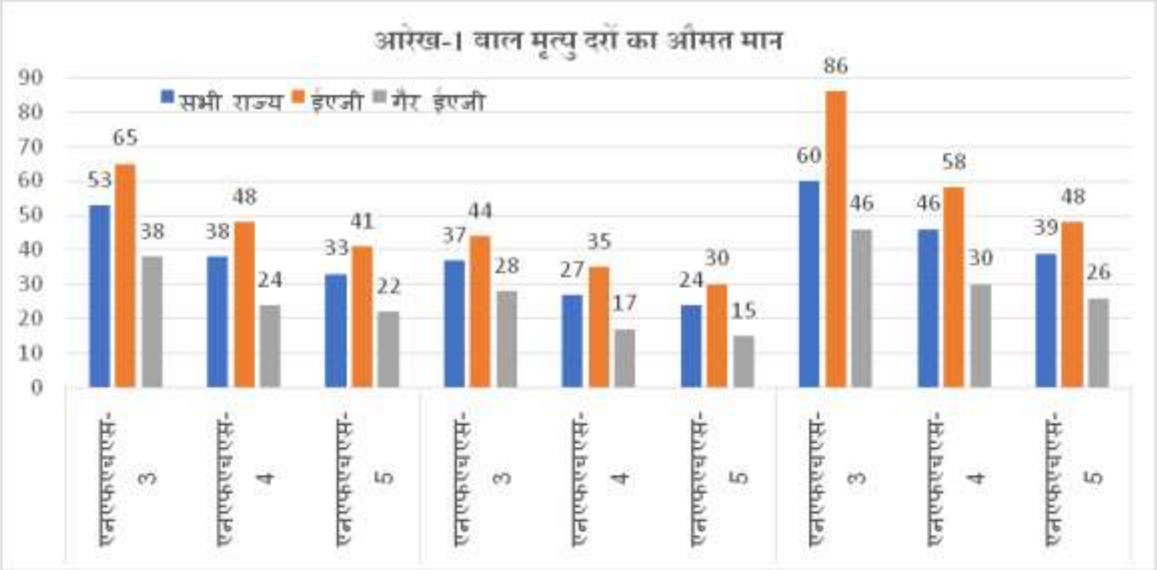

नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित अध्ययनों में यह चर्चा मिलती है कि शहरी क्षेत्रों में बल मृत्यु दरों में जड़ता दिख रही है जबकि ग्रामीण स्तर पर बाल मृत्यु दर बढ़ती सी दिख रही है (द्रेज़ आदि २०२१)। इसके अनेकों कारण हो सकतें हैं परन्तु खासकर विमुद्रीकरण तथा कोविड महामारी ने प्राथमिक स्वस्थ्य सेवाओं को बहुत अधिक बाधित किया। साथ ही साथ ईएजी राज्यों में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तिथि पर परिलक्षित होता है।

आरेख -2 इएजीतथागैरइएजीराज्योंमेंसमग्रस्वस्थ्यव्ययकुलसरकारीव्ययकेप्रतिशतकेरूपमें

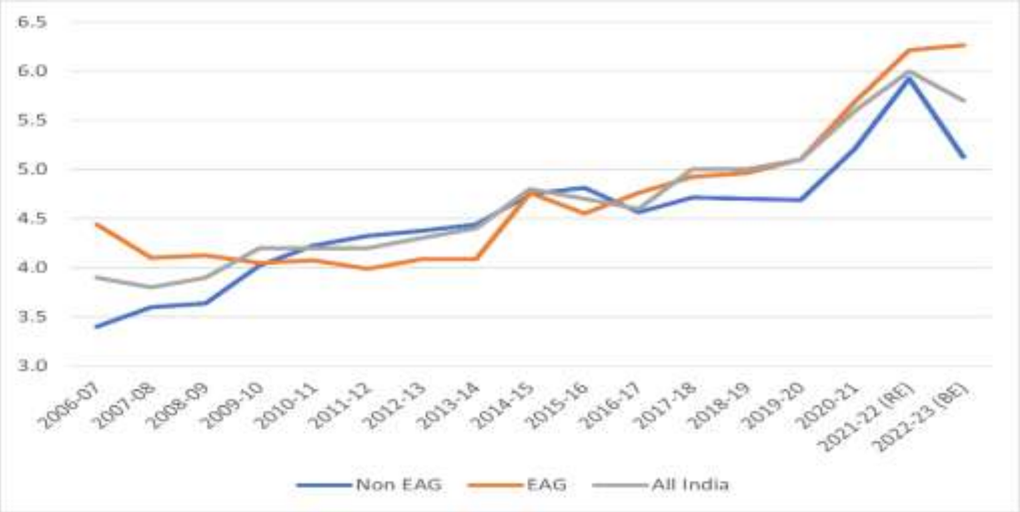

आरेख २ दर्शाता है कि एनएफएचएस ३ से एनएफएचएस ५ के बीच कि अवधि में सभी राज्यों में स्वस्थ्य व्यय की वृद्धि हो रही है और इ ए जी राज्यों में अपेक्षाकृत कुछ अधिक है। हालाँकि कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में देखा जाये तो यह वृद्धि मात्र दो प्रतिशत कि ही है लेकिन प्रति व्यक्ति स्वाथ्य व्यय में भिन्नता काफी अधिक हो जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रति व्यक्ति स्वाथ्य व्यय भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करता है (मोहंती एवं श्रीवास्तव २०१३; कुमार, सिंह, राम एवं सुब्रमनियन २०१३; बोरेंबेर्ग, बासु एवं सोयलू २०१५; मोहंती एवं बहरा २०२०)। अनुभवजन्य साहित्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों का संकेत देता है। भारत में केंद्रित (अर्थात निम्न आय

और उच्च मृत्यु दर) और गैर-केंद्रित राज्यों में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और आईएमआर के बीच एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध पाया जाता है (मोहंती एवं श्रीवास्तव २०१३; मोहंती एवं बहरा २०२०)।

जब राज्यों को सामाजिक-जनसांख्यिकीय सूचकांक (पौलिएर आदि २००२; कुलकर्णी २०१६; वोल्डे आदि २०२२) का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है, तो बाल मृत्यु दर में गिरावट के अंतरराज्यीय अंतर होते हैं। इसके अलावा, महिला साक्षरता, मातृ स्वास्थ्य, शहरीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का उपयोग भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है (कुमार, सिंह, राम एवं सुब्रमनियन २०१३; बारेंबेर्ग, बासु एवं सोयलू २०१५; कुमार, पियासा एवं सैकिआ २०२२)। कुछ अध्ययनों में (पौलिएर आदि २००२; कुलकर्णी २०१६) स्वास्थ्य परिणामों पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के सकारात्मक प्रभाव पर तर्क किया गया है। साहित्य इस कमजोर प्रभाव के पीछे विभिन्न कारण दर्शाता है। इन कारणों में खराब शासन (राजकुमार एवं स्वरुप २००२; सौमर 2022), बजट आवंटन का खराब प्रबंधन (फिल्मर और प्रिचेट १९९७; द्रेज़ आदि २०२१; गार्सीअ आदि २०२३) और सामाजिक-आर्थिक वातावरण (ओवुसू आदि २०२१; कुलकर्णी २०१६) शामिल हैं।

ईएजी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का स्तर अखिल भारतीय स्तर से कम है, लेकिन गैर-ईएजी राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि अधिक भी है । इसके बावजूद इएजी राज्यों में बाल मृत्यु दर काफी ऊँची है? यह पत्र तुलनात्मक रूप से उच्च मृत्यु दर वाले राज्यों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की जांच करता है। साथ ही महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रसव पश्चात देखभाल, महिलाओं की साक्षरता दर एवं संस्थागत प्रसव जैसे कुछ अन्य निर्धारकों जैसे आदि की प्रभविकता का परिक्षण पैनल प्रतिगम के माध्यम से विश्लेषण करता है। परिचय के बाद, इस पत्र में चार खंड हैं। दूसरा खंड आंकड़ों और विधियों की व्याख्या करता है, उसके बाद तीसरा खंड परिणाम दर्शाता है एवं परिणामों पर चर्चा करता है, उसके बाद अंतिम समापन खंड है।

अनुसंधान क्रियाविधि

जैसा कि बताया गया है, यह शोध पत्र इस बात की पड़ताल करता है कि क्या राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में अंतर भारतीय राज्यों में बाल मृत्यु दर में अंतर की व्याख्या कर सकता है। यह बाल मृत्यु दर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है। इसलिए, उपयोग किए जाने वाले डेटा को समझना और विस्तृत करना आवश्यक है। भारतीय राज्यों को ईएजी और गैर-ईएजी राज्यों में बांटा गया है। ईएजी राज्यों की पहचान भारत सरकार ने 2001 में खराब सार्वजनिक सेवा वितरण और असंतोषजनक जनसांख्यिकीय पैटर्न वाले राज्यों के रूप में की थी। आठ राज्य हैं, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों वाले आठ गैर-ईएजी राज्य हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

ईएजी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और व्यय का स्तर कम है। हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन' से 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य' और 'परिवार कल्याण' के डेटा का उपयोग करके, 2005-06 से 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की गणना करते हैं। प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की गणना राज्य के कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य' और 'परिवार कल्याण' को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। बाल मृत्यु दर मान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 3 (2005-06), 4 (2015-16) और 5 (2019-21) के तीन दौर से संकलित किए गए हैं।

अध्ययन में बाल मृत्यु दर पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के प्रभाव को मापने के लिए पैनल न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधि का उपयोग किया गया है (ओनोफ्रेई २०२१; मोहंती और श्रीवास्तव २०१३)। यह अध्ययन दो मॉडलों, निश्चित प्रभाव मॉडल और यादृच्छिक प्रभाव मॉडल, के साथ पैनल न्यूनतम वर्ग समाश्रयण को अपनाता है, जो शिशु मृत्यु दर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के सकारात्मक संबंध को निर्धारित करने के लिए भारत के चौदह राज्यों को शामिल करता है। यह जांचने के लिए कि क्या अवशिष्ट सामान्य रूप से वितरित हैं, एक हिस्टोग्राम सामान्यता परीक्षण किया गया है । परीक्षण में सर्तकता का मान ५ प्रतिशत से अधिक पाया गया अतः शून्य परिकल्पना (अवशिष्ट सामान्य रूप से वितरित है) को स्वीकार कर लिया गया। परीक्षण में सभी चर, यानी आश्रित और स्वतंत्र व्याख्यात्मक चर, लॉग-लॉग रूप में लिए गए हैं। लॉग-लॉग मॉडल का उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि गुणांकों की लोच के रूप में प्रत्यक्ष व्याख्या की जा सकती है, जबकि आश्रित और स्वतंत्र चरों में विषमता को ठीक किया जा सकता है। यह अध्ययन, चूँकि, द्वितीयक डेटा-आधारित राज्य-स्तरीय अध्ययन है, अध्ययन की प्रमुख सीमाओं में से एक जिला-स्तर या घरेलू-स्तर के डेटा को शामिल न करना है।

मॉडल का प्रारूप

$$IMR_{it}(\log) = \alpha_i + \beta_1 \log(PCPHE_{it}) + \beta_2 \log(4ANC_{it}) + \beta_3 \log(IB_{it}) + \beta_4 \log(PHCs_{it}) + \beta_5 \log(FLFPR_{it}) + \beta_6 \log(FELIT_{it}) + u_{it}$$

जहाँ IMR बाल मृत्यु दर विपरीत रूप से प्रभावित होगा PCPHE प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वस्थ्य व्यय, 4ANC प्रसव पूर्व देखभाल (उन गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिनके पंजीकृत सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कम से कम चार बार प्रसवपूर्व देखभाल की जाती है), FLFPR महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, IB संस्थागत प्रसव (जिसका अर्थ है सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य केंद्रों/क्लिनिकों/अस्पतालों में बच्चे का जन्म) का प्रतिशत, PHCs प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्रों की संख्या और FELIT महिलाओं की साक्षरता दर से l iराज्य का सूचक है तथा t समय का द्योतक है। u यादृच्छिक त्रुटि का सूचक है।

परिणाम एवं परिणामों की व्याख्या

वर्णनात्मक आँकड़े, स्वास्थ्य व्यय और स्वास्थ्य परिणामों के संदर्भ में राज्यों में व्यापक भिन्नता दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य स्तर पर औसत पीसीपीएचई लगभग 1578.663 रुपये अनुमानित है, जिसमें न्यूनतम 740.27 रुपये (बिहार) और अधिकतम 2515.66 रुपये (केरल) है। सभी राज्यों के लिए बाल मृत्यु दर का औसत लगभग 32.75 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 59.1 और केरल में 5.2 है। राज्य स्तर पर 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 50.88 प्रतिशत गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त पाई गई। झारखंड में 62.6 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी प्रकार के एनीमिया से पीड़ित हैं और केरल में 22.3 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।

संस्थागत जन्म का औसत प्रतिशत, एक चर जो इन राज्यों में मातृ सेवाओं की पहुंच को इंगित करता है, 90.17 अनुमानित है, जिसमें झारखंड में न्यूनतम मूल्य 75.8 प्रतिशत और केरल में अधिकतम 99.8 प्रतिशत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) की औसत संख्या, जो इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का एक संकेतक है, 1654.92 पाई गई है, जिसमें सबसे कम आबादी वाले राज्य उत्तराखंड में न्यूनतम मूल्य 227 और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकतम 3560 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ये पूर्ण संख्या स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित संख्याओं से कम है। बाल मृत्यु दर के लिए अन्य दो महत्वपूर्ण निर्धारक महिला साक्षरता और महिला श्रम बल भागीदारी हो सकते हैं। इसके अलावा, गुजरात में महिला साक्षरता दर सबसे कम 51.2 प्रतिशत है, जबकि केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 92 प्रतिशत है। इसके अलावा, महिला श्रम बल भागीदारी को प्रति 1000 महिलाओं पर कार्यरत महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। औसतन प्रति हज़ार महिला जनसंख्या पर 373 महिलाएँ श्रम बल में भाग लेती हैं, जबकि बिहार और उत्तराखंड क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम चरम पर हैं।

आरेख 3 दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय अखिल भारत एवं ईएजी राज्यों में क्रमशः 1.1 से 1.35 और 1 से 1.28% तक बढ़ा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 1.15% से बढ़ाकर 2.25% करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का केवल 1.9 प्रतिशत ही बढ़ पाया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सशक्त कार्रवाई समूह का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय अखिल भारतीय स्तर से नीचे है, जबकि अन्य राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का स्तर थोड़ा अधिक है। आरेख 4 से देखा जा सकता है किबिहार और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यय का स्तर अन्य सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक है, जबकि उत्तराखंड में यह सबसे कम है। एनएफएचएस-5 के समय ईएजी राज्यों में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय में महत्वपूर्ण भिन्नताएं रही हैं।

आरेख 4- ईएजी राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

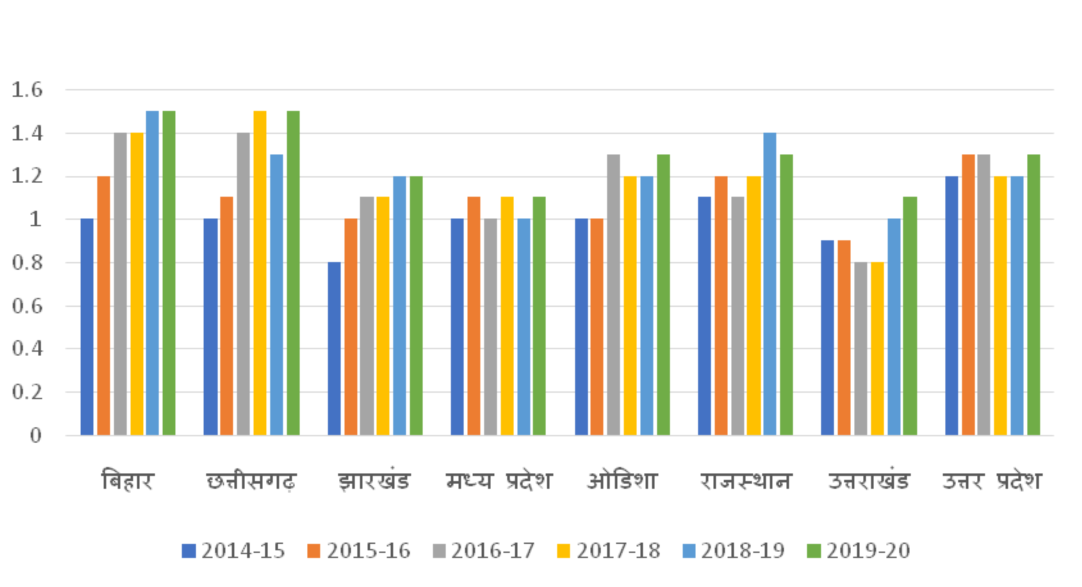

ईएजी राज्यों के लिए सरकारी स्वास्थ्य का औसत मूल्य लगभग दोगुना होकर 4497.75 करोड़ रुपये से 8970.5 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय चिंताओं में से एक है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा जैसे कुछ राज्य राष्ट्रीय स्तर के सरकारी स्वास्थ्य व्यय से नीचे हैं। 2016-17 के बाद, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य व्यय राष्ट्रीय स्तर से नीचे आ गया है। बिहार और छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य व्यय राष्ट्रीय स्तर के सरकारी स्वास्थ्य व्यय की रेखा से ऊपर है। हालांकि, मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। केवल स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि निम्न आय वाले राज्यों में स्वास्थ्य सेवा का कम उपयोग होता है, अर्थात ईएजी राज्यों में। आरेख २ से देखा जा सकता है कि ईएजी राज्यों के कुल व्यय में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा बड़ा है और साथ ही साथ बाल मृत्यु दरों का स्तर भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

भारत सरकार ने पूरे भारत में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (2013) की शुरुआत की है। (4,5,21। एनआरएचएम का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक केंद्रित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच में सुधार लाना है। एनआरएचएम में जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव के लिए नकद हस्तांतरण)21 शामिल है। महिला सशक्तीकरण और बाल पोषण पर केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजनाएँ बाल और मातृ स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0, मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ), और मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन) के लिए बजट परिव्यय 21428.81 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 25190.44 करोड़ रुपये (2023-24)21 हो गया है।

तालिका 1 अंतर-राज्य स्तर पर बाल मृत्यु दर के निर्धारकों का पैनल मॉडल परिणाम

स्वतंत्रचर	स्थिर प्रभाव (t स्टैटकामान)	यादृच्छिक प्रभाव(t स्टैटकामान)
स्वायत्त कारक	7.890498 (1.797)	9.920830 (5.081)*
प्रतिव्यक्तिसार्वजनिकस्वास्थ्यव्यय	-0.114346 (-3.880)*	-0.08117 (-3.5610)*
प्राथमिकस्वस्थ्यकेंद्रोंकीसंख्या	-0.168312 (-0.761)	-0.202283 (-2.258)**
संस्थागतप्रसवकाप्रतिशत	1.488836 (2.227)***	1.309678 (2.7361)**
४ प्रसवपूर्वदेखभाल	0.010692 (2.920)*	0.008016 (2.970)*
महिलासाक्षरतादर	-1.803565 (-1.606)	-2.117461 (-3.515)*
महिला श्रम बल में भागीदारी	-0.342409 (-2.693)**	-0.295798 (-3.0944)*
आरस्क्वायर	0.997	0.750
डर्बिनवाटसन	3.7333	1.1989
ऍफ़स्टैट	165.8530*	10.52417*
क्रॉससेक्शन	14	14
कुलअवलोकनोंकीसंख्या	42	42

तालिका 1 न्यूनतम वर्ग पैनल मॉडल के परिणामों को स्थिर और यादृच्छिक प्रभाव के साथ रिपोर्ट करता है। स्थिर प्रभाव मॉडल राज्यों के बीच सभी समय-अपरिवर्तनीय विविधता को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत, यादृच्छिक प्रभाव मॉडल राज्य-विशिष्ट प्रभावों या राज्यों में भिन्नता को

यादृच्छिक मानता है जो व्याख्यात्मक चर के साथ सहसंबंधित नहीं है। दोनों मॉडलों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से आईएमआर कम होने की अधिक संभावना है (एक प्रतिशत सार्थकता स्तर पर)। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि से निश्चित प्रभाव मॉडल में आईएमआर में लगभग 11% और यादृच्छिक प्रभाव मॉडल में 8% की कमी आती है। कुछ अध्ययनों (कुमार आदि २०१३; ओनोफ्रेई आदि 2021; वोल्डे आदि २०२२) ने स्थिर प्रभाव मॉडल में कम प्रभाव पाया है। महिला साक्षरता का IMR के साथ नकारात्मक संबंध स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य प्रावधानों के प्रभावी उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है (श्रीवास्तव आदि २०२१)। साक्षरता के साथ-साथ महिला श्रम बल में भागीदारी से भी बाल मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन यह गुणांक केवल यादृच्छिक प्रभाव मॉडल में ही महत्वपूर्ण साबित होता है। यह परिणाम बाल मृत्यु दर पर महिला सशक्तिकरण और रोजगार के जटिल प्रभाव के तर्क को पुष्ट करता है (केल्लार्ड आदि २०२४)।

हमारे मॉडल में एफ-स्टेटिस्टिक्स का मान 5 प्रतिशत से कम है, जो दोनों मॉडलों के समग्र महत्व को इंगित करता है। स्थिर प्रभाव मॉडल बाल मृत्यु दर में लगभग 99.78 (98.97) प्रतिशत विचलनों की व्याख्या करते हैं, जबकि यादृच्छिक प्रभाव मॉडल बाल मृत्यु दर में 82.72 (75.45) प्रतिशत विचलनों की व्याख्या करता है। मॉडल परिक्षण में आवश्यक निदानात्मक परिक्षण जैसे हेट्रोसकेडसीटी एवं सीरियल सहसम्बन्ध को भी मान्यताओं के अनुसार पाया गया।

सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि बाल मृत्यु दर पर महिला साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय का, कोई प्रभाव नहीं से लेकर मामूली प्रभाव और स्वास्थ्य परिणामों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का महत्वपूर्ण प्रभाव भी स्थापित करता है। बच्चों की मृत्यु दर पर महिला साक्षरता और श्रम बल भागीदारी के प्रभाव का उल्लेख करना उचित है। हालांकि चर अपेक्षित नकारात्मक संबंध की पुष्टि करता है लेकिन यादृच्छिक प्रभाव मॉडल में अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, महिला श्रम बल भागीदारी की तुलना में महिला साक्षरता बाल मृत्यु दर को कम करने में अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। पहला साक्षरता सीधे बाल स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और प्रसवपूर्व देखभाल प्रावधानों तक पहुंच को प्रभावित करती है। दूसरा, महिला श्रम बल भागीदारी वस्तुतः काफी कम है और अधिकांश ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि श्रम और आकस्मिक श्रम कार्य का प्रभुत्व है। धीरे-धीरे, अनुभवजन्य साहित्य माताओं के प्रजनन व्यवहार के अलावा, बाल मृत्यु दर के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों के रूप में वर्गीकृत विभिन्न सहसंबंधों पर ज़ोर देता है। हालाँकि, महिलाओं की शिक्षा में सुधार और प्रजनन दर में गिरावट के साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य में सुधार होता है, और इसलिए, स्वास्थ्य मानकों में भी तेज़ी से सुधार होना चाहिए।

EAG राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध एक उभरता हुआ शोध क्षेत्र है। अध्ययन से पता चलता है कि EAG राज्यों में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यय में वृद्धि महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना अपर्याप्त और अकुशल है, कम व्यय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की गति को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य में सुधार होता है, और इसलिए, स्वास्थ्य मानकों में भी तेज़ी से सुधार होना चाहिए। विभिन्न देशों के अध्ययन तर्क देते हैं कि व्यय और मृत्यु दर के बीच कमज़ोर संबंध बाल मृत्यु दर में भिन्नता के कारण है (रे और लीडेन २०२०; ओवुसू आदि २०२१)। सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में आठ अंकों की कमी तभी आ सकती है जब मृत्यु दर 50 प्रतिशत से अधिक हो। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और वितरण, महिला शिक्षा, प्रमुख धर्म और जातीय विखंडन बाल मृत्यु दर में क्षेत्रीय अंतर को समझाने में अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह पाया गया है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि आईएमआर को तब तक कम नहीं कर सकती जब तक कि वितरण की गुणवत्ता, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे तक पहुँच और स्वास्थ्य बीमा का विस्तार न हो (गार्सीअ आदि २०२३) । इसलिए, सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचा, टीकाकरण कवरेज, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और अन्य निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपाय भी प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा मजबूत होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक सुधार होता है। उपलब्धता में वृद्धि से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगी।

एसडीजी 3 के तहत बाल मृत्यु दरों के लक्ष्यों की तीव्र प्राप्ति के लिए सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की आवश्यकता है। पिछले पांच से आठ वर्षों में, व्यय आवंटन तेजी से बढ़ा है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी संरचना की उपलब्धता और उपयोग अपर्याप्त रहा है। स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और उपयोग में सुधार किया गया है। सुधार ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार धन आवंटित करने पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, नीति निर्माताओं को इन राज्यों में बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए महिला स्वास्थ्य साक्षरता और जागरूकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्ययनों में पाया गया है कि जिन माताओं ने आठ साल या उससे अधिक की स्कूली शिक्षा पूरी की है, उनके जीवित बच्चे की संभावना बेहतर थी, लेकिन किशोर माताओं के मामले में यह जोखिम अधिक था (सौरभ आदि २०१३; श्रीवास्तव आदि २०२१)। गरीबी, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और बेहतर नौकरियों से संबंधित एसडीजी के लिए एक साथ उच्च आवंटन करके बाल मृत्यु दर को बेहतर ढंग से कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह शोधपत्र चुनिंदा भारतीय राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और बाल मृत्यु दर के बीच संबंधों पर केंद्रित है, जिनका विश्लेषण कम किया गया है। अतः यह शोध प्रपत्र कुछ आर्थिक सामजिक निर्धारकों की प्रभविकता का परिक्षण पैनल प्रतिगम के माध्यम से करता है। हालाँकि पिछले २५-३० वर्षों में संस्थागत प्रसव, महिला साक्षरता दर तथा स्वास्थ्य की ढांचागत उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण बाल मृत्यु दर में कमी आयी है परन्तु राज्यों के बीच विभेद भी एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। आठ राज्य, जिनमें उच्च मृत्यु दर और निम्न स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ उच्च गरीबी अनुपात और निम्न प्रति व्यक्ति आय का स्तर है, जिन्हें पहले बीमारू राज्यों के रूप में रेखांकित किया गया था, २०१५ में भारत सरकार ने इन्हे सशक्त कार्य समूह(Empowered Action Group - EAG) के नाम से चिन्हित किया। इन राज्यों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य -3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के संकेतकों में सुधार लाने के लिए लक्षित किया गया है। सशक्त कार्रवाई समूह राज्य स्वास्थ्य लक्ष्यों के मामले में पिछड़ रहे हैं। 2021 में, वे उस स्तर पर पहुँच गए हैं जो गैर-ईएजी राज्यों ने 2007 में हासिल किया था इस पत्र में ईएजी राज्यों में लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक सार्वजनिक व्यय को लक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दोनों मॉडलों के परिणाम दर्शाते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का शिशु मृत्यु दर के साथ गहरा नकारात्मक संबंध है। यह शिशु मृत्यु दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इसे कम करने में मदद करता है। परिणाम दर्शाते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में 1 प्रतिशत की वृद्धि से दोनों मॉडलों में शिशु मृत्यु दर में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आती है। यादृच्छिक प्रभाव मॉडल और निश्चित प्रभाव मॉडल के परिणाम दर्शाते हैं कि संस्थागत जन्म और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या का भारतीय राज्यों में शिशु मृत्यु दर के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुंच और उपलब्धता से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। उच्च संस्थागत जन्म, महिला शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बाल मृत्यु दर को उल्लेखनीय रूप से कम करती है। सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों की पिछड़ी स्थिति आगे की असमानताओं को रोकने के लिए अंतराल को पाटने की आवश्यकता को उजागर करती है। निम्न-आय वाले राज्यों में लक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय, न कि सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, की तत्काल आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

सोमर जे एम (२०२२) जवाबदेह सरकारी खर्च: विकासशील देशों में बाल मृत्यु दर का एक अंतर-राष्ट्रीय विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जर्नल, खंड 52(1) 73–88, doi/10.1177/0020731420960972

राजकुमार एएस, और स्वरूप वी.(2002)सार्वजनिक खर्च और परिणाम: क्या शासन मायने रखता है? नीति अनुसंधान कार्य पत्र; संख्या 2840. © विश्व बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.

डब्ल्यू एच ओ (२०२०) भारत राज्य-स्तरीय रोग भार पहल, वैश्विक रोगों के बोझ (जीबीडी) के एक भाग के रूप में बाल मृत्यु दर सहयोगी। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और नवजात मृत्यु दर के रुझानों का उप-राष्ट्रीय मानचित्रण: वैश्विक रोगों का बोझ अध्ययन 17। लैंसेट; 395: 1640-58।

पेरिन जे, मुलिक ए, येउंग डी, विलाविसेनियो एफ, लोपेज़ जी, स्ट्रॉन्ग केएल, मेरिनो डीपी, कूसेंस एस, ब्लैक आरई, लियू एल (२०२२). 2000-19 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कारण: सतत विकास लक्ष्यों पर प्रभाव के साथ एक अद्यतन व्यवस्थित विश्लेषण, लैंसेट चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ, 6: 106–15, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00311-4

रे डी, और लिंडेन एम (२०२०) स्वास्थ्य व्यय, दीर्घायु और बाल मृत्यु दर: वैश्विक डेटा के साथ गतिशील पैनल डेटा दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ़ हेल्थ इकॉन मैनेजमेंट 20:99–119 https://doi.org/10.1007/s10754-019-09272-z

भारत सरकार (२०२१) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, भारत के लिए अनुमान 2014-15 से 2019-20, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार (2017) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ओवसु पी ए, सरकोडी एस ए, पेडरसन पी ए (2021) मृत्यु दर और स्वास्थ्य देखभाल व्यय के बीच संबंध: स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सतत मूल्यांकन। पीएलओएस वन 16(2): e0247413. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247413

कुमार सी, पियासा और सैकिया एन.(2022) भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में ग्रामीण-शहरी अंतर की व्याख्या पर एक अद्यतन, बीएमसी पब्लिक हेल्थ।

फिल्मर, डीऑन और लैंट प्रिचेट (१९९७) बाल मृत्यु दर और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय: धन कितना मायने रखता है? विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र संख्या1864, विश्व बैंक।

पौलियर जेपी., हर्नांडेज़ पी, कावाबाता के, और सेवडॉफ़ (२००२) वैश्विक स्वास्थ्य व्यय के पैटर्न: 191 देशों के परिणाम। ईआईपी/एचएफएस/एफएआर चर्चा पत्र संख्या 51 विश्व स्वास्थ्य संगठन

कुलकर्णी एल.(२०१६) स्वास्थ्य इनपुट, स्वास्थ्य परिणाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय: ब्रिक्स देशों से साक्ष्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 31.

मोहंती आर.के. और बेहरा डी.के. (२०२०) स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय कितना प्रभावी है? भारतीय राज्यों से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य। कार्य पत्र संख्या 300. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली।

बैरेनबर्ग ए.जे., बसु डी., और सोयलू सी. (2015) शिशु मृत्यु दर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का प्रभाव: भारतीय राज्यों के एक पैनल से साक्ष्य, 1983-84 से 2011-12 तक। कार्य पत्र 2015-19, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, एमहर्स्ट.

कुमार के., सिंह ए., राम एफ., और सुब्रमण्यन एस.वी. (2013) भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और शिशु एवं बाल मृत्यु दर: एक राज्य-वर्ष पैनल विश्लेषण। https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52425/ पर ऑनलाइन, एमपीआरए पेपर संख्या 52425.

वोल्डे के.एस., बाचा आर.एच., (२०२२) इथियोपिया में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का रुझान और सहसंबंध: 2000-2016 के ईडीएचएस डेटा का एक बहुस्तरीय मॉडल तुलना, सेज ओपन मेडिसिन खंड 10: 1–8. https://doi.org/10.1177/20503121221100608

सौरभ एस., सरकार एस., और पांडे डी.के. (२०१३) भारत में महिला साक्षरता दर जन्म दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का बेहतर भविष्यवक्ता है। जर्नल फैमिली मेड प्राइम केयर, 349-359.

मोहंती एस. के. और श्रीवास्तव ए. (२०१३) भारत के सशक्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्यों में अस्पताल आधारित प्रसव देखभाल की लागत और उपयोग। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पत्रिका 17:1441–1451. DOI 10.1007/s10995-012-1151-3

भारत सरकार (२०२४) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनुदान माँग संख्या 101. 2023-24।

श्रीवास्तव एस, उपाध्याय एस.के., चौहान एस, और अलगराजन एम.(२०२१) भारत में पूर्ववर्ती बाल उत्तरजीविता स्थिति और शिशु एवं बाल मृत्यु दर पर इसका प्रभाव: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से साक्ष्य, बीएमसी पब्लिक हेल्थ।

गार्सिया एल.पी., श्नाइडर आई.जे.सी., ओलिवरिया सी.डी., ट्रेबर्ट ई., और ट्रेबर्ट जे.(२०२३) राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यय और उसके आवंटन का नवजात एवं बाल मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक मशीन लर्निंग विश्लेषण। बीएमसी पब्लिक हेल्थ।

केलार्ड एन.एम., मखलौफ वाई., सरकिस्यान ए. और विनोग्रादोव डी.वी.(2024) महिला सशक्तिकरण और बाल मृत्यु दर, विश्व विकास, खंड 183, 106712,

ISSN 0305-750X, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106712

ओनोफ्रेई एम, वतामानु एएफ, विंटिला जी, और सिगु ई. (२०२१) सरकारी स्वास्थ्य व्यय और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम: यूरोपीय संघ के विकासशील देशों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च पब्लिक हेल्थ, 18(20): 10725।

ज्यां ड्रेज़, आशीष गुप्ता, साई अंकित पाराशर, कनिका शर्मा (२०२१) 2017 और 2018 में शिशु मृत्यु दर में गिरावट

में रुकावटें और उलटफेर, इकनोमिक पोलिटिकल वीकली, अंक ५७, संख्या १९

भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन एवं उसका भोपाल महानगरीय उपातं की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर प्रभाव

डॉ. दुर्गेश कुर्मी *

सारांश

मानवीय आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप भूमि उपयोग में तीव्र गति से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी आंकड़ों की सटीक उपलब्धता प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण प्रबंधन, नियोजन, निगरानी, प्रशासनिक योजनाओं जैसे अनेक अनुप्रयोगों के लिए अतिमहत्वपूर्ण होते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन समस्थानिक विधि से दशकीय आधार पर 2001 से 2021 तक कृषि भूमि, निर्माण क्षेत्र, जलीय निकाय, वन भूमि, बंजर भूमि आदि चरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लैण्डसेट 5टीएम 2001, लैण्डसेट 7ईटीएम 2011 एवं लैण्डसेट 8ओएलआई 2021 जैसी सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर आर्क जीआईएस सॉफटवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया गया। भोपाल महानगर में भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रमुख कारण नगरीय फैलाव है, जो कि महानगर के दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में अप्रत्याशित रूप से हो रहा है। 2001 से 2021 के मध्य भोपाल महानगर के भूमि उपयोग में क्रमश: कृषि भूमि, जलीय निकाय, वन भूमि, बंजर भूमि में 33%, 17.27%, 42%, 7.36% का ह्रासात्मक एवं निर्माण क्षेत्र में 316% की सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। इसके परिणामस्वरूप महानगरीय उपातं पृष्ठभूमि पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव जैसे पारस्परिक सामाजिक संबंधों की कमी, पारस्परिक समन्वय एवं समरस्ता की कमी, व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन तथा जीवन स्तर पर प्रभाव आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

बीज शब्द: भूमि उपयोग परिवर्तन, नगरीय फैलाव, भोपाल महानगर

प्रस्तावना

पृथ्वीपरसबसेमहत्वपूर्णप्राकृतिकसंसाधनोंमेंसेएकभूमिहै, जोपृथ्वी पर जीवनकोबनाएरखने एवंविकासकाआधारहै।भूमिसंसाधनदेशकासबसेमूल्यवानप्राकृतिकसंपदाहोतीहैऔरउसकानियोजितऔरउचिततरीकेसेउपयोगअत्यंतचिंताकाविषयहै, क्योंकिअन्यसभीप्राकृतिकएवंमानवीयक्रियाकलापभूमिपरहीनिर्भरहोतेहैं।जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकतानुसार कर रहा हो, तो उस भू-भाग के लिए भूमि-उपयोग शब्द का प्रयोग उचित होगा।[1] अर्थात् जब भूमि उपयोग में भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप क्षीण हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है तभी इसे भूमि उपयोग की संज्ञा देते हैं। भूमिउपयोगउसकार्ययाउद्देश्यसेसंबंधितहैजिसकेलिएभूमिकाउपयोगजनसंख्याद्वाराकियाजाताहै।इसेउनमानवीयगतिविधियोंकेरूपमेंपरिभाषितकिया जासकताहैजोसीधेतौरपरभूमिसंसाधनोंकाउपयोगकरनेयाउनपरप्रभावडालनेसेसंबंधितहैं।[2]

प्राकृतिकवातावरणमेंमानवीयगतिविधियाँभूमिउपयोगऔरभूमिआवरणपरिवर्तनकीमुख्यप्रेरकशक्तियोंमेंसेएकहैं।[3] प्राकृतिकक्षेत्रोंकाऔद्योगिकयाकृषिक्षेत्रोंमेंपरिवर्तनमुख्यरूपसेभूमिआवरणमेंनाटकीयपरिवर्तन के लिए उत्तरदायीहैं, विशेषकरविकासशीलदेशोंमें।[4]भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन का संबंध इससे जुड़ा है कि कैसे मानव एवं पर्यावरण अंत:क्रिया करते हैं।[5]भूमि उपयोग परिवर्तनके प्रतिरूपविश्लेषण करने से, भूमिउपयोगप्रबंधकोंऔरनिर्णयनिर्माताओंमें मानवऔरप्राकृतिकप्रक्रियाओंकेमध्यसंबंधोंकीबेहतरसमझप्राप्तहोसकतीहै।[6]

वैश्विक स्तर पर भूमिउपयोगमेंपरिवर्तनके लिए जनसंख्यामें तीव्र वृद्धिसबसेमहत्वपूर्णतत्वहै। भूमिउपयोगऔरजलकीगुणवत्तामेंपरिवर्तनऔद्योगिकीकरण, नगरीकरणऔरखननजैसीमानवजनितगतिविधियोंसेप्रभावितहोतेहैं।[7] सूदूर संवेदन आंकड़े भूमिउपयोगपरिवर्तनकेअध्ययनकेलिएबहुउपयोगी एवंमूल्यवानहैं।[8]भोपाल महानगर के भूमि उपयोग के प्रतिरूप का परीक्षण करते हुए, निष्कर्षत: नगर में मुख्य रूप से विकसित क्षेत्रों में पांच प्रकार के नगरीय भूमि उपयोग हैं – सर्वाधिक आधिपत्य आवासीय भूमि का है, इसके बाद औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, मनोरंजन और परिवहन का स्थान है। नगर में व्यापक व्यावसायिक भूमि उपयोग के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में छोटे शॉपिंग सेंटर हैं।कई मनोरंजक स्थान हैं और शहर में एक अच्छा परिवहन नेटवर्क है जो नगरीय गतिविधियों के विकास में मदद करता है। नगर में अन्य सेवाएं,औद्योगिक और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रमुख कार्य हैं।[9]

*सहायक प्राध्यापक, भूगोल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, म.प्र।

भोपाल महानगर के भूमि उपयोग के प्रतिरूप का परीक्षण करते हुए, निष्कर्षत: नगर में मुख्य रूप से विकसित क्षेत्रों में पांच प्रकार के नगरीय भूमि उपयोग हैं – सर्वाधिक आधिपत्य आवासीय भूमि का है, इसके बाद औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, मनोरंजन और परिवहन का स्थान है। नगर में व्यापक व्यावसायिक भूमि उपयोग के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में छोटे शॉपिंग सेंटर हैं।कई मनोरंजक स्थान हैं और शहर में एक अच्छा परिवहन नेटवर्क है जो नगरीय गतिविधियों के विकास में मदद करता है। नगर में अन्य सेवाएं,औद्योगिक और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रमुख कार्य हैं।[9] विश्लेषण से यह अनुभव किया गया है कि भोपाल नगर का क्षैतिज विस्तार तीव्र गति से हो रहा है, 1991 में नगरीय विस्तार जहां 15.8 वर्ग किमी था, वहीं 2016 में 184.5 वर्ग किमी हो गया। इसमें स्थानिक असमानता के साथ 7 वर्ग किमी की दर से प्रतिवर्ष परिवर्तन हुआ। इस विस्तार का सीधा प्रभाव भूमि उपयोग/भूमि आवरण पर पड़ा है।

निर्माण भूमि का विस्तार मुख्यतः कृषि और वन भूमि पर होता है। ये दोनों प्रथम वर्ग हैं जो इस विस्तार प्रक्रिया से अत्याधिक प्रभावित हैं।[10] भोपाल का उद्भव और इतिहास, जिसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अलग-अलग शासकों के शासन काल में भोपाल में विभिन्न निर्माण कार्य हुये जिससे एक नगर के रूप में एक मजबूत आधार प्राप्त किया। कैसे हाल के दिनों में भोपाल एक प्रमुख शहर के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश के अन्य नगरों की तुलना में भोपाल के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।[11]इस प्रकार का अध्ययन किसी क्षेत्र में आवश्यक उपयुक्त विकास के बारे में समझ प्रदान करता है। भोपाल को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुनने के विभिन्न कारणों में से एक यह है कि सरकार द्वारा इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।[12]

उददेश्य -

1) भोपाल महानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन करना।
2) भोपाल महानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन का महानगरीय उपातं की पृष्ठभूमि पर प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध प्राविधि –

अध्ययन में उपयोग किए गए आंकड़ों के स्रोतनिम्नप्रकार हैं:-

- भारतीय सर्वेक्षण विभाग का धरातल पत्रक क्र. F43/F7, F8, मापनी 1:50,000
- भोपाल नगरीय विकास योजना 1991, 2005, 2031 (ड्राफ्ट)

सारणी क्र. 01 इमेजरी विवरण

क्र.	**सैटेलाइट**	**इमेजरी**	**वर्ष**
1	लैंडसैट	लैंडसैट टीएम	1991
2	लैंडसैट	लैंडसैट ईटीएम	2001
3	लैंडसैट	लैंडसैट ईटीएम	2011
4	लैंडसैट	लैंडसैट ओआईएल	2021

यह अध्ययन कार्य 1991 से 2021 तक 30 वर्षों की समयावधि को लेकर किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के साथ एक एकीकृत भू-स्थानिक दृष्टिकोण यानी सुदूर संवेदी और जीआईएस को अपनाया गया है। सुदूर संवेदन और जीआईएस आंकड़ों को क्रमशः एर्डास इमेजिन (लीका जियोसिस्टम द्वारा विकसित) और आर्कजीआईएस (ईएसआरआई द्वारा विकसित) की मदद से विश्लेषित किया गया।

प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रिकरण प्रश्नावली से शोधकर्ता द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया।

आरेख क्रमांक 01: आधारभूत आंकड़े

आरेख क्रमांक 02 : इमेजरी विश्लेषण के चरण

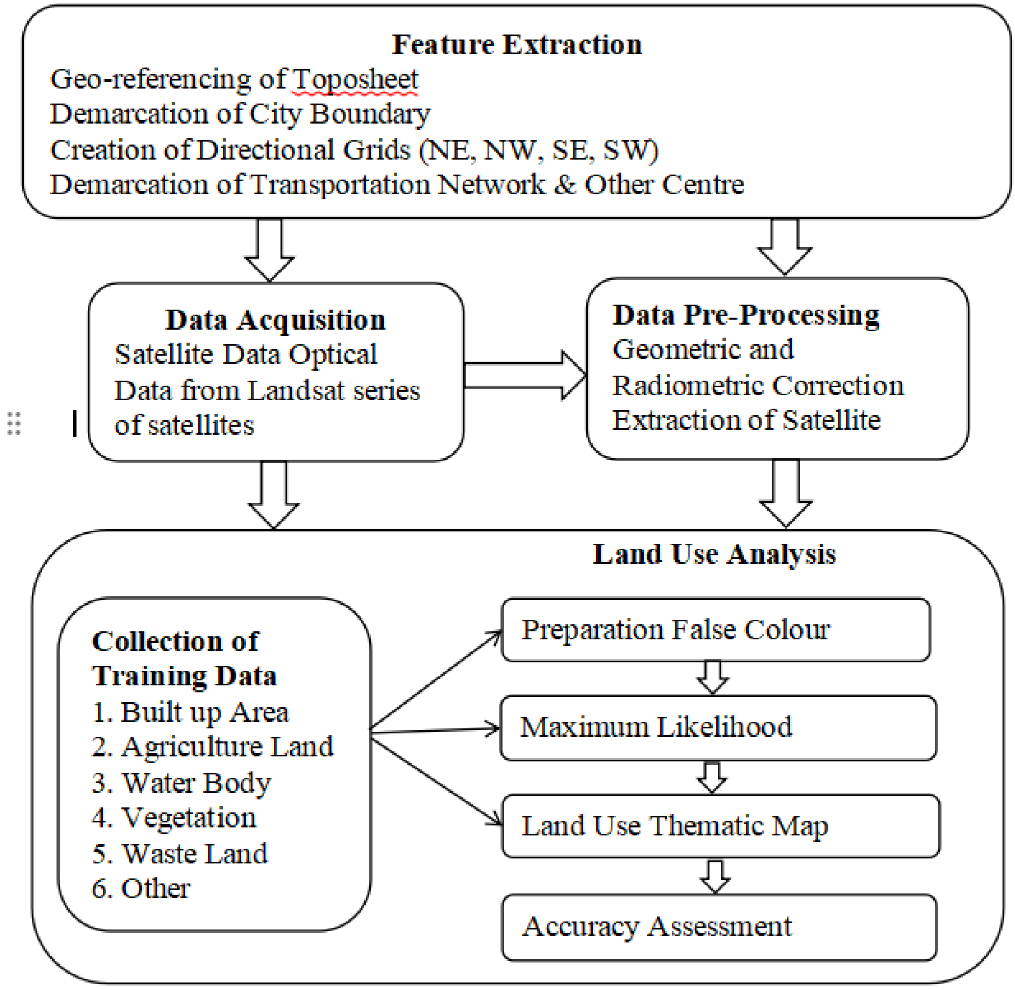

सारणीक्रमांक 02:चयनित भूमि उपयोग के वर्ग

क्र.	वर्ग	वर्णन
1	जलीय निकाय	नदी, तालाब, नहर, झीलें, डेम
2	वन भूमि	सदा हरित वन, पर्णपाती वन, विरल वन, सघन वन, वनस्पति, घास भूमि
3	निर्माण भूमि	आवासीय भूमि, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग,
4	कृषि भूमि	आर्द्र एवं शुष्क फसल क्षेत्र
5	खुली भूमि/बंजर भूमि	परती भूमि

स्त्रोत: भोपाल विकास योजना, 1991

अध्ययन क्षेत्र - भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र मालवा पठार के पहाड़ी इलाके में 77°25' पूर्वी देशांतर और 23°15' उत्तरी अक्षांश पर तथा समुद्र तल से 550-600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भोपाल मालवा पठार के भीतर पहाड़ी भूभाग पर स्थित है, जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। भोपाल अपनी उत्तर-पूर्व सीमा विदिशा जिले के साथ और उत्तर-पश्चिम सीमा राजगढ़ जिले के साथ साझा करता है। रायसेन और सीहोर जिला क्रमशः दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिमी परिधि से भोपाल को घेरे हुए है। प्राकृतिक रूप से भोपाल को दो भागों में बांटा जा सकता है - पहाड़ी और पठारी। नगर की दक्षिणी सीमाएँ विंध्य पहाड़ी श्रृंखला के समानान्तर विस्तृत हैं। यह पर्वत श्रृंखला भोपाल के दक्षिण से उत्तरी क्षेत्र तक भोपाल नगर की सीमा के समानान्तर विस्तृत है। दक्षिणी विंध्याचल श्रेणी से सटी नर्मदा घाटी की उपस्थिति भोपाल के कृषि क्षेत्र के लिए वरदान है। यह घाटी भोपाल के प्रमुख क्षेत्रों में पायी जाने वाली आग्नेय चट्टानों के अनाच्छादन से बनी काली मिट्टी को उर्वरता प्रदान करती है। हालाँकि, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी-पूर्वी शाखा बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से बनी हुई है।

आरेख क्रमांक 03 : अध्ययन क्षेत्र

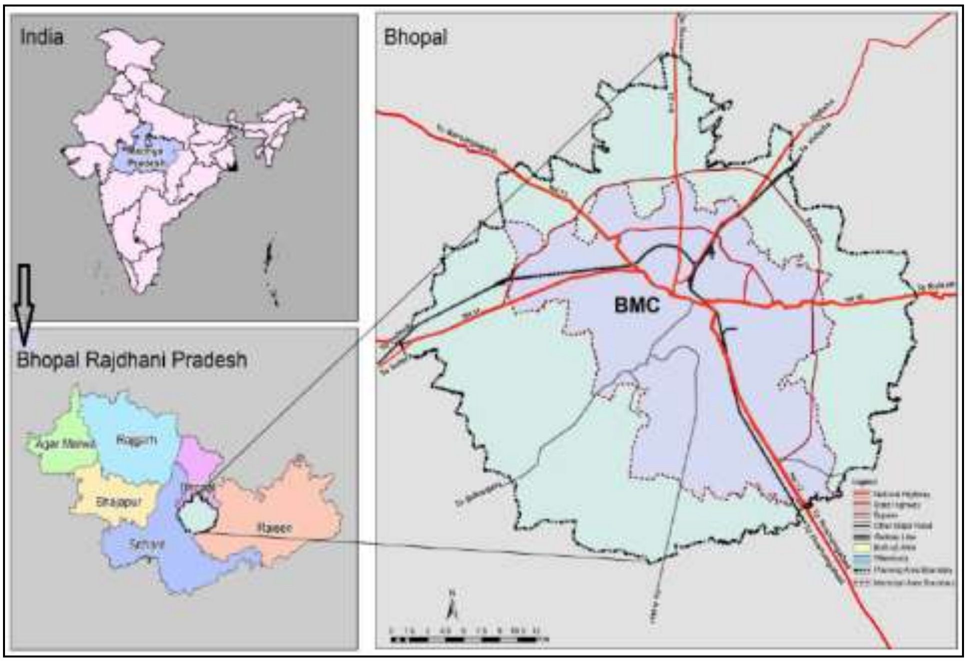

स्त्रोत : भोपाल विकास योजना

विश्लेषण -

वर्तमान समय मेंभूगोलवेत्ताओं एवं भू-वैज्ञानिकों को स्थानिक गतिशीलता, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन को समझना एक चुनौती पूर्ण कार्य है क्योंकि इसके विश्लेषण के लिए कोई एक सर्वभौम्य मान्य मॉडल नहीं है।

भूमि उपयोग परिवर्तन -

भूमिउपयोगविश्लेषणअध्ययनकरताहैकिकहाँऔरकिसप्रकारकीमानवीयगतिविधियाँहोरहीहैं । अलग-अलगगतिविधियोंकेलिएभूमिकीअलग-अलगआवश्यकताएँहोसकतीहैंऔरउनकेप्रभावभीअलग-अलगहोतेहैं । इस प्रकार के विश्लेषण सेमानवीयगतिविधियोंकेपरिणामस्वरूप भोपालमहानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन कोसमझा जासकताहै।

आरेख क्रमांक 04 : भूमि उपयोग मानचित्र

(क) 1991 (ख) 2001 (ग) 2011 (घ) 2021

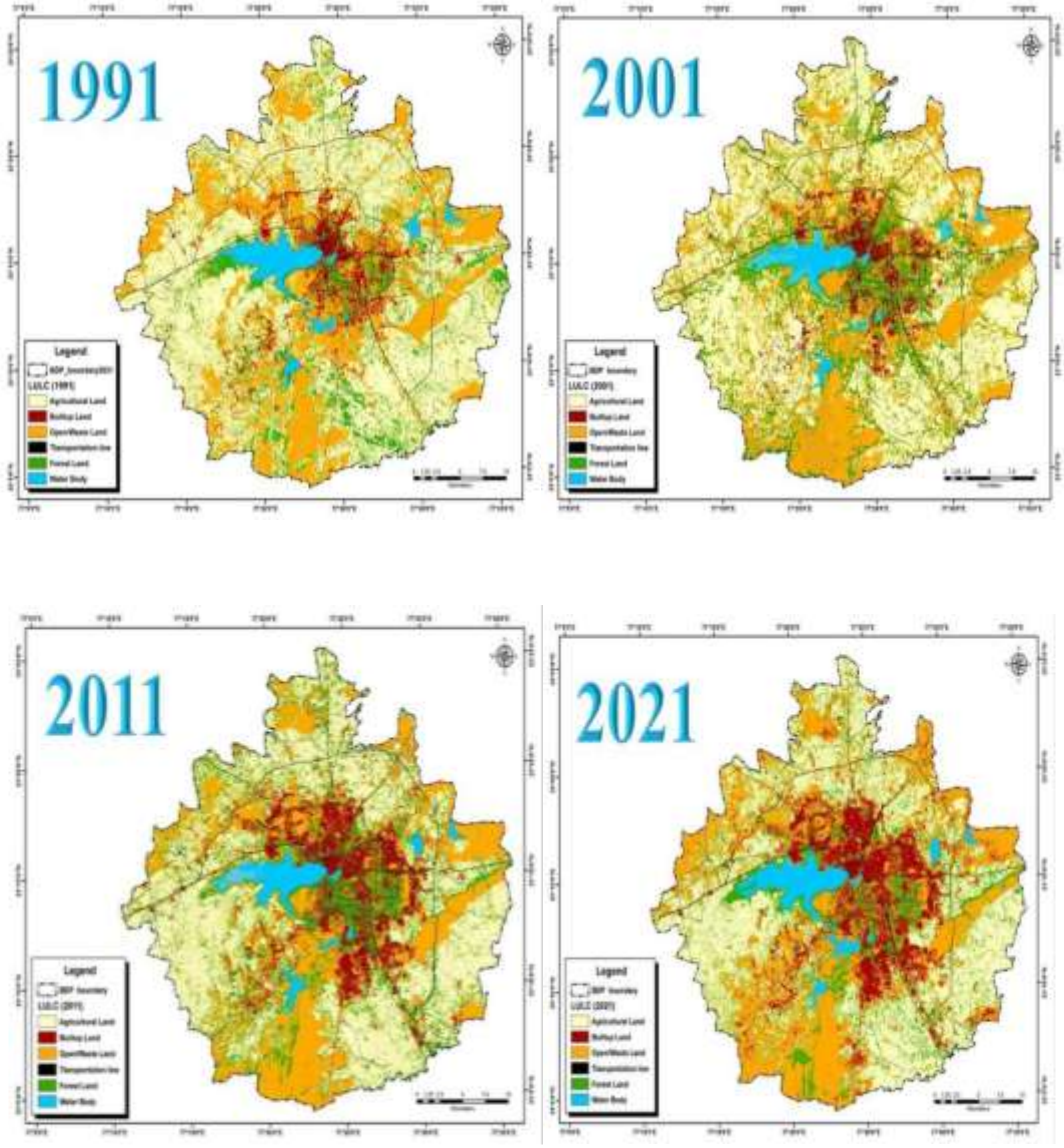

स्त्रोत : लेखक द्वारा स्वत: निर्मित

आरेख क्र. 4 (क) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र **1991 में भोपाल महानगर के कुल नगरीय क्षेत्रफल में से 43.53 प्रतिशत कृषि भूमि का**, 38.58 **प्रतिशत बंजर भूमि का**, **11.89 प्रतिशत वन भूमि का**, 4.45 **प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 1.55 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था। इस समय सर्वाधिक भू-भाग पर कृषि कार्य एवं संबंधित क्रियाकलाप संलग्न थे वही सबसे कम क्षेत्र पर निर्माण क्षेत्र (आवासीय भूमि) का विस्तार था।** 1991 के भूमि उपयोग परिवर्तन के अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि भोपाल नगर का फैलाव अर्द्धवृत्ताकार रूप में हुआ है, इसका मुख्य कारण बड़ी और छोटी झील की भौगोलिक स्थिति है। चूंकि झील का विस्तार नगर के पश्चिमऔर

दक्षिण-पश्चिम में अधिक है। इस कारण नगर के संपूर्ण निर्माण कार्य पुराना भोपाल (जो कि नगर का केन्द्र है) के सीमावर्ती क्षेत्र में दक्षिण में छोटी झील के किनारे बेरसिया मार्ग की ओर , दक्षिण-पूर्व में होशंगाबाद मार्ग (NH-12) के किनारे (प्रताप नगर, पुराना सुभाष नगर), पूर्व में भेल टाऊनशिप, उत्तर-पूर्व में सागर रायसेन मार्ग, उत्तर-पश्चिम में बड़ी झील के किनारे पुराने भोपाल से लालघाटी की ओर देखने को मिलता है।उपर्युक्त मार्ग के मध्य में पुराने भोपाल से बाह्य परिसीमा की ओर अत्याधिक निर्माण कार्य होने के कारण 1991 के पूर्व अर्द्धवृत्ताकार प्रतिरूप में नगर का फैलाव हुआ है।

आरेख क्र. 4 (ख) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2001 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि का 40.24 प्रतिशत **कृषि भूमि का**, 38.**06प्रतिशत बंजर भूमि का, 11.23 प्रतिशत वन भूमि का, 6.49प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 3.98 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था, जो कि 1991 की तुलना में 2001 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्रमशः** - 3.35, - 0.53, - 0.66, - 0.47, 5.02 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

1991 से 2001 की अवधि के नगरीय भूमि उपयोग प्रतिरूप का विस्तृत अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भोपाल नगर का विस्तार नगर के कोर (पुराना भोपाल) से मुख्य मार्गों के सहारे बाहरी सीमा की ओर रेखीय या रिबन प्रतिरूप (Linear/Ribbon pattern) में हुआ है। दक्षिण-पूर्व में NH-12 के सहारे रेलवे कॅालोनी से मिसरौद की ओर, दक्षिण में कोलार रोड की ओर, उत्तर-पूर्व में NH-86 के समानान्तर कैन्ची चोलातिराहेके चारों ओरतथा वाईपास के सहारेनवजीवन कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, देवकी नगर, नारियल खेडाआदि, उत्तर पश्चिम में झील के किनारे NH-12 के समानान्तर बल्लभ नगर और लालघाटी से पश्चिम की ओर,SH-18 केसाथ-साथ पूजाश्री नगर, हेमू कॅालानी की ओर फैलाव हुआ।

आरेख क्र. 4(ग)में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2011 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि उपयोग का 36.17 प्रतिशत **कृषि भूमि का**, 37.**37प्रतिशत बंजर भूमि का,9.84 प्रतिशत वन भूमि का**, **3.60प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 13.02 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था, जो कि 2001 की तुलना में 2011 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्रमशः** -4.13, - 0.7, -1.42, - 0.39, 6.64 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

2001 से 2011 की अवधि में नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन के परिणामस्वरूप नगरीय फैलाव नगरीय केन्द्र (Old Bhopal) से कुछ किमी. दूर सघन रूप से हुआ है, जिससे नवीन केन्द्र स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं जो कि लीप फ्राग फैलाव प्रतिरूप कहलाता है। नगर के दक्षिण-पूर्व मेंNH-12 के समानान्तरमिसरोद (स्वर्णनगर, श्रीराम कॉलोनी, स्नेहनगर, भैरवपुर) मण्डद्वीप औद्योगिक केंद्र। दक्षिण में कोलार रोड के साथ-साथ कोलार (सरधर्म कॉलोनी, महाबाली नगर, श्रीदीपुरम, बनजारी, गेहूं खेड़ा, राजहर्ष कॉलोनी) दक्षिण-पश्चिमबिलकिसगन्ज रोड के किनारे कोटरा सुलतानाबाद, कमला नगर, गोमती कॉलोनी, सी-सेक्टर, द्वारकापुरी कॉलोनी, पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 86 के समानान्तर आनंद नगर (प्रेस कॉलोनी, गोपाल नगर, सुख सागर), उत्तर-पश्चिम में NH-18 केसमांतर लालघाटी, हेमू कॅालानी, ब्लाक बी, बैरागढ़ आदि।जैसे अनेक छोटे बड़े नवीन नगरीय केन्द्र भोपाल नगर के फैलाव के फलस्वरूप नवीन नियोजित अधिवास के रूप में भोपाल नगर में सम्मिलित हुए जो स्पष्ट रूप से लीपफ्राग फैलाव प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं।

आरेख क्र. 4 (घ)में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2021 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि उपयोग का 26.61 प्रतिशत **कृषि भूमि का**, 36.**58प्रतिशत बंजर भूमि का,6.2 प्रतिशत वन भूमि का**, **3.3प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 27 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था। जो कि 2011 की तुलना में 2021 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में**प्रतिवर्ष **क्रमशः - 9.72,** - 0.8,-3.4, - 0.32, 14.22 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

2011 से 2021 के दशक में नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन के परिणामस्वरूप महानगरीय फैलाव जो 2011 के दशक में नवीन केन्द्रों के रूप में था से परिवर्तित हो कर सघन अधिवासित हो गया।

नगरीय भूमि का रूपांतरण - भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन की दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है, यह भिन्नता एक ही नगर में भी हो सकती है।[13] जैसे भोपाल महानगर में विभिन्न दिशाओं में अधिवास के प्रसार के कारण निर्माण क्षेत्र में अलग-अलग दिशाओं में भिन्न प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके परिणामस्वरूप नगरीय भूमि रूपांतरण की दर में दिशाओं एवं समय के अनुसार विभिन्नता देखने को मिलती है। दशकीय अध्ययन से यह स्पष्ट होता है की परिवर्तन की दर भिन्न रही है।

सारणी क्रमांक 03 :नगरीय भूमि का रूपांतरण

भूमि उपयोग	**1991** में क्षेत्रफल	**2001** में क्षेत्रफल	**2011** में क्षेत्रफल	**2021** में क्षेत्रफल
	वर्ग किमी	**वर्ग किमी**	**वर्ग किमी**	**वर्ग किमी**
कृषि भूमि	442.64	409.16	367.83	270.58
निर्माण क्षेत्र	15.8	66	132.42	274.62
जलीय निकाय	45.23	40.51	36.65	33.42
वन भूमि	120.88	114.23	100	66.28
बंजर भूमि	392.35	387	380	372
कुल	**1016.90**	**1016.90**	**1016.90**	**1016.90**

स्त्रोत : लेखक द्वारा स्वत: निर्मित

कृषि भूमि- **कृषि भूमि समतल प्राय: भूमि होती है जिस पर निर्माण कार्य करना सबसे आसान होता है यही कारण है कि भोपालमहानगर में सर्वाधिक भूमि का ह्रास कृषि भूमि का हुआ है। जहाँ 1991 में कुल भूमि का**442.64 वर्ग किमी वहीं 2001 में 409.16 वर्ग किमी, 2011 में 367.83वर्ग किमी, 2021 में 270.58 वर्ग किमी क्षेत्र कृषि भूमि उपयोग के रूप में संलग्न था। 1991 से 2001 के मध्य 10 वर्षों में 7.56% परिवर्तन के साथ 33.48 वर्ग किमी कृषि भूमि का ह्रास हुआ। वहीं 2001 से 2011 की अवधि में 10% परिवर्तन के साथ 41.33 वर्ग किमी कृषि भूमि का ह्रास हुआ। इसके साथ ही 2011 से 2021 के दशक में सर्वाधिक 26.43% ह्रासात्मक परिवर्तन के साथ कृषि भूमि में 97.25 वर्ग किमी की अभूतपूर्व क्षति हुई।

निर्माण क्षेत्र - **निर्माण क्षेत्र भूमि उपयोग का एक ऐसा वर्ग है जो कि अन्य सभी वर्गों को प्रभावित करता है। निर्माण क्षेत्र में लगातार तीव्र वृद्धि नगरीय फैलाव का सूचक होता है। भोपाल महानगर का निर्माण क्षेत्र 1991 में**15.8 वर्ग किमी था, जिसमें 1991-2001 के दशक में 317.72% परिवर्तन के साथ 66 वर्ग किमी, 2001-2011 के मध्य 100.64% परिवर्तन के साथ 132.42 वर्ग किमी, 2011-2021 की अवधि में 107.36% परिवर्तन के साथ 274.62 वर्ग किमी की सकारात्मक अभूतपूर्व **वृद्धि देखी गयी जो कि अन्य वर्गों के ह्रास के** लिए मुख्यरूप से**उत्तरदायी है।**

जलीय निकाय भूमि - **भोपाल महानगर तालाबों का नगर है, परंतु यह महानगर जल के साथ-साथ जलीय निकाय भूमि का भूमि दोहन कर रहा है। 1991 में जलीय निकाय भूमि**45.23 वर्ग किमी हुआ करती थी जिसमें 1991-2001 में 10.43% परिवर्तन के साथ 40.51 वर्ग किमी, 2001-2011 में 9.53% परिवर्तन के साथ 36.65 वर्ग किमी, 2011-2021 के दशक में 8.81% परिवर्तन के साथ 33.42 वर्ग किमी जलीय निकाय भूमि शेष बची जिसका मुख्य कारण भोपाल नगर का राजधानी के साथ-साथ औद्योगिक नगरी के रूप में तीव्र विकास है।

वन भूमि - **यह महानगर वन अनाच्छादित पहाड़ियों एवं तालाबों के लिए जाना जाता था। 1991 में वन भूमि** 120.88 वर्ग किमी थी, 1991-2001 में 5.5% परिवर्तन के साथ 114.23 वर्ग किमी, 2001-2011 में 14.23% परिवर्तन के साथ 100 वर्ग किमी, 2011-2021 में 33.72% परिवर्तन के साथ 66.28 वर्ग किमी वन भूमि शेष बची जो कि भोपाल के तीव्र गति से हो रहे निर्माण कार्य का परिणाम है।

बंजर भूमि– यह भूमि अनउपजाऊ एवं बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है परंतु पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि होती है। 1991 में 392.35 वर्ग किमी थी, 1991-2001 में 1.36% परिवर्तन के साथ 387 वर्ग किमी, 2001-2011 में 1.81% परिवर्तन के साथ 100 वर्ग किमी, 2011-2021 में 2.10% परिवर्तन के साथ 372 वर्ग किमी परिवर्तन हुआ, इसका मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र में तीव्र गति से प्रसार है।

आरेख क्रमांक 05 : भूमि उपयोग वृद्धि

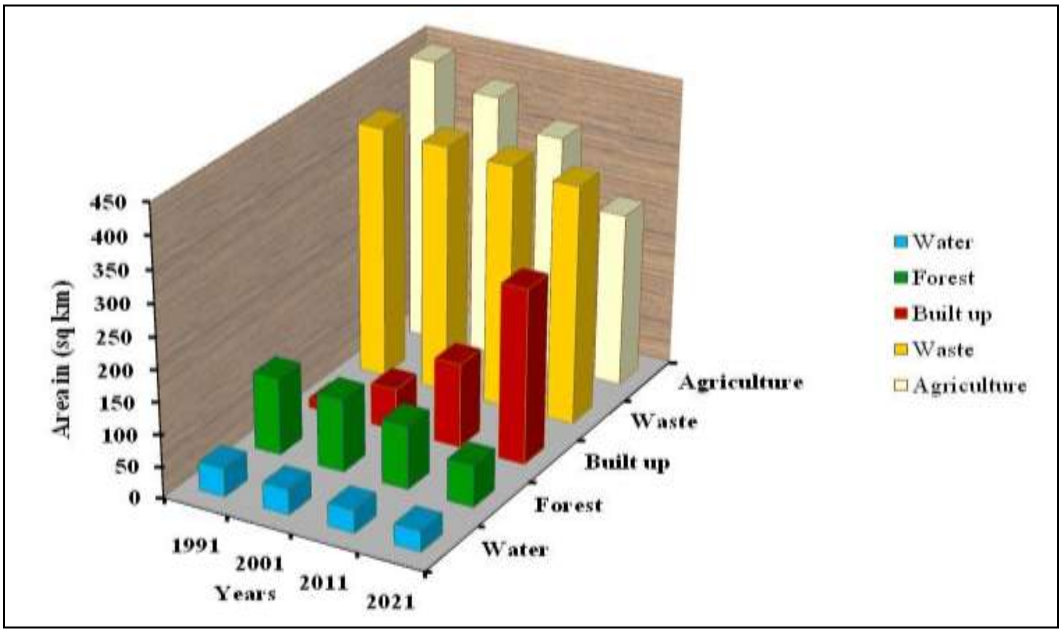

आरेख क्र.05 से स्पष्ट है कि निर्माण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वर्ग जैसे कृषिभूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, जलीय भूमि आदि में ह्रासात्मक परिवर्तन जबकि निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है जो कि नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन का सूचक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में प्रमुख कारक नगरीय फैलाव है।

भूमि उपयोग परिवर्तनकामहानगरीयउपांत की ग्रामीण पृष्ठभूमिपरप्रभाव -

भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण भोपाल महानगर के आंतरिकभाग प्रतिकर्षण (Push Factor) कारक, वहीं दूसरी ओर नगर के बाह्य उपांत ग्रामीण क्षेत्र आकर्षण (Pull Factor) कारक के रूप में प्रभावी हैं जो नगरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे नगर का फैलाव तीव्र गति से नगरीय उपांत भूमि/उपनगरीय भूमि सीमांत क्षेत्र पर हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।

भूमि उपयोग परिवर्तनकाउपांतकीआर्थिकस्थितिपरप्रभाव–

भूमि उपयोग परिवर्तनका उपांत/बाह्य सीमांत ग्रामीण पृष्ठभूमि या ग्रामीण परिवेश पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में हुआ है। भूमि उपयोग की दृष्टि से यह प्रभाव परिवर्तनशीलता का परिचायकहै।

मुख्यत: ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली क्षेत्रीय समाज के जीवन स्तर पर सकारात्मक रूप में प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नगर के फैलाव से नगर की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इन क्षेत्रों तक हुआ है जिससे इन क्षेत्रों के जीवन स्तर एवं आजीविका प्राप्ति के स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव पर सहमति प्रकट की है। दूसरी ओर 37 प्रतिशत लोगों का मानना है कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (सीबीडी), थोकव्यापार और हल्के वस्तु निर्माणक्षेत्र, बाजार, अन्य संस्थानों की नगर के आंतरिक भागों में अधिकता के कारण बाह्य सीमांत क्षेत्रों में निवासरत लोगों को घर से काम पर लंबी दूरी तक आने-जाने पर होने वाले घरेलू खर्च में वृद्धि हुयी है। 24 प्रतिशत लोगों ने शहरी क्षेत्रों में उपयोगिताओं और संबंधित सेवाओं सहित शहरी आधारभूत ढांचे के विस्तार की अतिरिक्त लागत पर व्यय की भी पुष्टि की है।

आरेख क्रमांक 06 : आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

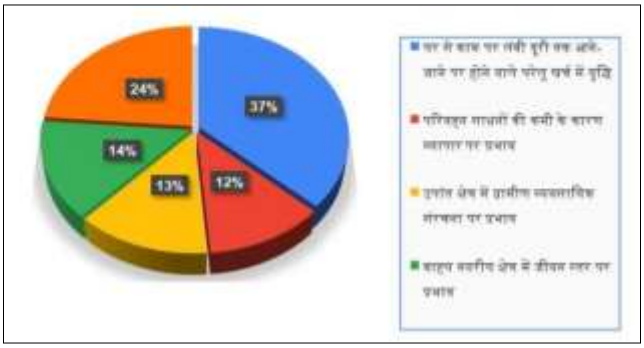

यह परिवर्तन न केवल कृषि करने के तरीके, मशीनी उपयोग के रूप में हुआ है बल्कि फसलों के प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है। नगर के फैलाव से नगरीय आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्य फसलों जैसे गेहुँ, चना, मक्का, चावल के साथ-साथ सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती की जा रही है। पोलिहाऊस, उद्यानिकी के प्रति रूझान भी बढ़ा है। इससे यह कहा जा सकता है कि अब जीवननिर्वाह खेती का स्थान व्यवसायिक कृषि ने ले लिया है। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदर्शित की है।

भूमि उपयोग परिवर्तन का उपांतकीसामाजिकस्थितिपरप्रभाव–

फैलाव वाले नगरीय क्षेत्र में सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। ग्रामीण सामाजिक संरचना से नगरीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने से एक मिश्रित प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यहां पर मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है। सभी जाति धर्म के लोग आपस मे मिल कर रहते हैं। नगरीय फैलाव से इन क्षेत्रों में भी एकल परिवार की परम्परा प्रारम्भ हुयी है। पारस्परिक सामाजिक संबंध केवल औपचारिकता मात्र रह गये हैं। 19 प्रतिशत का मानना है कि पारस्परिक समन्वय एवं समरस्ता की इन क्षेत्रों में कमी है। एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि सामाजिक विवाद इन क्षेत्रों में प्राय: कम देखने को मिलते हैं, इसकी पुष्टि 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने की है।

आरेख क्र. 07 : सामाजिक संरचना पर प्रभाव

भूमि उपयोग परिवर्तनकाउपांतकीपर्यावरणीयसंसाधनोंपरप्रभाव– नगरीय फैलाव का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव उपांत क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति पर हुआ है। फैलाव से पूर्व इन क्षेत्रों में वातावरण साफ एवं स्वच्छ था परंतु जैसे-जैसे नगर का फैलाव हो रहा है, वातावरण वैसे-वैसे प्रदूषित होता जा रहा है, साथ ही उपांत क्षेत्र के पर्यावरणीय संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि भूमि का लगातार ह्रास हो रहा है, जैवविविधता का ह्रास हो रहा है, वन भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि एवं मृदा का निर्माण क्षेत्र के रूप में उपभोग हो रहा है।

आरेख क्र.08: पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रभाव

परिणाम -

- भोपाल, राज्य की राजधानी होने के कारण प्रशासनिक केन्द्र तो है, ही साथ ही म.प्र. राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र भी है।
- भोपाल महानगर की भूभौतिकी पहाड़ी प्रकार की होने के कारण नगर का क्षैतिज विस्तार बाह्य नगरीय उपांत/परिसीमा/उपनगर की ओर तीव्रता से हुआ है।
- जननांकिकीय दबाब नगरीय पृष्ठभूमि के परिवर्तन का उत्तरदायी कारण है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण प्रवसन एवं नगरीकरण नगरीय फैलाव का प्रमुख कारण है।
- जननांकिकीयदबाबनगरीयपृष्ठभूमिकेपरिवर्तनकाउत्तरदायीकारणहै।प्राकृतिकजनसंख्यावृद्धि, ग्रामीणप्रवसनएवंनगरीकरणनगरीयफैलावकाप्रमुखकारणहै।
- सुदूरसंवेदनतकनीककीसहायतासेफैलावकामात्रात्मकअध्ययनकियागया, जिसमेंपायागयाकि 1991 मेंकुलनिर्माणक्षेत्र 15.8 वर्गकिमीथा। 1991 से 2001 मेंनिर्माणक्षेत्रमें 317.72 प्रतिशतकीवृद्धिकेसाथ 50.2 वर्गकिमीकीबढ़ोत्तरीहुयी, जिसकीवार्षिकवृद्धिदर 5.02 वर्गकिमीरही।औद्योगिकगतिविधियोंकाविकासएवं 1976 मेंबनायेगये मास्टरप्लान 1991 काक्रियान्वयनइसअवधिकेदौरानतीव्रफैलावकाकारणबना।
- भोपालनगरकेनिर्माणक्षेत्रमें 2001 से 2011 केदशकमें 100.63 प्रतिशतकीवृद्धिकेसाथ 66.42 वर्गकिमीकीबढ़ोत्तरीहुयी।इससमयवार्षिकवृद्धिदर 6.64 वर्गकिमीरही।इसदशकमेंपिछलेदशककीअपेक्षावृद्धिदरकेप्रतिशतमेंगिरावटआयी,इसकाप्रमुखकारण 2001 मेंम.प्र. राज्यसेअलगहोकरछत्तीसगढ़नवीनराज्यकागठनरहाक्योंकिनवीनराज्यकेनिर्माणकेसाथ-साथप्रशासनिकढ़ाचेकाहस्तांतरणभीनवीनराजधानीरायपुरहुआ।
- 2011 से 2021 केमध्य 107.38 % कीवृद्धिकेसाथ 142.2 वर्गकिमीकीबढ़ोत्तरीहुई।यहविगतदशकोंमेंदर्जकीगयीसर्वाधिकबढ़ोत्तरीहैजिसकाप्रमुखकारणभोपालकानगरसेमहानगरएवंस्मार्टसिटीकेरूपमें स्थापितहोनाहै, इसकेसाथहीइसदशकमेंभोपालनगरएकऔद्योगिक (भेलएक्सटेंसन, मंडीदीप, गोविंदपुराआदि) केन्द्रकेरूपमें स्थापितहुआहै।
- इसप्रकार 1991 से 2021 केमध्यअध्ययनक्षेत्रमेंकुल 268.18 वर्गकिमीनिर्माणक्षेत्रमेंवृद्धिहुयीजोकितीव्रनगरीयफैलावकापरिचायकहै।यहनगरीयफैलावअन्यभूमिउपयोगकेह्रासपरनिर्भरकरताहै।

- 1991 से 2001 केदशकमेंकृषिभूमिमें 3.35 वर्गकिमीकीवार्षिकदरसेकुल 33.48 वर्गकिमीका, जलीयनिकायमें 4.72 वर्गकिमीका, वनभूमिमें 6.65 वर्गकिमीकातथाबंजरभूमियाखुलीभूमिका 5.35 वर्गकिमीकाह्रासहुआ।सर्वाधिकनकारात्मकप्रभावकृषिभूमिपरपड़ाक्योंकिइसकाअधिग्रहणकरनाएवंइसपरनिर्माणकार्यकरनाआसानहोताहै।
- 2001 से 2011 कीअवधिमेंकृषिभूमिमें 41.33 वर्गकिमी, जलीयनिकायमें 3.86 वर्गकिमी, वनभूमिमें 14.23 वर्गकिमी, बंजर/खुलीभूमिमें 7 वर्गकिमीकानकारात्मकपरिवर्तनआया।
- 2011 से 2021 केदशकमेंकृषिभूमिमें 97.25 वर्गकिमी, जलीयनिकायमें 3.23, वनभूमिमें 33.72 वर्गकिमी, बंजर/खुलीपरतीभूमिमें 8 वर्गकिमीकाह्रासहुआ।यहपरिवर्तनभोपालनगरकेफैलावकेपरिणामस्वरूपहुआ।
- 1991 से 2021 केमध्यकृषिभूमिमें 172.06 वर्गकिमीकाह्रासहुआसाथहीकृषिप्रतिरूपमेंभीपरिवर्तनहुआहै।अधिकलाभकारीफसलोंकेउत्पादनकेप्रतिरूझानबड़ाहै।वहींवनभूमिमें 54.6 वर्गकिमीकाह्रासहुआ।बंजरभूमि/खुलीभूमिमें 20.35 वर्गकिमीकीकमीआयीहै।नगरीयफैलावकाजलीयभूमिपरभीप्रभावपड़ाहै,इसमेंविगत 30 वर्षोंमें 11.81 वर्गकिमीकाह्रासहुआहै।साथहीजलीयनिकायकेजलपरभीविपरीतप्रभावपड़ाहै।

निष्कर्ष

1991 से 2021 के मध्यअध्ययन क्षेत्र, भोपाल महानगर में निर्मित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई, वहीं अन्य वर्गों में कृषि भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि और बंजर भूमि में लगातार ह्रास हुआ है। निर्मित क्षेत्र की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य भूमि उपयोग वर्गों में तदनुरूपी कमी भोपाल नगर के उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में हुयी है। निर्मित क्षेत्र का विस्तार अन्य वर्गों की कीमत पर हुआ है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि, निजी भूमि का विकास, सहकारी समितियों का विकास, अचल संपत्ति में उछाल, शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार, बुनियादी संरचना का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास आदि हैं ।अध्ययनक्षेत्रमेंभूमि उपयोगकीस्थानिकसंरचना एवंप्रतिरूपसमयकेसाथतीव्रगतिसेपरिवर्तनशीलरहेहैं।

सन्दर्भ सूची

Chawla, S. (2012). Land use changes in India and its impacts on the environment. Journal of Environment, 1(1), 14–20.

Fazal, S. (2006). Land transformation in relation to distance in developing economy. Indian Journal of Regional Science, 38(1), 91–104.

Lambin, E. F., Geist, H. J., & Lepers, E. (2003). Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. Annual Review of Environment and Resources, 28, 205–241. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105459

Jat, M. K., Garg, P. K., & Khare, D. (2008). Monitoring and modelling of urban sprawl using remote sensing and GIS techniques. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10, 26–43. https://doi.org/10.1016/j.jag.2007.04.002

Matsa, M., Mupepi, O., Musasa, T., &Defe, R. (2020). A GIS and remote sensing-aided assessment of land use/cover changes in resettlement areas: A case of Ward 32 of Mazowe District, Zimbabwe. Journal of Environmental Management, 276, 111291. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111291

López, E., Bocco, G., Mendoza, M., &Duhau, E. (2001). Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe: A case in Morelia city, Mexico. Landscape and Urban Planning, 55, 271–285. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00160-8

Gajbhiye, S., & Sharma, S. K. (2012). Land use and land cover change detection of Indra River watershed through remote sensing using multi-temporal satellite data. International Journal of Geomatics and Geosciences, 3(1), 89–96.

Yuan, F., Sawaya, K. E., Loeffelholz, B. C., & Bauer, M. E. (2005). Land cover classification and change analysis of the Twin Cities (Minnesota) metropolitan area by multi-temporal Landsat remote sensing. Remote Sensing of Environment, 98(2–3), 317–328. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.08.006

Singh, J. P., &Dharmajog, A. (1998). City planning in India. Mittal Publications.

Ghosh, S. (2019). City growth and land-use/land-cover change: A case study of Bhopal, India. Modeling Earth Systems and Environment, 5(4), 1569–1578. https://doi.org/10.1007/s40808-019-00641-0

Bhattacharya, A., & Rathor, S. (2017). Dynamic growth of Bhopal city core: A conceptual and legal approach. International Journal on Emerging Technologies, 8(1), 608–613.

Kaur, R., & Choudhary, A. (2017). Challenges and suggested remedies in making Bhopal a smart city. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 6(9). https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2017.0609001

Srinagesh, B., &Baktula, K. (2014). Landuse and landcover analysis of Dehradun: Application of RS and GIS. Annals of the National Association of Geographers, India, 34, 71–85.

महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता में महिला स्व-सहायता समूहों का योगदान

डॉ. जी.डी.एस. बग्गा*
अनामिका साहू**

सारांश

महिला स्व-सहायता समूह एक अनौपचारिक समूह है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए निरतंर प्रयास करती रहती है। ज्यादातर यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे है। इस शोध पत्र में महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता में महिला स्व-सहायता समूहों के योगदान का अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगाँव जिले के राजनांदगाँव विकासखण्ड के अंतर्गत किया गया है। यह शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। वर्तमान में राजनांदगाँव विकासखण्ड में स्व-सहायता समूहों की संख्या 2826 एवं समूह के सदस्यों की संख्या 30819 है। इस अध्ययन में न्यादर्श हेतु यादृच्छिक दैव निदर्शन पद्धति से 150 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता के लिए महिला स्व-सहायता समूह के निर्माण के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण देना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, कार्य निष्पादन से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण महिलाओं की रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन करना, उनके आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना एवं बचत प्रवृत्ति को बढ़ाना है। इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् पारिवारिक बजट में निर्णय लेने, स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने, पारिवारिक उपकरण क्रय करने, स्थायी संपत्ति क्रय करने में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार स्व-सहायता समूह महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान करती है।

बीज शब्द: महिला उत्थान, स्व-सहायता समूह, आर्थिक स्थिति, आर्थिक निर्णयन क्षमता, नई दिशा ।

प्रस्तावना

स्व-सहायता समूह लोगों के अनौपचारिक संगठन हैं, जो जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं। वे आमतौर पर स्व-शासित और साथियों द्वारा नियंत्रित होते है। समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग आमतौर पर किसी गैर सरकारी संगठन या सरकारी एजेंसी की मदद लेते हैं और अपने मुद्दों को सुलझाने तथा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

भारत में स्व-सहायता समूहों की उत्पत्ति 1972 में स्व-रोजगार महिला एसोसिएशन (SEWA) की सहायता से मानी जा सकती है। इससे पहले भी स्व-संगठन के लिए छोटे-छोटे प्रयास हुए है उदाहरण के लिए 1954 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (TLA) ने अपनी महिला शाखा बनाई ताकि मिल मजदूरों के परिवारों की महिलाओं को सिलाई, बुनाई आदि जैसे कौशल सिखाए जा सकें।

SEWA का गठन करने वाली इला भट्ट ने बुनकरों, कुम्हारों, फेरीवालों और असंगठित क्षेत्र की अन्य गरीब और स्वरोजगार वाली महिला श्रमिकों को उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से संगठित किया। नाबार्ड ने 1992 में स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना है।

1993 से नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्व-सहायता समूहों को बैंकों में बचत खाते खोलने की अनुमति दे दी।स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे समूहों के गठन और कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। यह 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में विकसित हुआ है।

महिला स्व-सहायता समूह का परिचय

महिला स्व-सहायता समूह स्वैच्छिक समूह होते है, जिनमें आमतौर पर 10-15 महिलाएं शामिल होती हैं, जो हर सप्ताह बचत करने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपने समुदायों के लिए बदलाव लाने के लिए मिलते है। महिला स्व-सहायता समूह को इस अंतर्निहित धारणा के साथ बनाया गया है कि जब महिलाएं अपनी बाधाओं को दूर करने और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए एक साथ जुड़ते है तो इसका परिणाम व्यक्तिगत और सामूहिक सशक्तिकरण हो सकता है। सशक्तिकरण की प्रेरणा बदले में अनेक सकारात्मक परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला का आधार बनाता है, जिसमें अच्छा शासन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करना शामिल हैं।

---

*डॉ. जी.डी.एस. बग्गा, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
**अनामिका साहू, शोधार्थी (वाणिज्य विभाग), चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।

महिला स्व-सहायता समूह के उद्देश्य

1. सदस्यों में बचत और बैंकिंग की आदत डालना।
2. सदस्यों को वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
3. उत्पाद उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करना संभव बनाना।
4. ऋण/क्रेडिट वितरण के माध्यम से आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना।
5. स्वयं के वित्त के संगठन और प्रबंधन में सम्मिलित सामूहिक ज्ञान से लाभ प्राप्त करना तथा विभिन्न लाभों को आपस में वितरित करना।
6. महिलाओं की क्षमताओं के साथ-साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाना।
7. महिलाओं के बीच सामूहिक बचत निर्णय विकसित करना।
8. महिलाओं को मुख्य रूप से महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रेरित करना।
9. यह सदस्यों के लिए एक दूसरे को स्थान और समर्थन प्रदान करने के मंच के रूप में कार्य करता है।
10. गरीबों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।
11. बैंकरों और ग्रामीण गरीबों के बीच आपसी विश्वास और भरोसा कायम करना।
12. जनसंख्या के उस हिस्से में बचत और ऋण दोनों पक्षों पर बैंकिंग गतिविधि को प्रोत्साहित करना, जिसे कवर करना औपचारिक वित्तीय संस्थानों के लिए आमतौर पर कठिन होता है।
13. अतिरिक्त रोजगार सृजन को सक्षम बनाना।
14. महिला स्व-सहायता समूहों के मामले में महिला सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाना।

स्व-सहायता समूहों के कार्य

1. समूह रोजगार और आय-सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करते है।
2. समूह ऐसे लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें आमतौर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
3. समूह आपसी विचार-विमर्श और सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संघर्षों का समाधान भी करते है।
4. समूह गरीबों के लिए माइक्रोफाइनेंस सेवाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
5. समूह औपचारिक बैंकिग सेवाओं को गरीबों तक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पहुंचने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते है।
6. समूह गरीबों में बचत की आदत को भी प्रोत्साहित करते है।

शोध साहित्य की समीक्षा

Arjun y. Pangannavar (2014) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि 'पारस्परिक सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता' की तार्किक अवधारणा शुरू में महिलाओं द्वारा विकसित की गई थी। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के पास अपने व्यक्तिगत व्यय या अपनी पसंद के खर्च के लिए कोई पैसा या आय का स्रोत नहीं होता है। सरकार द्वारा राज्य में और विशेष रूप से जिले में राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह आंदोलन के तहत अधिक महिलाओं को लाने के लिए एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। (Pangannavar, 2014)

S. Palani & K. Balamurugan (2016) ने अपने शोध पत्र में निष्कर्ष निकाला है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व है। एक महिला तभी शक्तिशाली कही जाती है, जब उसके पास समाज में शक्ति संसाधनों के एक भाग पर नियंत्रण हो। यह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संभव है लेकिन आज के समय में महिलाएं सशक्तिकरण को साकार करने में बहुत से कारकों में पीछे रह गई है इसलिए सरकार के साथ-साथ अन्य एजेंसियों को उनके सशक्तिकरण में सुधार करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। (Palani & Balamurugan, 2016)

शशि पाण्डेय (2016) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएं विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गयी है तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाए और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत अब तक 30 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। (पाण्डेय, 2016)

M. Nirmala (2017) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वयं सहायता समूहों का गठन "आखिरकार एक माइक्रो-क्रेडिट परियोजना नहीं बल्कि एक सशक्तिकरण प्रक्रिया है।" इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और इस प्रकार उनके परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यह जागरूकता और क्षमता निर्माण के माध्यम से समूह के सदस्यों के साथ बातचीत से उत्पन्न एक क्रमिक प्रक्रिया है। स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण के भीतर सशक्तिकरण कई स्तरों पर अंतर्निहित है। (Nirmala, 2017)

जया चावला एवं सीमा सोनी (2023) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं में आर्थिक व सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। इनकी परिकल्पना से सिद्ध होता है कि महिला सशक्तिकरण विकास की ओर अग्रसर हो रहा है परन्तु स्वयं

सहायता समूहों का औचित्य तभी सिद्ध हो पाएगा जब इस क्षेत्र के क्रियान्वयन का और मजबूती व ईमानदारी से पालन किया जाएगा। (चावला एवं सोनी, 2023)

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन क्षेत्र:- छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगाँव जिले के विकासखण्ड राजनांदगाँव तक सीमित है।

समंकों का संग्रहण:- प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के रूप में प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समंकों का संग्रहण किया गया है। द्वितीयक संमकों का संकलन प्रकाशित लेख एवं शोध पत्र, शासकीय प्रतिवेदन, शासकीय वेबसाइट, इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है।

न्यादर्श का आकार:- इस अध्ययन में 150 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

सांख्यिकीय उपकरण:- सामान्य प्रतिशत विश्लेषण, काई वर्ग परीक्षण।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों की जनसांख्यिकीय आँकड़ों का अध्ययन।
2. महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार का अध्ययन।
3. महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महिलाओं के आर्थिक निर्णयन क्षमता का अध्ययन।

शोध परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0) :- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक निर्णयन क्षमता में सहायक नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) :- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक निर्णयन क्षमता में सहायक है।

एकत्रित समंकों का विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण

महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों की जनसांख्यिकीय आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका क्रमांक 01

उत्तरदाताओं की आयु वर्ग का विश्लेषण

क्र.	आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	18-28	8	5.3
2.	28-38	68	45.4
3.	38-48	54	36.0
4.	48 से अधिक	20	13.3
कुल		**150**	**100**

स्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि 150 उत्तरदाताओं में से 18-28 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 8 है जिसका प्रतिशत 5.3 है, 28-38 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 68 है जिसका प्रतिशत 45.4 है, 38-48 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 54 है जिसका प्रतिशत 36.0 है, 48 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 20 है जिसका प्रतिशत 13.3 है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि 28-38 आयु वर्ग की सबसे ज्यादा महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है जबकि सबसे कम 18-28 आयु वर्ग की महिलाएं जुड़ी हुई है।

तालिका क्रमांक 02

उत्तरदाताओं के जाति वर्ग का विश्लेषण

क्र.	वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	5	3.3
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	111	74.0
3.	अनुसूचित जाति	23	15.3
4.	अनुसूचित जनजाति	11	7.3
कुल		**150**	**100**

स्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट है कि 150 उत्तरदाताओं में से सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 5 है जिसका प्रतिशत 3.3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 111 है जिसका प्रतिशत 74.0 है, अनुसूचित जाति वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 23 है जिसका प्रतिशत 15.3 है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 11 है जिसका प्रतिशत 7.3 है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सबसे ज्यादा महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है जबकि सबसे कम सामान्य वर्ग की महिलाएं जुड़ी हुई है।

तालिका क्रमांक 03

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण

क्र.	वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	138	92.0
2.	अविवाहित	2	1.3
3.	विधवा	9	6.0
4.	तलाकशुदा	1	0.7
कुल		**150**	**100**

स्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 03 से स्पष्ट है कि 150 उत्तरदाताओं में से वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 138 है जिसका प्रतिशत 92.0 है, अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 2 है जिसका प्रतिशत 1.3 है, विधवा उत्तरदाताओं की संख्या 9 है जिसका प्रतिशत 6.0 है, तलाकशुदा उत्तरदाताओं की संख्या 1 है जिसका प्रतिशत 0.7 है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर सबसे ज्यादा विवाहित महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है।

तालिका क्रमांक 04

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक अर्हता का विश्लेषण

क्र.	शैक्षणिक अर्हता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	2	1.3
2.	प्राथमिक	1	0.7
3.	माध्यमिक	25	16.7
4.	हाई स्कूल	35	23.3
5.	हायर सेकेण्डरी	62	41.3
6.	स्नातक	22	14.7
7.	स्नातकोत्तर	3	2.0
कुल		**150**	**100**

स्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 04 से स्पष्ट है कि 150 उत्तरदाताओं में से शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निरक्षर उत्तरदाताओं की संख्या 2 है जिसका प्रतिशत 1.3 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 1 है जिसका प्रतिशत 0.7 है, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 25 है जिसका प्रतिशत 16.7 है, हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 35 है जिसका प्रतिशत 23.3 है, हायर सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 62 है जिसका प्रतिशत 41.3 है, स्नातक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 22 है जिसका प्रतिशत 14.7 है, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 3 है जिसका प्रतिशत 2.0 है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है शैक्षणिक अर्हता के आधार पर सबसे ज्यादा हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित महिलाएं समूह में शामिल है जबकि सबसे कम संख्या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं की है।

तालिका क्रमांक 05

उत्तरदाताओं के व्यवसाय का विश्लेषण

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि (पशुपालन, मत्स्यपालन)	54	36.0
2.	उद्योग (लघु एवं कुटीर)	23	15.3
3.	मजदूरी	44	29.3
4.	अन्य	29	19.3
कुल		**150**	**100**

स्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 05 से स्पष्ट है कि 150 उत्तरदाताओं में से कृषि (पशुपालन, मत्स्यपालन) व्यवसाय करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 54 है जिसका प्रतिशत 36.0 है, उद्योग (लघु एवं कुटीर) व्यवसाय करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 23 है जिसका प्रतिशत 15.3 है, मजदूरी करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 44 है जिसका प्रतिशत 29.3 है, अन्य व्यवसाय करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 29 है जिसका प्रतिशत 19.3 है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि कृषि (पशुपालन, मत्स्यपालन) कार्य करने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा समूह से जुड़ी हुई है जबकि सबसे कम उद्योग (लघु एवं कुटीर) की महिलाएं जुड़ी हुई है।

महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार का विश्लेषण

तालिका क्रमांक 06

महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार संबंधी विश्लेषण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या		योग	प्रतिशत		योग
		हाँ	नहीं		हाँ	नहीं	
1.	क्या समूह निर्माण के पश्चात् कोई प्रशिक्षण दी गई है ?	132	18	150	88.0	12.0	100
2.	क्या स्व-सहायता समूहों द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है ?	135	15	150	90.0	10.0	100
3.	क्या समूह के माध्यम से आपका सामाजिक-आर्थिक विकास हो रहा है ?	147	3	150	98.0	2.0	100
4.	क्या स्व-सहायता समूह के कार्य निष्पादन से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ?	141	9	150	94.0	6.0	100
5.	क्या स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं की रूढ़ीवादी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है ?	141	9	150	94.0	6.0	100
6.	क्या स्व-सहायता समूह में जुड़ने से आय के स्तर में वृद्धि हुई है ?	148	2	150	98.7	1.3	100
7.	क्या स्व-सहायता समूह में जुड़ने से आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है ?	148	2	150	98.7	1.3	100
8.	क्या स्व-सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हुआ है ?	148	2	150	98.7	1.3	100

स्त्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 06 में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार के संबंध में बताया गया है। उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में महिलाओं का मत इस प्रकार है-

1. 150 उत्तरदाताओं में से समूह निर्माण के पश्चात् 132 उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है जिसका प्रतिशत 88.0 है, जबकि 18 उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 12.0 है।
2. 150 उत्तरदाताओं में से 135 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्व-सहायता समूहों द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है जिसका प्रतिशत 90.0 है जबकि 15 उत्तरदाताओं ने कहा है कि सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया गया है जिसका प्रतिशत 10.0 है।
3. 150 उत्तरदाताओं में से 147 उत्तरदाताओं ने कहा है कि समूह के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा रहा है जिसका प्रतिशत 98.0 है, जबकि 3 उत्तरदाताओं ने कहा है कि सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 2.0 है।
4. 150 उत्तरदाताओं में 141 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्व-सहायता समूह के कार्य निष्पादन से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसका प्रतिशत 94.0 है, जबकि 9 उत्तरदाताओं ने कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 6.0 है।
5. 150 उत्तरदाताओं में से 141 उत्तरदाताओं ने स्व-सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं की रूढिवादी विचारधारा में परिवर्तन होने की बात कहीं है जिसका प्रतिशत 94.0 है, जबकि 9 उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की रूढिवादी विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 6.0 है।
6. 150 उत्तरदाताओं में से 148 उत्तरदाताओं ने स्व-सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् उनके आय स्तर में वृद्धि होने की बात कहीं है जिसका प्रतिशत 98.7 है, जबकि 2 उत्तरदाताओं ने कहा है कि आय स्तर में वृद्धि नहीं हुई है जिसका प्रतिशत 1.3 है।
7. 150 उत्तरदाताओं में से 148 उत्तरदाताओं के स्व-सहायता समूह में जुड़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है जिसका प्रतिशत 98.7 है, जबकि 2 उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 1.3 है।
8. 150 उत्तरदाताओं में से 148 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्व-सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् उनकी बचत प्रवृत्ति को बढ़ाने में समूह सार्थक सिद्ध हुआ है जिसका प्रतिशत 98.7 है, जबकि 2 उत्तरदाताओं ने कहा है कि समूह बचत प्रवृत्ति को बढ़ाने में सार्थक सिद्ध नहीं हुआ है जिसका प्रतिशत 1.3 है।

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, उनके द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया है, समूह के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास हो रहा है, समूह के कार्य निष्पादन से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, समूह से ग्रामीण महिलाओं की रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, समूह में जुड़ने से उनके आय में वृद्धि हुई है, समूह में जुड़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है एवं समूह में जुड़ने के पश्चात् उनकी बचत प्रवृत्ति को बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हुआ है।

महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महिलाओं के आर्थिक निर्णयन क्षमता का विश्लेषण।

तालिका क्रमांक 07

महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता का विश्लेषण

क्र.	विवरण		समूह सदस्य बनने के पूर्व आर्थिक निर्णयन क्षमता		समूह सदस्य बनने के पश्चात् आर्थिक निर्णयन क्षमता	
			आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	21	14.0	147	98.0

		नहीं	129	86.0	3	2.0
योग			150	100	150	100
2.	स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	61	40.7	143	95.3
		नहीं	89	59.3	7	4.7
योग			150	100	150	100
3.	पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	37	24.7	144	96.0
		नहीं	113	75.3	6	4.0
योग			150	100	150	100
4.	स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	23	15.3	105	70.0
		नहीं	127	84.7	45	30.0
योग			150	100	150	100

स्त्रोत- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 07 में महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य बनने से पूर्व एवं सदस्य बनने के पश्चात् महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने क्षमता की तुलना की गई है। इसका विवरण इस प्रकार है-

1. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व 150 महिलाओं में से पारिवारिक बजट में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 21 है जिनका प्रतिशत 14.0 हैजबकि पारिवारिक बजट में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 129 है जिसका प्रतिशत 86.0 है।

   महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 150 महिलाओं में से पारिवारिक बजट में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 147 है जिनका प्रतिशत 98.0 हैजबकि पारिवारिक बजट में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 है जिसका प्रतिशत 2.0 है।

2. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व 150 महिलाओं में से स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 61 है जिनका प्रतिशत 40.7 हैजबकि स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 89 है जिसका प्रतिशत 59.3 है।

   महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 150 महिलाओं में से स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने का निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 143 है जिनका प्रतिशत 95.3 है, जबकि स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने का निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 7 है जिसका प्रतिशत 4.7 है।

3. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व 150 महिलाओं में से पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 37 है जिनका प्रतिशत 24.7 है, जबकि पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 113 है जिसका प्रतिशत 75.3 है।

   महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 150 महिलाओं में से पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 144 है जिनका प्रतिशत 96.0 है, जबकि पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 6 है जिसका प्रतिशत 4.0 है।

4. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व 150 महिलाओं में से स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 23 है जिनका प्रतिशत 15.3 है, जबकि स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 127 है जिसका प्रतिशत 84.7 है।

   महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 150 महिलाओं में से स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या 105 है जिनका प्रतिशत 70.0 है, जबकि स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय नहीं लेने वाली महिलाओं की संख्या 45 है जिसका प्रतिशत 30.0 है।

तालिका क्रमांक 08

महिलाओं की आर्थिक निर्णयन क्षमता में सुधार का विश्लेषण

क्र.	विवरण		उत्तरदाताओं की संख्या - समूह सदस्य बनने के पूर्व आर्थिक निर्णयन क्षमता (अ)	उत्तरदाताओं की संख्या - समूह सदस्य बनने के पश्चात् आर्थिक निर्णयन क्षमता (ब)	उत्तरदाताओं की संख्या में अंतर (ब-अ = स)	प्रतिशत (स÷150)
1.	पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	21	147	125	83.3 (वृद्धि)
		नहीं	129	3	-125	
2.	स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में	हाँ	61	143	82	54.7 (वृद्धि)

	निर्णय लेने की क्षमता।	नहीं	89	7	-82	
3.	पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	37	144	107	71.3 (वृद्धि)
		नहीं	113	6	-107	
4.	स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	हाँ	23	105	82	54.7 (वृद्धि)
		नहीं	127	45	-82	

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 08 में महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य बनने से पूर्व एवं सदस्य बनने के पश्चात् महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने क्षमता में अंतर निकाला गया है। इसका विवरण इस प्रकार है-

1. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 125 महिलाओं की पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है अर्थात 83.3 प्रतिशत महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
2. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 82 महिलाओं की स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने का निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है अर्थात 54.7 प्रतिशत महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
3. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 107 महिलाओं की पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है अर्थात 71.3 प्रतिशत महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
4. महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् 82 महिलाओं की स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है अर्थात 54.7 प्रतिशत महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

शोध परिकल्पना परीक्षण

शून्य परिकल्पना (H_{0a}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{1a}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

तालिका क्रमांक 09

महिलाओं के पारिवारिक बजट में निर्णयन क्षमता का परीक्षण

		समूह सदस्य बनने के पश्चात् निर्णय लेने की क्षमता		**योग**
		हाँ	नहीं	
समूह सदस्य बनने के पूर्व निर्णय लेने की क्षमता	हाँ	19	2	**21**
	नहीं	128	1	**129**
योग		**147**	**3**	**150**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

शून्य परिकल्पना (H_{0b}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{1b}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

तालिका क्रमांक 7.10

महिलाओं के चिकित्सा उपचार में निर्णयन क्षमता का परीक्षण

		समूह सदस्य बनने के पश्चात् निर्णय लेने की क्षमता		**योग**
		हाँ	नहीं	
समूह सदस्य बनने के पूर्व निर्णय लेने की क्षमता	हाँ	61	0	**61**
	नहीं	82	7	**89**
योग		**143**	**7**	**150**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

शून्य परिकल्पना (H_{0c}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{1c}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

तालिका क्रमांक 7.11

महिलाओं के उपकरण क्रय में निर्णयन क्षमता का परीक्षण

		समूह सदस्य बनने के पश्चात् निर्णय लेने की क्षमता		योग
		हाँ	नहीं	
समूह सदस्य बनने के पूर्व निर्णय लेने की क्षमता	हाँ	33	4	**37**
	नहीं	111	2	**113**
योग		**144**	**6**	**150**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

1. **शून्य परिकल्पना (H_{0d}):-** महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक नहीं है।
वैकल्पिक परिकल्पना (H_{1d}):- महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं की स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

तालिका क्रमांक 12

महिलाओं के स्थायी संपत्ति क्रय में निर्णयन क्षमता का परीक्षण

		समूह सदस्य बनने के पश्चात् निर्णय लेने की क्षमता		योग
		हाँ	नहीं	
समूह सदस्य बनने के पूर्व निर्णय लेने की क्षमता	हाँ	12	11	**23**
	नहीं	93	34	**127**
योग		**105**	**45**	**150**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 13 : काई वर्ग परीक्षण

H_0	Particular	χ^2-Value	P-Value	d.f.	Significance (2-Sided)	Result
H_{0a}	पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता।	7.052	0.008	1	0.05	Rejected
H_{0b}	स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने की क्षमता।	5.033	0.025	1	0.05	Rejected
H_{0c}	पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	5.933	0.015	1	0.05	Rejected
H_{0d}	स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता।	4.111	0.043	1	0.05	Rejected

H_{0a} :-उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि χ^2 सांख्यिकी मान 7.052 है, P का मान 0.008 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है ($P<0.05$)इसलिए हमारी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है एवं वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के पारिवारिक बजट में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

H_{0b}:-उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि χ^2 सांख्यिकी मान 5.033 है, P का मान 0.025 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है ($P<0.05$)इसलिए हमारी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है एवं वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला स्व-सहायता महिलाओं के स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

H_{0c}:-उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि χ^2 सांख्यिकी मान 5.933 है, P का मान 0.015 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है ($P<0.05$)इसलिए हमारी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है एवं वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के पारिवारिक उपकरण क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

H_{0d}:-उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि χ^2 सांख्यिकी मान 4.111 है, P का मान 0.043 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है ($P<0.05$)इसलिए हमारी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है एवं वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के स्थायी संपत्ति क्रय करने में निर्णय लेने की क्षमता में सहायक है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं के उत्थान में महिला स्व-सहायता समूह का विशेष योगदान है। इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला स्व-सहायता समूह में सबसे ज्यादा 28-38 आयु वर्ग की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं अन्य पिछड़ा वर्ग की है, स्व-सहायता समूह की ज्यादातर महिलाएं विवाहित है एवं सबसे ज्यादा हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित महिलाएं इसमें शामिल है, ज्यादातर महिलाएं व्यवसाय के रूप में कृषि का कार्य करती है।

इस अध्ययन में शोध परिकल्पना के आधार पर महिलाओं के सदस्य बनने के पूर्व एवं पश्चात् की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में तुलना किया गया है। जिससे यह ज्ञात हुआ है कि महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व उनके आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी लेकिन महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के बाद उनके आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में पारिवारिक बजट में, स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा कराने में, पारिवारिक उपकरण क्रय करने में एवं स्थायी संपत्ति क्रय करने में उनकी निर्णयन क्षमता में वृद्धि हुई है। काई वर्ग परीक्षण से स्पष्ट विदित होता है कि महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् महिलाओं के आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है अर्थात महिला स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक निर्णयन क्षमता में सहायक है। इसका प्रमुख श्रेय महिला स्वसहायता समूह को जाता है क्योंकि समूह से जुड़ने के पश्चात् महिलाओं का आर्थिक विकास एवं उनके निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है, जिससे अब हर क्षेत्र में महिलाएँ अपनी भागीदारी देते हुए स्वयं के महत्व को समझ रही हैं।

सन्दर्भ सूची

Nirmala, M. (2017). WOMEN EMPOWERMENT AND SELF HELP GROUP. GJRA - GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS , 6 (3), 542-544. Retrieved from https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA/recent_issues_pdf/2017/March/March_2017_1491820291__139.pdf

Palani, S., & Balamurugan, K. (2016). A STUDY ON WOMEN EMPOWERMENT THROUGH SELF- HELP GROUPS WITH SPECIAL REFERENCE TO MADURAI DISTRICT IN TAMIL NADU. Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities , 4 (1), 26-34. Retrieved from https://www.shanlaxjournals.in/pdf/ASH/V4N1/Ash_V4_N1_004.pdf

Pangannavar, A. Y. (2014). A Research Study on Development of Self-Help Groups in Belgaum District. PRAGATI: Journal of Indian Economy , 1 (1), 61-76. DOI:10.17492/pragati.v1i1.2493

चावला, जया एवं सोनी, सीमा (2023). महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन (कोरबा, विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में). International Research Journal of Management Science & technology , 14 (3), 196-200. Retrieved from http://www.irjmst.com/article_pdf.aspx?id=15890.pdf

पाण्डेय, शशि (2016). स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण - एक अध्ययन. International Journal of Advances in Social Sciences , 4 (2), 64-68. Retrieved from https://ijassonline.in/HTMLPaper.aspx?Journal=International%20Journal%20of%20Advances%20in%20Social%20Sciences;PID=2016-4-2-4

https://www.indiafilings.com/learn/self-help-group-india/

https://www.unionbankofindia.co.in/english/rabd-other-selfhelpgroups.aspx

https://thesharetrust.org/self-help-groups

https://byjus.com/free-ias-prep/self-help-group/

मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के उपचार : विपश्यना ध्यान के विशेष संदर्भ में

खिलेश्वरी*
डॉ. प्रवीण कुमार गुप्त **

सारांश

चित्त या मन को नियंत्रित करने की जो पारंपरिक विधियां है, उनका एक आधुनिक रूपांतरण विपश्यना ध्यान विधि है, जो आम जनता तथा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कई रोगों में विपश्यना ध्यान लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे संबंधित काफी शोध सामग्री उपलब्ध है, परंतु इस प्रकार के मनोरोग से संबंधित विपश्यना ध्यान के द्वारा विशेष रूप से परामर्श किया जाता है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य जितने भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक, (मनोरोग) को ठीक करना है, स्वस्थ होना रोग से छुटकारा पाना नहीं बल्कि मानवीय दुख का वास्तविक रूप से निर्मूलन अर्थात यह विपश्यना ध्यान का उद्देश्य है, इसके अभ्यास से हमें अपने जीवन के प्रारंभिक काल से आत्म अनुसंधान का प्रशिक्षण नहीं मिलता है जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने दृश्य मन की अवस्थाओं पर भी रूपांतरण होने लगता है, इन्ही विचारों से मनोरोग उत्पन्न होने की संभावना बाद जाती है, इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम कह सकते है, कि विपश्यना ध्यान एक सरल एवं वैज्ञानिक विधि है, इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। इस साधना से साधक के मन में

"मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाण। सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणा भावनात् चित्तप्रसादनम्" (१/३३)

अर्थात सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्य में दया की भावना करने से, पुण्य आत्मा पुरुष में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से, चित्त् के राग, द्वेष, घृणा ईषा और क्रोध आदि मलों का नाश होकर, चित् शुद्ध निर्मल हो जाता है। अतः साधक के मन में विपश्यना ध्यान का अभ्यास करते-करते मानस, मैत्री, करुणा, मुदिता व समता का भाव से भर जाता है। विपश्यना ध्यान के द्वारा जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे मानसिक बीमारियां तनाव, चिंता, अवसाद, संशय, फोबिया आदि मनोरोग तथा जीवन के प्रति विपरीत परिस्थितियों में भी उतार-चढ़ाव या किसी रोग के प्रति चिंता आदि सब विपश्यना ध्यान के द्वारा समाप्त होने लगता है।

बीज शब्द: मनोविकार, आनापान सति, समग्र स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, चित्त शुद्धि,

प्रस्तावना

प्लूचिक एवं केलरमैन ने मनोभावों पर किए गए अध्ययनों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। विकासवादी मनोदैविक एवं मनोवैश्लेषिक,मनोवैज्ञानिक विकासवादी अध्ययनों की मूलभूत अभिधारणा,जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने किया था, कि "मनोभाव जीव को उनके वातावरण में जीवित रहने की उपस्थिति, संकटों को जूझने में अनुकूल की भूमिका निभाते हैं। कोई भी घटनाएं माता-पिता की मृत्यु से उत्पन्न खतरा या किसी अन्य वैरी से उत्पन्न खतरा, पुरानी स्मृतियों के आधार पर मूल्यांकन की जाती है। इस मूल्यांकन के बाद ही आत्मविश्लेषण भावना उठती है- यथा या उदासी जिन्हें हम मनोभाव या मनोरोग के रूप में जानते हैं। मनोदैहिक विचारधारा का आधार पिछले कुछ दशकों में किए गए विभिन्न मनोभावों एवं उनके द्वारा उद्धव शारीरिक परिवर्तनों के परस्पर संबंधों का व्यापक अध्ययन है। इनमें अत्यधुनिक कंप्यूट्रीकृत मस्तिष्क चित्रण द्वारा संभव जटिल तंत्रिका तंत्र की भूमिका का अध्ययन भी सम्मिलित है। यद्यपि अभी प्रत्येक मनोभाव या मनोरोग का उनके रूप जैविक परिवर्तनों से निश्चित का संबंध संभव नहीं हो पाया है, इतना तो स्पष्ट है कि मनोरोग के आत्मगत अनुभूति और ऑटोनॉमिक तत्रिका तंत्र, अंत:स्रावी एवं तंत्रिकाओं के परिवर्तनों में घटित संबंध है।

और इन सभी परिवर्तनों द्वारा परिवर्तित शारीरिक परिवर्तन इन मनोभावों के प्रावधान एवं प्रतिक्रिया के लिए पुनः निवेदन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मानसिक क्रिया सिद्धांत का मानना है कि मनोभाव जो कि हमारी जैविक अनुवांशिकता का भाग है, सुखद और दुखद संवेदनाओं से अंतरंग रूप से संबंधित कुछ भावनाओं जैसे इच्छाएं, स्मृतियां, विचार का समुच्चय है यह भाव एवं संवेदनाएं पूरी तरह आंशिक रूप से अचेतन हो जाता है।

*खिलेश्वरी, शोधार्थी, योग विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।
**डॉ. प्रवीण कुमार गुप्त, सहायक आचार्य, योग विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।

इन मनोभावों में सतत परिवर्तन होता रहता है | जो कि व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता एवं कार्यशाली तथा उनके जीवन में उसके जीवन में इनकी कितनी दृष्टि हुई है या नहीं हुई है इस पर निर्भर करता है, इन वैज्ञानिक अध्ययनों के फलस्वरुप मनोभावों के परिष्करण एवं मनोविकारों की चिकित्सा की कई विधियां विकसित हुई है, जैसे परामर्श देना रासायनिक हस्तक्षेप एवं मानसिक चिकित्सा, इन विधियों की तुलना में प्राचीन भारतीय परंपरा ने कई ऐसी ध्यान विधियां सुरक्षित रखी है जिससे की सीधा मन को संयमित एवं शुद्ध कर मानसिक रोग एवं मनोभावों का परिष्करण किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान पद्धति संभवत इनमें सबसे सशक्त विधि है क्योंकि मानव जीवन का परम पुरुषार्थ सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है, की वह अपनी निष्कृष्ट मानसिकता से त्राण पाये। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव, अज्ञान का त्याग कर दे ।

हम में से अधिकांश लोग उस रोगी के समान है, जिसका उल्लेख मैंने किया है वह मानसिक तनाव, थकान और जीवन के दबाव से पीड़ित है, इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं- की "हम जितने शांत होंगे हमारे स्नायु भी अपेक्षाकृत कम तनाव में रहेंगे | उतना ही अधिक हम सीख सकेंगे तथा हमारा कार्य भी अधिक उत्तम होगा" इन शब्दों के माध्यम से स्वामी जी हमें महत्वपूर्ण अंत: दृष्टि देते हैं। जब तक हम अपने आप को किसी प्रकार अनुशासन के अधीन नहीं करते, तब तक हमारा मन संतुलित नहीं होता है, मानसिक तनाव हमारे क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, अतः हम अपने दिनचर्या का विश्लेषण करें हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हम अपने काम पर जाते हैं, यह हमारा कर्म क्षेत्र है फिर घर लौट कर आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं यह जीवन का दूसरा पहलू है, कभी-कभी हम पिकनिक अथवा किसी महोत्सव पर अथवा किसी विशेष समारोह पर जाते हैं।

सामाजिक वचनबद्ध होने के साथ-साथ समाज की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानसिक तनाव होता है। मनुष्य गलत या सही जो कुछ करता है, उन सब का भंडार चित है, तो कहना होगा की चित सर्वोपरि है और इसी में संचित दुष्कर्मों के परिणाम हमारे दूसरे जन्म लेने का कारण बनते हैं। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यही चित्त की अवस्था का अनियंत्रित या असमंजस्य होने के कारण हमें अलग-अलग तरह के मनोविकार होने लगता है। कई कार्य हमारे जन्म-जन्मंतरों के फलो से भी होता है।

इसका आरंभ में तो पता नहीं चल पाता परंतु समय बीतने के साथ-साथ हमारे कर्मों का भी प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, भगवान बुद्ध अपने अनगिनत पूर्वजों के सुकर्मों के कारण बोधि का रास्ता प्राप्त कर सके ।हम सौभाग्यशाली है, कि वह विपश्यना ध्यान जैसे ध्यान की पद्धति को न केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचार- प्रसार के साथ-साथ जन सामान्य तक पहुंचाकर इसके माध्यम से आत्म मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास विभिन्न संस्कृतियों में अपने अध्यात्म के संदर्भ में समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के सदस्यों के लिए विकसित किया गया। भगवान बुद्ध की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रणाली के साथ-साथ एक ब्रह्मांड विज्ञान है, इसे कॉटेज बोरिस्का के द्वारा इसे अभी धर्म कहा जाता है । जो बहुत ही सुव्यवस्थित किंतु जटिल तरीके से व्याख्यातित है। इसमें मानसिक व्यापार क्रिया को समझने के लिए विभिन्न शिविरों के माध्यम से एक सामूहिक के रूप में ध्यान की प्रक्रिया को नियोजित करके मनोविकारों को ठीक किया जा रहा है। मानसिक विकार को ठीक करने का तरीका भी है जो आधुनिक मनोश्चिकित्सकों के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न है। (गोलमैन.डी . १९७७)

विपश्यना ध्यान

विपश्यना भारत की प्राचीन ध्यान विधि है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित साधनाविधि है। इस ध्यान विधि के द्वारा चित और शरीर पर घटित होने वाली परिवर्तनशील घटनाओं को साक्षी भाव से देखना होता है, इससे चरित्र निर्मल होने लगता है, इस विधि का किसी संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, भले ही वह किसी जाति, संप्रदाय, धर्म या राष्ट्र का हो, आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा मानसिक विकारों और तनाव से मुक्ति पाने एवं अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह करते हुए, करुणा, मुदिता, समता, सत्यनिष्ठा तथा कार्य कुशलता एवं सद्गुणों को बढ़ाने के लिए यह विधि अत्यंत कारगर पाई गई है। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है- जिसका अर्थ होता है प्रज्ञा या आत्मा पर्यवेक्षक,(पस्सना-देखना) से आत्म रूपांतरण की प्रणाली है, विपश्यना सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, अपने आप को देखना अपने शरीर को संवेदनाओं के साथ अवलोकन करना , संवेदनाओं को देखते-देखते पैरों तक चले जाना, पैरों से फिर सिर तक संवेदनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना ।

जब अवलोकन पूरा हो जाए तब सिर का एक बिंदु लेना और अंगूठे का एक बिंदु लेना और उसे धारा प्रवाह को देखना, जो तरंगों के रूप में बह रहा है। विपश्यना का प्रथम सूत्र - वर्तमान में स्थित होना, विचार अच्छे हो या बुरे भूतकालीन स्मृति या भविष्य की कल्पना मन को इन चीजों से हटकर जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसे देखने में लग जान या ज्ञान की गहराई में उतरने पर, दूसरी बात समझ में आती है वह यह भाव और तरंगे अब हम विचारों से विचारों में आकर ना रहते हुए भावना की भूमि पर चले जाते हैं। तब हम उन भावो के तरंगों को पकड़ना शुरू करते हैं।

जो हमारे मन पर स्थित होते हैं, जैसे कभी क्रोध की तरंगे कभी राग , प्रेम, घृणा, दया,ईषा, मोंह, लोभ,व जलन की तरंगे इन्हें देखते-देखते व्यक्ति के मन पर नकारात्मक भाव की उत्पन्न होने लगता है। परंतु विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने से मन व चित्त पर अलग-अलग तरंगे न रहकर सिर्फ एक ही तरंगे रह जाती है, वही संवेदना होती है। जो महसूस होता है, उसे जाने और देखें संवेदना का अर्थ ऐसा ज्ञान जो स्थिर है, समान है, तथास्त है, जैसे सुखद संवेदना या दुखद संवेदना लेकिन संवेदना सुखद होती है या दुखद वह सिर्फ संवेदना ही होती है। एक-एक तटस्थ तरंग होती है, जन्म-जन्मांतर की स्मृति में जो विकार दबे हुए हैं। वह सब निकलना शुरू होते हैं, उसमें किसी तरह की रुकावट ना डालें ना सोचे ना तर्क करें सिर्फ देखे अवलोकन करें- (सत्यनारायण गोयनका,१९९०)

विपश्यना साधना की तीन स्थितियों है

1. आनापान सति - आती - जाती श्वास श्वास को देखना।
2. विपश्यना ध्यान - शरीर की संवेदना को देखना।
3. मैत्री साधना - भीतर की शांति, आनंद और करुणा के रूप में बांटना।

मन का अभीधम्म मॉड्ल

मानसिक क्रिया का नमूना मोटे तौर पर वस्तु का सिद्धांत है, इसकी मूल गतिशीलता संवेदी वस्तुओं के साथ मानसिक अवस्थाओं का नित्य नवीन संबंध होना है। पांच इंद्रियां अपने-अपने विषयों को जैसे रूप,रस, शब्द, स्पर्श आदि जानती है और छठे इंद्रिय धर्म को जानती है। मानसिक अवस्थाएं या चित सतत परिवर्तनशील है। इस विश्लेषण में मानसिक, अस्वस्थ की सबसे छोटी इकाई चितक्षण का जो बोध या ज्ञान का क्षण है, परिवर्तन दर अविश्वसनीय रूप से तेज है, इतनी तेज की जितनी देर में बिजली चमके इतनी देर में वह 10 लाख बार उत्पन्न होती है, हर एक के बाद दूसरा उत्पन्न होने लगता है, चित कुछ विशेष गुना से बना होता है।चित में चैतसिक होते हैं, जो उसे स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञानात्मक लक्षण प्रदान करते हैं। इन गुणों को 52 मूल संज्ञानात्मक और भावनात्मक श्रेणियां है, विपश्यना का उद्देश्य अवस्था गुणों को विकारों से मन निर्मल करना मानसिक मानसिक स्वास्थ्य को तथा मनोविकारों को ठीक रखना है।(गोलमैन.डी.१९७७)

मनोवैज्ञानिक उपचार

जो भी विचार मन में उत्पन्न होता है, उसके साथ-साथ शरीर में संवेदना होती है। बुद्ध ने कहा- वेदना समोसारण सब्बेधम्मा। मन और शरीर का यह संबंध ही विपश्यना साधना के अभ्यास की कुंजी है। विपश्यना एकाग्र मन को प्रशिक्षित करती है ताकि वह निरपेक्ष भाव से अर्थात उपेक्षा भाव से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का आधार लेकर मेंटल प्रोसेसिंग मैकेनिक्स का अनुगमन करें। किसी दर्शन का यह परिप्रेक्षय मन में अतीत तथा भविष्य में होने वाले धर्म जैसे राग और द्वेष को नियंत्रित करता है जो स्मृति, इच्छा, विचार, वार्तालाप,दृश्य, इच्छाएं,भय तथा आसक्ति के अंतहीन प्रवाह के रूप में प्रकट होती है। मन के धरातल पर हजारों हजार हर प्रकार के राग द्वारा प्रेरित दृश्य उभरते हैं और बिना प्रतिक्रिया जगाये समाप्त हो जाते हैं और साथ ही उस व्यक्ति को वर्तमान की सच्चाई में स्थिर किया रहते हैं।

ध्यान मन की कंडीशनिंग क्रिया को बदल करके डिस्कंडीशन करता है ताकि यह भविष्य के कर्मों का प्रधान निर्धारक नहीं हो, स्मृति का परिष्कार होता है और जीवन में जो भी स्थितियां आती है उनका जान –बूझ कर सामना किया जाता है। इस तरह जो सीमाएं है और जो परिस्थितियों की प्रतिक्रिया करके बनी थी, उनसे मुक्त होता है। जीवन में अधिक मात्रा में जागरूकता आती है, सच्चाई को जानने लगता है तथा माया को दूर करता है।आत्म संयम और शांति बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने के योग्य बनता है वह निर्णय को ठीक और सही होगा वह संगठित प्रयत्न कर सकता है, जो मानसिक योग्यताओं को बढ़ा आधुनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक करेगी। (फ्लेसमैन. पी.डी.१९८६)

विपश्यना ध्यान से मनोवैज्ञानिक उपचार :साहित्यिक पुनरावलोकन

विभिन्न शोध के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि, विपश्यना ध्यान के अभ्यास से बहुत प्रकार के जैव मनोसमाजिक लाभ मिलते हैं। इससे विपश्यना की चिकित्सकीय अंत:शक्ति कितनी है- इसका भी पता चलता है। जैसे अलग-अलग अध्ययनों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि विपश्यना ध्यान के द्वारा सकारात्मक प्रभाव को बताते हैं। यह परिणाम अलग-अलग हो सकता हैं, चाहे वाह शरीरिक हो मनोकायिक रोगों में जैसे - पुराना दर्द, सर दर्द, उच्च रक्तचाप, पेपप्टिक अल्सर, श्वसनीय दमा आदि और ऐसे भी भिन्न-भिन्न मानसिक रोगों जैसे शराब पीने की आदत, नशे की गोली, संवेदना भेदक दावाओं आदी होना, इसका अच्छा प्रभाव मानसिक रोगों पर भी पड़ता है, इसमें शराब तथा ड्रग्स के शिकार आदि लोग सम्मिलित हैं, विपश्यना का अच्छा प्रभाव विशेष समूह में भी देखा गया है, जैसे विद्यार्थी, कैदी, पुलिस, विभाग कर्मचारी और व्यक्ति जो पुराने दर्द तथा अन्यपुराने दर्द तथा अन्य मानसिक रोगों से पीड़ित है जो भी लोग रोग से मुक्त नहीं है, बल्कि मानवीय दुख का आवश्यक उपचार हो, यही विपश्यना का उद्देश्य है, दुख का स्रोत अज्ञान अर्थात अपने सच्चे स्वभाव का न जानना प्रज्ञा -अनुभूतिक स्तर पर सच्चाई का ज्ञान ही किसी को मुक्ति कर सकती है (प्लेसमैन पी.१९७९) "स्वयं को जानो" सभी ज्ञानी जनों ने कहा। विपश्यना ध्यान अपने मन और शरीर की सच्चाई को जानने का व्यावहारिक रास्ता है। इसको विकसित करना एवं अपने लिए तथा अन्य के लिए इसको उचित माध्यम बनाना ही विपश्यना है।

उपचार की आवश्यकता सबको है, सबसे अधिक आवश्यकता तो स्वयं डॉक्टर को है डॉक्टर अपना उपचार आप करो यह एक प्रसिद्ध कहावत है सिगमन फ्राइड एवं जुंग ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्लेषण करने को अपना विश्लेषण स्वयं करना चाहिए। जो कोमलता और करुणा किसी उपचार करने वाले को जीवन पर्यंत उपचार करने के पथ पर लाती है, जिसका मानवीय दु:खों से सतत पाला पड़ता है, वह उसे अपना इलाज करके करने को अवश्य बताती है।

विपश्यना विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति को स्वीकार है तथा अनुभव पर आधार है, इसका केंद्र बिंदु मानवीय दु:ख तथा इससे छुटकारा पाना है। इसके अभ्यास से, उपचार अपनी स्वत: तथा आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अन्य के लिए उनके जीवन शोरगुल में उनकी योग्यता की वृद्धि करने में सहारा बनते हैं, विपश्यना वस्तुतः सभी प्रकार के उपचारों जैसे आत्म उपचार तथा अन्य उपचार भी शामिल है विपश्यना के परिपेक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है जो ध्यान द्वारा चित बदली हुई अवस्थाओं की घटना क्रिया मनोवैज्ञानिक पहलू है।

विपश्यना ध्यान की रोग विषयक उपयोगिता अधिकांशत इस बात से संबंधित है कि वह किसी विशेष समस्या का समाधान न होकर सकारात्मक मानसिक अवस्थाएं विकसित करने के लिए साधारण मनोवैज्ञानिक ढांचा का प्रबंध करें ।विपश्यना ध्यान, परंपरागत मानसिक चिकित्साओं का सहारा किसी विशेष समस्या को दूर करने के लिए लिया जाता है, औपचारिक चिकित्सा प्रारंभ करने के पूर्व चिकित्सक रोगी को विपश्यना के संभावित लाभ के बारे में बताना है इससे यह होता है कि रोगी का कोई भी रोग कम हो जाता है और यह उसे उपचार में सक्रियता से लाभ लेने तथा चिकित्सक को सहयोग देने के योग्य बताता है, इसके अतिरिक्त इस बात को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उपचार के लिए जो भौतिक वातावरण चाहिए वहां मिले अर्थात विपश्यना केंद्र जैसे वातावरण मिले उसका कमरा शांत हो, आने -जाने वाले लोग काम हो और रोगी का बिछावन पर्याप्त आरामदायक होना चाहिए, रोगी को आराम से बिछावन पर लेट जाने के लिए कहा जाता है, आंख बंद कर आने जाने वाली सांस को ऊपर वाले होंठ से ऊपर और नासिक से नीचे छोटे से स्थान पर एकाग्रचित हो देखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही जैसे उसी को देखना अंदर आई हुई श्वास को बाहर जाती हुई श्वास को गहरी श्वास हो या उटली तेज श्वास हो या धीमी स्वाभाविक श्वास को सिर्फ देखने को कहा जाता है जब उसका मन भागता है उसे कहा जाता है कि फिर उसी स्थान पर आती- जाती श्वास पर बार-बार देखे बिना इस बात पर पश्चाताप किया कि उसकी मन भाग गया है, इस बात को ना सोचते हुए घबराए और ना परेशान हो दो बातें घटती हैं पहले उसकी मन आती- जाती श्वास पर एकाग्र हो जाता है और दूसरी इस बात से अवगत हो जाता है कि मानसिक अवस्थाएं और श्वास से संबंध है मन में चाहे कुछ भी क्रोध घृणा, भय, राग आदि की जब प्राकृतिक गति है, वह इनमें से किसी के होने पर अस्वाभाविक हो जाती है।

वह तब सिर्फ अपने पर्यवेक्षण करते हुए जागरूकता रहता है, स्मृतिमान सावधान और तटस्थ रहता है। रोगी को स्वयं इस विधि का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, कम से कम दो बार दिन में सुबह और शाम कम से कम 30 मिनट के लिए चिकित्सक रोगी को समय-समय पर जांच करता है और साथ ही साथ सलाह भी देता है और 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। रोगी को इस प्रकार उत्साहित किया जाता है, कि अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने को कहा जाता है और इस तरह उसको यह बताया जाता है कि वह स्वयं अपने स्वास्थ्य तथा अपने कल्याण के लिए जिम्मेवार बने। (सिगमन फ्राइड .१८८९)

निष्कर्ष

विपश्यना ध्यान के अलग-अलग शोध एवं अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है, कि इस विधि का उपचार के समय मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक विकारों को भी दूर किया जाता है। यह उपचार विधि के समय को कम करती है और यह रोगी को समाज का अच्छी तरह से सामना करने के लिए तैयार करती है । चाहे वह प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक। इसके अतिरिक्त रोगी को आंतरिक अवस्था में परिवर्तन होता है जिससे उसका ध्यान केंद्रित होता है, उसकी बौद्धिक और प्रेरक प्रणाली आदर्श रूप में कार्य करती है और उसकी चिंता कम हो जाती है। और वातावरण में परिवर्तन होने लगता है, आत्म नियंत्रण के साथ-साथ विपश्यना ध्यान से आंतरिक क्षमता को विकसित करते हैं, तथा अलग –अलग मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकियाओं के द्वारा उपचार भी किया जाता है अत:इस शोध पत्र एवं विभिन्न पहले हुए शोधों के आधार पर हम कह सकते है विपश्यना ध्यान एक अच्छा विधि है।

सन्दर्भ सूची

प्लेसमेंन. पी.आर .(1986), थेराप्यूटिक एक्शन आफ विपासना एंड व्हाय आई सीत, बुद्धिस्ट पब्लिकेशन सोसाइटी, कैंडी, श्रीलंका

२.गोल्डमैन डि (1970), मेडिटेशन एंड कॉन्शसनेस और एशिया अप्रोच टू मेंटल हेल्थल। अमेरिकन जनरल का साइकोथेरेपी.

कुत्ज आई, बोरिसेन्को जे.जे.एण्ड बेन्सन एच(1984),मेडीटेशन एंड साईकोथेरेपी, एम. जे. साइकेटरी,भाग 142,

नारद थेर (1986),ए मेन्युअल ऑफ़ अभिधम्म,बुध्दिस्ट पब्लिकेशन सोसायटी, कैडी, श्रीलंका

सूर्या एन . सी (1979),पर्सनल ऑटोनोमी एण्ड इंसटूमेन्टल एक्यूरेन्सी इन साई कोथेरापयुटिक प्रोसेसेज आर. एल. कपूर, निम हांस बंगलूर, इंडिया

सिदु सयाजी ऊ बा खिन (1963),द इसेन्शल ऑफ बुद्ध धम्म इन मेडिटेटीव प्रक्टिस,दिस जर्नल

वोल्प जे. (1958),साइको थेरेपी बाय रेसिप्रोकल इनहीविसन,स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,पालो अल्टो, कैलिफोर्निया ,यू यस ए .

खिन बा ऊ सयाजी (2020),सयाजी ऊ बा खिन कि शिक्षण पद्धति पर लिखे गये स्मरणीय संग्रह, विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी,इगतपुरी

ग्लोबल विपश्यना (1997), विपश्यना पगोड़ा स्मारिक,विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी,इगतपुरी

गोकुलनन्द स्वामी (2000),मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय,रामकृषण आश्रम मार्ग धन्तोली,नागपुर

गोयन्का सत्यनारायण आचार्य (2000), मंगल जगे गृही जीवन में, विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी,इगतपुरी

पतंजलि महर्षि, योग दर्शन, गीत प्रेस गोरखपुर

गुरुवेन्द्र अमृत (2020), योगअमृत,डोलिया पुस्तक भंडार भारतमाता मंदिर हरिद्वार (उतराखंड)

धर्म पद, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।

अंबेडकर बी. आर (2007), बुद्ध और उनका धम्म, सिद्धदार्थ बुक्स, दिल्ली

कहस पाल (2000), बुद्ध गाथा, सूचना और प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

रेरिख हैलेजा (1996), बौद्ध दर्शन के मूल आधार, शुभदा प्रकाशन, नई दिल्ली

धर्मकीर्ति (2008), बुद्ध का समाज दर्शन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

दीर्घनिकाय, विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी

संयुक्त निकाय, विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी।

उपाध्यक्ष बलदेव, बौद्ध दर्शन मीमांसा, गौतम प्रकाशन, दिल्ली।

कलचुरियों की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष : एक अध्ययन

राज कुमार सिंह*
डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह**

सारांश

कलचुरी शासनकाल मध्य भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण काल रहा, जिसने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। इस काल की आर्थिक व्यवस्था में कृषि, सिंचाई, भू-राजस्व, व्यापार, मुद्रा प्रचलन तथा शिल्प-उद्योग जैसे अनेक घटक सम्मिलित थे, जिनके पारस्परिक सहयोग से उस समय की समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। कलचुरी शासकों ने कृषि उत्पादन को राज्य की आर्थिक रीढ़ के रूप में विकसित किया। भू-राजस्व व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, जिसमें भूमि मापन, कर निर्धारण और कर वसूली की निश्चित प्रणालियाँ लागू थीं। यह कर व्यवस्था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत रही, जिससे शासकीय प्रशासन और सैन्य संरचना को सुदृढ़ बनाए रखा जा सका। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी कलचुरी शासनकाल में उल्लेखनीय विकास हुआ। आंतरिक व्यापार के साथ-साथ बाह्य व्यापारिक संपर्कों ने नगरों और मंडियों के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिल्पकार वर्ग, विशेषकर धातु, मिट्टी, वस्त्र और पत्थर से संबंधित उद्योगों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। इस काल में धातु-मुद्राओं का प्रचलन विनिमय प्रणाली को गति देने तथा व्यापारिक लेन-देन को सरल बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

यह अध्ययन कलचुरी शासन की आर्थिक नीतियों, उनके स्वरूप तथा उनके दूरगामी प्रभावों को समझने में उपयोगी सिद्ध होगा।

बीज शब्द: कलचुरी, कर, कराधान, अभिलेख, त्रिपुरी, मुद्रा व्यवस्था, व्यापर एवं वाणिज्य, उद्योग.

प्रस्तावना

प्राचीन काल में जब मानव अपने सामाजिक जीवन के शैशव काल में अवस्थित था अर्थात जब सर्वप्रथम मानव द्वारा सामाजिक ताने-बाने का निर्माण किया गया तब समाज की कल्पना मानव शरीर की भांति की गयी जिसे निरंतर गतिमान बनाए रखने के लिए सभी शरीर के सभी अंगों का समन्वय आवश्यक माना गया क्योंकि सभी अंगों के समन्वय तथा क्रियान्वित होने से शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। जिस तरह किसी भी मानव शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यक्ता पड़ती है उसी प्रकार समाज को अबाध गति से निरंतर गतिशीलता बनाए रखने के लिए जिस मौलिक तत्व की आवश्यक्ता पड़ती है वह है उस समाज विशेष का आर्थिक पक्ष। आर्थिक दशाएं ही किसी समाज के मूल ढ़ांचे का निर्माण करती है। क्योंकि चाहे कितना भी शक्तिशाली समाज हो, यदि उसके आर्थिक पक्ष में गतिरोध उत्पन्न होने लगा तो कुछ ही समय में उस समाज विशेष के अस्तित्व में ही सवाल खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही जितने भी महान राजवंशों ने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में शासन किया उन्होने अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर पैनी दृष्टि बनाए रखी जिसका पारितोषिक उन्हें तथा उनके अनुवर्ती शासकों को एक विशाल तथा सुदृढ़ राज्य के रूप में मिला। इसके विपरीत जिन शासकों ने अपने राज्य के आर्थिक पक्ष के प्रति उपेक्षा का भाव बनाए रखा उन राज्यों के पतन का स्वयं इतिहास ही साक्षी बना हुआ है। प्राचीन काल से ही भारत में अर्थतन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुतेरे प्रयोग किये जाते रहे हैं। इस संबंध में दी गयी व्यवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन एवं उनमें काल सापेक्ष परिवर्तन सदैव अपेक्षित रहा है।

जिस तरह भारत की सामाजिक-राजनीतिक परंपरा में जीवन के विविध पक्षों को निरूपित करने एवं उनका पुर्नपरीक्षण करने एवं उसे उपयोगी बनाने के लिए सुस्पष्ट श्रेणीबद्ध वर्गीकरण को तरजीह दी जाती रही है उसी तरह अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी इतिहास के विभिन्न काल-खण्डों में व्यवस्थाएं दी जाती रही हैं। यदि प्राचीन विश्व इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो यह तथ्य प्रमाणित होता है कि जब भी किसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है तो उसका कारण अधिकांशतः आर्थिक तत्व ही रहा है।प्राचीन भारतीय आर्थिक संरचना का मुख्य आधार 'वार्ता' है। प्रारंभ में वार्ता के अंतर्गत कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन आता था जिसमें बाद में 'कुसिद' अर्थात ब्याज भी जुड़ गया। वार्ता शब्द संस्कृत के 'वृत्ति' शब्द से निर्मित है, जिसका सामान्य अर्थ व्यवसाय होता है। किंतु इसका सीमित और विस्तृत दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है।

*राज कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, अनूपपुर (म.प्र.)।
**डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)।

वार्ता के अंतर्गत विविध आर्थिक क्रियाओं जैसे - उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वार्ता के नियम सामाजिक जीवन के आधार स्तंभ वर्ण-आश्रम एवं पुरूषार्थ (धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष) व्यवस्था पर आधारित है। इसीलिए प्राचीन भारतीय समाज में अर्थ के महत्व को स्वीकार करते हुए अर्थ प्राप्त करने के लिए श्रम एवं कर्म को साधन माना है तथा प्रत्येक व्यक्ति की जीविका को ध्यान में रखा है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय आर्थिक व्यवस्था में विचार और व्यवहार में संतुलन बना रहा और एक निर्धारित ढांचे में समसामयिक आवश्यक्ताओं के साथ क्रमिक आर्थिक विकास होता रहा। प्राचीन भारतीय समाज के विकास में आर्थिक पक्ष के योगदान के संदर्भ में कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में संक्षेप में वर्णन किया है:-

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के सात आवश्यक अंग माने गये हैं जो किसी भी राज्य के विकास को गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक माने गये हैं। राज्य के इन सात अंगों में से एक कोष के रूप में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। भारत का जीवन ही पुरूषार्थ पर निर्भर है और समाज में धर्म के पश्चात अर्थ को स्थान दिया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य के सारे व्यापार कोष पर निर्भर रहते हैं। अतः राजा को सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए **(अर्थशास्त्र 2.2)**।कोष भरने का प्रमुख साधन है कर जो प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज की आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभों में से एक माना गया है तथा वर्तमान काल में भी यह अपने परिवर्तित रूप में भारतीय समाज में विद्यमान है। कलचुरि अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि इन राजाओं ने धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए ही जनसामान्य पर करों को आरोपित किया था। सव्वकरविसर्जितः तथा सव्वप्रव्याया आदि शब्दों के उल्लेख से विदित होता है कि उस समय सभी प्रकार के कर लिये जाते थे। हिरण्य को कलचुरि काल में भूमिकर के रूप में माना जाता था। इसके अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता था। शुल्क का अर्थ है चुंगी, जो क्रेताओं अथवा विक्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर या भीतर ले जाने या लाने वाले सामानों पर लगाई जाती थी। पाणिनी की व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार ने शौल्किक एवं गौल्मिक उदाहरण दिये हैं जिससे प्रकट होता है कि शुल्क जोचुंगी की चैकियों पर लिया जाता था, आय का एक प्रमुख स्त्रोत था **(काणे, 1963)**। भूमिकर तथा शुल्क के अतिरिक्त संभवतः उद्रेग, उपरिकर, भोगकर, भागकर, आदेय आदि करों का भी प्रचलन इस युग में रहा होगा, जिनका उल्लेख तदयुगीन अन्य अभिलेखों में मिलता है।

कलचुरि राजवंश

कलचुरिवंशीय शासकों के पौराणिक इतिहास के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और उसके पुत्र सोम हुए जिनसे सोमवंशी उत्पन्न हुए। इसी वंश में ऐल नामक एक राजा हुआ जिसके वंशज ययाति, यदु और कुरू थे जिसमें यदु का पुत्र हैहय था जिसने अपना राज्य नर्मदा नदी के तट पर स्थापित किया। कुछ ग्रंथों में हैहय के बाद चैथी पीढ़ी में उत्पन्न राजा माहिष्मान ने इस बसाया था जो वर्तमान में माहेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान से हैहयवंश आगे बढ़ा जो निरंतर प्रगति करता गया। हैहय की चैथी पीढ़ी में कृतवीर्य राजा हुआ जिसका पुत्र सहस्त्रार्जुन था **(गुप्त, 1973)**।पुराणों के अनुसार जिसने लंकाधिपति रावण को अपने महल के खूंटे में बांध दिया था। पुराणों के अनुसार जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने हैहयों का संपूर्ण रूप से नाश करने की प्रतिज्ञा की थी किंतु पांच हैहयवंशी लुक-छिप कर बच गये जिनमे से एक जयध्वज था, जिसकी पंद्रह पीढियों ने राजा कोणपाद तक राज्य किया। माहिष्मती उनकी राजधानी बनी रही जिसमें कोणपाद के बाद उसके पुत्र हंसध्वज, नीलध्वज तथा मयूरध्वज ने शासन किया।

प्राचीन क्षत्रियों की इस उपजाति का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल (7,5,37,9) में आया है जहां वसु चैद्य नामक शासक का उल्लेख आया है जो विंध्य के उत्तरी भाग (वर्तमान बुंदेलखण्ड) का शासक था जिसे चैद्य उपरिचर (चेदि का शासक) भी कहा गया है **(पाण्डेय, 2002)**।चेदिवंश का उल्लेख रामायण, महाभारत, पुराण तथा संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों के साथ-साथ अनेक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार इन्द्र ने वसु को सुन्दर चेदि प्रदेश पर शासन करने तथा वैदिक संस्कृति के प्रसार की आज्ञा दी थी। महाभारत के अनुसार उसके वंशजों का राज्य वत्स, करूष, मगध तथा अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। इसी क्रम में मेकल, कोसल तथा कलिंग क्षेत्र में भी चेदियों का विस्तार हुआ था। एच. डी. सांकलिया, वी. एस. वाकणकर तथा रोमिला थापर ने आद्यैतिहासिक काल के काले तथा लाल रंग के मृदभाण्डों का संबंध आर्यों की यादव शाखा से किया है जिनके शासन का विस्तार हैहयवंशियों अथवा चेदियों ने संपूर्ण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कलिंग में किया था **(पाण्डेय, 2002)** । महाजनपद काल में चेदि प्रदेश एक महाजनपद के रूप में विख्यात था जिसकी राजधानी शुक्तिमती के तट पर अवस्थित थी जिसकी पहचान मणिपुर या रतनपुर के पास स्थित सकरी से की गयी है। शीघ्र ही कलिंग में चेदियों की सत्ता स्थापित हो गयी जिसकी पुष्टि भुवनेश्वर के पास स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। मध्ययुग में चेदि क्षेत्र में पुनः हैहयवंशी कलचुरियों का काल दिखाई देता है जब माहिष्मती में प्रथम कलचुरि शासक कृष्णराज प्रथम का शासन लगभग 550 ई. में स्थापित होता है **(मिराशी, 1965)**।कृष्णराज के उत्तराधिकारी शंकरगण तथा बुद्धराज के पश्चात कलचुरि काल का इतिहास कुछ समय के लिए अंधकारमय हो जाता है। कालान्तर में कलचुरियों की एक शाखा त्रिपुरी में स्थापित हुई जिसका संस्थापक कोकल्ल प्रथम था।

कलचुरियों की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष

कलचुरि अथवा समकालीन अभिलेखों में, उद्योगों के क्षेत्र में किसी विशेष परिवर्तन का उल्लेख नही पाया जाता है। पूर्ववर्ती कालों में जिस प्रकार की परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाएं समाज में विद्यमान थीं, उसी प्रकार की उपलब्धियां इस काल में थी। पारम्परिक एवं वंशानुगत कलाकृतियों एवं शिल्प कला की वस्तुओं का निर्माण होता रहा और जिस प्रकार के उपकरण पूर्व काल में व्यवहार में लाये जाते थे, उसी प्रकार के उपकरण इस काल में भी इस्तेमाल होते थे। तत्कालीन अभिलेखों से कलचुरि काल में प्रमुख उद्योगों, माप की इकाइयां, वाणिज्य तथा व्यापार, बैंकिंग इत्यादि की दशाओं पर प्रकाश पड़ता है:-

वस्त्र उद्योग

भारत में अति प्राचीन काल से ही वस्त्र-उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इस काल में भी वस्त्र निर्माण में पर्याप्त विकास पाया जाता है। तत्कालीन अभिलेखों से प्राप्त विवरणों के आधार पर इस उद्योग के फलने-फूलने से संबंधित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तदनुसार, इस काल में रेशमी, सूती एवं ऊनी वस्त्रों के साथ पताका के कपड़े बनने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। राजशेखर की कृतियों में इस काल में स्त्रियों एवं पुरूषों द्वारा व्यवहृत विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख हुआ है **(शर्मा, 1998)**।

धातु उद्योग

कलचुरि काल में धातु उद्योग परंपरागत रूप में विकसित था। आभूषण तैयार करने के निमित्त प्रमुख धातु के रूप में सोने, चांदी एवं बहूमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता था। कलचुरि अभिलेखों में भी स्वर्ण-निर्मित कर्णाभूषण, कंगन, मुक्ताहार, रत्नजड़ित करधनी, मोती के हार, रत्नजड़ित कर्णफूल, रत्नजड़ित मुकुट एवं सोने के बर्तन आदि का विशेष उल्लेख है। सोने एवं विभिन्न प्रकार के रत्नों से निर्मित कालियनाग की प्रतिमूर्ति का उल्लेख युवराजदेव ने अपने बिलहरी शिलालेख में किया है। कलचुरि अभिलेखों में लोहे की खान का जिक्र प्रायः पाया जाता है। लोहारों का उल्लेख भी इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इसे इंगित करता है। युद्ध सामग्रियों में तीर, खड़ग, बरछा, कुठार, चक्र, दण्ड-पाश, अंकुश इत्यादि विभिन्न युद्धास्त्र निश्चय ही लोहे के बने होते थे जो इस उद्योग में लोहारों का महत्वपूर्ण स्थान प्रदर्शित करता है **(शर्मा, 1998)**।अन्य धातुओं के रूप में तांबा, विशेषकर राज्यशासन द्वारा ताम्रपट्ट एवं सिक्के प्रसारित करने के निमित्त उपयोगी था। कलचुरिकालीन अधिकांश भूमिदान ताम्रपत्र (ताम्रपट्ट) पर ही उत्कीर्ण कराये जाते थे। साथ ही तांबे के सिक्के भी निर्मित होते थे। गांगेयदेव, जाजल्लदेव, रत्नदेव, प्रतापमल्ल आदि कलचुरि शासकों ने तांबे के सिक्के चलाए।

काष्ठ उद्योग

प्राचीन काल से ही काष्ठधर्म एक प्रमुख उद्योग के रूप में माना जाता था। वात्स्यायन ने इसकी परिगणना चैंसठ कलाओं में की है। द्वितीय युवराजदेव के बिलहरी शिलालेख में सुंदर लकड़ी से बने वृषभ का उल्लेख पाया जाता है। इसी प्रकार, प्रस्तर एवं काष्ठ की बनी सामग्रियों का जिक्र रत्नदेव द्वितीय के अकलतरा शिलालेख में आया है। रथों का निर्माण काष्ठकर्मियों का एक प्रमुख काम था। रथ निर्माण का उल्लेख कर्ण के बनारस ताम्रपत्र एवं जयसिंह के जबलपुर शिलालेख में हुआ है **(का. इ. इ., 23)**।इसके अतिरिक्त काष्ठकर्मी (बढई) घरेलू सामान एवं गृह-निर्माण से संबंधित सामग्रियां भी तैयार करते थे।

प्रस्तर उद्योग

पत्थरों का काम करने वाले कारीगरों, मजदूरों एवं मूर्तिकारों को मंदिरों, मूर्तियों, सरोवरों एवं दुर्गों (किलों) के निर्माण के माध्यम से अच्छे रोजगार मिल जाते थे। मंदिरों, दुर्गों, मूर्तियों आदि के कलचुरिकालीन पुरातात्विक वैभव इस बात के साक्षी है कि प्रस्तरकर्मियों ने अपने कार्यों में काफी दक्षता प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त प्रस्तर का उपयोग राज्य आदेशों को उत्कीर्ण कराने में किया जाता था। अधिकांश कलचुरि अभिलेखों में उन कारीगरों (कलाकारों) का उल्लेख है जिन्होंने प्रस्तर पट्टिकाओं पर अभिलेख अंकित किये थे।

चर्म उद्योग

चर्म उद्योग जूते और ढाल जैसी सुरक्षा की सामग्रियों एवं अन्य घरेलू सामग्रियों के निर्माण में प्रमुख था। हरिबह्मदेव के खल्लारी शिलालेख में एक मोची का उल्लेख आया है। द्वितीय पृथ्वीदेव के राजिम शिलालेख में युद्धभूमि में सुरक्षा उपकरण के रूप में व्यवहार में लाए गए ढाल (चर्मन) का उल्लेख है **(का. इ. इ., 9)**।

तेल निकालने का उद्योग

इस काल में तेल तैयार करना भी एक आवश्यक उद्योग था। द्वितीय युवराजदेव के बिलहरी शिलालेख में तेल निकालने के कारखाने का उल्लेख पाया जाता है।

मदिरा तैयार करना

अभिलेखों में अक्सर महुआ (मधूक) के वृक्ष का उल्लेख आता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि शराब बनाने का कार्य प्रायः पूरे देश में प्रचलित था। ऐसा प्रतीत होता है कि कलचुरिकाल में शराब निर्माण कार्य पर कुछ प्रतिबंध लगा हुआ था। पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदा ताम्रपत्र में उल्लेख है कि अवैध रूप से शराब बनाने वाले दण्ड के भागी थे (रसवती दण्ड)। शराब जैसी सामग्री पर कर लगाया जाता था। जयसिंह के कलचुरि ताम्रपत्र में शराब पर कर का उल्लेख है **(का. इ. इ., 63)**।

प्रसाधन एवं इत्र संबंधी उद्योग

कलचुरिकाल में स्त्री एवं पुरूष साधारणतयः रूप से समान प्रसाधन एवं सुगंधित सामग्रियों का प्रयोग किया करते थे। राजशेखर की कृतियों में इसका स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। कलचुरि अभिलेखों में केसर के लेप (उबटन), इत्र, सुरमा, चंदन के लेप, सिंदूर, कर्पूर के बुरादे आदि का उल्लेख हुआ है। राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा में स्त्रियों के द्वारा वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में व्यवहृत सुगंधित पदार्थों की एक विस्तृत तालिका (सूची) दी है **(राजशेखर, 17)**।इन सभी पदार्थों का निर्माण निःसंदेह एक प्रमुख उद्योग के रूप में रहा होगा।

खनिज उद्योग

खानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का निकालना भी एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। कलचुरि अभिलेखों में प्रायः लोहे एवं नमक की खानों का उल्लेख प्राप्त होता है। जाजल्लदेव के पाली शिलालेख में खनिज पदार्थों का जिक्र हुआ है।

वाणिज्य एवं व्यापार

सामान्यतः देश के भीतर नगर व्यापारिक केन्द्र के रूप में होते थे, अतः नगरों एवं गांवों में भी मण्डपिकाएं अर्थात मंडियां (पत्तन मंडपिकायाम्) हुआ करती थीं। बिक्री के लिए लाई गई वस्तुएं पहले मंडपिकाओं (मंडियों) में ले जाई जाती थीं जहां उनका मूल्यांकन होने के बाद बिक्री कर निर्धारित किया जाता था। वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए बाजारों में दुकानों की पंक्तियां हुआ करती थीं जिन्हें द्वितीय युवराजदेव के बिलहरी शिलालेख में वीथि कहा गया है **(का. इ. इ., 80)**। इसी अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि व्यापार करने के कारण दुकानों पर भी कर लगाए जाते थे। बाजार में वस्तुएं बेचने के लिए युगा नामक एक परवाना दिया जाता था, जो दिन भर के लिए होता था। उसके लिए आधा पौर कर लिया जाता था। पौर एक छोटे मान का सिक्का होता था। बाजार में बेचे गए प्रत्येक घोड़े के लिए दो पौर और प्रत्येक हाथी के लिए चार पौर बिक्री कर के रूप में देना पड़ता था। बिलहरी शिलालेख में विक्रय के निमित्त जिन सामग्रियों का उल्लेख है, वे हैं: नमक, धान, सुपारी, पान, राई, सौंठ, काली मिर्च, सब्जियां, अंडे, पौधे,, घास, हाथी, घोड़े एवं अन्य सामग्रियां।

माप एवं तौल

इस देश में माप एवं तौल अन्तव्र्यापार का बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष था। विभिन्न प्रकार के माप एवं तौलों का उल्लेख कलचुरि अभिलेखों में पाया जाता है।

खारि

द्वितीय लक्ष्मणराज के कारीतलाई शिलालेख एवं विजयसिंह के रीवा ताम्रपत्र के अन्न मापने के लिए खारि का उपयोग होता था। इसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मिराशी ने एक खारि सोलह द्रोण के बराबर माना है **(कौटिल्य, 2.19)**।परंतु प्राचीन इतिहास से संबंधित विद्वानों में इस बिंदु पर मतैक्य नही है। जीवशर्मा के अनुसार एक खारि बीस द्रोण के बराबर होता है, जबकि सारंगधरसंहिता में एक खारि को चार द्रोण के बराबर कहा गया है।

गोणी

द्वितीय लक्ष्मणराज के कारीतलाई शिलालेख में इस शब्द का भी उल्लेख अन्न मापने के अर्थ में हुआ है **(का. इ. इ., 19)** । कोलब्रुक के अनुसार गोणी अपेक्षाकृत एक बड़ा माप था जो संभवतः चार खारि के बराबर होता था।

घटी

द्वितीय लक्ष्मणराज के कारीतलाई शिलालेख में घटी शब्द का भी उल्लेख अन्न मापने के अर्थ में हुआ है। पाणिनी पर लिखित वर्तिका में भी इसका उल्लेख है। डा. मिराशी के अनुसार यदि यह शब्द कुंभ के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो तो यह बीस द्रोण के बराबर रहा होगा **(का. इ. इ., 14)**।

भरक

तौल माप के रूप में भरक का प्रयोग सुपारी, काली मिर्च, सोंठ एवं अन्य सामग्रियां तौलने के लिए होता था जिसका उल्लेख द्वितीय युवराजदेव के बिलहरी शिलालेख में हुआ है। अथूर्णा अभिलेख के अनुसार भरक मिसरी, वंगदेशी मंजिष्ठा, धागा, नारियल रूई आदि तौलने के काम में इस्तेमाल किया जाता था।

पिटक

अन्न मान के रूप में 'पिटक' शब्द का उल्लेख शंकरगण के संखेड़ा अभिलेख में हुआ है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका व्यवहार अन्न मापने के लिए होता था।

खण्डी अथवा खण्डिका

द्वितीय लक्ष्मणराज के कारीतलाई शिलालेख में खण्डी का उल्लेख अन्न मापने के रूप में हुआ है। इसी प्रकार युवराजदेव द्वितीय के बिलहरी शिलालेख में नमक मापने के निमित्त खण्डिका का उल्लेख पाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम धु्रवसेन के गणेशगढ़ ताम्रपत्र में अन्न माप के रूप में खण्ड का उल्लेख पाया जाता है **(ए. ई., 3)**।

विनिमय, बैंक व्यवस्था एवं ब्याज

कलचुरिवंशीय शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के विभिन्न मान के सिक्के समय समय पर चलाए। धातु के बने ये सिक्के क्रय-विक्रय (विनिमय) के प्रमुख माध्यम थे। विनिमय के निमित्त कौड़ी का भी व्यवहार होता था **(शर्मा, 1998)**।कलचुरि अभिलेखों में किसी अन्य वस्तु का उल्लेख विनिमय के लिए नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष

कलचुरी वंश (कलचुरी वंश) मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था, जिसने विशेष रूप से वर्तमान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। उनकी आर्थिक व्यवस्था विविध और सुव्यवस्थित थी, जो कृषि, व्यापार, कर व्यवस्था तथा शिल्पकला जैसे अनेक पक्षों पर आधारित थी।कलचुरी काल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि और सिंचाई साधनों के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किसान समाज की मुख्य उत्पादक शक्ति थे और वे राज्य को कर (भूमिकर, उपकर आदि) अदा करते थे।व्यापार व वाणिज्य भी उस समय उन्नत अवस्था में था। अंतर्देशीय तथा अंतर्राज्यीय व्यापार मार्गों का विकास हुआ जिससे वस्तुओं का आदान-प्रदान बढ़ा। नगरों में बाज़ार और मंडियाँ सक्रिय थीं तथा मुद्रा प्रचलन भी हुआ, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली।कर व्यवस्था कलचुरी प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। भूमि कर, व्यापार कर, तथा पेशागत कर वसूले जाते थे। इन करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग सैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढाँचे तथा धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यों पर होता था।शिल्प व उद्योग के क्षेत्र में धातुकर्म, मूर्तिकला और स्थापत्यकला को राजाश्रय प्राप्त था। मंदिरों और दुर्गों के निर्माण से अनेक कारीगरों और श्रमिकों को रोजगार मिला।

इस प्रकार कलचुरियों की आर्थिक व्यवस्था बहुआयामी थी, जिसने उस समय के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को भी सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि कलचुरी शासनकाल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ व्यापार, कर व्यवस्था और शिल्प उद्योग का संतुलित विकास हुआ था।

सन्दर्भ सूची

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र 2.2

काणे, पी. वी. (1963) धर्मशास्त्र का इतिहास, लखनऊ

गुप्त, प्यारेलाल, (1973) प्राचीन छत्तीसगढ़, रायपुर

पाण्डेय, श्याम कुमार, दक्षिण कोसल (2002) (छत्तीसगढ़ का इतिहास तथा वास्तु शिल्प), मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

पाण्डेय, श्याम कुमार, दक्षिण कोसल (2002) (छत्तीसगढ़ का इतिहास तथा वास्तु शिल्प), मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

मिराशी, वी. वी. (1965) , कलचुरि नरेश और उनका काल, भोपाल

शर्मा, राजकुमार, (1998) कलचुरि राजवंश और उनका युग, दिल्ली

शर्मा, राजकुमार, (1998) कलचुरि राजवंश और उनका युग, दिल्ली

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, अभिलेख सं 64, श्लोक 23

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, अभिलेख सं 90, श्लोक 9

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, अभिलेख सं 63, पंक्ति 25

राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, अध्याय 17

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, अभिलेख सं 45, श्लोक 80

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र 2.19

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, भाग 4, अभिलेख सं 42, श्लोक 39

कार्पस् इंस्क्रिपशनस् इंडिकेरम्, भाग 1, श्लोक 3

एपिग्राफिका इंडिका, जिल्द 3

शर्मा, राजकुमार, (1998) कलचुरि राजवंश और उनका युग, दिल्ली

किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की समायोजन संबंधी समस्या: एक सूक्ष्म अध्ययन

डॉ. विरेन्द्र कुमार*

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र किशोर छात्र-छात्राओं की समायोजन संबंधी समस्या का सूक्ष्म अध्ययन करने की चेष्टा करता है। किशोरावस्था किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण काल व भविष्य की आधारशिला होती है। इस अवस्था में किशोर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर न तो वयस्क होता है और न ही अब बालक रह जाता है तथा उसके अंदर होने वाले तीव्र परिवर्तनों से वह अत्यधिक चिंतित भी रहता है। इस अवस्था में उसके ऊपर बहुत से सामाजिक व पारिवारिक दबाव रहता है जिसके पीछे समाज व परिवार की विभिन्न अपेक्षाएं होती हैं। उक्त अपेक्षाएं ही उसके अन्दर द्वन्द का कारण बनती हैं जिससे उसका समायोजन विचलित हो जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में किशोरावस्था के सामाजिक, शैक्षणिक, गृह व सांवेगिक समायोजन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। न्यादर्श के रूप में वाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों व छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। सांख्यिकी के लिए मध्यमान, मानक विचलन व टी-टेस्ट का उपयोग करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द: गृह, सामाजिक, संवेगात्मक व शैक्षिक समायोजन

प्रस्तावना

मनुष्य इस जगत का सर्वाधिक सक्षम व चिंतनशील प्राणी है। चिंतनशील होने के बाद भी मनुष्यों की अपनी विभिन्न तरह की समस्याएँ होती हैं। जीवन की जटिलताओं के कारण मनुष्यों की समस्याओं को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। किन्तु जीवन को सरल बनाने हेतु इन समस्याओं का हल खोजना आवश्यक है। इन समस्याओं से हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ता है। किशोरावस्था में ये समस्याएं अत्यधिक विकट होती हैं, क्योंकि यह अवस्था तीव्र विकास की होती है। किशोरावस्था में छात्र-छात्राओं का मस्तिष्क अधिकतम विकास को लगभग प्राप्त कर लेता है। (मंगल, 2011)। वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं तथा उपयुक्त साधन जुटा कर उनसे समायोजित होने के लिए निरन्तर अग्रसर होते रहते हैं। बाह्य रुप से व्यक्ति के व्यवहारों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सामान्य दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ्य व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ्य होगा, लेकिन वास्तविकता में यह तथ्य भ्रमपूर्ण है।

संसार के छोटे-छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक को अपने परिवेश से बराबर संघर्ष करना पड़ता है। अपने परिवेश से समायोजन करके ही कोई व्यक्ति स्वस्थ मानव बन सकता है। जिस तरह व्यक्तियों को समाज व समाज के अन्य सदस्यों से परस्पर विश्वास व सहयोग के संबंध बनाना होता है, ठीक उसी तरह किशोर विद्यार्थियो को अपने अध्यापक व सहपाठियों से सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना पड़ता है। (पाठक, 2010)

किसी भी देश का भविष्य इन्हीं किशोर विद्यार्थियों के हाथों में होगा। जहाँ एक ओर इन छात्रों के अभिभावक, शिक्षक और समाज इन्हे स्वस्थ विकास एवं प्रगति की दिशा में देखकर हर्ष से भर जाते हैं, वहीं कभी-कभी किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं के सामने कई समस्यायें भी आती हैं। इन समस्याओं में एक समस्या है-समायोजन की। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका समायोजन समाज और वातावरण में समुचित रूप से हो।

अतः किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की यह समस्या वातावरण से, सहयोगियों से, समाज से, स्वास्थ्य से, अध्ययन विषयों से, विद्यालय से, शिक्षकों से, अभिभावकों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, संवेगात्मक एवं भावात्मक विचारों से, यहां तक कि अपने आप से भी हो सकती है। (माथुर, 2010 एवं सिंह, 2013)

समायोजन के प्रकार

गृह समायोजन

जिस घर एवं परिवार के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग एंव तालमेल रहता है, वहां व्यक्तियों के समायोजित रहने की संभावना भी ज्यादा रहती है। यदि घर का वातावरण श्रेष्ठ है तो निश्चित ही व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा और अपने क्षेत्र में अपार सफलता अर्जित करेगा । लेकिन यदि किशोर छात्र-छात्राओं को घर में स्नेह, प्यार एवं सहयोग नहीं मिलता है तो वह कुण्ठाग्रस्त हो सकता है। अतः किशोर छात्र-छात्राओं के विकास की प्रथम सीढ़ी गृह समायोजन ही है। ***(सिंह, 2010).***

*डॉ. विरेन्द्र कुमार, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)- 484887।

सामाजिक समायोजन

अपने आपको सामाजिक दृष्टि से समायोजित कर सकने की क्षमता ही सामाजिक समायोजन कहलाता है। सामाजिक समायोजन का दायरा घर-परिवार से शुरु होकर, मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों समुदाय तथा विश्व-बंधुत्व तक है। एक स्वस्थ समायोजित व्यक्ति सामाजिक क्रिया में भाग लेता है। वह व्यवहार कुशल उत्साहित, धैर्यवान दूसरों की मद्द करने वाला होता है। ***(ठाकुर, 2019).***

संवेगात्मक समायोजन

एक समयोजित व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार काफी संतुलित होता है। मानव मन मे विभिन्न प्रकार के विचार या भाव उत्पन्न होते रहते है। यदि व्यक्ति अपने संवेगो की उचित अभिव्यक्ति को सीख लेता है, तब वह संवेगात्मक रूप से समायोजित कहलाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये सांवेगिक रूप से समायोजित होना अति आवश्यक है। ***(गुप्ता, 2010).***

शैक्षिक समायोजन

यदि छात्र-छात्राओं की शैक्षिक योग्यता अच्छी है तो निश्चित ही वह उच्च बुद्धिमत्ता वाला हो सकता है। छात्र-छात्राओं में शिक्षा द्वारा उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने आपको शैक्षिक वातावरण में समायोजित करते हुए स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करे। ***(पाठक, 2010).***

किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं से अच्छे समायोजन की अपेक्षा की जाती है, यदि वे समायोजित हैं तो उनका व्यक्तित्व पूर्ण विकसित होगा और वह सुखी जीवन व्यतीत करेगा। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में किशोरावस्था के विद्यार्थियों की समायोजन संबंधी समस्या का सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना।
2. किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की गृह समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना।
3. किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना।
4. किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की सांवेगिक समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना।
5. किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें

1. किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की समायोजन संबंधी समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की गृह समायोजन संबंधी समस्या में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की सांवेगिक समायोजन संबंधी समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन संबंधी समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि व न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है| न्यादर्श के रूप में में वाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 09-10 के 100 किशोरवय छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक विधि से चुना गया जिनकी आयु 13-18 वर्ष के मध्य थी।

शोध उपकरण :

शोध उपकरण के रूप में डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव एवं डॉ. गोविन्द तिवारी (मनोविज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा) द्वारा निर्मित व प्रकाशित समायोजन सूची का उपयोग किया गया |

प्रदत्तों का विश्लेषण :

सारणी- 1

किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की समायोजन की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

क्रम	समूह	N न्यादर्श	M मध्यमान	S.D . मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-अनुपात	स्वातंत्र्य स्तर	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	छात्र	50	40. 52	6. 11	1. 34	1. 36	98	.05	सार्थक अंतर नहीं हैं|
2.	छात्राएं	50	42. 34	7. 26				1. 98	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों एवं छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 40.52 तथा 42.34 है। df 98 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर t का मान 1.98 या अधिक होना चाहिए, जबकि आंकड़ो के विश्लेषण के बाद t का मान 1.36 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। अतः हम कह सकते है कि किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी - 2

किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की गृह समायोजन की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

क्रम	समूह	N न्यादर्श	M मध्यमान	S.D . मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-अनुपात	स्वातंत्र्य स्तर	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	छात्र	50	8. 68	2. 54	.49	.94	98	.05	सार्थक अंतर नहीं हैं|
2.	छात्राएं	50	9. 14	2. 38				1. 98	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों एवं छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 8.68 तथा 9.14 है। df 98 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर t का मान 1.98 या अधिक होना चाहिए, जबकि आकंड़ों के विश्लेषण के बाद t का मान 0.94 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की गृह समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी- 3

किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

क्रम	समूह	N न्यादर्श	M मध्यमान	S.D . मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-अनुपात	स्वातंत्र्य स्तर	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	छात्र	50	12. 14	2. 57	.51	.90	98	.05	सार्थक अंतर नहीं हैं|
2.	छात्राएं	50	12. 60	2. 61				1. 98	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों एवं छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 12.14 तथा 12.60 है। df 98 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर t का 1.98 या अधिक होना चाहिए, जबकि आंकड़ो के विश्लेषण के बाद t का मान .90 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की सामाजिक समायोजन में कोई अंतर नहीं है।

सारणी- 4

किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की सांवेगिक समायोजन की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

क्रम	समूह	N न्यादर्श	M मध्यमान	S.D . मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-अनुपात	स्वातंत्र्य स्तर	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	छात्र	50	9. 12	3. 13	.63	.83	98	.05	सार्थक अंतर नहीं हैं|
2.	छात्राएं	50	9. 64	3. 14				1. 98	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों एवं छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 9.12 तथा 9.64 है। df 98 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर t का मान 1.98 या अधिक होना चाहिए, जबकि आंकड़ो के विश्लेषण के बाद t का मान .83 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। अतः हम कह सकते है कि किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की सांवेगिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी- 5

किशोरावस्था के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिकसमायोजन की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

क्रम	समूह	N न्यादर्श	M मध्यमान	S.D . मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-अनुपात	स्वातंत्र्य स्तर	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	छात्र	50	10. 58	2. 27	.47	.81	98	.05	सार्थक अंतर नहीं हैं|
2.	छात्राएं	50	10. 96	2. 38				1. 98	

सारणी से स्पष्ट है कि छात्रों एवं छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 10.58 तथा 10.96 है। df 98 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर t का मान 1.98 या अधिक होना चाहिए, जबकि आंकड़ो के विश्लेषण के बाद t का मान .81 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है। अतः हम कह सकते है कि किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं पर केंद्रित किया गया है। यहाँ अध्ययन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं के समायोजन संबंधी समस्या का अध्ययन करना था। आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत हम यह कह सकते हैं कि छात्राओं का समायोजन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है, परंतु सार्थकता ज्ञात करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, अर्थात् छात्रों व छात्राओं का समायोजन समान रूप से होता है। इसके पीछे तर्क यह हो सकता है कि उन्हें सामान्यतः समान वातावरण प्राप्त होता है। किशोरवय छात्राओं का गृह समायोजन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर परिलक्षित होता है, परंतु इनकी सार्थकता ज्ञात करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अर्थात् छात्र-छात्राएं गृह स्तर पर समान रूप से समायोजित होते हैं। छात्राओं का सामाजिक समायोजन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है, परंतु इनकी सार्थकता ज्ञात करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अर्थात् छात्र-छात्राएं सामाजिक स्तर पर समान रूप से समायोजित होते हैं। किशोरवय छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है, परंतु सार्थकता ज्ञात करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अर्थात् छात्र-छात्राएं संवेगात्मक स्तर पर समान रूप से समायोजित होते हैं। छात्राओं का शैक्षिक समायोजन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है परंतु सार्थकता ज्ञात करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अर्थात् छात्र-छात्राएँ शैक्षिक स्तर पर भी समान रूप से समायोजित होते हैं।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल, जी. के.(2007). सामाजिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय, आगरा : बिनोद पुस्तक मंदिर.

अस्थाना, वी. एवं अग्रवाल, एन. (1987). मनोविज्ञान और शिक्षा मे मापन एवं मूल्यांकन. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर.

गुप्ता, एस. पी.(2010). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान. इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन.

कपिल, एच. के. (2006). अनुसंधान विधियाँ. आगरा : भार्गव बुक हाउस.

कौल, एल.(2007). शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली. दिल्ली : पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.

मंगल, एस. के. (2011). शैक्षिक मनोविज्ञान. नई दिल्ली : पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि.

माथूर, एस. एस. (2010). शिक्षा मनोविज्ञान. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर.

पाठक, पी. डी. (2010). शिक्षा मनोविज्ञान. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स.

प्रभाकर, एस. के. (2023). किशोरों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन क्षमता पर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन. रिव्यू ऑफ रिसर्च. ISSN 2249-894X, वॉल्यूम 12.

सिंह, ए.के. (2013). शिक्षा मनोविज्ञान. वाराणसी: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन.

ठाकुर, एम. (2019). किशोरावस्था की समस्या एवं समायोजन. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च. ISSN 2394-5869.

गोंडकालीन जलाशय के तटीय क्षेत्रों पर निर्मित मंदिर स्थापत्य कला की विलक्षण विशेषताएँ :बजनामठ, देवताल, सूपाताल, हनुमानताल के विशेष सन्दर्भ में

पूजा दाहिया*
डॉ. अमित कुमार रवि**

सारांश

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गोंडवाना साम्राज्य का अद्वितीय स्थान है। रामनगर स्थित शिलालेख के अनुसार गढ़ा (वर्त्तमान जबलपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र) में यादव राय से लेकर हृदयशाह तक 54 राजाओं ने राज्य किया है (शर्मा, 2020)। अपने चरम उत्कर्ष में इस विशाल साम्राज्य की लम्बाई 356 कोस और चौड़ाई 292 कोस थी (तिवारी, 2012)। प्रारंभ में स्वतंत्र रूप से स्थापित यह गोंड सत्ता परिस्थिति वश मुगल तत्पश्चात मराठा से संघर्षरत रही। इस दौरान स्वयं के अस्तित्व तथा रक्षार्थ हेतु इन शासकों द्वारा निरंतर युद्ध के साथ संस्कृति संरक्षण को भी प्रशय दिया गया। इसके लिए कला- साहित्य के साथ विभिन्न स्थापत्य स्मारकों जैसे मंदिर, दुर्ग, जलाशय एवं भवन निर्माण को प्राथमिकता दी गयी । उसी गौरव शाली समृद्ध इतिहास के साक्षीमंदिर स्थापत्य स्मारक आज भी गहन शोध का विषय है। यह शोध पत्र मुख्यतः देवताल, सूपताल एवं हनुमानताल के किनारे स्थित13-16 शताब्दी के मध्य निर्मित मंदिरों के विश्लेषण पर आधारित है। शोध पत्र में मंदिर स्थापत्य में निर्माण की प्रमुख शैलियाँ, बनावट तथा संरचना, स्थापत्य निर्माण में लगने वाली प्रमुख सामग्रियों तथा इन मंदिरों की विलक्षण विशेषताओं पर गहन अध्ययन किया गया है।

बीज शब्द: मंदिर स्थापत्य, मध्यकालीन, गोंडवाना साम्राज्य, रानी दुर्गावती, गढ़ा जबलपुर

प्रस्तावना

नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर जबलपुर संस्कृति-संस्कार एवं पर्यटन हेतु विश्वप्रसिद्ध है। गोंड राज्यों में सर्वाधिक विशाल राज्य गढ़ा मंडला एवं गढ़ा कटंगा था, यह नाम जबलपुर के निकट प्राचीन गढ़ा नगर एवं कटंगा नामक ग्राम पर पड़ा था (श्रीवास्तव, 1969)। इसी धरा पर अद्भूत, शौर्य एवं बलिदान की देवी रानी दुर्गावती ने तत्कालीन मुगल-आक्रमण से भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ हेतु अनेकानेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। हालाँकि जबलपुर में स्थापत्यकला के भव्य नमूने कल्चुरी काल में भी बहुतायत में मिलते है, इसके अतिरिक्त बौध एवं जैन स्थापत्यकला के अवशेष आज भी जीवंत है। संभवतः स्थापत्य की यही निरंतरता मध्यकालीन गोंड स्थापत्यकला में परिलक्षित होती है ।

इन मंदिरों की मुख्य विशेषता शिखर है जो नागर, बेसर अथवा द्रविड़ शैली में न होकर गुम्बदाकार है। अर्थात मंदिरों का शिखर साथ ही मंदिर में सामने की ओर स्तंभों का प्रयोग छज्जा निकालने हेतु किया गया है। इन मंदिरों में मुख्यतः दो शैलियाँ दृष्टिगोचर होती है- खुला गर्भ गृह वाले मंदिर एवं बंद गर्भ गृह वाले मंदिर। इन मंदिरों की मुख्य विशेषता इनका तालाबों के तटीय क्षेत्रों में निर्माण है अर्थात यह मंदिर धार्मिक, आर्थिक एवं पारिस्थितकीय उदेश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किये गये है। यत्र तत्र क्षीण होते इन मंदिरों में से कुछेक का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा कुछ आवासीय क्षेत्रों की बलि चढ़ गये लेकिन आज जो मंदिर सुरक्षित है उनका विवरण यहाँ किया गया है।

गोंडवाना कालीन मंदिरों में स्थापत्य का विस्तृत वर्णन

प्रथम शैली 'देवकुलिकाओं युक्त तथा अयुक्त -खुले एवं बंद गर्भगृह वाले मंदिर'

प्रथम खुले गर्भ गृह वाले मंदिर – ऐसे मंदिर जिनमें किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा अथवा गर्भ गृह नहीं है। यह मंदिर स्वतंत्र रूप से एक षठकोणीय चबूतरे की सतह पर सात स्तंभ एवं गुम्बद के सहारे निर्मित हैं। ऊँची जगती में बने चबूतरे में चढ़ने हेतु किसी में 2 अथवा 4 सीढियाँ है, हालाँकि नितल स्थित षठफलकी चबूतरा कालांतर में निर्मित प्रतीत होता है। इस मुख्य षठकोणीय चबूतरे के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की कुल ऊँचाई 15 फुट है जिसमें स्तंभों की सामान्य ऊँचाई 4 फुट है फिर दो अलंकरण युक्त घेरे तथा ऊपर 7 फुट का गुम्बद सम्मलित है। स्तम्भ षठफल्काकार है जिनके नितल में कमल एवं बेल की आकृतियाँ उकेरी गयी है। सभी स्तंभ गुम्बद से इंटर लॉक पद्धति द्वारा जुड़े हुए है।

* शोधार्थी, इतिहास विभाग, इन्दिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)।
** सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, इन्दिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)।

चित्र क्रमांक 1 स्वयं द्वारा संकलित

द्वितीय बंद गर्भ गृह वाले मंदिर - ऐसे मंदिर जिनमें किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा सहित कक्ष अथवा गर्भ गृह है। इन मंदिरों में से कुछ मंदिर पूर्णतः खंडहर में तब्दील हो चुके है तथा कुछ संरक्षण एवं रंगरोगन के पश्चात आज भी आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर गोंडवाना की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कहे जा सकते है। इन मंदिरों के निर्माण में पत्थर के बड़े टुकडों, लखोरी ईंटों या कहीं- कहीं पत्थर की स्लेट का प्रयोग स्पष्ट दृष्टव्य है। अधिकांशतः मंदिर का मुख तालाब की ओर अथवा पूर्व दिशा में है।

इस तरह के मंदिर कुछ ऊँची जगती में तथा कुछ सामान्य धरातलीय सतह पर निर्मित है। संभवतः कालांतर में यह ऊँची जगती क्षीण होकर नष्ट हो गयी हो। मंदिर की कुल ऊँचाई 15 फुट है, जिसमें प्रवेश द्वार के सम्मुख दायें एवं बाएं भाग में निर्मित स्तंभों की सामान्य ऊँचाई 4 फुट है। कक्ष की भीतरी दीवारों की कुल ऊँचाई 8 फुट 11 सेंटीमीटर है। दीवार में 2.65 सेंटीमीटर के चार आले बने हुए हैं। शिवलिंग से 5.44 मीटर ऊपर गुंबद प्रारंभ होता है। इस पर बनी खिड़की 63 सेमी लंबाई और 74 सेंटीमीटर चौड़ाई की है।
मंदिर के भीतरी भाग में आले सामान्य त्रिकोण वाले हैं जिनकी लंबाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 3.45 मीटर है। कुछ मंदिरों में इन आलों की लम्बाई चौड़ाई पुनःनिर्माण एवं मरम्मत के कारण कम या ज्यादा हो गयी है। मंदिर में प्रवेश हेतु निर्मित चौखट की कुल लंबाई 1 मीटर 78 सेमी तथा चौड़ाई 1 मीटर 3 सेंटीमीटर है, जबकि मंदिर का दरवाजा 75 सेमी का है। प्रवेश द्वार बेल सहित कमल की आकृति से अलंकृत है। साथ ही द्वार की चौखट में दो भिन्न तरह की आकृतियों से अलंकृत है। चौखट पर ही दोनों ओर द्वारपाल की छोटी-छोटी प्रतिमाएँ लगी हुई है। चौखट के चारों तरफ पुष्प की बेलाकृति स्पष्ट दृष्टव्य है। इसके ललाट बिम्ब पर भगवान गणेश तथा नितल भाग पर एक गडाकृति का अंकन प्रवेश द्वार को सुन्दर तथा अध्यात्मिक बनाता है।

मंदिर के अंदर जालीनुमा खिड़की के निर्माण का उदेश्य वातानुकूलन हो सकता है। किन्तु यह हर मंदिर में उपलब्ध नहीं है अपितु कुछेक मंदिरों में वृहद अथवा लघु आकार के आले दृष्टव्य है संभवतः यह वही खिड़की हो सकती है जिसे बाहरी तरफ से बंद कर दिया गया हो। इनका उपयोग सामान्यतः वस्तुएं रखने हेतु होता होगा। मंदिर की दीवारों के उपरी भाग में चौकोराकर खंड दृष्टिगोचर होता है जिसका उपयोग इसमें बल्लियाँ डालकर छज्जा निकलने हेतु होता रहा होगा परन्तु यह वर्तमान में मजबूती की कमी के कारण टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका है।

खंडहर होते मंदिरों के संरक्षण हेतु कहीं-कहीं प्लास्टरीकरण अथवा नवीन गुम्बद निर्माण कर दिया गया है। वर्गाकार छत पर निर्मित मुख्य गुम्बद शिखर के चारों ओर देवकुलिकाएँ या लघु गुम्बदाकार युक्त स्तम्भ गोंडवाना स्थापत्य की ख़ास विशेषता प्रतीत होती है क्योंकि यह लगभग हर मंदिर में उपस्थित है, हालाँकि कुछेक मंदिरों में इनका क्षरण हो चुका है। हालाँकि यह तत्कालीन प्रचलित शैली अथवा क्षेत्रीय स्थापत्य शैली भी कही जा सकती है। इन्ही देवकुलिकाओं और गुम्बदनुमा शिखर होने के कारण इन्हें मुग़ल स्थापत्य से प्रेरित मान लिया जाता है किन्तु आवश्यक नहीं की ऐसा वास्तव में हो क्योंकि किसी भी स्थापत्य तत्व में किसी भी धर्म विशेष का अधिपत्य नहीं होता है, अपितु उसके अधिकांशतः प्रयोग के कारण उसे धर्म विशेष से सम्बंधित मान लिया जाता है । हालाँकि गुम्बद निर्माण के प्रयोग राजस्थानी एवं मराठा शैली में भी मिलते है ।

मंदिर मुगल आक्रमण से पूर्व निर्मित है अतः यह गोंडवाना साम्राज्य की क्षेत्रीय स्थापत्य कला कही जा सकती है। मुग़ल से सम्बंधित अथवा प्रभावित होने का कोई सक्ष्यात्मक स्त्रोत प्राप्त नहीं होता है। मंदिरों एवं छतरियों के प्रक्षेपित छज्जों को ब्रैकेट योजना से साधा गया है। गोंडवाना कालीन प्राप्त सभी मंदिरों के कांगूरों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अंकन किया गया है। इसका मुख्य कारण गोंडवाना साम्राज्य का शक्ति प्रदर्शन एवं मान्यता हो सकती है। इन जीव जंतुओं में मुख्यतः हाथी घोड़ा प्रमुख है। यह अंकन आकर्षक एवं सौन्दर्यवर्धक प्रतीत होता है। गोंड परंपरा के अनुसार मंदिरों के मध्य में यथा स्थापित शिवलिंग अनगढ़ (अनिश्चित आकार) है। शिवलिंग की जलहरी का मुख उत्तर दिशा में है। शिवलिंग के सम्मुख ही पत्थर अथवा संगमरमर से निर्मित नंदी महाराज विराजमान है, साथ ही कार्तिकेय एवं गड मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त सभी मंदिरों में मगरमच्छ सवार देवी नर्मदा,वृत के अंदर सप्त अश्व में सवार सूर्य देव, गणपति, लक्ष्मी नारायण आदि प्रतिमाएं स्थापित है।

मंदिर में मूर्तियों से सम्बंधित धारणा एवं मान्यताएं

गोंडवाना कालीन निर्मित इन मंदिरों में अधिकांशतः मंदिरों के प्रवेश द्वार पर चौखट में ऊपर की ओर बीचों बीच भगवान गणेश की एक अत्यंत छोटी प्रतिमा स्थापित है (अग्रवाल, 2016)। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की एक स्वतंत्र प्रतिमा शिव परिवार के रूप में दृष्टव्य है। इसमें माता पार्वती भगवान शिव लिंग स्वारूप में नंदी महाराज के साथ पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश तथा किसी किसी मंदिर में नारायण की प्रतिमा भी विराजमान है। "गोंडो की मान्यता के अनुसार स्वाभाविक है कि वे शिव के पुत्र की भी पूजा करें। गोंडो में एक गोत्र धूमकेति होता है जो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है और धूमकेतु से मेल रखता है। माघ महीना की गणेश पूजा को गोंड लोग बहुत सात्विक तरीके से मनाते है। यही एक पूजा होती है जिसमे गोंड लोग मांस, मदिरा, रक्त का बिलकुल प्रयोग नहीं करते है। एक रात को करीब 10 बजे चन्द्रमा उदय हो चुकने पर अर्ध्य देकर सात्विक भोजन का फलाहार करते है"(अग्रवाल, 2016)।

इस प्रकार गोंडो में भगवान गणेश के प्रति विशेष मान्यता दिखाई देती है। शायद इसीलिए अधिकांशतः मंदिरों में गणेश प्रतिमा को मंदिर में प्रवेश से पहले ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मंदिर की चौखट के तल में नीचे की ओर एक मस्तक रुपी आकृति निर्मित है। साथ ही मंदिरों के दायें और बाएं भाग में द्वारपालों की मूर्तियाँ निर्मित है। यह मूर्तियाँ मंदिर के विन्यास के हिसाब से बड़ी अथवा छोटी आकृति में निर्मित है। मंदिर के अंदरूनी भाग में नंदी महाराज के साथ शिवलिंग की स्थापना हर मंदिर की विशेषता है। इसका कारण संभवता यह है की गोंड जनजाति बहुदेवता वादी है।

इसी सम्बन्ध में रामभरोस अग्रवाल लिखते है की "कुछ इसी प्रकार का बहुदेववाद गोंडो में है, बड़ादेव या महादेव मुख्य देवता है उनके बहुत दूत या सहयोगी या मातहत है, जिनको उनकी योग्यतानुसार कार्य सौंपे गये है"(अग्रवाल, 2016)। वो लिखते है की "बड़ादेव का सीधा सादा अर्थ होता है महादेव अर्थात भगवन शिव। गोंड लोग शैव है, उसमे लिंगार्चन का प्रचार कम है। यदि गोंडो का निवास स्थान गोदावरी, डेल्टा मान लिया जाये तो वहाँ पर लिंगायत बहुतायत में है तथा लिंगायतो के शैव मत को गोंड भी मानते जानते है। उनके मूल निवास की प्रथा जो है"(अग्रवाल, 2016)।

मंदिर के अंदर शिवलिंग के साथ माँ पार्वती की भी मूर्तिया स्थापित है। रामभरोस अग्रवाल के अनुसार "गोंडो में लोक कथा है कि पार्वती जी ने मूला गोंडनीका स्वरुप लेकरशंकर जी को प्रसन्न किया था। मूला गोंडनी की मूर्ति को पार्वती जी की मूर्ति मानकर पूजा की जाती है"(अग्रवाल, 2016)। यत्र- तत्र शिव परिवार के अतिरिक्त अन्य मूर्तियों की स्थापना दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार गोंड जनजाति मुख्यतः बहुदेववाद की मान्यता को आत्मसात करती दिखाई देती है और इसी आधार पर हमें गोंडवाना कालीन निर्मित मंदिरों में अधिकतर देव स्वरुप शिव परिवार के दर्शन होते है।

गोंडवाना स्थापत्य का बेजोड़ नमूना- बाजनामठ मंदिर

सामान्यतः मठ शब्द का प्रयोग किसी मत के संस्थापक आचार्य या विद्वान द्वारा मठों के माध्यम से सिद्धांतों का प्रतिपादन शास्त्रर्थ, शिक्षा तथा उपदेश, सामाजिक सेवा एवं साहित्यिक रचनाएँ हेतु किया जाता था। गढ़ा राजाओं के संरक्षण में कई संस्कृत काव्य, नाटक, स्मृति, कर्मकांड तथा विधि साहित्य संगीत पर ग्रन्थ तर्कशास्त्र नव्न्याय टीकों की रचना की गयी है (सक्सेना, 2023)। इन मठों की एक लम्बी श्रंखला प्राप्त होती है। यह मठ उसी भूमि पर निर्मित है जिसे मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को संग्राम शाह की रानी पद्मावती ने गढ़ा के निकट विष्णुपुर ग्राम दान दिया था। इस बात का उल्लेख फ़क़ीरचंद अखाड़ा के शिलालेख में प्राप्त होता है (मिश्रा, 2008)।

चित्र क्रमांक 2 स्वयं द्वारा संकलित

इस मंदिर का निर्माण सोलहवी सदी में 1510 से 1543 के मध्य संग्राम शाह ने स्वयं के लिए आरामगाह के निकट संग्राम सागर तालाब के पास करवाया था (अग्रवाल,2016)। चूँकि राजा के इष्ट देव काल भैरव थे अतः तंत्र साधना को समर्पित इस मंदिर में भैरव की बाल्यकाल की प्रतिमा विराजमान है। बाजनामठ से सम्बंधित एक कथा के अनुसार एक बार एक अघोरी ने राजा संग्राम शाह पर अपना अधिकार जमाने हेतु उन्हें वश में करके उनकी हत्या एवं राजपाट हरने का षड्यंत्र रचा किन्तु दैवीय आशीर्वाद स्वरुप राजा ने स्वप्न में यह षड्यंत्र भांप लिया और उस अघोरी का अंत कर दिया। जिस स्थान पर वह अघोरी बैठकर अपनी नित्य तांत्रिक क्रियाएं का अभ्यास किया करता था यही स्थान बज्रायण मठ या बाजना मठ कहलाया(अग्रवाल,2016)। इस मंदिर में राजा प्रतिदिन दर्शन करने हेतु आया करते थे (आनंद, (2009-10)।

मंदिर की स्थापत्य कला को यदि सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकित किया जाये तो दृष्टिगोचर होता है की इस मंदिर का शिखर गुम्बदनुमा है। मंदिर की दीवार पर आले बने हुए है जो संभवतः छोटी मूर्ति स्थापना के लिए बनाये गये होंगे। इन आलो की विशेषता है की यह साधारण तरह से ही निर्मित है इनमे ज्यादा कलाकारी देखने को नहीं मिलती है। मंदिर का गर्भ गृह इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अत्यंत विशाल है लेकिन इसका प्रवेश द्वार सकरा है। "गर्भ गृह की लम्बाई 22 फीट 3 इंच तथा चौड़ाई 19 फीट 2 इंच है, मंदिर में गर्भ ग्रह सहित 20 खम्भे है"(शर्मा, 2020)। इस मंदिर के गर्भ गृह में अंदर प्रकाश और हवा की व्यवस्था नहीं है। गर्भगृह में वतानुकूलन की सुविधा नहीं है। भैरव अष्टमी तथा प्रत्येक शनिवार को भक्तों का ताँता लगा रहता है। भैरवनाथ मंदिर के अतिरिक्त यहाँ छोटे-छोटे हनुमान मंदिर, माता दुर्गा, माँ काली और शिव पार्वती मंदिर प्रमुख है। जो हाल फिलहाल में निर्मित हुए है। इस मंदिर के समीप ही संग्राम सागर तालाब है जिसपर एक अत्यंत छोटी खंडहर रुपी संरचना दिखलाई पड़ती है। संभवतः यह छोटा महल या कोई छोटी चौकी हो सकती है।

देवताल, सूपाताल, हनुमानताल के तट पर निर्मित मंदिरों का स्थापत्य एवं उनकी विशेषताएँ

तालाबों के तट परगोंडकालीन निर्मित मंदिर स्थापत्य की एक श्रेणी दृष्टिगोचर होती है। तालाबों के चहुँओर सुन्दर गुम्बदाकार एवं देवकुलिकाओं युक्त मंदिर प्राप्त होते है। इन मंदिरों एवं तालाबों की सुन्दरता एक दुसरे के सम्पूरक है। हालाँकि बदहाली एवंरखरखाव के आभाव में इनका कुछ भाग स्खलित एवं जर्जर हो चुका है। इन समस्त मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएँ लगभग एक समान है। एक ही आकृति, प्रकृति एवं स्वरुप वाले इन मंदिरों की एक ख़ास विशेषता सुन्दरतम नक्क्शी युक्त कमल कलश एवं शूल के नियोजन से सुसज्जित गुम्बद है, जिस पर कमल की पंखुड़ी तथा विभिन्न जीव जंतुओं के प्रयोग से अलंकरण एवं नक्काशी दृष्टिगोचर है। कंगूरेदार छल्ले जो गुम्बद के आसपास बने है यह आकर्षक लगते है। लगभग सभी मंदिर के प्रवेश द्वार 4 से 5 फिट लम्बे तथा 3 फिट चौड़े है(शर्मा, 2020)। इस निर्माण तकनीक में इन सभी मंदिरों में औसतन मोटाई के लम्बे पत्थरों के साथ लखोरी ईटों का प्रयोग किया गया है, तथा बीच में पत्थरों के जुड़ाव हेतु सुरखी का प्रयोग किया गया है। आवरण ढकने हेतु ऊपर से चूना लेपन का प्रयोग इसे अधिक सुन्दर टिकाऊ एवं मजबूती प्रदान करता है। अतः मंदिर निर्माण में सभी आवश्यक पदार्थो जैसे पत्थर, ईट एवं चूने का प्रयोग है। हालाँकि कुछ मंदिरों में चूने की परत उखड़ने से दीवार में प्लेटनुमा पत्थरों का जुड़ाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

सूपाताल में प्राप्त विशिष्ट शिव मंदिर

इन मंदिरों के अलावा कुछ ऐसे भी मंदिर है जो अत्यंत पुराने है। इन मंदिरों का स्थापत्य गुम्बदाकार न होकर अर्ध गुम्बदाकार है और इन मंदिरों की ऊँचाई 15 फूट की है। यह एक ऊँचे प्लेटफार्म या सतह पर बने हुए है। इन मंदिरों की सामान्य विशेषताएँ लगभग दूसरे अन्य गोंडकालीन मंदिरों जैसी ही है। इनके वास्तविक नाम अज्ञात है इसीलिए शिव मंदिर कहना ही उचित होगा। यह शिव मंदिर रामेष्ठ मंदिर के 200 मीटर की दूरी पर हनुमान बाग मंदिर के पीछे मुजावर मोहल्ला पर स्थित दो प्राचीन शिव मंदिर और दिखाई देते है। यह मंदिर कुछ ऊँचाई पर निर्मित है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। मंदिर में अंदर जाने के लिए एक चौखट है जिसमें कमल का फूल और बेलाकृति की संरचनाओं द्वारा सुन्दरतम रूप प्रदान किया गया है। चौखट में ऊपर मध्य में गणेश जी की प्रतिमा का शिलापंकन है। इस मंदिर में द्वारपाल एवं गण देवता की अनुपस्थिति है। मंदिर में जाने के लिए 6 सीढियाँ है। इस मंदिर में 4 स्तम्भ है एवं मुख्य चौखट के दोनों ओर दो दो आले बने हुए है। हालाँकि यह बाद में निर्मित या मरमम्त करवाए हुए जान पड़ते है।

चित्र क्रमांक 2 स्वयं द्वारा संकलित

यहाँ पिछले 40 साल से सेवारत मंदिर के पुजारी श्री विनोद कुमार तिवारी (उम्र 70 साल) के अनुसार मंदिर के ऊपरी भाग में शेष सैया एवं जलहरी सहित शिवलिंग का शिल्पांकन हैं। इन मंदिरों की ऊँचाई 15 फूट की है। मंदिर की कुल ऊंचाई 30 फीट चौड़ाई 20 फीट है। तिवारी जी के अनुसार इसमें पशुपति नाथ स्थापित है। मंदिर के अंदर संपूर्ण मूर्तियां ठीक वैसे ही प्रतीत होती है जैसी अन्य मंदिरों में स्थित है। भूकंप के कारण खंडित हुए भाग का पुनर्निर्माण कराया गया है। मंदिर के भीतर गुम्बद के अंदरूनी सतह में 8 आले है एवं मध्य में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक मज़बूत घंटा निर्मित है। मुजावर मोहल्ला, गढ़ा, में पुरोहित श्री विनोद तिवारी जी के घर में स्थित इस मंदिर से लगा हुआ एक अन्य मंदिर माता गौरी को समर्पित है। इस मंदिर के भीतरी भाग में आलों का निर्माण है। चार स्तंभ युक्त इस मंदिर में आधार हेतु तीन सीढ़ी सहित छोटा चबूतरा निर्मित किया

गया है। इस मंदिर में ऊपर की तरफ देव कुलिकाएं हैं तथा कमल की आकृति वाले कलश स्थापित हैं, जो संख्या सामने की ओर दो है तथा गुंबद के मध्य में एक बड़ा कलश नुमा शीर्ष बनाया गया है, जिसमे चक्र एवं कमल का प्रयोग किया गया है। इसकी विशेषताओं के आधार पर यह गोंडवाना कालीन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना कहा जा सकता है।

चित्र क्रमांक 4 स्वयं द्वारा संकलित

हनुमान ताल स्थित मंदिरों का स्थापत्य

यहाँ निर्मित मंदिरों में गोंडवाना के विकासक्रम की झलक दृष्टव्य होती है। यहाँ गोंडकालीन तीनो तरह के मंदिरों के साक्ष्य मिलते है जिसमें छज्जे युक्त खुले एवं बंद गर्भ गृह तथा बगैर छज्जे युक्त खुले एवं बंद गर्भ गृह सभी तरह के मंदिर शामिल है जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर निर्माण की शैली में एक ही तत्व के प्रयोग की जगह चलित नवाचार तकनीक को प्राथमिकता दी गई है।

चित्र क्रमांक 5 **चित्र क्रमांक 6** **चित्र क्रमांक 7** **चित्र क्रमांक 8**

समस्त छायाचित्र स्वयं द्वारा संकलित

देवतालस्थित मंदिरों का स्थापत्य

बैठक जी देवताल का संपूर्ण विवरण

देवताल गढ़ा जबलपुर मध्य प्रदेश को श्री श्री 108 श्री गोसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी के वल्लभ कुल का मामा पक्ष होने का गौरव हासिल है। चूँकि श्री विट्ठल नाथ जी का विवाह रानी दुर्गावती के आग्रह पर राज्य की एक विदुषी कन्या के साथ सम्पन्न हुआ था, इसीलिए यह क्षेत्र विट्ठल नाथ जी का ससुराल भी कहलाता है। एक अन्य कथानुसार बैठक जी देवताल के गोसाई जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा अकबर के नवरत्न बीरबर उर्फ़ महेश दास भी इनके शिष्य बन गए थे। अतः देवताल तथा कोताताल के मध्य स्थित यह स्थल धार्मिक, अध्यात्मिक एवं प्राकृतिक तीनों रूप से शांति का एक केंद्र है जो देश-विदेश में फैली पुष्टिमार्ग के करोड़ो अनुयायियों की श्रद्धा- भक्ति का केंद्र तथा वल्लभ

संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। यही पर देवताल तालाब के चहुँ ओर 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित शिव मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें लघुकाशी उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका विस्तृतवर्णन तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र क्रमांक 6 **चित्र क्रमांक 7** **चित्र क्रमांक 8** **चित्र क्रमांक 9**

समस्त छायाचित्र स्वयं द्वारा संकलित

चित्र क्रमांक 10 **चित्र क्रमांक 11** **चित्र क्रमांक 12**

समस्त छायाचित्र स्वयं द्वारा संकलित

देवताल, सूपाताल, एवं हनुमानताल के मंदिरों की समानता का तालिका के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

क्रमांक	विषय	देवताल	सूपाताल	हनुमानताल
1	पहुँच मार्ग	रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर धनवंतरी नगर मार्ग में दाएँ ओर	देवताल से 500 मीटर दूर बाएँ ओर	रेलवे स्टेशन से 5 किलो मीटर दूर घमापुर होते हुए खेरमाई मार्ग में
2	अक्षांश देशांतर	अक्षांश 23.15 डिग्री उत्तर से 79.89 डिग्री90 इंच पूर्व	अक्षांश 23 डिग्री 16 इंच उत्तर से 79 डिग्री 90 इंच पूर्व	अक्षांश 23 डिग्री 18 इंच उत्तर से 79 डिग्री 93 इंच पूर्व
3	प्रमुख मंदिर	12 शिवलिंग की स्थापना के कारण उपनाम 'लघु काशी'	सप्त्मेष्ठ मंदिर, रामेष्ठ मंदिर, पीला मंदिर, शिव मंदिर	शिव मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, भैरवमंदिर आदि।
4	प्रकार	खुले एवं बंद गर्भ गृह दोनों	खुले एवं बंद गर्भ गृह दोनों	खुले एवं बंद गर्भ गृह दोनो
5	निर्माण सामग्री	पत्थर, लखोरी ईट, चूना एवं सुर्खी का प्रयोग	पत्थर, लखोरी ईट ,चूना एवं सुर्खी का प्रयोग	पत्थर, लखोरी ईट, चूना एवं सुर्खी का प्रयोग
6	शैली	खुले गर्भ गृह में स्तंभों के सहारे निर्मित गुम्बदाकार शिखर एवं बंद गर्भ गृह में कक्ष एवं छज्जे के सहारे निर्मित 4 देवकुलिकाओं युक्त	खुले गर्भ गृह में स्तंभों के सहारे निर्मित गुम्बदाकार शिखर एवं बंद गर्भ गृह में कक्ष एवं छज्जे के सहारे निर्मित 4 देवकुलिकाओं युक्त	खुले गर्भ गृह में स्तंभों के सहारे निर्मित गुम्बदाकार शिखर एवं बंद गर्भ गृह में कक्ष एवं छज्जेके सहारे निर्मित 4 देवकुलिकाओं युक्त

		गुम्बदाकार शिखर	गुम्बदाकार शिखर	गुम्बदाकार शिखर
7	मूर्तियाँ	जलहरी सहित शिवलिंग स्थापना, राम दरबार, मगरमच्छ आसनस्थ माँ नर्मदा ,भगवान गणेश, सूर्य प्रतिमा	जलहरी सहित शिवलिंग , राम दरबार,सूर्यप्रतिमा,भगवानगणेश, लक्ष्मीनारायणप्रतिमा ,मगरमच्छ आसनस्थ माँ नर्मदा	जलहरी सहितशिवलिंग, राम दरबार,भगवानगणेश, लक्ष्मीनारायण,सूर्यदेव,मगरमच्छ आसनस्थ माँ नर्मदा एवं शाक्त प्रतिमाएँ
8	विशेषता	तालाब के चहुँ ओरमंदिर निर्माण बाहरी दीवारों में आर्क नुमा डिजाइन निर्मित है जिस पर विभिन्न देवी-देवताओं का चित्रांकन है।	तालाब के चहुँ ओर मंदिर निर्माण बाहरी दीवारों में आर्क नुमा डिजाइन निर्मित है।	तालाब के चहुँ ओर मंदिर निर्माण मंदिर बाहरी दीवारों में आर्क नुमा डिजाइन निर्मित है।

द्वितीय शैली - पचमठा मंदिर

जबलपुर के हर क्षेत्र में पचमठा शैली निर्मित मंदिरों के दर्शन होते है।आरंभिक गोंडकालीन स्थापत्य में निर्मित भवन या मंदिर एक कक्ष स्वरुप होते थे। इसी कक्ष के चारों पद प्रदक्षिणा हेतु गलियारा बना हुआ है। कालांतर में यह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था। प्रारंभिक निर्मित प्रवेशद्वार में मेहराब की जगह आयताकार दरवाजा दृष्टिगोचर होता है। रानी दुर्गावती के समय काल में निर्मित मंदिर पचमठा शैली में बनने लगे। कक्ष के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। पचमठा में मुख गर्भगृह और उससे संलग्न चार देवकुलिकाएं बनायीं जाति थी (सक्सेना, 2023)। पाँच मठों के संग्रह से निर्मित इन मंदिरों में मध्य शिखर बाकी अन्य शिखर से उच्च होता है। इन मंदिरों का विन्यास अष्टकोणीय है। मंदिर की छत पर सामने की ओर एक लघु शिविका बनी है। इनकी छत पालकीनुमा है। ये मंदिर पाषण निर्मित अलंकृत एवं सुसज्जित है। मंदिरों का मुख्य भार मेहराबों की जगह स्तंभ एवं बीम के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है।

इन मदिरों में पांच देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठापित है जिनमें शिवलिंग, रामदरबार, गणपति, माँ रेवा, सूर्य देवता एवं गडों की प्राथमिकता है। किसी विशेष भगवाना या माता को समर्पित होने पर वर्तमान में उनकी भी मूर्तियाँ प्रतिस्थापित कर दी गयी है। यह मंदिरया मठ कहलाते थे। इन क्षेत्रों का वातावरण अत्यंत सुरम्य एवं मोहक एवं शांति प्रदान करने वाला था। अर्थात संभवतः इसी कारण यहाँ बैठकर साधु-संत, ऋषि- मुनि पूजा अर्चन एवं विद्याध्ययन किया करते थे। इसमें मुख्य मंदिर के चारों ओर चार लघु मंदिर बनाये जाते थे। इनमे निर्मित लघु गर्भगृह मुख्य गर्भगृह से स्वतंत्र रूप से निर्मित किये जाते थे।

चित्र क्रमांक 13चित्र क्रमांक 14 चित्र क्रमांक 15चित्र क्रमांक 16
समस्त छायाचित्र स्वयं द्वारा संकलित

मंदिर निर्माण की तकनीक एवं पद्धति

मध्यकालीन भारतीय इतिहास को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में वृहत ईमारतें स्मारकों तथा धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ जिन्होंने स्थापत को नवीन ऊंचाईयों पर पहुँचाया। इसी कड़ी में गढ़ा स्थित मंदिर निर्माण की तकनीक एवं पद्धतिभी अद्वितीय है। "तेरहवीं सदी के वास्तुशिल्प के रिकॉर्ड में उत्तरी भारत में भवन निर्माण पद्धति में एक गुणात्मक विकास नज़र आता है। इस समय भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री और गुम्मद, मेहराब और मेहराबदार छत निर्माण की तकनीक में परिवर्तन हुआ" (हबीब, 2016)। "सत्रहवीं सदी के बाद पत्थर की शिलाओं पर मूर्तियाँ गढ़ने और विशाल मूर्तियों का निर्माण एलोरा और एलिफेंटा में देखने को मिलता है परन्तु इस समय की मुख्य परंपरा पत्थरों के ब्लॉक से निर्माण करने की थी"(हबीब, 2016)। इस समय काल में भवन निर्माण की पद्धति में खम्भों और बीम का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था, जिसे "trabeate" कहा जाता था।

स्थापत्यकला में स्थापत्य निर्माण हेतु उपयोग होने वाले सामग्री के महत्व को समझते हुए अक्सर ही इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पत्थरों के विशाल समूह को लोहे के पहिये के माध्यम से मजबूती से जोड़ा जाता था। इसमें कुछ संरचनाएँ जैसे ईंटों से निर्मित नुकीली छतें जिन पर बीम डालना अथवा मोटे मोटे स्तंभों पर बीम डालकर वृहद आकर की छातों का निर्माण करना हो, आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसमें सामग्री स्वरुप जिप्सम का प्रयोग हुआ है। अतः स्थापत्यकला एवं वास्तुकला में समय के साथ और अधिक विन्यास दिखाई दिया।
मध्यकाल में अधिकांशतः भवनों, किलो और इमारतों का निर्माण पत्थरों या चट्टनो को काटकर उससे निकले टुकडों से हुआ है। इसमें यत्र-तत्र चूना, लोहा, जिप्सम, सीसा जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इसमें यदि पत्थरों के खनन की ओर दृष्टि डाली जाये तो इसके सर्वप्रथम प्रमाण राजस्थान के उदयपुर ज़िले के जावार, अगूचा और दरीबा से प्रमाणित होते है (झा, 2013)।"मध्यकाल में नमक से अतिरिक्त आर्थिक रूप से दूसरा महत्वपूर्ण खनिज लोहा था"(हबीब, 2016)।

निष्कर्ष

समस्त गोंडकालीन क्षेत्र में दो तरह के मंदिर प्राप्त होते है। प्रथम, गुम्बदाकार एवं देवकुलिकाओं युक्त खुले तथा बंद गर्भ गृह वाले मंदिर। द्वितीय, पांच गुम्बदों एवं पांच गर्भगृह के संयोजन से निर्मित पचमठा मंदिर। इन मंदिरों में मुख्य देवता स्वरुप शिव एवं विष्णु दोनों की प्रधानता है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से गुम्बदाकार छत फलतः तत्कालीन प्रचलित निर्माण शैली के प्रभाव का परिणाम नहीं है क्योंकि गढ़ा का बाजनामठ संग्राम शाह द्वारा निर्मित हुआ तब तक दिल्ली के मुगलों का हस्ताक्षेप गढ़ा पर नहीं था। अतः स्थापत्य की यह शैली क्षेत्रीयता, तकनीक संसाधन, पर्यावरणीय कारक, आर्थिक लागत एवं स्थायित्व हेतु दूरदर्शिता का परिणाम है।

इन मंदिरों के आरंभिक निर्माण कार्यों में स्थानीय पत्थर से तराशे गए स्तंभों तथा बीम आदि का प्रयोग किया गया है, जिनका प्रयोग स्थापत्य के हर पहलु जैसे मंदिर, महल, भवन एवं तालाब सभी में किया गया है। यदा कदा अलंकृत पाषण स्तंभों का प्रयोग भी मिलता है। इन मंदिरों की दीवारों की चुनाई में अर्धतराशे गए पत्थरों तथा गारे के रूप में चूने के प्रयोग किया गया है। इन किलों की दीवारों में अन्य चौड़ी दीवारों में पत्थर से सूखी चुनाई की गयी है। हालाँकि राजधानी गढ़ा से रामनगर होने के साथ ही गोंड कालीन स्थापत्य कला में पत्थर का प्रयोग कम दिखाई देने लगता है। प्रथम दृष्टि में इन मंदिरों का विकासक्रम एक कड़ी स्वरुप प्रतीत होता है परन्तु यह राजाओं की सम्पन्नता उनकी रुचि और तकनीकी दक्षता पर आधारित है।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल, रामभरोस (2016). गोंड जाति का सामाजिक अध्ययन, गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मंडला.

आनंद, अशोक (2009-10). नई किताब: मानव पुरुषार्थ की अमृत गाथा, श्री राजराजेश्वर ऋद्धि इद्धि सिद्ध पीठ, जबलपुर.

झा, सुशील कुमार (2013). हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता, रिसर्च इंडिया प्रेस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली.

तिवारी, शिवकुमार (2012). राजगोंडों की वंशगाथा, राज कमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली.

मिश्रा, सुरेश (2008). गढ़ा का गोंड राज्य, पहला संस्करण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.

शर्मा, राजकुमार (2020). जबलपुर इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल.

श्रीवास्तव, प्रेमनारायण (1969). ज़िला गजेटियर जबलपुर, प्रथम संस्करण, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.

सक्सेना, पूजा (2023). गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, धर्मपाल शोधपीठ, स्वराज संस्थान, भोपाल.

हबीब, इरफ़ान (2016). मध्यकालीन भारत में प्रौधोगिकी ई.650-1750, राज कमल प्रकाशन, दिल्ली.

बांग्लादेश संकट और भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर इसका प्रभाव

अनुज*
डॉ. रमेश कुमार**

सारांश

बांग्लादेश में वर्तमान संकट, जो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक अशांति से चिह्नित है, भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक पड़ोसी देश के रूप में, भारत ने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश के विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि दोनों देशों का साझा इतिहास एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध है। हालांकि, बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें व्यापक विरोध प्रदर्शन और सरकारी दमन, ने इस महत्वपूर्ण संबंध के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह संकट न केवल बांग्लादेश के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसकी गूंज सीमा पार भी सुनाई दे रही है, जिससे भारत को ढाका के साथ अपनी कूटनीतिक रणनीतियों और जुड़ाव का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ रहा है।

बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और बाहरी भू-राजनीतिक दबावों के इस परस्पर संबंध को समझने के लिए एक गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि इस संकट के परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा को परिभाषित कर सकते हैं। इस संदर्भ में, संकट के बहुआयामी आयामों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जिसमें इसके कारणों और इस पर भारत की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। इन कारकों की जांच करके, हम यह समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का वर्तमान संकट भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को कैसे आकार दे रहा है और इसका दक्षिण एशिया में व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

बीज शब्द: बांग्लादेश संकट, व्यापार, सीमा सुरक्षा, रोहिंग्या, अल्पसंख्यक हिंदू

प्रस्तावना

बांग्लादेश में उभरता संकट दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। बांग्लादेश, 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध रखने वाला एक राष्ट्र है, जो अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रक्षेपवक्र को खतरे में डालने वाली बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक संकट, बढ़ता उग्रवाद और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। भारत के लिए ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण परिणाम रखते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन ने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों जैसी घटनाओं ने भारत में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावासों पर हमले हुए हैं। (आलम, 2024)

इसके अतिरिक्त राजनीतिक संकट ने आर्थिक संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। भारतीय निर्यातकों ने बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा की कमी और शासन परिवर्तन के बाद अस्थिरता के कारण व्यापार में व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारतीय व्यवसायों को बांग्लादेशी बाजार में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। (फर्स्टपोस्ट, 2024) इसके अलावा बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पेश करती है। राजनीतिक शून्यता और आंतरिक अशांति के कारण सीमा पार के मुद्दे पैदा हो सकते हैं, जिनमें अवैध प्रवास और चरमपंथी तत्वों का संभावित उदय शामिल है। (फिलिप, 2024) बांग्लादेश में इस राजनीतिक उथल-पुथल ने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा ने भारत में गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल रहा है और बांग्लादेश के बारे में लोगों की धारणा प्रभावित हो रही है।

इन सामाजिक तनावों से लोगों के बीच संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। (गार्जियन स्टाफ रिपोर्टर, 2024)

यह अध्ययन बांग्लादेश के आंतरिक संकटों के भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिसमें इस संबंध के आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पता लगाता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक संकट किस तरह दोनों पक्षों की नीतिगत प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं और यह जांचता है कि क्या ये चुनौतियाँ भारत को संबंधों को मजबूत करने या मौजूदा तनाव को बढ़ाने के अवसर प्रदान करती हैं।

*अनुज, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जाट-पाली, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)।
**डॉ. रमेश कुमार, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जाट-पाली, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध: पृष्ठभूमि

भारत और बांग्लादेश के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक प्रकृति के रहे हैं। बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित है और इसकी 80 प्रतिशत (लगभग 4,096 किमी) से अधिक सीमा भारत से लगती है जोकि भारत के किसी भी पड़ोसी देश के संदर्भ में सबसे लंबी मैदानी सीमा है। चूंकि दोनों देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए न केवल वे भौगोलिक रूप से बंधे हैं, बल्कि ऐसा बहुत कुछ है जो दोनों देशों को जोड़ता है जैसे - एक साझा इतिहास और साझा विरासत, भाषाई, सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य और कला आदि। बांग्लादेश के साथ, भारत न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक सामान्य इतिहास साझा करता है, बल्कि भाईचारे संबंधों की स्थायी भावना भी साझा करता है। (शाहनवाज, 2015) 1947 में भारत के विभाजन तक, बांग्लादेश जिसे प्राचीन काल से बंग (अब बंगाल) के रूप में जाना जाता है, भारत का एक अभिन्न अंग था।

भारत और बांग्लादेश के बीच भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समानता और ऐतिहासिक संबंधों द्वारा परिभाषित एक अनूठा रिश्ता है। उनके द्विपक्षीय संबंधों की जड़ें 1971 के मुक्ति संग्राम के साझा अनुभवों से जुड़ी हैं, जिसमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। साझा बलिदानों और संघर्षों से पैदा हुआ यह बंधन दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा आयामों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी साझेदारी में विकसित हुआ है।

बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में, दोनों देशों में बदलती राजनीतिक गतिशीलता के कारण द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव आए। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता के तुरंत बाद की अवधि मजबूत संरेखण और आपसी सद्भावना से चिह्नित थी। हालाँकि, बांग्लादेश में बाद के राजनीतिक परिवर्तनों, जिसमें सैन्य तख्तापलट और घरेलू नीतियों में बदलाव शामिल हैं, ने तनावपूर्ण संबंधों की अवधि को जन्म दिया।भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार को समर्थन देकर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैन्य उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि किसी भी बाहरी ताकतों या आंतरिक असंतुष्टों से नवजात राज्य को तत्काल कोई खतरा न हो। (शेरिना, एम., 2022) । 1972 से 1975 तक बांग्लादेश को भारत का बहुमुखी समर्थन नव स्वतंत्र राष्ट्र के स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण था। आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता, सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने सामूहिक रूप से बांग्लादेश के विकास के शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक मजबूत और स्थायी द्विपक्षीय रिश्ते की नींव रखी गई।हालाँकि, उनकी शुभ शुरुआत के बावजूद, आवामी लीग सरकार के कार्यकाल के बाद के वर्षों में बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव उभर आया, जिसकी परिणति 1975 में एक हिंसक सैन्य तख्तापलट में आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के बाद महत्वपूर्ण कलह में हुई। (हुसैन, 1989)

आवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने और जनरल जियाउर रहमान के सैन्य शासन के उदय से भारत- बांग्लादेश संबंधों में तेजी से गिरावट आई, जो खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण हो गए। ज़िया के नेतृत्व में, बांग्लादेश और भारत के बीच प्रमुख स्वर अविश्वास और आपसी विरोध का था। ज़िया सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति ने भारत- बांग्लादेश संबंधों को ओर अधिक तनावपूर्ण बना दिया। (चकमा, 2009) बांग्लादेश में पहला सैन्य शासन 1981 में चटगांव में तख्तापलट के प्रयास के दौरान जनरल जियाउर रहमान की हत्या के साथ अचानक समाप्त हो गया।

1990 के दशक की शुरुआत में 16 साल की सैन्य तानाशाही के बाद बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन की वापसी हुई। लोकतांत्रिक बदलाव के बावजूद, 1991 में बी.एन.पी. के सत्ता संभालने के साथ, बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। जनरल ज़िया द्वारा अपने सैन्य शासन के दौरान स्थापित बी.एन.पी. ने एक धार्मिक राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना जारी रखा, जिसमें भारत विरोधी स्वर थे। नतीजतन, बी.एन.पी. के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के प्रति एक विदेश नीति बनाए रखी जो पहले के सैन्य शासन की याद दिलाती थी। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, संबंधों को बढ़ाने में बहुत कम रुचि थी, जिसके परिणामस्वरूप 1991 से 1996 तक बी.एन.पी. के शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे बने रहे।(उक्त)

बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में सामान्य स्थिति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया जब शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने 1996 के आम चुनाव में जीत हासिल की। यद्यपि 1970 के दशक की शुरुआत में देखे गए सहयोग के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, आवामी लीग सरकार के तहत 1996 से 2001 की अवधि में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। 2001 के आम चुनावों के बाद बी.एन.पी. की सत्ता में वापसी के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक ओर गिरावट आई। मतभेद उभरने के साथ ही दोनों देशों की नीतियां और अधिक कठोर हो गईं; खासकर सुरक्षा मुद्दों पर। भारत को पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहों में बांग्लादेश की भागीदारी के बारे में संदेह था (द डेली स्टार, 30 नवंबर 2011) । 2006 से 2008 तक, बांग्लादेश ने सैन्य शासन की अवधि का अनुभव किया, हालांकि यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाहक सरकार के मुखौटे के माध्यम से संचालित किया गया था। लोकतंत्र की वापसी के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से दबाव बढ़ा, जिसके कारण अंततः सेना को झुकना पड़ा। 29 दिसंबर, 2008 को आम चुनाव हुए और इसके परिणामस्वरूप आवामी लीग के नेतृत्व वाले महागठबंधन को भारी जीत मिली।प्रधान मंत्री के रूप में, शेख हसीना ने बांग्लादेश की विदेश नीति की दिशा, विशेषकर भारत के प्रति उसके रुख का पुनर्मूल्यांकन करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हसीना प्रशासन अपने पूर्ववर्तियों की नीतियों से अलग हो गया और भारत समर्थक रुख अपनाया।शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 का भूमि सीमा समझौता (एलबीए) और समुद्री सीमा विवाद का समाधान ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं जो उनके द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और महत्व को उजागर करती हैं।

अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली थी और 2001 तक इस पद पर रहीं। वे 2009 में सत्ता में लौटीं और 2024 में अपने इस्तीफ़े तक लगातार चुनावों के ज़रिए अपनी स्थिति बनाए रखी। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे का विकास और सामाजिक संकेतकों में सुधार देखा। हालाँकि, उनके कार्यकाल में मानवाधिकारों के हनन, असहमति के दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण के आरोप भी लगे। (लस्कर, 2024) बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में केंद्रीय व्यक्तित्व शेख हसीना ने अगस्त 2024 में सत्ता से नाटकीय रूप से पतन का अनुभव किया। उनके इस्तीफे और उसके बाद देश से चले जाने से प्रधानमंत्री के रूप में उनके 15 साल के कार्यकाल का अंत हो गया।

वर्तमान बांग्लादेश संकट: एक अवलोकन

बांग्लादेश में वर्तमान अस्थिरता, जो सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली से उत्पन्न हुई, देश के सामने गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर करती है। 1972 में, बांग्लादेश की कैबिनेट सेवा मंत्रालय ने बांग्लादेश सिविल सेवा (BCS) के लिए कोटा प्रणाली शुरू की थी। यह प्रणाली नए स्वतंत्र देश में बनाई गई थी, जिसमें शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% नौकरियां, युद्ध से प्रभावित महिलाओं (बिरंगना) के लिए 10%, पिछड़े जिलों के लोगों के लिए 40% और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षित थीं। समय के साथ, इस प्रणाली में सुधार किया गया। 1997 में, सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को शामिल करने के लिए कोटा बढ़ाया, और 2010 में, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को शामिल करने के लिए इसे और विस्तारित किया गया। (तस्मिन, 2024) वर्तमान में इस प्रणाली के तहत, प्रथम और द्वितीय श्रेणी की 44% सरकारी नौकरियाँ योग्यता के आधार पर होती हैं, जबकि शेष 56% विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित होती हैं जोकि रेखाचित्र 1 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। (स्टाफ़,ए.जे.2024)

रेखाचित्र 1: बांग्लादेश में विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षण

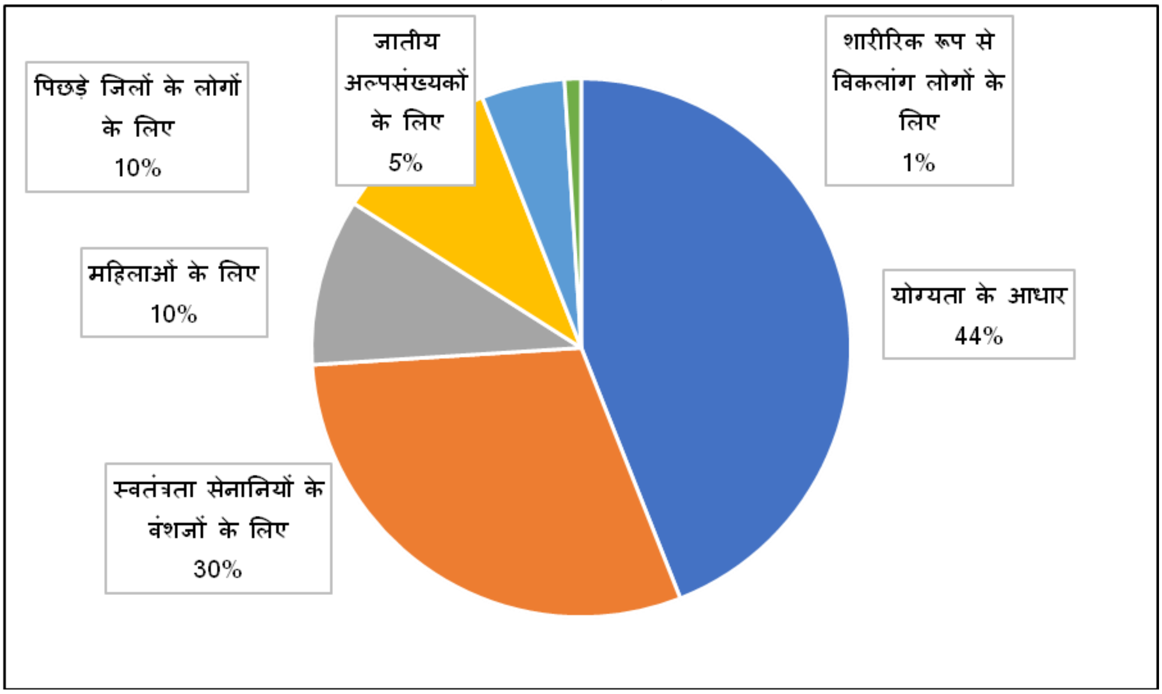

स्रोत: https://www.aljazeera.com/news/2024/7/16/whats-behind-bangladeshs-violent-quota-protests

2013 में, 34वीं BCS प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने वाले सैकड़ों नौकरी चाहने वालों ने कोटा सुधार आंदोलन शुरू किया था। सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों पर सरकारी नीतियों को चुनौती देने के उद्देश्य से किया गया यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के शाहबाग में हुआ और कई दिनों तक दैनिक जीवन को बाधित किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तत्कालीन सलाहकार एच.टी. इमाम ने मीडिया को बताया कि सरकार के पास मौजूदा कोटा प्रणाली में सुधार की कोई योजना नहीं है। बाद में, 2018 में, बांग्लादेश जनरल स्टूडेंट्स राइट कंजर्वेशन काउंसिल ने अन्य समूहों के साथ मिलकर सरकारी भर्ती नीतियों में सुधार की मांग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा कोटा प्रणाली में सुधार के लिए पाँच माँगें पेश कीं। जवाब में,बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने 4 अक्टूबर, 2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें 9-13वीं कक्षा में भर्ती के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जिन्हें पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों के रूप में जाना जाता था। 30 जुलाई, 2019 को, सरकार ने घोषणा की कि इन पदों पर भर्ती के लिए कोई कोटा नहीं होगा, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों (ग्रेड 14-20वीं) के लिए कोटा लागू रहेगा। परंतु यदि संबंधित कोटे से कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो रिक्तियों को सामान्य मेरिट सूची से भरा जाएगा। 2018 के सर्कुलर के जवाब में, स्वतंत्रता सेनानियों के सात बच्चों ने बांग्लादेश के माननीय उच्च न्यायालय प्रभाग में इसकी वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। 5 जून, 2024 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें वैध हैं, और सरकार के सर्कुलर को अवैध घोषित करते हुए कोटा सिस्टम को फिर से लागू किया। इस फैसले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। (तस्मिन, 2024)

प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि कोटा सिस्टम असंवैधानिक है, क्योंकि मूल संविधान में सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों की भावी पीढ़ियों के लिए किसी आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। उनका यह भी दावा है कि कोटा प्रणाली से जुड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार के आरोपों तक फैला हुआ है, खास तौर पर यह निर्धारित करने में कि कौन स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योग्य है और कौन नहीं। अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने यह जिम्मेदारी संभाली है, जिसके कारण यह दावा किया गया है कि पार्टी को कोटे से अनुपातहीन लाभ मिलता है। स्वतंत्रता सेनानी

सूची में नामों के बारे में 60,000 से अधिक आपत्तियाँ उठाई गई हैं, फिर भी सरकार ने इन चिंताओं का समाधान नहीं किया है। इन अनसुलझे मुद्दों के कारण असंतोष बढ़ता गया। (प्रियदर्शिनी, 2024)

10 जुलाई, 2024 को सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों और शिक्षकों के अलावा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियाँ भी प्रदर्शनों में शामिल हुईं, जिन्होंने व्यापक असंतोष दिखाया। विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को मिलने वाले लाभों का विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि अगरस्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा रद्द कर दिया जाता है तो क्या 'रजाकारों' (मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान सेना के सहयोगी) के पोते-पोतियों को भी इसी तरह के लाभ मिलेंगे। इन बयानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया। (मुकुल, 2024)

"रजाकार" शब्द फ़ारसी शब्द से आया है जिसका अर्थ स्वयंसेवक या सहायक होता है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान, रजाकार वाहिनी एक अर्धसैनिक समूह था जिसने पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ़ अत्याचार करने में भूमिका निभाई। (मल्होत्रा, 2022) कोटा प्रणाली पर प्रधानमंत्री शेख हसीना की टिप्पणी, विशेष रूप से रजाकारों के वंशजों के बारे में उनकी टिप्पणी, उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा भी दोहराई गई। बांग्लादेश के तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को राष्ट्रीय ध्वज थामने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि बांग्लादेश के तत्कालीन राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने घोषणा की कि रजाकार बनने की इच्छा रखने वालों की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। इन बयानों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध और विवाद को और बढ़ा दिया। (मुकुल, 2024)

21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने विवादास्पद सिविल सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया, लेकिन यह निर्णय तनाव को कम करने में विफल रहा। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं, जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने परिवर्तनों का विरोध करना जारी रखा। प्रदर्शनों ने व्यापक झड़पों को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 151 से ज्यादा मौतें हुई। (एएफपी, 2024)

5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों के ढाका पर आक्रमण करने के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना आवास छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-ज़मान ने घोषणा की कि हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वे अंतरिम सरकार बना रहे हैं। हसीना बाद में भारत के गाजियाबाद में एक एयरबेस पर पहुँचीं। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज़ होते गए, तस्वीरों में भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुसती हुई दिखाई दी, जिसमें कुछ लोगों ने लूटपाट भी की। (सीबीएस न्यूज़, 2024)

वर्तमान में, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस कर रहे हैं, बाग्लादेश में स्थिरता बहाल करने के लिए बनाई गई है। इस संक्रमणकालीन प्रशासन, जिसमें छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं, को स्थिरता बहाल करने, आवश्यक सुधारों को लागू करने और 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी करने का काम सौंपा गया है। (रॉयटर्स स्टाफ़, 2024)

बांग्लादेश संकट का भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

बांग्लादेश की स्थिरता और समृद्धि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, खास तौर पर उसके सबसे करीबी पड़ोसी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर आधारित एक बहुआयामी साझेदारी में विकसित हुए हैं। हालाँकि, बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक संकटअनिवार्य रूप से इस नाजुक रिश्ते को प्रभावित करता हैं। **"बांग्लादेश संकट"** शब्द में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी, सामाजिक अशांति और प्रवास-संबंधी दबाव सहित कई चुनौतियाँ शामिल हैं। इन संकटों का दोहरा प्रभाव पड़ता है: वे न केवल बांग्लादेश की आंतरिक गतिशीलता को बाधित करते हैं, बल्कि इसके बाहरी संबंधों, विशेष रूप से भारत के साथ संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। उनकी साझा 4,096 किलोमीटर की सीमा को देखते हुए, बांग्लादेश में किसी भी उथल-पुथल का भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय रणनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक प्रभाव:

बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल, विशेषकर अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्थान, ने देश के आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसका भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा है। इस अस्थिरता के दौर में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। रेखाचित्र 2, जनवरी से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए प्रस्तुत डेटा भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंधों का एक स्पष्ट और अंतर्दृष्टिपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें मासिक निर्यात और आयात को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है। इस व्यापार डेटा को विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जनवरी से दिसंबर की अवधि में भारत का बांग्लादेश को निर्यात आयात की तुलना में काफी अधिक रहा। जनवरी में निर्यात 917.3 मिलियन डॉलर था, जो मार्च में 1,143.10 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया, लेकिन अप्रैल में 805.79 मिलियन डॉलर तक गिरावट आई। इसके बाद निर्यात में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि दिसंबर में यह 1,157.59 मिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर, आयात अपेक्षाकृत स्थिर रहा, लेकिन सितंबर में 206.28 मिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर और अप्रैल में 109.8 मिलियन डॉलर के न्यूनतम स्तर पर था। (भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2024) वर्षभर के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत-बांग्लादेश व्यापारिक संबंधों में निर्यात-आयात असंतुलन बना रहा, जहां भारत का निर्यात बांग्लादेश से होने वाले आयात की तुलना में लगातार अधिक रहा। इसके अलावा इन आकड़ो का विश्लेषण कुछ विशिष्ट पैटर्न और प्रवृत्तियों को उजागर करता है। पहली तिमाही में निर्यात विशेष रूप से मजबूत रहा, जिसमें फरवरी और मार्च में उच्चतम आंकड़े दर्ज किए गए। मार्च के बाद, निर्यात मूल्यों में गिरावट आई, जो अगस्त में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, संभवतः बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ। राजनीतिक अस्थिरता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत-बांग्लादेश के

भूतपूर्व वर्षों के व्यापारिक पैटर्नों को देखा जाये तो जब-जब दोनों देशों में सहयोगी नेतृत्व की स्थिति रही, तो आर्थिक समझौतों, व्यापार में सुविधाएं और आयात और निर्यात में प्रगति देखने को मिली। इसके विपरीत, दोनों देशों के राजनीतिक तनावों ने व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा किया हैं।

रेखाचित्र 2: भारत-बांग्लादेश व्यापारिक संबंध (जनवरी-दिसंबर 2024)

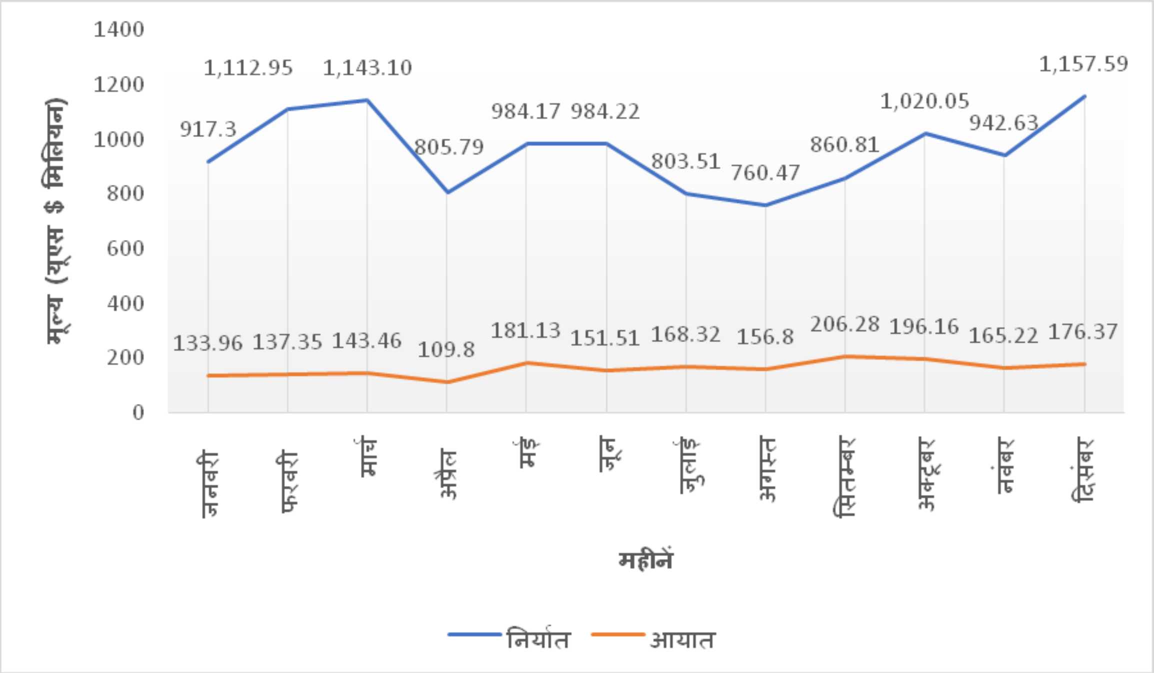

स्रोत: भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

बांग्लादेश, भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार रहा है, जहां भारत पारंपरिक रूप से अपने पड़ोसी देश के साथ मजबूत व्यापार अधिशेष का आनंद लेता है। हालांकि, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश की आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है, जिससे भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश की आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान से आयात की मांग में कमी आ सकती है, जिसमें कपास भी शामिल है, जो भारत से बांग्लादेश को निर्यात का एक प्रमुख घटक है।(राय, 2024)इसके अलावा बांग्लादेश संकट ने उन कई भारतीय कंपनियों के शेयर मूल्यों में गिरावट का कारण बना है, जिनके बांग्लादेश के साथ मजबूत व्यावसायिक संबंध हैं, जिनमें प्रमुख फर्में जैसे एशियन पेंट्स, इमामी, मैरिको और टाटा मोटर्स शामिल हैं। यह गिरावट निवेशकों की अपने बांग्लादेशी उपक्रमों की स्थिरता और लाभप्रदता के प्रति आशंकाओं को दर्शाती है। अनिश्चित राजनीतिक माहौल ने भारतीय व्यवसायों को सतर्क बना दिया है, जिससे वे भविष्य के निवेश में देरी या पुनर्विचार कर सकते हैं। (सिडली ऑस्टिन एलएलपी, 2024)

भू-आर्थिक मोर्चे पर, यह उम्मीद की जाती है कि अंतरिम और भावी बांग्लादेशी सरकारें भारत से परे देश की आर्थिक साझेदारी में विविधता लाना जारी रखेंगी। नई दिल्ली के लिए, यह दो तरह से प्रकट हो सकता है: कुछ पहलुओं में निरंतरता, जैसा कि अंतरिम सरकार द्वारा सौर फार्म परियोजनाओं के लिए चीन से संपर्क करने में देखा गया है, और भारत विरोधी भावना में संभावित वृद्धि, जिसका उदाहरण बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान है। राजनीतिक उथल-पुथल ने मैरिको, गोदरेज और डाबर सहित बारह भारतीय फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों के संचालन को पहले ही बाधित कर दिया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण समस्याएँ पैदा हो रही हैं और उनके राजस्व और स्टॉक प्रदर्शन को खतरा है। संरचनात्मक स्तर पर, बीएनपी ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौतों को रद्द करने की मांग की है, उन्हें गुप्त और अनुचित करार दिया है। इस बीच, अंतरिम सरकार भारत के साथ कुछ समझौता ज्ञापनों की समीक्षा कर रही है और उन्हें रद्द कर सकती है, जिन्हें वह ढाका के लिए "गैर-लाभकारी" मानती है। हालांकि, बांग्लादेश के खाद्य, सूती धागे और ऊर्जा जैसे आवश्यक आयातों के लिए भारत पर निर्भरता के कारण इन कदमों को बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावना नहीं है। फिर भी, बांग्लादेश में भारत के आर्थिक प्रभाव का धीरे-धीरे कम होना एक उभरती हुई वास्तविकता प्रतीत होती है। (सक्सेना, 2024)

सुरक्षा प्रभाव:

भारत, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में फैली हुई है। बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रभाग खुलना, राजशाही, रंगपुर, मैमनसिंह, सिलहट और चटगाँव भारत के साथ इस सीमा पर स्थित हैं। लंबे समय से, भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा को अपेक्षाकृत सरल और सुरक्षित माना है, जिसमें न्यूनतम रणनीतिक और सुरक्षा

संबंधी चिंताएँ हैं, यह पहचानने में विफल रहे कि यह वास्तव में सुरक्षा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। यथार्थवादी आकलन से पता चलता है कि भारत-बांग्लादेश सीमा दक्षिण एशिया में प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और अस्थिर सीमाओं में से एक है। इसमें कई कारक योगदान करते हैं, जिसमें सीमा के दोनों ओर गरीब समुदायों की घनी आबादी, खराब आर्थिक स्थिति, असमान भूभाग, नागरिक सुरक्षा की कमी, बांग्लादेश की लगातार आंतरिक अस्थिरता, नदियों, नालों और विशाल चर भूमि (गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में नदी के जमाव से निर्मित), अवैध प्रवास, मवेशियों की तस्करी, सीमा बाड़ से परे बसे गाँव और बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों की उपस्थिति शामिल हैं। ये कारक सामूहिक रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करना विशेष रूप से कठिन बनाते हैं। (शर्मा, 2024)

बांग्लादेश में शासन परिवर्तन के प्रत्यक्ष और तत्काल सुरक्षा निहितार्थ हैं, जो अगर ठीक से संबोधित नहीं किए गए, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और जनसांख्यिकी संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए अवामी लीग के नेताओं, सदस्यों और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं के पलायन की संभावना है, जो संभवतः भूमि सीमाओं के माध्यम से पलायन कर रहे हैं। यह अनिर्दिष्ट प्रवास बढ़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा रक्षक (बीजीबी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित है, जिससे सीमा गश्त में कमजोरियां पैदा होती हैं। भारत-बांग्लादेश की पूरी भूमि सीमा दोनों तरफ के कई दलालों से ग्रस्त है, जो भारत में वित्तीय लाभ के लिए अनिर्दिष्ट प्रवास और घुसपैठ की सुविधा प्रदान करते हैं। (शर्मा, 2024) इससे प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और सुरक्षा को खतरा है। यह संभावना है कि ये निष्क्रिय दलाल फिर से सक्रिय हो जाएँगे, जिससे अवैध प्रवास में वृद्धि होगी।

बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी भी है, जो बर्मी शासन की नरसंहार कार्रवाइयों के कारण म्यांमार से विस्थापित हुए थे। इन शरणार्थियों को मुख्य रूप से कॉक्स बाज़ार और अन्य स्थानों पर शिविरों में रखा गया है। पर्याप्त सुरक्षा की कमी के कारण शरणार्थी भागने और गायब होने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोग दलालों के एक स्थापित नेटवर्क की सहायता से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों, शरणार्थियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की आमद के अलावा, बांग्लादेश में शासन परिवर्तन पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूहों को भी सक्रिय कर सकता है। ये समूह क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए बांग्लादेश में शिविरों को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। वे बांग्लादेशी उग्रवादी गुटों के साथ सहयोग कर सकते हैं, जिन्हें रसद, हथियार, गोला-बारूद और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विदेशी संचालकों का समर्थन प्राप्त है। इन निष्क्रिय समूहों का फिर से उभरना भारत के लिए सबसे गंभीर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक हो सकता है। (शर्मा, 2024)

बांग्लादेश में अशांति के जवाब में, भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 2 दिसंबर, 2024 को, भारत ने एहतियात के तौर पर बांग्लादेश सीमा के पास यात्री और मालगाड़ी सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इसके तुरंत बाद, भारत के अगरतला में बांग्लादेशी राजनयिक मिशन पर हमला हुआ, जिसकी ढाका ने कड़ी निंदा की और बाद में भारतीय अधिकारियों ने गिरफ़्तारियाँ कीं। तनाव को बढ़ाते हुए, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं पर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा कीहैं। (एसएटी एडिटोरियल डेस्क, 2024)

बांग्लादेश में चल रहा राजनीतिक और आर्थिक संकट उसके द्विपक्षीय संबंधों, खासकर पड़ोसी भारत के साथ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थ प्रस्तुत करता है। राजनीतिक अस्थिरता, जैसे शेख हसीना सरकार का संभावित पतन या चुनाव अवधि के दौरान लंबे समय तक अशांति, एक अस्थिर वातावरण बनाता है जो अवैध प्रवास, मानव तस्करी और उग्रवाद गतिविधियों सहित सीमा पार के मुद्दों को बढ़ा सकता है। एक कमजोर बांग्लादेश चरमपंथी समूहों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में भी काम कर सकता है, जो संभावित रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फैल सकता है और क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा, बांग्लादेश में कमजोर शासन सीमा सुरक्षा, पारगमन और व्यापार से संबंधित प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है, जिससे आपसी विश्वास कम हो सकता है। यह संकट ढाका को चीन जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन और रणनीतिक संरेखण बदल सकता है। इसलिए, बांग्लादेश संकट भारत से एक सक्रिय दृष्टिकोण की मांग करता है, जो कूटनीतिक जुड़ाव, क्षमता निर्माण सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों के बीच द्विपक्षीय संबंध लचीले बने रहें।

सामाजिक प्रभाव:

ऐतिहासिक रूप से, भारत और बांग्लादेश ने गहरी सांस्कृतिक जड़ें साझा की हैं, जिसमें भाषा, परंपराएँ और साझा इतिहास शामिल हैं। इन संबंधों ने दोनों देशों की आबादी के बीच सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिरता ने इन संबंधों को कमज़ोर कर दिया है। भारत समर्थक रुख के लिए जानी जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े ने एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया है, जिससे कूटनीतिक जुड़ाव में अनिश्चितताएँ पैदा हो गई हैं। इस बदलाव से बांग्लादेश में लोगों की धारणा बदलने की संभावना है, जहाँ हसीना की सरकार के लिए भारत के समर्थन को कभी-कभी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। बांग्लादेशी आबादी के कुछ वर्गों में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बाधित कर सकता है जो द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल ने देश के हिंदू अल्पसंख्यकों और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐतिहासिक रूप से, बांग्लादेश की आबादी का लगभग 8% हिस्सा हिंदू समुदाय राजनीतिक अस्थिरता के दौर में कमज़ोर रहा है। मौजूदा संकट ने इन कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है, जिससे हिंदुओं के खिलाफ़ लक्षित हमलों में वृद्धि हुई है। हसीना के जाने के तुरंत बाद, 52 जिलों में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ कम से कम 200 हमलों की खबरें आई। इन घटनाओं में मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी और शारीरिक हमले शामिल हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। हिंसा को आवामी लीग के कथित समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और अंतर्निहित धार्मिक असहिष्णुता दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मुहम्मद यूनुस के

नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हमलों की "जघन्य" के रूप में निंदा की है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के नेताओं के साथ काम करने का वादा किया है। (एपी, 2024)

बांग्लादेश के साथ गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों वाले पड़ोसी देश के रूप में भारत ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। इस स्थिति ने हिंदू समुदाय की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से कूटनीतिक जुड़ाव को जन्म दिया है। दिसंबर 2024 में, दोनों देशों के विदेश सचिवों ने बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए ढाका में मुलाकात की, जिसमें भारत ने आपसी विश्वास और सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। (आलम, 2024) इस संकट ने भारत में भी लोगों की धारणा को प्रभावित किया है, जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आशंकाएँ बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक नेताओं के बयानों से यह भावना और बढ़ गई है, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रभावित हो सकते हैं। कुछ भारतीय आउटलेट्स में हमलों को नरसंहार या नरसंहार के रूप में पेश किए जाने से लोगों की भावनाएँ और भी तीव्र हो गई हैं। (एपी, 2024)

बांग्लादेश संकट पर भारत की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में हाल ही में हुए संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही है, जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए राजनीतिक और अल्पसंख्यक आयामों को संबोधित किया गया है।शेख हसीना के भारत चले जाने से नई दिल्ली एक नाजुक स्थिति में आ गई। जबकि भारत में क्षेत्रीय नेताओं को शरण देने की परंपरा रही है, हसीना की मेज़बानी करने से बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी भावनाएँ भड़कने का जोखिम था, जहाँ विपक्षी गुटों ने पहले भी भारत पर अनुचित हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने हसीना की उपस्थिति के बारे में विवेक बनाए रखा, जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों को कूटनीतिक संवेदनशीलता के साथ संतुलित करना था। (रीड, 2024) भारत के विदेश मंत्री ने पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त कीतथा प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद कानून और व्यवस्था की स्पष्ट बहाली के महत्व पर बल दिया। जयशंकर ने कहा, "हम बहुत चिंतित हैं और स्वाभाविक रूप से तब तक चिंतित रहेंगे जब तक कानून और व्यवस्था स्पष्ट रूप से बहाल नहीं हो जाती।"(उक्त)

बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम ने न केवल नई दिल्ली के लिए संरचनात्मक चिंताएँ बढ़ा दी हैं, बल्कि भारत की घरेलू राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष हसीना सरकार को उखाड़ फेंकना और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, उनकी संपत्ति और संस्थानों को निशाना बनाकर व्यापक हिंसा और बर्बरता ने भारत में राजनीतिक और नागरिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। (सक्सेना, 2024) 5 से 10 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 200 से अधिक घटनाओं की रिपोर्ट के साथ, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान अपनी सरकार की चिंताओं को व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि “140 करोड़ भारतीय बांग्लादेश में अशांति के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।“ उनका यह बयान हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हमेशा यही इच्छा रही है कि उसके पड़ोसी देश "समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें"। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में भारत अपनी "विकास यात्रा" में "बांग्लादेश के लिए शुभकामनाएं" देना जारी रखेगा क्योंकि "हम मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं"। (कलिता, 2024)

प्रधानमंत्री के इस बयान को भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतिबिंब माना जा सकता है। हालांकि, बांग्लादेश में बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य और बढ़ती अस्थिरता ने भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। भारत, जो हमेशा से अपने पड़ोस में स्थिरता और विकास का पक्षधर रहा है, अब बांग्लादेश में संभावित कट्टरपंथी ताकतों के उभार और इसके प्रभावों से चिंतित है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। इस संदर्भ में, भारत का रुख यह है कि बांग्लादेश में एक स्थिर और समावेशी सरकार न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश भारत की "पड़ोसी पहले" नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, इसलिए नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से कूटनीति, आर्थिक सहायता और सुरक्षा सहयोग के संयोजन के माध्यम से संकटों को दूर करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में विवादास्पद चुनाव या आंतरिक शासन के मुद्दों जैसे राजनीतिक अशांति के दौर में, भारत अक्सर शांत कूटनीति में संलग्न होता है, सभी हितधारकों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और हिंसा से बचने का आग्रह करता है। आर्थिक रूप से, भारत ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और स्पिलओवर प्रभावों की संभावना को कम करने के लिए ऋण, व्यापार रियायतें और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया है। सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत ने अवैध प्रवास, तस्करी और उग्रवाद जैसी सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा प्रबंधन और खुफिया-साझाकरण तंत्र को मजबूत किया है। इन उपायों में संतुलन बनाकर भारत का लक्ष्य एक स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश सुनिश्चित करना है, जो उसकी अपनी सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त बीएसएफ वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कम-से-कम घातक दृष्टिकोण अपना रहा है, लेकिन अधिक प्रभावी और सुरक्षित सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इस रणनीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अवैध प्रवास, शरणार्थियों की आमद और सशस्त्र अलगाववादियों की संभावित आवाजाही से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपर्याप्त है।बीएसएफ को सीमा और उसके सैन्य तैनाती का गहन भौतिक सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। इस ऑडिट में इलाके का व्यापक मूल्यांकन

शामिल होना चाहिए, जिसमें नदियाँ, नदी के किनारे के क्षेत्र, नाले के अंतराल, चर भूमि और मानसून की बदलती परिस्थितियों के कारण सीमा बाड़ में अंतराल शामिल हैं।इसके अलावा, बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोनों देशों को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए खुली बातचीत और सहयोगात्मक प्रयासों में शामिल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके ऐतिहासिक संबंध संरक्षित और मजबूत हों।

अंत: बांग्लादेश में संकट भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक जटिल चुनौती है, जो आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक-राजनीतिक आयामों को आपस में जोड़ता है। बांग्लादेश की चुनौतियों के मूल कारणों को संबोधित करके और सहयोगी समाधानों को बढ़ावा देकर, भारत और बांग्लादेश इस अशांत अवधि को पार कर सकते हैं और भविष्य के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। इस साझेदारी की लचीलापन दोनों देशों की क्षेत्रीय सद्भाव और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक आकांक्षाओं के साथ तत्काल चिंताओं को संतुलित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

संदर्भ सूची

आलम, जे. (2024, दिसंबर 9). बांग्लादेश एंड इंडिया होल्ड टॉक्स एमएड एट देफुसिंग एस्कलटिंग टेंशन्स. ऐपी न्यूज़. https://apnews.com/article/881cf57c2ab65fd1c64bc8aa0ae93783

फर्स्टपोस्ट. (2024, अगस्त 5).बांग्लादेश पोलिटिकल क्राइसिस तो इम्पैक्ट ट्रेड विद इंडिया, एक्सपोर्टर्स एक्सप्रेस कंसर्नस.https://www.firstpost.com/world/bangladesh-political-crisis-to-imapact-trade-with-india-exporters-express-concerns-13801228.html

फिलिप, बी. (2024, सितम्बर 8). इंडिया चैलेंज्ड बी चीन इन इतस "स्फीयर ऑफ़ इन्फ्लुएंस". लेमोंडे.फर. https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/09/08/india-challenged-by-china-in-its-sphere-of-influence_6725225_23.html

गार्डियन स्टाफ रिपोर्टर. (2024, दिसंबर 5). इंडिया-बांग्लादेश रिलेशन्स सावर अस टेंशन्स राइज ओवर अटैक्स ऑन हिन्दू माइनॉरिटी. द गार्डियन. https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/india-bangladesh-relations-sour-as-tensions-rise-over-attacks-on-hindu-minority

शाहनवाज़ ऐ. मंटू. (2015). इंडिया-बांग्लादेश रिलेशन्स (1975-1990). जर्नल ऑफ़ साउथ एशियाई स्टडीज, वॉल्यूम 3, नंबर 3, पेज नo 331.

शेरिना, एम. (2022). बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ़1971: डिसीवे रोले ऑफ़ इंडिया इन मेडिएशन एंड कनफ्लिक्ट रेसोलुशन; एंड ट्रांज़िशनल जस्टिस इन बांग्लादेश. इंटरगवर्नमेंटल रिसर्च एंड पालिसी जर्नल. https://irpj.euclid.int/articles/bangladesh-liberation-war-of-1971-decisive-role-of-india-in-mediation-and-conflict-resolution-and-transitional-justice-in-bangladesh/

हुसैन, एन. (1989). द बांग्लादेश-इंडिया रिलेशन्स1972-75: सीड्स ऑफ़ फ्यूचर डिस्कॉर्ड. इन एम. अहमद &एन. कलाम, बांग्लादेश फॉरेन रिलेशन्स: चंगेस एंड डिरेक्शंस. पेज नo 9-19. ढाका.

चकमा भुमित्र. (2009). साउथ एशिया'स रेअलिस्ट फसकिनाशन एंड द अल्टरनेटिव्ज. कंटेम्परारी सिक्योरिटी पालिसी. वॉल्यूम 30(3), पेज नo 404. https://doi.org/10.1080/13523260903326404

द डेली स्टार. (2011, नवंबर 30). ट्रायल बेसिस विद डेपोज़िशन ऑफ़ 3 विटनेसेस. https://www.thedailystar.net/news-detail-212281

लस्कर, आर. एच . (2024, अगस्त 5). बांग्लादेश पीएम शेख हसीना रेसिग्नस, फ्लीस कंट्री; आर्मी चीफ अन्नोउंसेस अंतरिम गवर्मेंट. हिंदुस्तान टाइम्स. https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-pm-sheikh-hasina-resigns-flees-country-army-chief-announces-interim-govt-101722857058634.html

तस्मिन्, ई. (2024, जून 5). द कोटा एंड इटस कोंस्टीटूशनल हिस्ट्री. ढाका ट्रिब्यून. https://www.dhakatribune.com/opinion/longform/352361/the-quota-and-its-constitutional-history

स्टाफ, ए. जे. (2024, जुलाई 16). व्हाट'स बिहाइंड बांग्लादेश'स वायलेंट कोटा प्रोटेस्ट्स? अल जज़ीरा. https://www.aljazeera.com/news/2024/7/16/whats-behind-bangladeshs-violent-quota-protests

प्रियदर्शिनी, ए. (2024, अगस्त 5). बांग्लादेश उनरेस्ट: अस शेख हसीना रेसिग्नस व्हाट स्पार्केड द स्टूडेंट प्रोटेस्ट? आउटलुक इंडिया. https://www.outlookindia.com/international/bangladesh-student-unrest-why-are-the-students-angry-with-the-muktijoddha-quota

मुकुल, एस. (2024, जुलाई 18). हाउ राज़करस ऑफ़1971 हैव रिटर्न्ड टू हौंट बांग्लादेश अमीद कोटा प्रोटेस्ट्स. इंडिया टुडे. https://www.indiatoday.in/world/story/razakar-1971-student-protest-bangladesh-quota-dhaka-university-sheikh-hasina-bnp-khaleda-zia-2568510-2024-07-18

मल्होत्रा, आर. (2022, जुलाई 31). एस्प्लेनेड: हु वर द राज़करस अक्सुसेड ऑफ़ होर्रिफिक क्राइम्स दूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? द इंडियन एक्सप्रेस. https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/razakars-accused-horrific-crimes-1971-bangladesh-liberation-war-8062174/
एएफपी. (2024, जुलाई 21). बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स: बांग्लादेश'स सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स मोस्ट जॉब कोटस देअत ट्रिगर्ड डेडली प्रोटेस्ट्स. द हिन्दू. https://www.thehindu.com/news/international/bangladeshs-supreme-court-scraps-most-job-quotas-that-triggered-deadly-protests-reports/article68428675.ece
सीबीएस न्यूज़. (2024, अगस्त 5). बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लीस अस आर्मी चीफ डेक्लारेस अंतरिम गवर्नमेंट. https://www.cbsnews.com/news/bangladesh-prime-minister-sheikh-hasina-flees-as-protesters-storm-her-residence/
भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय. (2024). Commerce.gov.in. https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/Default.asp
रॉयटर्स स्टाफ़. (2024, दिसंबर 31). थाउजेंडस मार्च इन बांग्लादेश टू मार्क स्टूडेंट-लेद प्रिसिंग तहत स्टेड हसीना. रायटर्स. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thousands-march-bangladesh-mark-student-led-uprising-that-ousted-pm-hasina-2024-12-31/
सीडलेय ऑस्टिन एलएलपी (2024, अगस्त 7). रेजिमे चेंज इन बांग्लादेश– रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स. https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2024/08/regime-change-in-bangladesh-risk-mitigation-strategies-for-indian-investors
सक्सेना, सी. (2024, सितम्बर 16). ईस्टर्न फ्रंट: इंडिया'स बांग्लादेश चैलेंज. सेण्टर फॉर थे एडवांस्ड स्टडी ऑफ़ इंडिया (सीएएसआई). https://casi.sas.upenn.edu/iit/chayanika-saxena-2024
शर्मा, आर. सी. (2024, अगस्त 9). बांग्लादेश क्राइसिस: इंडिया'स सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड स्ट्रेटेजी टू टैकल डेम. इंडियाएसेंटीनेल्स.कॉम. https://www.indiasentinels.com/opinion/bangladesh-crisis-indias-security-concerns-and-strategy-to-tackle-them-6415
एसएटी एडिटोरियल डेस्क. (2024, दिसंबर 11). बांग्लादेश'स इवॉल्विंग फॉरेन रिलेशन्स इन साउथ एशिया. साउथ एशिया टाइम्स. https://southasiatimes.org/bangladeshs-evolving-foreign-relations-in-south-asia/
एपी. (2024, अगस्त 14). वायलेंस इन बांग्लादेश आफ्टर हसीना'स आउटस्टर स्टोर्स फियर विदिन हिन्दू माइनॉरिटी इन कंट्री. द हिन्दू. https://www.thehindu.com/news/international/violence-in-bangladesh-after-hasinas-ouster-stirs-fear-within-hindu-minority-in-country/article68523564.ece
रिड, जे. (2024, सितम्बर 18). वेयर ईज शेख हसीना? फाइनेंसियल टाइम्स. https://www.ft.com/content/06d1339f-6b8e-414a-bdde-38eb426dc293
कलिता, के. एस. (2024, अगस्त 15). 140 करोड़ इंडियंस वरीड अबाउट सेफ्टी ऑफ़ हिन्दुस्, माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश: पीएम. इंडिया टुडे. https://www.indiatoday.in/india/story/prime-minister-narendra-modi-bangladesh-atrocities-2582542-2024-08-15

महात्मा गाँधी की पत्रकारिताकेदर्शन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. पंकज सिंह*
आशु अहिरवार**

सारांश

महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं से भारतीय जनमानस आप्लावित रहा है। महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनेक रूप हैं- वे राजनेता थे, देशभक्त थे, समाज-सुधारक थे, सांप्रदायिक एकता के अग्रदूत थे, अस्पृश्यता निवारण के मसीहा थे, और वे पत्रकार भी थे। निश्चय ही, महात्मा गाँधी के पत्रकार रूप का महत्त्व कम नहीं है, बल्कि यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि गाँधी को महात्मा बनाने में उनकी पत्रकारिता को सबसे अधिक श्रेय मिलना चाहिए। गाँधी जी ने 'नवजीवन', 'यंग इंडिया', 'हरिजन' जैसे पत्रों का प्रकाशन किया और इसके माध्यम से एक अलग प्रकार की पत्रकारिता की नींव भी रखी। लेकिन गाँधी जी की पत्रकारिता पर बहुत कम लिखा गया है। गाँधी अपने विचारों और कर्मशीलता के कारण राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, अर्थ आदि क्षेत्रों में महान बने और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी महानता असंदिग्ध थी। गाँधी ने पत्रकारिता में जो प्रतिमान बनाए वे उनके परंपरागत भारतीय ज्ञान, तात्कालिक भारतीय परिवेश, चिंतन तथा संघर्ष से बने थे और उनमें भारतीयता की गहरी छाप थी। उन्होंने पत्रकारिता में पश्चिम की नक़ल की प्रवृत्ति तथा उससे होनेवाले प्रदूषण की भर्त्सना करते हुए भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी और अपने राष्ट्र-बोध से उसके प्रतिमानों की सृष्टि की। गाँधी भारतीय पत्रकारिता को रूप देते- देते स्वयं ही पत्रकारिता के प्रतिमान बन गए। प्रस्तुत शोध पत्र 'महात्मा गाँधी की पत्रकारिता-दर्शन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' में गाँधीजी की पत्रकारिता की विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में गाँधी की पत्रकारिता को जानना, समझना और उस पर आचरण करने का अर्थ है भारतीय पत्रकारिता की प्रकृति, चरित्र तथा उसके दर्शन का दिग्दर्शन करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द: पत्रकार, पत्रकारिता, हरिजन, यंग इंडिया, प्रतिमान, नवजीवन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह

प्रस्तावना

प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार महात्मा गाँधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक् मूल्य निर्धारित करना अभी किसी के लिए सम्भव नहीं दीखता। खान-पान, रहन-सहन, भाव-विचार, भाषा और शैली, परिच्छद और परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार एवं धर्म-कर्म, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता भारत में आज जो भी आचार या विचार प्रचलित हैं, उनमें से प्रत्येक पर कहीं-न-कहीं गाँधीजी की छाप है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियों में भी ऐसे अनेक लोग हैं, जिनकी पोशाक नहीं तो खान-पान में विचार नहीं तो सामाजिक आचार में, महात्मा गाँधी का प्रभाव मौजूद है। (दिनकर, रामधारी सिंह, 2015)

महात्मा गाँधी विशुद्ध राजनीतिक विचारक नहीं थे। उनके चिंतन के केंद्र में मनुष्य का सर्वांगीण विकास था। राजनीति को उन्होंने नैतिकता के एक साधन के रूप में देखा और उसी रूप में अपनाया। उनकी यह विशिष्टता ही उन्हें आधुनिक युग के तमाम विचारकों से अलग कर देती है। वे सच्चे कर्मयोगी थे। व्यावहारिक जीवन में जो समस्याएं समय-समय पर उनके सामने आई, उनका समाधान करते हुए आगे बढ़ते गए। महात्मा गाँधी का संपूर्ण जीवन सत्य और अहिंसा के प्रयोगों का जीवन था। उन्होंने स्वतत्रंता एवं स्वराज्य के संधर्ष में सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग तथा सर्वोदय के नैतिक हथियारों का प्रयोग करके अपने जीवन-दर्शन का प्रारूप प्रस्तुत किया। गाँधी के चिंतन और विचारों का संसार इतना बड़ा है कि भारत सरकार ने सौ खण्डों (संपूर्ण गाँधी वाग्डमय) में उसे प्रकाशित किया है। गाँधीजी में संवाद तथा संप्रेषण की अद्भुत कला थी और वे जान चुके थे कि देश-विदेश के करोड़ों पाठकों, चिंतकों एवं स्वतंत्रता प्रेमियों तक समाचार-पत्र के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। इसलिए गाँधीजी देश विदेश के जिस भी भू-भाग में रहे, उन्होंने अपने कार्यक्रमों तथा विचारों को प्रसारित तथा प्रचारित करने के लिए सदैव ही समाचार-पत्रों का सहारा लिया। गाँधीजी समाचार-पत्रों के महत्व को जानते थे, तथा उनकी शक्ति को पहचानते थे, इसी कारण उन्होंने समाचार-पत्रों का संपादन-प्रकाशन किया तथा लगभग चार दशकों तक पत्रकार की भूमिका निभाई।प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पर्यावरणविद रामचन्द्र गुहा के अनुसार महात्मा गाँधी का पत्रकारिता से या यों कहें सार्वजनिक लेखन से सर्वप्रथम परिचय लंदन में हुआ जब वे बैरिस्टरी करने के लिए वहाँ गए थे। लंदन में उनके साथ रहने वाले मित्र जोशिया ओल्डफिल्ड ने उन्हे राजी इस बात के लिए राजी किया कि वे 'द वेजिटेरियन' के लिए लेख लिखें। उस समय गाँधी ने 'द वेजीटेरियन' नामक पत्रिका में बारह लेखों की श्रृंखला लिखकर पत्रकारिता में प्रवेश किया।

*डॉ. पंकज सिंह, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, (म.प्र.)- 470003।
**आशु अहिरवार, शोधार्थी, इतिहास विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, (म.प्र.)- 470003।

'द वेजीटेरियन' का पहला लेख 7 फरवरी, 1891 में प्रकाशित हुआ। जब गाँधीजी ने अपना पहला लेख 'द वेजीटेरियन' के लिए लिखा था, तब उनकी उम्र 21 वर्ष 4 माह की थी। यह किसी भी युवा भारतीय के लिए उपलब्धि से कम नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पर्यावरणविद् रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि खासकर तब जबकि गाँधी ने पहली बार ग्यारह वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सीखनी शुरु की थी और जिसका मैट्रिकुलेशन में बहुत औसत अंक रहा हो- गाँधी का लेखन आश्चर्यजनक रुप से साफ और अत्यंत परिपक्व है। (गुहा, रामचंद्र, 2015) 'द वेजिटेरियन' में गाँधीजी द्वारा लिखे गए लेखों के विषय अत्यंत विविध थे। उन्होंने खासकर भारतीयों के खानपान, शाकाहार का महत्व, भारतीय शाकाहार यूरोपीय शाकाहार में भिन्नता, भारतीय व्यंजनों में मसालों के प्रयोग एवं उसके महत्व आदी विषयों पर रोचक ढंग से तथा विस्तार से लिखा। भारत में जातिप्रथा पर भी लिखा। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। गाँधीजी ने भारतीय समाज में बालविवाह जैसे कुरुतियों तथा उसके दुष्परिणाम पर भी लेख लिखा। उनके द्वारा बालविवाह की आलोचना उनके निजी अनुभवों पर भी आधारित थी। गाँधीजी ने शराब के दुष्प्रभावों पर भी अपने मजबूत विचार रखे। शराब को गाँधीजी ने 'मानव जाति का दुश्मन' करार दिया और सभ्यता के लिए कलंक बताया। साथ ही साथ गाँधीजी ने इसे 'भारत में ब्रिटिश शासन का एक सबसे बड़ा अभिशाप भी बताया'। गाँधीजी द्वारा पहली बार 21 वर्ष की आयु में अपनी लेखनी के माध्यम से साम्राज्यवादी शासन की आलोचना (भारत में शराब की बिक्री और उपभोग बढ़ाने के लिए) भी कर दी। (गुहा, रामचंद्र, 2015) गाँधीजी द्वारा अपनी बातों को अत्यंत सहज, सरल, निर्भिक तथा स्पष्ट तरीके से रखने का उदाहरण अपने प्रारंभिक लेखन में ही दिखाई पड़ता है।
महात्मा गाँधी 23 वर्ष की आयु में सन् अप्रैल 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला के मुकदमें की पैरवी के लिए 105 पौंड वार्षिक के वेतन पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। पत्रकारिता में गाँधीजी के योगदान की ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो उनकी पत्रकारिता की शुरुआत ही विरोध की निडर अभिव्यक्ति के तौर पर हुई थी जब पहली बार गाँधीजी दादा अब्दुल्ला के साथ डरबन की एक अदालत में गए तो वहां पर जज ने गाँधीजी को गुजराती पगड़ी उतारने के लिए कहा, उनके द्वारा पगड़ी नहीं उतारने पर जज ने उन्हें कोर्ट परिसर से बाहर जाने का आदेश दिया। अपने साथ हुए इस दुरव्यवहार का विरोध करते हुए गाँधीजी ने डरबन के 'नेटाल एडवर्टाइजर' के सम्पादक को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज किया। गाँधीजी ने लिखा है कि 'नेटाल एडवर्टाइजर' (26 मई, 1893) ने उनकी 'एक अवांछनीय अतिथि' ('अनवेलकम्ड विजिटर') के रूप में चर्चा की तो तीन-चार दिन के अंदर ही अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। (गाँधी, मो. क., 2014) अखबार को लिखे उस पत्र को गाँधीजी की पत्रकारिता का पहला कदम माना जा सकता है। ऐसी ही घटनाओं से गाँधीजी को समाचार-पत्र की आवश्यकता और उपयोगिता समझ में आ गई। दादा अब्दुल्ला के मुकदमें की पैरवी समाप्त होने पर उन्होंने भारत लौटने का मन बनाया तभी कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरूद्ध आंदोलन छेड़ने के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रूकना पड़ा और जुलाई, 1914 में ही वे स्थाई रूप से दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर भारत जा सके। गाँधीजी ने 22 अगस्त, 1894 में, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। (गाँधी, मो. क., 2014) नेटाल इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल्ला हाजी आदम बने और गाँधी अवैतनिक मंत्री। नेटाल इंडियन कांग्रेस का उद्देश्य था- भारतीय एवं यूरोपीयों के बीच मेलजोल और एकता बढ़ाना, भारत की जनता को उपनिवेशों में रहनेवाली भारतीय जनता की जानकारी देना, गिरमिटिया भारतीयों की हालत की जाँच करना, उनके कष्टों को दूर करना तथा उनकी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करना। (मिश्र, भवानीप्रसाद,2014) गाँधीजी के दक्षिण अफ्रीका पहुँचने पर 'नेटाल एडवर्टाइजर', 'नेटाल मर्क्युरी', 'नेटाल विटनेस', 'टाइम्स ऑफ नेटाल', 'केप टाइम्स', 'जोहानिसबर्ग टाइम्स' आदि अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित विभिन्न टिप्पणियों तथा समाचारों से सामना हुआ और इससे उन्हें पर्याप्त ख्याति मिली।

गाँधी दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीय प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए बराबर प्रयत्नशील रहे और उन्होंने 'इंडिया', 'एडवर्टाइजर', 'केप टाइम्स', 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'टाइम्स ऑफ नेटाल', 'नेटाल एडवर्टाइजर', 'नेटाल मर्क्युरी', 'नेटाल विटनेस', 'रैंड डेली मेल', 'स्टार' आदि समाचार-पत्रों का इसके लिए उपयोग किया। गाँधीजी स्वयं युद्ध-संवाददाता के रुप में बोअर-युद्ध के दौरान काम किया था। गाँधी ने अक्टूबर, 1901 में यह माना कि दक्षिण अफ्रीका में उनका काम खत्म हो गया है और स्वदेश लौटना है। गाँधी का कुछ स्थानों पर अभिनंदन हुआ और उन्होंने वहाँ मिले सभी उपहार एक बैंक में जमा करके एक ट्रस्ट को सौंप दिए। गाँधी ने यह वचन दिया कि यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वे दक्षिण अफ्रीका लौट आएँगें। गाँधी मॉरिशस होते हुए भारत पहुँचे और 27 दिसंबर, 1901 को कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका संबंधी प्रस्ताव पेश किया। गाँधी ने राजकोट, बंबई में वकालत जमाने का प्रयत्न किया। परंतु इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका वापस लौटने के लिए उन्हें तार मिला और वे 20 नवंबर, 1902 को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। गाँधी डरबन पहुँचे और उपनिवेश मंत्री चेंबरलेन से प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर लादी गई वैधानिक निर्योग्यताओं को समाप्त करने का आग्रह किया।

गाँधीजी मनसुखलाल हीरालाल नजर तथा मदनजीत व्यावहारिक को समाचार पत्र निकालने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार 'इंडियन ओपिनियन' का पहला अंक 4 जून, 1903 (गाँधी ने 1904 की तिथि गलत दी है) को प्रकाशित हुआ। (मिश्र, भवानीप्रसाद,2014) गाँधीजी ने 'इंडियन ओपिनियन' को चार भाषाओं(हिन्दी, तमिल, गुजराती एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समाज को पहली बार अपना मुख-पत्र मिला। गाँधीजी का नाम संपादक के रूप में कभी नहीं छपा, किंतु वे ही इसके संपादक तथा सामग्री के लिए उत्तरदाई थे। उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है कि ***''मैं अखबार का संपादक नहीं था। फिर भी..... उसमें प्रकाशित लेखों के लिए मैं ही जिम्मेदार था।..... संपादन का सच्चा बोझ तो मुझ पर ही पड़ा।''***(गाँधी, मो. क., 2014)यही कारण था कि 'इंडियन ओपिनियन' का शायद ही कोई ऐसा अंक हो, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से 1914 में स्थाई रूप से जाने तक, गाँधीजी का कोई लेख न छपा हो। (गाँधी, मो. क., 2014) 'इंडियन ओपिनियन' गाँधीजी के भारत आने के बाद भी निकलता रहा और गाँधीजी के पुत्र एवं पुत्रवधू सन् 1958 तक इसे निकालते रहे। अखबार क्यों जरुरी है यह बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह' नामक पुस्तक में लिखा है कि ***''मेरा ख्याल है कि ऐसी***

कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलायी जा सकती। अगर मैंने अखबार निकालकर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी स्थिति न समझायी होती और सारी दुनिया में फैले भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है, इससे 'इंडियन ओपिनियन' के सहारे अवगत न रखा होता तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता था।इस तरह मेरा भरोसा हो गया है कि, अहिसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है।'' (मिश्र, भवानीप्रसाद,2014)

गाँधीजी के उपरोक्त विचार को उर्दू के कवि अकबर के शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं-

खींचो न कमानों को, न तलवार निकालों,

जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालों।।

पत्रकारिता का गाँधीजी ने अध्ययन नहीं किया था और न वे प्रोफेशनल पत्रकार ही थे, किंतु उन्होंने पत्रकारिता के वैश्विक परिदृश्य को गंभीरता से देखा-परखा था। उन्होंने जब 'इंडियन ओपिनियन' आरंभ किया तो उनके सामने भारतीय समाज को न्याय दिलाने और गोरों एवं भारतीयों के बीच प्रेम तथा सद्भाव उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस कारण पत्रकारिता उनके मिशन एवं सेवा का आधार बनी। गाँधी ने पत्रकारिता को व्यापार बनाना अस्वीकार किया और जनता को स्वामित्व सौंपा। इसी कारण गाँधी ने 'इंडियन ओपिनियन' को ट्रस्ट को सौंप दिया जैसे व्यापारिक विज्ञापनों का बहिष्कार, कर्मचारियों को निम्नतम वेतन और ग्राहकों की संख्या घटने पर समाचार-पत्र का आकार-प्रकार भी घटना, संपादक-प्रबंधक को सेंसरशिप में कठोरतम दंड के लिए सहर्ष तैयार होना और माफी माँगकर समाचार-पत्र न निकालना, स्वयं आचार संहिता बनाना और पालन करना और सर्वोपरि रूप में देशाभिमान और राष्ट्र-प्रेम को प्रेरणा एवं कर्म-शक्ति मानकर चलना।

गाँधीजी ने पत्रकार और पत्रकारिता को एक आदर्श रूप दिया और उसे व्यावहारिक बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि एक व्यक्ति किस प्रकार संपादक, पत्रकार, प्रबंधक और शेष सारे दायित्वों को उठाकर तथा सत्याग्रह के संघर्ष के बीच एक साप्ताहिक-पत्र को महत्वपूर्ण ही नहीं जनता का मुख-पत्र बना सकता है। पत्रकारिता के इतिहास में यह बड़ी उपलब्धि थी और गाँधी के लिए भी, क्योंकि 'इंडियन ओपिनियन' के प्रतिमान ही भारत के स्वराज्य आंदोलन में उनके सहायक बनने थे। (गोयनका, कमल किशोर, 2016)

महात्मा गाँधी का मानना था कि उन्होंने ''पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश स्वयं पत्रकारिता की खातिर नहीं किया है, बल्कि यह उनके जीवन-ध्येय की पूर्ति में सहायक है, ऐसा मानकर किया है। (यंग इंडिया, 1925) परंतु यह भी सच है कि वे अपने जीवन जीवन-काल में ही समाचार-पत्रों की भूमिका से निराश हो गए थे। उन्होंने नई दिल्ली की प्रार्थना-सभा में यहाँ तक कहा था कि अगर उन्हें एक दिन के लिए वायसराय की तरह डिक्टेटर बना दिया जाए तो वे सभी समाचार-पत्रों को बंद कर देंगे। गाँधीजी स्वयं को शौकिया पत्रकार (संपूर्ण गाँधी वांग्मय, खण्ड-30) कहते थे, जबकि उन्हें लगभग चार दशकों की पत्रकारिता का अनुभव था तथा उन्होंने अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं में भी पत्रकारिता की थी। वे भारत के संभवतः एकमात्र ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल तथा अन्य देशी भाषाओं की पत्रकारिता एवं साथ की थी। अतः वे केवल अंग्रेजी के पत्रकार न थे, बल्कि वे भारतीय भाषाओं के भी पत्रकार थे, और इस रूप में वे सच्चे अर्थो में राष्ट्रीय पत्रकार थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कमल किशोर गोयनका लिखते हैं कि गाँधी का शौकिया पत्रकार वास्तवकि अर्थ में राष्ट्रीय पत्रकार था लेकिन अंग्रेजी पत्रकारिता से वे वैश्विक पत्रकार बन गए थे। अतः भारत में गाँधी जैसा कोई शौकिया पत्रकार नहीं हुआ जिसने अपने राष्ट्र की धड़कनों और संघर्षो को अपने समाचार-पत्रों का मूलाधार बनाकर राष्ट्रीय जागरण किया हो तथा अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व की पत्रकारिता में अपने विचारों, कार्यो तथा आंदोलनों के पदचापों को अंकित किया हो। (गोयनका, कमल किशोर, 2016)

गाँधीजी 9 जनवरी सन् 1915 में भारत आने के बाद 'बॉम्बे क्रॉनिकल' एवं 'सत्याग्रही' का कुछ दिन संपादन करने के बाद 'नवजीवन', 'यंग इंडिया' तथा 'हरिजन' का संपादन किया। 'बॉम्बे क्रॉनिकल' तथा 'सत्याग्रही' के तो एक-दो अंक ही गाँधीजी के संपादकत्व में निकले और बहुत जल्दी उनका संबंध समाप्त हो गया। (मिश्र, भवानीप्रसाद,2014) गुजराती संस्करण 'नवजीवन' जुलाई 1919 में और साप्ताहिक 'यंग इंडिया' सितंबर, 1919 से आरंभ हुए (मिश्र, भवानीप्रसाद,2014) और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गाँधीजी की गिरफ्तारी (जनवरी, 1932) के बाद बंद हो गए। 'हरिजन' का प्रकाशन 11 फरवरी, 1933 से आरंभ हुआ और गाँधी की मृत्यु तक (30 जनवरी, 1948) निकलता रहा। इन समाचार-पत्रों के प्रकाशन-काल में अनेक प्रकार की बाधाएँ आई और कई बार उन्हें बंद भी करना पड़ा। प्रेस तथा कार्यालय की तलाशी हुई और पुराने अंक तथा अन्य दस्तावेज नष्ट भी किए गए, किंतु गाँधी कभी हारे नहीं और न ही थके। अपनी गिरफ्तारी तथा सरकारी सेंसरशिप से जब भी समाचार-पत्र और प्रेस बंद हुआ, उन्होंने अवसर मिलते ही उनका पुनः प्रकाशन किया। गाँधीजी के लिए पत्रकारिता आत्मभिव्यक्ति की साधन थी और लोक-मानस को दशोद्धार का मंत्र देने के लिए जीवंत-शक्ति थी। पत्रकारिता की मशाल उनकी आत्मा में सदैव जलती रही और उनके लक्ष्यों को सर्वत्र प्रसारित करती रही।

गाँधीजी देशी तथा भारतीय भाषा में पत्रकारिता के प्रबल समर्थक थे। गाँधीजी का मानना था कि वह स्वयं भी हिंदी, उर्दू, मराठी और अंत में तमिल भाषाओं के संस्करण निकालने की सोचते हैं, पंरतु सच्चे कार्यकर्ताओं की कमी है। यदि वे हिंदी, मराठी, उर्दू और तमिल जानने वाले योग्य सहायक पा सके तो इन भाषा-भाषियां तक अपनी बात पहुँचाने में उन्हे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेजी तो कोई बड़ा माध्यम है ही नहीं, उससे तो मुट्ठी-भर लोगों के पास ही पहुँचा जा सकता है। वे तो अधिक-से अधिक लोगों के पास पहुँचना चाहते हैं और यह केवल भारतीय भाषओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। गाँधीजी देश के स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे और इसके लिए वे पूरे देश को अपना संदेश देना चाहते थे। यह कार्य भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता से ही हो सकता था। इसलिए गाँधी ने जमनालाल बजाज के आग्रह पर 'हिंदी

नवजीवन' निकाला लेकिन उसमें 'यंग इंडिया' (अंग्रेजी) और 'नवजीवन' (गुजराती) की अनूदित सामग्री ही छपती रही। गाँधीजी देशी भाषाओं के अखबारों के बड़े समर्थक थे हमें उनके इस कथन से पता चलता है- ***''इससे प्रकट होता है कि देशी भाषाओं के अखबारों को कितनी ज्यादा जरुरत महसूस की जाती है। मुझे यह सोचकर गर्व अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पाठक हैं। भारत तो वे ही हैं। भारत के आबादी के 90 प्रतिशत लोग इसी वर्ग के हैं। अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं तो भारत की विशाल आबादी के इस अगाध सागर का एक तट-भर छू पाती हैं''***(यंग इंडिया, 1919)

गाँधीजी स्वेच्छा से पत्रकार थे, वे अवैतनिक थे और पत्रकारिता से आजीविका कमाना तो वे अपराध ही मानते थे। गाँधी ऐसे पत्रकार थे, जो संपादक थे लेखादि लिखते थे, समाचारों का चयन करते थे, अनुवाद करते थे, प्रेस की मशीन तक चलाते थे, ग्राहकों की संख्या और चंदे का हिसाब-किताब रखते थे, कर्मचारियों को काम का बँटवारा करते थे, प्रबंध देखते थे ओर मुख्य रूप से पाठकों तक अपना जीवन एवं राष्ट्र-दर्शन पहुँचा कर उन्हें दासत्व से मुक्त करके स्वराज्य संघर्ष की शिक्षा देकर उनमें राष्ट्र-प्रेम उत्पन्न करते थे। अतः गाँधीजी तो आज के अर्थ में 'फ्रीलांस जर्नलिस्ट' या 'शौकिया पत्रकार' ने थे, बल्कि वे सभी कार्यो में सिद्धहस्त एक संपूर्ण पत्रकार थे जिन्हें 'पूर्ण पत्रकार' अथवा 'सर्वज्ञ पत्रकार' कहना उपयुक्त होगा। वे निजी स्वार्थ-लाभ से शून्य थे, परंतु राष्ट्र हित से परिपूर्ण पत्रकार थे जिनका पत्रकारिता शौक न था, न धन कमाने का साधन था, न कीर्ति-लाभ का ही था, वे देश-हित में पत्रकार बने थे जो लगभग चालीस वर्षो तक चार समाचार-पत्रों का संपादन करते रहे। वे 'राष्ट्रकर्मी' ही नहीं 'राष्ट्रधर्मी एवं स्वकर्मी पत्रकार थे।

गाँधीजी पत्रकारिता में सेंसरशिप विरोधी थे। गाँधीजी चाहते थे कि पत्रकार प्रेस-कानूनों का विरोध करें और परिणामों का सामना करें और ऐसा करने की हिम्मत न हो तो समाचार-पत्र का प्रकाशन बंद कर दें, पर माफी न माँगें और न जुर्माना जमा करें। (सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-14) गाँधीजी ने इसी टिप्पणी में लिखा, ''मैं आपसे (पत्रकारों से) कहूँगा कि आप उन जंजीरों को तोड़ डालिए जिनमें आप जकड़े हुए हैं। समाचार-पत्रों को आजादी का रास्ता दिखाने और आजादी के लिए जान देने का उदाहरण प्रस्तुत करने का गौरवमय सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। आपके हाथ में कलम है, जिसे सरकार नहीं रोक सकती।'' (सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-76) इस प्रकार गाँधीजी देश की स्वतंत्रता के निमित्त पत्रकारों से प्राणों तक की आहुति चाहते हैं। गाँधीजी पत्रकार के लिए निर्भयता आवश्यक मानते हैं। वे स्वयं निर्भय पत्रकार थे तथा अपनी पत्रकारिता के कारण दक्षिण आफ्रीका तथा भारत में कई बार जेल गए और समाचार-पत्र का प्रकाशन बंद करना पड़ा। गाँधी के अनुसार ***''लोक-सेवक पत्रकारों को निडर होना चाहिए तथा उन्हें संपत्ति एवं प्रेस के जब्त होने की एवं यहाँ तक की मौत का डर भी छोड़ देना चाहिए।''***(सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-10)

गाँधीजी भारतीय पत्रकारों को पश्चिमी पत्रकारिता की नकल से बचने की चेतावनी देते हैं। तथ्यों की शुद्धता और सत्यता पर जोर देते हैं। गाँधीजी जीवन के समान पत्रकार में भी 'नैतिकता' और 'शुद्धता' चाहते हैं। उनके लिए साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। पत्रकार का साध्य देश-हित है, स्वराज्य है, मातृभूमि की सेवा है तो उसका साधन भी इतना पवित्र और नैतिक होना जरूरी है। वे अन्य पत्रकारों तथा समाचार-पत्रों से भिन्न अपनी नैतिकता पर चलते हैं, जिसमें गोपनीय पत्र-व्यवहार, भेंट एवं गोपनीय वार्ता, दस्तावेज तथा झूठी एवं मनगढंत अफवाहें फैलाना सभी अनैतिक और वर्जित है। गाँधीजी पत्रकारों के कुछ दूसरे अनैतिक पक्षों 'यंग इंडिया' में 6 मार्च, 1930 को लिखते हैं कि ''समाचार-पत्रों को अप्रत्यक्ष स्त्रोतों से तथा प्रायः उल्टे-सीधे साधनों से समाचार बटोरकर उन्हें समय से पहले छापना पत्रकारों का काम नहीं होना चाहिए। (सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-43) गाँधीजी के विचारानुसार पत्रकार के व्यक्तित्व में आत्मानुशासन, आत्म-नियंत्रण एवं अपनी लेखनी पर अंकुश रखना चाहिए। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पत्रकार को निरंकुश अपरिमित शक्ति देने के पक्ष में नहीं हैं।

गाँधीजी का मानना था कि ''पत्रकारिता का ध्येय सेवा होना चाहिए। समाचारपत्रों के पास बड़ी भारी शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार अनियंत्रित बाढ़ का पानी पूरी बस्तियों को डूबा देता है और फसलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अनियंत्रित लेखनी की सेवा भी विनाशकारी होती है। यदि उसका नियंत्रण बाहर से किया जाए तो वह नियंत्रणहीनता से भी अधिक अनिष्टकर सिद्ध होता है। प्रेस का नियंत्रण तभी लाभकारी हो सकता है जब प्रेस उसे स्वयं अपने ऊपर लागू करे।' अगर यह तर्क सही है तो दुनिया के कितने पत्र इस कसौटी पर खरा उतरेंगे?''(गाँधी, मो. क.,2014)

निष्कर्ष

गाँधीजी का मानना था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंन्दुस्तान की आजादी किस काम की होगी जो अंतिम(गरिब/हासिये) आदमी के अधिकारों की बात न करे। अतः गाँधीजी ने अपने पत्रकारिता-दर्शन को भारतीय-दर्शन बनाया। भारतीय लोक-मानस को प्रमुख स्थान दिया। गाँधीजी जानते थे कि भारतीय समाज और उसकी कामनाओं को केंद्र में रखकर ही वे अपने पत्रकार होने का धर्म निभा सकते थे और अपनी पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्वरूप दे सकते थे। अतः गाँधीजी के पत्रकारिता-दर्शन में पश्चिमी सिद्धांत के अनुरूप पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना, राष्ट्रीयता को अपनी पत्रकारिता का मूलाधार बनाया, समाचार-पत्र पर समाज के स्वामित्व को स्वीकार किया और पाठकों की सत्ता और महत्ता को मान्यता दी तथा लोक-शिक्षा को प्रमुख उद्देश्य बनाया। इन सिद्धांतों के मुल में भारत की विशाल जनता ही थी। गाँधीजी तो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, अतः लोकतंत्र में संसद, न्याय-व्यवस्था एवं प्रशासन के बाद पत्रकारिता को चौथे स्थान पर स्वीकार करना स्वाभाविक था, क्योंकि पत्रकारिता ही इन तीनों शक्तियों के क्रिया-कलापों पर गहरी दृष्टि रखकर उन्हें लोकतांत्रिक और लोकोपयोगी बनाए रखसकती थी। गाँधीजी पत्रकारिता की इस अद्भुत शक्ति से परिचित थे और उनके अनुभवों ने भी इसकी जबरदस्त शक्ति से उन्हें परिचित करा दिया था। अतः उनकी दृष्टि में भारत राष्ट्र के लिए लोकतंत्र (स्वराज्य) और पत्रकारिता दोनों आवश्यक थे। उनकी राष्ट्रीयता के ये दोनों अंग थे। उनके लिए स्वदेश एवं उनकी मातृभूमि जो भारत-भूमि थी सर्वोपरि थी।

सन्दर्भ सूची

दिनकर, रामधारी सिंह(2015), संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 450।

गुहा, रामचंद्र(अनु. सुशांत झा)(2015), गाँधी भारत से पहले, पेंगुइन बुक्स इंडिया(हिन्दी), पृ. 38-39।

गुहा, रामचंद्र(अनु. सुशांत झा) (2015), गाँधी भारत से पहले, पेंगुइन बुक्स इंडिया(हिन्दी), पृ. 38-39।

गाँधी, मो. क. (2014), सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनु. काशीनाथ त्रिवेदी), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 102।

गाँधी, मो. क. (2014), सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनु. काशीनाथ त्रिवेदी), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2014, पृ.140।

मिश्र, भवानीप्रसाद(2014), कुछ नीति कुछ राजनीति, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता, पृ. 109।

मिश्र, भवानीप्रसाद(2014), कुछ नीति कुछ राजनीति, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता, पृ. 109।

गाँधी, मो. क. (2014), सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनु. काशीनाथ त्रिवेदी), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 265।

गाँधी, मो. क. (2014), सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनु. काशीनाथ त्रिवेदी), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 266।

मिश्र, भवानीप्रसाद(2014), कुछ नीति कुछ राजनीति, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता, पृ. 109।

गोयनका, कमल किशोर(2016), पत्रकारिता के प्रतिमान, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 2016, पृ. 59।

'यंग इंडिया'(1925), 27/09/1925।

संपूर्ण गाँधी वांग्मय, खण्ड-30, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 186।

गोयनका, कमल किशोर(2016), पत्रकारिता के प्रतिमान, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, पृ. 16-17। प्राक्कथन से उद्धृत।

मिश्र, भवानीप्रसाद(2014), कुछ नीति कुछ राजनीति, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता, पृ. 116।

मिश्र, भवानीप्रसाद(2014), कुछ नीति कुछ राजनीति, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता, पृ 116।

यंग इंडिया(1919), 8/10/1919, सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-16, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 229।

सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-14, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 84।

सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-76, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 435।

सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-10, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 242-243।

सम्पूर्ण गाँधी वाग्ङमय, खण्ड-43, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 15।

गाँधी, मो. क.(2014), सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनु. काशीनाथ त्रिवेदी), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 140।)

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य : भक्ति और नारी

प्रो. राम चंद्र *

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में भक्ति और नारी पर केंद्रित है। इस शोध का परिप्रेक्ष्य यह है कि जिस भक्ति आन्दोलन ने समाज में नवजागरण का संचार किया, धर्म–कर्म और भक्ति के क्षेत्र में समानता का स्वर मुखरित किया उसी भक्ति के सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रों में नर–नारी में असमानता क्यों बनी रही और आज भी क्यों बनी हुई है? गौरतलब यह है कि उस मध्यकालीन भक्ति साहित्य में नारी की भक्ति भी है, नारी रूप में भक्ति-संवेदना भी; फिर भी नारी-निंदा से वह साहित्य मुक्त नहीं हो सका? आज नारी विमर्श और उनके मुक्तिपरक आन्दोलनों के बावजूद एक तरफ नारियों के प्रति उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर अधिकांश नारियां ही भक्तिभाव के विभिन्न रूपों को निभाए चली आ रही हैं। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं विचार सरणियों के आलोक में मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में भक्ति और नारी के विविध रूपों पर विचार किया गया है।

बीज शब्द: भक्ति, नारी, भक्ति आंदोलन, नारी संवेदना, स्त्री विमर्श, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, अक्का महादेवी।

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास में भक्ति आन्दोलन की भूमिका परिवर्तनकामी रही है और मध्यकालीन समाज में भक्ति सर्वमान्य जीवन लक्ष्य रहा है। यह सार्वभौमिक और सर्वत्र संवेदना के रूप में रही है। भक्ति की व्यापकता में परिवर्तन के कारण भक्ति आन्दोलन का योगदान अखिल भारतीय रहा है। इस बीच भक्ति के स्वरूप के लेखन और उसकी परिधि तक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नारी को भक्ति के मार्ग में बाधा समझने वाले समाज ने भी दार्शनिक स्तर पर ही सही नारी के जीवन में, नारी रूप में और भक्त समूह के सत्संग में नारी को बैठने की इज़ाजत दिया। भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाली कवयित्रियों में मीराबाई (1498-1547), आंडाल, अक्का महादेवी (12वीं शताब्दी) सहजोबाई (18वीं शताब्दी) दया बाई, उमा, मुक्ताबाई, पार्वती, इन्द्रमती, गंगाबाई, रानी सोन कुँवरि, वृषभान कुँवरि, रसिक बिहारी बनोथानी जी , ब्रजदासी रानी बंकावती, रानी बख्त कुँवरी, प्रिया सखी, सुन्दर कुँवरी बाई, ताज, अलबेलीअली, वीरा छत्रकुँवरी बाई, बीबी रत्न कुँवरी, पजन कुँवरी, स्वर्ण लली, कृष्णावती, माधवी, मधुर अली, प्रेम सखी प्रताप कुँवरी बाई, तुलछराय, प्रवीणराय पातुर , रूपमती बेगम , शेख रंगरेजिन, सुन्दर कली आदि का उल्लेख मिलता है। इन भक्त कवयित्रियों की भक्ति भावना और काव्य संवेदना बहुत ही सहज और मार्मिक अर्थबोध को अभिव्यंजित करती है। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के विकास में मध्यकालीन नारी साहित्यकारों का योगदान इतिहास विदित है। इस ऐतिहासिक योगदान में मध्यकालीन कवयित्रियों का साहित्यिक योगदान भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में कई विदुषी महिलाओं ने काव्य के माध्यम से न केवल भक्ति भाव संप्रेषित किया है बल्कि उनकी आत्म अभिव्यक्ति भी जनमानस को गहरे प्रभावित किया है। उनकी काव्य संवेदना प्रेम, भक्ति और स्त्री मन की वह अभिव्यक्ति है जो वर्तमान को अभिप्रेरित करती है। साधारण बोली-वाणी में उनकी सहज मार्मिक अभिव्यंजना सामाज का ध्यान सहज ही आकर्षित करती है। तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में नारी की अभिव्यक्ति आज की पृष्ठिभूमि तैयार करती है। उस दौर की जिन नारियों ने भक्ति और साहित्य दोनों को समृद्ध कर उसे अखिल भारतीय स्वरुप प्रदान किया। उनके योगदान को सिर्फ भक्ति आंदोलन ही नहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और काव्यधारा के संदर्भ में देखना ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगा। इस युग की बड़ी विशेषता यह रही है कि भारतीय समाज में नारी का स्वरूप मूलतः देवी, माया और मानवीय रहा है और वर्तमान भी इससे अछूता नहीं है। भक्तिकालीन समाज में इन तीनों ही रूपों में नारी की दावेदारी मौजूद है। यहाँ तक कि पुरुष भी नारी रूप धारण कर भक्ति करते हैं । कबीर की भक्ति इसका सबसे अच्छा उदहारण है।

भक्ति न केवल मानवीय संस्कृति एवं धर्म का अभिन्न अंग है बल्कि मानवीय संबंधों को भी समाज में परिभाषित करती है। भक्ति के विभिन्न संप्रदायों ने समाज में भिन्न–भिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किया है और समाज में ज्ञान सत्ता के साथ भौतिक सत्ता को प्रभावित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो मध्यकालीन समाज में "कर्म और भक्ति ही सारे जनसमुदाय की संपत्ति होती है।"(शुक्ल : 34) इतना ही नहीं वे लिखते हैं कि "क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसके लपेट में केवल हिन्दू जनता ही नहीं देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।"(शुक्ल:35)

*प्रो. राम चंद्र, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली –110067

इसका परिणाम यह देखा गया कि "एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्तिमार्ग का विकास भी होने लगा।"(शुक्ल:वही) इन्हीं परिस्थितियों में सभी वर्ण-जाति के पुरुषों के साथ–साथ नारियों को भी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। नर-नारी के व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है। सुमन राजे ने अपने 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' में मध्यकालीन भक्ति के कारण सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में लिखा है कि "भक्ति मध्यकालीन बोध का सर्वमान्य मूल्य है जिसमें मनुष्य अपने संबंधों के साथ विलीन हो जाता है।"(राजे : 112) वहीं जान स्ट्रैटन हौली लिखते हैं कि "खुद को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर देने की मीरा की भावना के कारण उनके पारिवारिक रिश्तों पर भी आँच आ गई थी "(हौली: 71)

इस तरह भक्ति आन्दोलन में यह देखा जा सकता है कि ईश्वरीय भक्ति में संबंधों की स्थापना दो स्तर पर है - एक वर्तमान संबंधों की सार्थकता केवल भक्ति की भूमिका में स्वीकृत है तो दूसरा दैन्यमूलक यात्रा में। यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों की जगह लौकिक भावनात्मक संबंधों में परिणति और ईश्वर की शरणागति में सभी भौतिक साधनों को व्यर्थ बताना है। यह भक्ति इस उच्च भूमि पर है कि नारियों ने अपनी अस्मिता की भी परवाह नहीं किया है। हम देख सकते हैं कैसे भक्ति आन्दोलन ने समाज में खासकर नारियों में निर्भीकता और आत्मसम्मान के साथ ही समानता, निष्ठा और समर्पण को एक साथ जीवन से जोड़ने का काम किया है।

जान स्ट्रैटन हौली लिखते हैं कि इस निर्भीकता में "वैवाहिक सम्बन्ध में निष्ठा और यौन नैतिकता के प्रश्न पर द्वन्द्व होता है।" (हौली: 72) इस संदर्भ में निर्गुण संत पीपा और उनकी पत्नी सीता की भक्ति में सीता की निष्ठा, समर्पण और यौन नैतिकता के प्रश्न झकझोर देने वाले है। हौली उल्लेख करते हैं कि निर्धन जोड़ी द्वारा संतों को दिए गए भोज में उस नारी की अनुपस्थिति को नोटिस किया कि भक्ति में, सत्संग में सभी को साथ भोजन कराना चाहिए, भारतीय आतिथ्य की धारणा के तहत सीता उसे रसोई से लेने गईं तो जो तस्वीर उन्होंने देखी, वह झकझोर देने वाली है। बयां नहीं किया जा सकता है और सीता अपनी साड़ी को आधा फाड़कर उस महिला को पहना देती हैं और उसे खींचकर सत्संग में ले जाती हैं। दूसरा प्रसंग जिसका जिक्र किये बिना भक्ति में नारी के समर्पण और निष्ठा को पूर्णत: नहीं समझा जा सकता है। वह प्रसंग यह है कि पीपा के यहाँ संतों का समूह पहुंच जाता है और आतिथ्य के लिए घर में कुछ भी नहीं है। उनका घर खाली पड़ा है। हौली लिखते हैं कि इन दोनों ही प्रसंग और परिस्थिति में सीता अपनी देह बेचती हैं परन्तु भक्ति की निष्ठा और समर्पण में कमी नहीं आने देती हैं। मार्मिक बात यह है कि पीपा प्रसन्न थे कि उनकी पत्नी ने संतों की खातिर वैवाहिक सम्बन्ध की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा।" इसमें पीपा की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण है।(हौली: 79-80) क्या तत्कालीन और वर्तमान में हमारा समाज इसे स्वीकार कर सकता है? क्या नारी विमर्श का वर्तमान जोकि भक्ति आन्दोलन से खाद-पानी भी ग्रहण करता है इस चेतना से पितृसत्ता को मात दे सकता है? मीरा, सीता, अक्का महादेवी आदि की भक्ति भावना और उनकी निर्भीकता, समर्पण आदि भाव ने क्या भारतीय समाज में भक्ति आन्दोलन को नया स्वरूप नहीं दिया? यदि दिया है तो वह भक्ति के परिदृश्य से गायब क्यों? भारतीय शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में इन भक्त कवयित्रियों की उपस्थिति नगण्य क्यों? इन तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि भक्ति ने जनसमूह में जो निर्भीकता, पवित्रता, समर्पण का भाव पैदा किया, निश्चय ही वह जीवन संग्राम में उस योद्धा की निर्भीकता की तरह है जिसे या तो पराजित होकर गुलामी का जीवन जीना है या वीरगति को प्राप्त कर जीवन की सार्थकता को साबित करना है। दोनों की स्थिति में प्रेम की सूक्ष्मता की शक्ति ही है। इस भक्ति प्रेम में और गृहस्थ जीवन के प्रेम में नारियों की तन्मयता, पवित्रता, समर्पण और निर्भीकता पुरुष भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि वर्ण–जाति वाली सामाजिक व्यवस्था एवं पितृसत्ता के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण, द्वन्द्व और अंतर्विरोध लिए रही। परन्तु इन कवयित्रियों के यहाँ साधना को लेकर कोई द्वन्द्व और फांक नहीं है। आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल के शब्दों में कबीर के यहाँ यह फांक 'सर्जनात्मक फांक' है। (अग्रवाल:364) केवल साधनात्मक युक्ति के रूप में औरतपन को अपना लेने की बजाय कबीर की कविता प्रेमानुभूति के प्रसंग में नारी की कविता ही बन जाने का बोध कराती है।(वही:365) आगे पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं कि यह द्वन्द्व नारी निंदा की रूढ़ और नारी रूप धारण करने की युक्ति के बीच का है। (अग्रवाल:365) क्या यही बात भक्तिकाल के अन्य कवियों के यहाँ भी है? इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जिस भक्ति आन्दोलन ने समाज में नवजागरण का संचार किया है उसी भक्ति काल में धर्म–कर्म और भक्ति के क्षेत्र में समानता का स्वर मुखर होता है परन्तु सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में असमानता है। नारी की भक्ति भी है, नारी रूप में भक्ति-संवेदना भी, फिर भी नारी-निंदा से मुक्त यह क्षेत्र कहाँ है? क्या यही एकसूत्रता तो नहीं कि 21वीं सदी में नारी विमर्श और आन्दोलन के बावजूद एक तरफ नारियों के प्रति उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर आधी आबादी की लगभग सभी नारियां भक्तिभाव का बीड़ा अपने कन्धों पर लेकर चल रही हैं !

निर्गुण काव्य में भाग लेने वाली कवयित्रियों में संत काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति संलिप्त मिलती है। क्या यह महज संयोग है या कुछ और कि प्रेममार्गी शाखा में एक भी स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल संत काव्य में स्त्री कवयित्रियों का योगदान है। इनमें भाव बहुलता उपदेशात्मकता तो है लेकिन अनुभूति की तीव्रता की कमी है।(सिन्हा:106) जीवन की कटुताओं ने उनके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी उसका पूरक राम का चरित्र नहीं है। आदर्शों और भावनाओं में बंधा उनका जीवन भावना और अनुभूति का प्यासा था। राम भावना भी स्त्रियों की काव्य रचना से अलग विस्तृत निर्माण काल में कुछ रचनाएँ मिलती हैं लेकिन जो रचनाएं मिलती हैं उनमें गाम्भीर्य कला तथा सौन्दर्य के दूसरे आवश्यक तथ्यों का अभाव है। इतिहास में उस समय नारी तथा कन्या अपहरण द्वारा सैनिकों की चिर तृषित कामनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम प्राप्त होता था। अराजकतापूर्ण राजनीति या शासन स्त्रियों की रक्षा के लिए और उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि उसे घर की चहारदीवारी में ही बांधकर रखा जाता। भारत की सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों में स्त्री का शोषण ही केंद्र में दिखाई देता है। बाल-विवाह, सती-प्रथा आदि वीभत्स व भयंकरता युग की नारी का यथार्थ कहने के लिए यथेष्ट है। मध्यकाल में निर्गुण संतों के यहाँ नारी की भर्त्सना का जो स्वरूप मिलता है उसका मूल कारण नारी की कामिनी रूप की प्रधानता और आध्यात्मिक उपेक्षा की रही है। इस सन्दर्भ में यह दिलचस्प है कि भारतीय भक्ति साधना में भक्ति के मनोविज्ञान व नारी की भक्ति को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बल्कि दोनों को ही पूरक रूप में देखने की जरूरत है। जीवन की परिसीमाओं और विषमताओं का अतिक्रमण कर मीरा और अक्का महादेवी सदृश्य नारी प्रेमजनित वेदना व सुख दुःख के जो गीत गाए, वह साहित्य तथा प्रेम के संसार में अलग है। मानवेतर भावना के चट्टान के नीचे उसकी कोमल वृत्तियाँ घट रही थी। सहृदय नारी प्रेम

के मर्म की अनेक बाधाओं को तोड़ती-फोड़ती उस कुण्ठा को भोगकर प्रस्फुटित होने लगी जो आज भी काव्य और संगीत के आनंद तथा उल्लास में नारी सुलभ अभिव्यंजना का साधन है-

"राणा जी ठाड़े जहर दियो हम जानी।
जैसे कंचन रहती अगन में , निकसत वराह बानी।। " मीराबाई पदावली

इन पंक्तियों में स्त्री मन की भक्ति भावना को देखा जाता रहा है। इन पंक्तियों में मीरा की जो भक्ति है वह तो अभिव्यक्त होती ही है साथ ही उससे कहीं अधिक मीरा की भक्ति भावना में स्त्री मन की निर्भीकता का भाव व्यंजित होता है जो तात्कालिक समाज से ज्यादा स्त्री सशक्तिकरण पर जोर देता है। सावित्री सिन्हा ने बहुत ही सही लिखा है कि "तत्कालीन नारी समाज कर्तव्य की बेदी पर अपने अस्तित्त्व को मिटा चुका था। उनके कर्तव्य में भावना की प्रेरणा ही नहीं थी। हवन के लिए बलिदान होने के लिए पशु तथा पिंजरे में बंद पक्षी की भांति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही शेष था। उसकी भावनाओं का मानसिक पक्ष कुण्ठित था। राम की कर्तव्यशीलता उसे आत्मगौरव दे सकती थी परन्तु जीवन के वे उद्दीप्त क्षण नहीं जिससे हृदय के रिक्त अंश की पूर्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा कर सके।" (सिन्हा: 217)

एक किंवदंती प्रचलित है कि मीरा को जब उनके ससुराल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोका जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा और उनके परिवारवालों के द्वारा तरह-तरह का कष्ट दिया जाने लगा था तो मीरा ने दुखी होकर तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनसे पूछा कि ऐसे में मैं क्या करूं? कभी-कभी तो मेरी इच्छा होती है कि मैं सबको त्याग दूं सदा के लिए; इसमें कोई पाप तो नहीं? कुलकानि के नाम पर मिलने वाली ऐसी प्रताड़ना और लांछना से तंग आकर जब मीरा ने तुलसी के पास पत्र लिखा और उनसे इस नैतिक संकट की अवस्था में सलाह मांगी तो तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र का उत्तर दिया, जो उनकी 'विनय पत्रिका' में मिलता है। यह सिर्फ किंवदंती या दंतकथा के इतिहास में नहीं बल्कि नभादास कृत 'भक्तमाल(संवत 1640 वि) और वेणी माधव दास के "गोसाईं चरित" में भी तुलसीदास और मीरा के पत्राचार का उल्लेख है। नीलोत्पल ने "मीरा पदावली" (मीरा पदावली: 15) में इसका उल्लेख किया है और दंतकथा की पुष्टि की बात कही है ----

जाके प्रिय न राम-बैदेही।
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही।।
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी।
बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज-बनितन्हि, भयेमुद-मंगलकारी।।
नाते नेह राम के मनियत सुहृदसुसेब्य कहौं कहाँ लौं।
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहौं कहाँ लौं।।
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारो।
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो।। (तुलसीदास: विनयपत्रिका:119)

अर्थात तुलसीदास ने मीरा को कहा कि मेरा मत है कि जो रिश्तेदार, भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करें और जिनके हृदय में राम और सीता ना हो उनको त्याग देने में ही जीव का भला है। प्रेम में जो बाधा उपस्थित करे, भगवान के भक्ति के मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारा खास रिश्तेदार जैसे मां-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी या संतान, या शिक्षक या वह गलत गुरु जो भगवान के निष्काम प्रेम को छोड़कर संसार देने का दावा करें, संसार के भोग और ऐश्वर्य की तरफ जीव को ले जाए तो उसका त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जैसे- प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण अपने सगे भाई रावण से अलग हुआ, भरत ने अपनी माता कैकेई से मुख मोड़ा, राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का साथ छोड़ा। उस अंजन को आँखों में लगाने का क्या फायदा जिससे आँख ही चली जाय? यदि अपने प्रियजन रघुनाथ जी के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं, तो उन्हें त्यागकर प्रभु–प्रेम में लगना चाहिए। अतः हमें केवल उन्हीं माता-पिता भाई-बंधु का संग करना चाहिए जो खुद भगवान में श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था रखते हों और अपने संतानों को भी भक्ति मार्ग की प्रेरणा देते हों। बाधा उत्पन्न करने वाले माता-पिता चाहे अति प्रिय क्यों न हों, उनका त्याग कर देने में कोई बुराई नहीं है। कोई अधर्म नहीं, बल्कि जीव का कल्याण है। इस प्रकार तुलसी की सलाह थी कि भक्ति में बाधा डालने वाली सभी शक्तियों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। भक्ति के लिए सबसे निकटतम को भी त्यागा जा सकता है और यह त्याग एक स्त्री कर सकती है। तुलसी के इस पद में यही गौरतलब है।

एक ऐसे समाज में जहां स्त्री को सिद्धांत के धरातल पर भी कैदखाने में रखने की व्यवस्था हो, उसके जीवन का अपना कोई मूल्य न हो, बल्कि किसी पुरुष के साथ जुड़कर ही उसका जीवन कुछ अर्थ पा सकता है, वहां उपरोक्त कहानी का क्रांतिकारी महत्व है। भक्ति के क्षेत्र में ही सही कम से कम एक समय ऐसा तो आया, जहाँ स्त्री को अपने मन का कुछ चुनने और उस चुनाव को व्यावहारिक रूप देने की हिम्मत हासिल हुई। भक्ति का अपना जो सिद्धांत गढ़ा गया, उसमें स्त्री और पुरुष जैसा कोई भेद नहीं है। यह भक्ति आंदोलन का उल्लेखनीय महत्व है। भक्ति सिद्धांत का निष्पादन करते हुए तुलसी के राम शबरी से कहते हैं कि भक्ति के एक भी रूप से जुड़कर, उसे अपनाकर कोई भी मेरे करीब आ सकता है-चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अरण्यकाण्ड में राम-शबरी के संवाद की चर्चा है। तुलसीदास लिखते हैं :

"नवम सरल सब सन छलहीना।
मम भरोस हियँ हरष न दीना।।
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई।
नारि पुरुष सचराचर कोई।।" (रामचरितमानस/612 /3)

अर्थात नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित व्यवहार करना, अपने हृदय में मेरा भरोसा (भगवान पर विश्वास) रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष (ख़ुशी) और दैन्य (दुःख/विषाद) का अनुभव न होना। इन नवों भक्ति में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, जड़-चेतन कोई भी हो।

"सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें।
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥
जोगि बृंद दुरल भगति जोई।
तोकहुँ आजु सुलभ भइसोई॥" (रामचरितमानस, अरण्यकांड, 612/4)

अर्थात हे भामिनि! मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तुलसीदास निरंतर नारियों को भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें लगता है भक्ति में ही उनकी मुक्ति है। फिर सवाल उठता है आखिर इन भक्त कवियों के यहाँ नारी निंदा क्यों? क्या यह उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सत्ता के कारण है? क्या यह उस सत्ता से निःसृत मर्दवादी दंभ है? क्या वर्णाश्रम धर्म की उपज है? क्या यह वर्चस्ववादी नीतियों की देन है जिसमें नारियों को घर की चहारदीवारियों में कैदकर रखने की जद्दोजहद है? क्या यह जद्दोजहद इस कदर रही कि नारियों ने सहज स्वीकार कर ली और गुलामी की बेड़ियों में बांध ली अपने आपको? भक्ति और नारी के विषय में चिंतन के आलोक में इन संदर्भ और परिस्थिति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

तुलसी जैसा मर्यादावादी जब इस तरह की छूट देता है तो दूसरे भक्त कवियों के संदर्भ में यह छूट और भी उदार ढंग से निकलकर सामने आती है। सारे भक्त कवियों की सामाजिक स्थिति और तद्नुरूप उनकी सामाजिक विचारधारा में मौलिक भेद दृष्टिगत होता है। विभिन्न मुद्दों पर असहमति और परस्पर विरोध होते हुए भी एक मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से सहमति देखने को मिलती है। भक्त कवि बहुत मामूली से अंतर के साथ नारी संबंधी एक-सा दृष्टिकोण रखते हैं।

कबीर का कहना है –

नारी कुंड नरक का, बिरला थामे बाग।
कोई साधुजन ऊबरे, सब जग मुआ लाग ॥ *(गुप्त: 68)*

तुलसी भी लगभग उन्हीं के स्वर में बोलते हैं–
सहज अपावन नार, पति सेवत सुभगति लहै।
जस गावत श्रुति चार, अजहूं तुलसी हरिहै पिये ॥ (रामचरितमानस/ 574 (क)

समाज के परिप्रेक्ष्य में नारी अस्मिता का नकार और उसके स्वत्व का मर्दन वर्चस्ववादी पुरुष-सत्ता ने इस हद तक पहुंचा दिया था कि यह सब स्वाभाविक-सा लगने लगा था। इस विकृत सांस्कृतिक समझ के शिकार कबीर भी हुए तथा तुलसी भी और उन्होंने अपनी रचनाओं में इसकी मुखर अभिव्यक्ति भी की। लेकिन भक्ति काव्य में नारी की एक मात्र इसी स्थिति को रेखांकित करना, खतरनाक सरलीकरण होगा। स्त्री के संबंध में जो समूची तस्वीर उभरकर सामने आती है, उसमें बड़ी जटिलताएं हैं- एक तरफ तो ये भक्त कवि जी खोलकर स्त्री की निन्दा करते हैं, उसकी स्वतन्त्रता को सामाजिक मर्यादा के लिए खतरनाक मानते हैं, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति इनके लिए कोई महत्व नहीं रखती; वह साधना व ईश्वर-प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है; वह एक ऐसी मोहिनी है, जिसकी छाया पड़ने मात्र से विषधर नाग अंधा हो जाता है। उस आदमी की बात ही क्या, जो हमेशा स्त्री के साथ रहे! वह माया स्वरूपिणी है और भक्ति के मार्ग में तरह-तरह की रुकावटें डालती है, तो दूसरी तरफ उसका सहारा लेना एक (अपरिहार्य !) मजबूरी है। स्त्री के बिना साधना पूरी ही नहीं हो सकती। कबीर के सबसे मधुरतम पद वे हैं, जहां उन्होंने खुद स्त्री बनकर ईश्वर से प्रार्थना की है। एक नज़र से देखने पर यह स्थिति विचित्र लगती है। जिस स्त्री को साधना के मार्ग में बाधक समझा जा रहा है, उसी स्त्री का सहारा या खुद स्त्री रूप का वरण, नारी-अस्मिता के सम्पूर्ण नकार को हास्यास्पद बना देता है। जब ईश्वर कामिनी बने भक्त पर रीझ सकता है, तो उसका भक्त मोहिनी से काहे डरे; लेकिन वह डरता है। उसे स्त्री से डरने की, स्त्री से भयाक्रांत रहने की दीक्षा मिली हुई है। उसके रक्त में ही ऐसा कुछ है, जो समूची स्त्री जाति से स्वस्थ व सहज मानवीय सम्बन्ध बन पाने में रोड़ा अटकाता है। लगता है समूची भारतीय चिन्तन परम्परा में ही स्त्री 'डर' की वस्तु है। पुरुष के जीवनभर ब्रह्मचारी रहने और उस ब्रह्मचर्य को सम्मानजनक बना देने की स्थिति स्त्री-भय से पैदा हुई है। पौरुष की अवधारणा पुरुष-सत्ता के हावी होने से निर्मित हुई। इसमें स्त्री की हैसियत कुछ भी नहीं है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' जैसी छल युक्तियों द्वारा उसे या तो पूज्य बना दिया गया है या फिर घोर निन्दा का पात्र। दोनों ही मान्यताएं सहज नहीं हैं। पुरुष का दंभ अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ स्त्री का दमन करता रहा और अपनी अमानवीय चतुराई पर खोखली हंसी हंसता रहा। स्त्री और पुरुष के बीच सहज संबंध बने नहीं, इसलिए स्त्री रहस्य की वस्तु हो गयी। त्रिया का चरित्र देवता भी न जान सका, मनुष्य की कौन कहे। हमारे समकालीन विद्वानों में से बहुत से ऐसे हैं, जो प्राचीन समय में भारत में नारियों की स्थिति पर सोच-विचार कर बड़ा संतोष प्रकट करते हैं। उनके लिए वह श्लोक ही काफी है, जिसमें नारी को पूज्य बताया गया है। पर्दा-प्रथा, सती प्रथा, बाल-विवाह यानी कि स्त्री-दमन इस्लामी आक्रमण का कुप्रभाव है। ऐसे लोग अपने दागदार दामन को छुपाकर सारी ग़लतियाँ दूसरों के सिर मढ़ दिया करते हैं। बाल्मीकि रामायण में सीता की अग्निपरीक्षा और बाद में सीता का पृथ्वी के गर्भ में चले जाना उन्हें नोटिस योग्य नहीं लगता। वे यह भी भूल जाते हैं कि स्त्री-अस्तित्व का जो नकार साहित्य में मिलता है, उसकी अपनी परम्परा रही है। वर्चस्वशाली समाज में स्त्री का मसला और अवर्णों की दशा ये दोनों ही सवाल हमेशा दर-किनार किए जाते रहे। भारतीय दर्शन अदृश्य आत्मा और ब्रम्ह को ही सब कुछ मानता रहा। देह को मिथ्या समझा गया। 'देह मिथ्या है' इस मान्यता की सार्थक स्वीकृति आत्महत्या के रूप में ही व्यक्त हो सकती है, लेकिन जहाँ ढोंग का बोलबाला हो, वहाँ दार्शनिक धरातल पर देह के मिथ्यात्व को सत्य मानिए और सारा देह सुख भी भोगिए-कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखण्ड के तारों से निर्मित संवेदना इसकी नोटिस ही नहीं लेगी। यह 'डॉयकाटोमी' हमारी परम्परा में उसी तरह स्वाभाविक है, जिस तरह शंकराचार्य एक तरफ तो पारमार्थिक सत्य के

धरातल पर सम्पूर्ण प्राणि मात्र में कोई स्तरगत भेद नहीं करते, लेकिन व्यावहारिक सत्य के धरातल पर ऊँच-नीच वाली विषमता-मूलक समाज-व्यवस्था को युक्तियुक्त भी मान लेते हैं। प्रसंगवश शंकराचार्य के दर्शन में वर्ण-व्यवस्था संबंधी मान्यताओं पर विचार करना चाहिए।

स्त्री के संबंध में जिस विचित्र स्थिति को हम रेखांकित करना चाहते हैं, वह इन कवियों का द्विधापन है। इस द्विधापन में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों का गडमड हो जाना है। जब स्त्री साधना में बाधक है, तो साधक-साधना के लिए खुद स्त्री क्यों कर बन जाता है? कबीर सारी रहस्यात्मक शब्दावली को एक तरफ रखकर स्त्री-पुरुष मिलन का दैहिक चित्र उकेरते हैं-

"बालम आउ हमारे गेह रे
तुम बिना दुखिया देह रे,
सब कोउ कहे तुम्हारी नारी
मोकहुं यह संदेह रे।
एकमेक हवै सेज न सोवै
तबलगि कैसा नेह रे।" (गुप्त : 328)

तुलसी अपने राम से उसी तरह का प्रेम चाहते हैं, जैसे कोई कामी स्त्री को चाहे ---"कामी नारि पिआरि जिमि, तिमि प्रिय लागहु मोहि राम ।।"

सूर के यहां स्त्री का स्वतन्त्र व तेजस्वी रूप मिलता है। सूर एक जगह पर सती प्रथा का उल्लेख करते हैं, लेकिन जायसी और कबीर के समान वे सती रूप को महिमामंडित नहीं करते। वे इस प्रथा की अमानुषिकता और भयावहता को उघाड़कर रख देते हैं --

देख जरनि, जड़, नारि की, (रे) जरति प्रेम के संग।
चिता न चित फीकौ भयो, (रे) रची जु पिय के रंग।
लोक-वेद बरजत सबै, (रे) देखत नैननि त्रास। (सूरदास/सूरसागर/प्रथम स्कन्ध/107)

सूर की गोपियां और उन गोपियों का स्वच्छन्द प्रेम आदर्श समाज की स्मृति और भावी समाज की आकांक्षा से मिलकर बना है। सूर के कल्पना लोक का यह समाज, समाजशास्त्र की नैतिकता से संचालित नहीं होता। इस प्रेम के संबंध में डॉ. मैनेजर पांडेय का कहना है कि "सूर की गोपियों का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता, वह कोई बन्धन नहीं मानता, न संयोग में और न वियोग में। उसका लक्ष्य है तन्मयता। इस लक्ष्य में बाधक बनने वाले शास्त्र और लोक के सभी बन्धन असह्य हैं। (पांडेय:39) यद्यपि आचार्य शुक्ल प्रेम के इस रूप को बहुत पसंद नहीं करते, फिर भी उन्होंने इसके सच्चे स्वरूप की ओर संकेत किया है। उन्होंने लिखा है कि, "वह लोक और वेद दोनों की मर्यादाओं से परे है।" (शुक्ल) आचार्य शुक्ल जिसे मर्यादा कहते हैं, वह वास्तव में रूढ़ि है। रुढ़ियां वेद-शास्त्र की ही नहीं होतीं, वह लोक की भी होती हैं। लोक की रुढ़ियां, शास्त्र की रूढ़ियों से कम दमनकारी नहीं होतीं। समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, मान-मर्यादा, कुलकानि आदि से उपजा लोक भय प्रायः लोकधर्म बनकर मानवीय भावों और संबंधों के स्वतंत्र विकास को, खासतौर से प्रेम की दुनिया को छिन्न-भिन्न कर डालता है। गोपियों का प्रेम निर्द्वंद्व एवं निर्भीक है। वह शास्त्र की रूढ़ि और लोक के भय से मुक्त है। गोपियों के प्रेम का स्वभाव यह है–

गोपी स्याम रंग राँची।
देह गेह सुधि बिसारि, बढ़ी प्रीति साँची।
दुविधा उर दूर भई, गई मति वह काँची ।।
मातु-पिता लोक भीति, बाकी नहिं बाँची ।
सकुच जबहि आवै उर बार-बार झाँची ।। (सूरदास/सूरसागर/प्रथम स्कन्ध)

जायसी के पद्मावत में सूफियाना अंदाज़ प्रभावी है, लेकिन उसमें जो लोकपरकता है, जो लौकिक अनुभव हैं, उन्हें कोई अस्वीकार नहीं करेगा। प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद ने लिखा है:

"जायसी ने यद्यपि महाकाव्य लिखा पर गौरतलब बात यह है कि उसने पहली बार पुरुष की बजाय स्त्री को देवत्व प्रदान किया। इससे उसकी स्वतन्त्र-सत्ता की नींव पड़ी। पुरुष की महिमा का गायन या उसी के लिए रूदन की जो परम्परा सामंती पुरुष प्रधान समाज में स्थापित की गई थी, उसे इस कवि ने तोड़ा। यह जायसी ही हैं जिनकी रची स्त्री पुरुष से कहती है – 'तुममें मुझे छूने का साहस कहां से आया? तेरे मुंह से तो मांग कर खाये भात की गंध आती है।"(प्रसाद, सं., 1984)

स्त्री का अपने को अभिव्यक्त करना ही विद्रोह है। उसके भाव-प्रकाशन पर हमेशा रोक लगाई गई है। गाँवों में गाया जाने वाला लोकगीत यद्यपि स्त्री की ही रचना है, लेकिन व्यक्तित्व-लोप की शिकार बना दी गई स्त्री का नाम उन गीतों में कहीं नहीं मिलता। भक्ति आन्दोलन में वैष्णव भक्त आंडाल के बाद मीरा ऐसी दूसरी स्त्री भक्त हैं, जिन्होंने उत्कट भाव से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की व्यंजना की है। व्यंजना का स्वर भले ही आध्यात्मिक है, लेकिन मीरा का समाज यह सब स्वीकारने को तैयार न था। जब आधुनिक काल की महादेवी वर्मा को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ा, तो मीरा के कठिन संघर्ष की कल्पना की जा सकती है। मीरा के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां थीं। उस पुरुष-प्रधान सामंती समाज में एक स्त्री, वह भी मेड़ता के राठौड़ राजकुल की बेटी और मेवाड़ के महाराणा परिवार की बहू, ऊपर से विधवा। यही था मीरा का अपना लोक। उसके धर्म और उसमें स्त्री की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है; लेकिन उसके विरुद्ध विद्रोह की कल्पना भी कठिन है। मीरा ने उस आतंककारी लोक के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। उस विद्रोह का साक्षी है उनका जीवन और उनका काव्य।

ऐतिहासिक रूप से भक्ति आंदोलन के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को देखने से मालूम पड़ेगा कि भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं में एक तरफ रूढ़िवादिता है, तो दूसरी तरफ उस जड़ता और रुढ़िवादिता के बीच से आकार ग्रहण करता हुआ स्त्री का स्वतन्त्र व्यक्तित्व। महान् संस्कृत नाटकों की तरह भक्ति काव्य में शूद्र और स्त्री की भाषा अभिजनों की भाषा से निचले स्तर की नहीं, बल्कि भाषागत-स्तर-भेद मिट चुका है। समय के प्रवाह में अप्रासंगिक हो चुके शास्त्रों से प्रेरणा प्राप्त कर भक्त कवि स्त्री जाति से भय खाते और उसे कोसते हों, लेकिन आखिरकार उन्हें कांताभाव

की भक्ति को सर्वाधिक महत्व देना पड़ा। समूचे भक्ति आंदोलन में स्त्री के सवाल को शूद्रों की स्थिति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये दोनों ही दमित समुदाय सर्जनात्मकता के धरातल पर पहली बार अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भक्ति आंदोलन की यह उपलब्धि तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद से प्रेरित एवं प्रभावित प्रगतिवादी आंदोलन में कोई भी महत्वपूर्ण कवि या लेखक स्त्री या शूद्र समुदाय से नहीं आया।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में भक्ति का स्वरूप न केवल अखिल भारतीय हुआ बल्कि भक्ति और प्रेम ने जन-जन में निर्भीकता, साहस और गरिमा की चेतना पैदा किया। जिसके कारण अन्याय, अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर मुखरित होता है और सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक–आर्थिक समानता की संवेदना भक्ति के आवरण में लहर मारती है। भक्ति संबंधी नारी चेतना ने भारतीय स्त्रियों को जीवन मूल्यों का बोध कराया। फलस्वरूप आधुनिक भारत की अवधारणात्मक स्वरूप के निर्माण में भक्ति आंदोलन की अहम भूमिका देखी जा सकती है। हमारा वर्तमान भी उन सभी समस्याओं के निदान हेतु भक्ति आंदोलन से शक्ति एवं ऊर्जा ग्रहण करता है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से लेकर दलित और स्त्री आंदोलन ने अपनी प्रेरणा के स्रोत की तलाश भक्ति आंदोलन में किया है। भारतीय स्त्री आंदोलन ने मीरा और अक्का महादेवी को केंद्र बनाकर अपने आंदोलन के स्वरूप को आकार दिया है और चेतना के स्तर पर देवी रूप से अलग होकर मानवीय रूप में अपनी प्रबल स्थापना की है। नारी निंदा के बावजूद नारी रूप में भक्ति ने सामाजिक–सांकृतिक अंतर्विरोध को उजागर किया है जो कि आज भी विद्यमान है। सवाल यही है कि यह अंतर्विरोध अभी तक कायम क्यों है? इस अंतर्विरोध और फांक को समझने की जरूरत है। सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक स्तर पर मौजूद इस अंतर्विरोध और फांक ने मानव–मानव के बीच की खाई को पाट नहीं पाया है बल्कि कई मायने में और बढ़ा ही रहा है। यही वर्तमान की चिंता है जिस पर चिंतन–मंथन की सख्त जरूरत है। इसके बिना एक समृद्ध और विकसित भारत की संकल्पना संभव नहीं है।

सन्दर्भ सूची

सिन्हा, डॉ. सावित्री (1953), मध्यकालीन हिंदी कवयित्रियाँ, दिल्ली, आत्माराम एंड संस
शुक्ल, आचार्य रामचंद्र (सं. 2058), हिंदी साहित्य का इतिहास, वाराणसी, नागरीप्रचारिणी सभा
राजे, सुमन (2004), हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास, दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ
हौली, जान स्ट्रैटन (2020), भक्ति के तीन स्वर-मीरा,सूर,कबीर (अनुवाद-अशोक कुमार), दिल्ली, राजकमल पेपर बैक्स
अग्रवाल, पुरुषोत्तम (2010),अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन
नीलोत्पल (2018), मीरा पदावली, दिल्ली, प्रभात पेपर बैक्स
तुलसीदास (1998), विनय-पत्रिका, गोरखपुर, गीताप्रेस
तुलसीदास(2062), रामचरितमानस, गोरखपुर, गीताप्रेस
पांडेय, मैनेजर(2003), भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, दिल्ली, वाणी प्रकाशन
प्रसाद, कमला (सं.1984) मध्यकालीन रचना और मूल्य, दिल्ली, वाणी प्रकाशन
दास, अभिलाष (2018), रामायण रहस्य, इलाहाबाद, कबीर पारख संस्थान
पाण्डेय, रविशंकर (2024) रामचरितमानस की लोकव्यापकता, नोएडा, सेतु प्रकाशन
झा, कमलानंद (2016), तुलसीदास का काव्यविवेक और मर्यादाबोध, दिल्ली, वाणी प्रकाशन
गुप्त, माता प्रसाद (2001), कबीर ग्रंथावली , इलाहाबाद , साहित्य भवन प्र. लिमिटेड
सूरदास, सूरसागर (सं . नंददुलारे वाजपेयी- 1937) वाराणसी, नागरीप्रचारिणी सभा

औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में जनजातियों का नृवंशविज्ञान अध्ययन

डॉ. विवेक पाठक*

सारांश

यह अध्ययन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों के नृवंशविज्ञान आयामों की खोज करता है, जिसमें उनकी सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक गतिविधियों और प्रतिरोध आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गोंड, भील और बैगा सहित स्वदेशी जनजातियों ने जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें रिश्तेदारी संबंध, नेतृत्व की भूमिका और गहरी जड़ें वाली सांस्कृतिक परंपराएँ जैसे कि जीववाद, अनुष्ठान और लोक कलाएँ शामिल थीं। औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से भूमि अलगाव, वन कानून और राजस्व प्रणालियों ने इन समाजों को बाधित किया, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हुईं और कृषि, शिकार और संग्रह सहित उनकी पारंपरिक आजीविका में गिरावट आई। इस अध्ययन में आदिवासी नेताओं की भूमिका और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ समुदायों की सामूहिक कार्रवाइयों की जाँच की गई है। इसके अलावा, यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देते हुए इन प्रतिरोध आंदोलनों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। पश्चिमी शिक्षा और सैन्य निगरानी के ब्रिटिश अधिरोपण ने आदिवासी जीवन को और जटिल बना दिया, जिससे सांस्कृतिक क्षरण हुआ और औपनिवेशिक संरचनाओं के लिए मजबूरन अनुकूलन हुआ। ऐतिहासिक अभिलेखों को नृवंशविज्ञान अनुसंधान के साथ जोड़कर, यह अध्ययन इस बात की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने मध्य प्रदेश में जनजातियों के जीवन को कैसे आकार दिया, साथ ही उपनिवेशवाद के बाद के भारत में उनके लचीलेपन और चल रही विरासत के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

बीज शब्द: आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद, नृवंशविज्ञान, आदिवासी प्रतिरोध, आर्थिक व्यवधान, औपनिवेशिक नीतियाँ और आदिवासी नेतृत्व

प्रस्तावना

मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा और कोरकू सहित कई तरह के आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये स्वदेशी समूह ऐतिहासिक रूप से राज्य के वन क्षेत्रों में रहते आए हैं और अपनी अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, गोंडों के पास सरदारी का एक समृद्ध इतिहास है और वे इस क्षेत्र के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं, जबकि भील तीरंदाजी और वन-आधारित गतिविधियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। बैगा पारंपरिक रूप से वनवासी हैं जिनका प्रकृति से गहरा जुड़ाव है और उनके अलग-अलग रीति-रिवाज हैं (दास, 2012)। ये समुदाय मुख्य रूप से निर्वाह खेती, शिकार और इकट्ठा करने पर निर्भर थे, जिसमें सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व और रिश्तेदारी संबंधों पर जोर दिया जाता था जिसने उनके जीवन के तरीके को आकार दिया।

19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन ने इन आदिवासी समुदायों को गहराई से प्रभावित किया। औपनिवेशिक नीतियों, जैसे कि राजस्व प्रणालियों की शुरूआत, वन संसाधनों का दोहन और भूमि अलगाव ने पारंपरिक आर्थिक प्रथाओं को बाधित किया और स्थानीय आदिवासी नेताओं के अधिकार को कमज़ोर किया।

ब्रिटिश प्रशासन ने इन जनजातियों को सांस्कृतिक श्रेष्ठता के चश्मे से देखा और उन्हें औपनिवेशिक व्यवस्था में आत्मसात करने का प्रयास किया, जिससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षरण और सामाजिक-आर्थिक संकट पैदा हुआ। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी समुदायों के अनुभवों को समझने में नृवंशविज्ञान अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के अध्ययन आदिवासी आवाज़ को संरक्षित करने में मदद करते हैं और उनके लचीलेपन और प्रतिरोध आंदोलनों, जैसे कि बस्तर विद्रोह, जो ब्रिटिश शोषण के जवाब में उत्पन्न हुआ था (गुप्ता, 2001) में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये नृवंशविज्ञान स्वदेशी संस्कृतियों पर उपनिवेशवाद के दीर्घकालिक प्रभाव की हमारी समझ को समृद्ध करते हैं और आदिवासी प्रतिरोध की स्थायी विरासत को उजागर करते हैं।

साहित्य की समीक्षा

प्रारंभिक नृवंशविज्ञान संबंधी कार्य, जैसे कि **एल्विन (1947)**द्वारा किया गया कार्य, गोंडों और ब्रिटिश नीतियों के प्रति उनके प्रतिरोध पर केंद्रित था। एल्विन के शोध ने आदिवासी समाजों के लचीलेपन पर जोर दिया, प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध, उनकी रिश्तेदारी की प्रणालियों और ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरूआत से उत्पन्न चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया। एल्विन के लेखन, विशेष रूप से "द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन", आदिवासी जीवन की जटिलताओं और औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके अनुकूलन को उजागर करते हैं, हालांकि अक्सर आदिवासी शुद्धता के बारे में रोमांटिकता के लेंस के माध्यम से **(एल्विन, 1947)।**

*डॉ. विवेक पाठक, सहायक प्रोफेसर, भारतीय ज्ञान परम्परा केंद्र, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

आगे के अध्ययन, जैसे कि गुप्ता (2001) द्वारा मध्य भारत में आदिवासी विद्रोहों पर, बस्तर विद्रोह और प्रतिरोध के अन्य रूपों पर केंद्रित थे। गुप्ता ने उन तरीकों की जांच की है जिनसे गोंड और अन्य जनजातियों ने भूमि और वन संसाधनों के शोषण का विरोध किया। ये अध्ययन बताते हैं कि कैसे वन अधिनियम (1865) और भूमि नीतियों की शुरूआत ने आदिवासी भूमि के अलगाव को जन्म दिया, जिससे हिंसक विद्रोह और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले प्रतिरोध आंदोलन भड़क उठे **(गुप्ता, 2001)।**

थापर (2006) द्वारा समकालीन नृवंशविज्ञान कार्य उपनिवेशवाद के सांस्कृतिक प्रभाव की व्यापक व्याख्या की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि ब्रिटिश शासन ने आदिवासी पहचान में गहरा बदलाव किया और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और धार्मिक प्रथाओं को बाधित किया। थापर ने नोट किया कि महिलाओं ने सामाजिक ताने-बाने और प्रतिरोध आंदोलनों दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे पहले के अध्ययनों में अनदेखा किया गया था। इस तरह का साहित्य औपनिवेशिक आख्यानों को चुनौती देता है और उन्हें मिटाने के व्यवस्थित औपनिवेशिक प्रयासों के बावजूद आदिवासी पहचान की दृढ़ता को उजागर करता है।

उद्देश्य

1. आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रिटिश भूमि नीतियों, वन कानूनों और कराधान के प्रभावों का अध्ययन।
2. प्रतिरोध आंदोलनों जैसे बस्तर विद्रोह जैसे विद्रोहों में आदिवासी समुदायों की भूमिका का अध्ययन।
3. आदिवासी समाजों में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक और प्रतिरोध गतिविधियों में उनकी भागीदारी का विश्लेषण करना।
4. औपनिवेशिक शासन के दौरान जनजातीय अनुभवों और दृष्टिकोणों का गहन,स्वदेशी आवाज़ों और इतिहासों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
5. औपनिवेशिक व्यवधान का मूल्यांकन करना

मध्य प्रदेश में उपनिवेशवाद का ऐतिहासिक संदर्भ

मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा और कोरकू सहित कई आदिवासी समुदाय रहते थे। पारंपरिक रूप से राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाली इन जनजातियों की अपनी अनूठी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ थीं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन ने इन प्रणालियों को बाधित कर दिया, जिससे आदिवासी समुदायों के बीच महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, भूमि अलगाव और राजनीतिक अशांति पैदा हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य ने संसाधन निष्कर्षण, भूमि राजस्व संग्रह और प्रशासनिक नियंत्रण पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ पेश कीं, जिन्होंने इन स्वदेशी समूहों के जीवन को गहन और स्थायी तरीके से प्रभावित किया।

आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ

मध्य प्रदेश में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रमुख पहलुओं में से एक भूमि और राजस्व प्रणाली लागू करना था, जिसने आदिवासी समुदायों को हाशिए पर डाल दिया। ब्रिटिश शासन से पहले, जनजातियाँ निर्वाह खेती, शिकार और संग्रह का अभ्यास करती थीं, जिसमें भूमि सामूहिक रूप से जनजाति के पास होती थी। यह प्रणाली उनकी अर्ध-खानाबदोश जीवन शैली और वन-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त थी। हालांकि, अंग्रेजों ने महालवारी और रैयतवारी प्रणालियों सहित भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की, जिसका सीधा असर आदिवासी भूमि पर पड़ा। इन प्रणालियों में अक्सर पारंपरिक भूमि अधिकारों की अवहेलना की जाती थी और आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी बसने वालों और ब्रिटिश-स्वीकृत व्यापारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिससे उनकी आजीविका के लिए केंद्रीय भूमि पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाता था **(गुप्ता, 2001)।**

इसके अतिरिक्त, 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने आदिवासियों की वन संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। बैगा और गोंड जैसी जनजातियाँ भोजन, दवा और सामग्री के लिए वन उत्पादों पर निर्भर थीं। ब्रिटिशों द्वारा वन संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए बनाए गए नए नियमों ने आदिवासियों की पहुँच को गंभीर रूप से सीमित कर दिया, जिससे आर्थिक कठिनाई और विस्थापन हुआ। अंग्रेजों ने जंगलों को राजस्व के साधन के रूप में देखा, जबकि स्वदेशी समुदायों ने उन्हें अपने सांस्कृतिक और आर्थिक अस्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में देखा **(बाविस्कर, 1995)।**

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों के लिए ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव गंभीर था। मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरूआत ने पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली को बाधित किया और जनजातीय लोगों को नकद अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप, वे खुद को औपनिवेशिक राज्य पर बहुत अधिक निर्भर पाते थे, जो भूमि राजस्व और शोषण के अन्य रूपों के माध्यम से उन पर कर लगाता था। इन नीतियों

के कारण होने वाली आर्थिक अव्यवस्था ने जनजातीय लोगों के बीच व्यापक गरीबी और ऋणग्रस्तता को जन्म दिया, जिससे वे शोषण के चक्र में और भी फंस गए।

सामाजिक रूप से, ब्रिटिश शासन के लागू होने से जनजातीय समुदायों और गैर-आदिवासी आबादी के बीच एक विभाजन पैदा हो गया। निपटान नीतियों के कारण गैर-आदिवासी आदिवासी क्षेत्रों में चले गए, जिससे अक्सर स्वदेशी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित होना पड़ा। इन नए बसने वालों को अक्सर मजदूरों, किसानों या उद्यमियों के रूप में लाया जाता था, जिससे स्वदेशी जनजातियाँ और भी हाशिए पर चली गईं। ब्रिटिश अधिकारियों ने जनजातीय आबादी को "सभ्य" बनाने की नीतियों को भी लागू किया, अक्सर उन्हें "आदिम" और पश्चिमी शिक्षा और सांस्कृतिक आत्मसात की आवश्यकता के रूप में देखा। इन नीतियों का उद्देश्य पारंपरिक आदिवासी सामाजिक संरचनाओं को नष्ट करना और जनजातियों को अधिक विनम्र, श्रम-उन्मुख आबादी में बदलना था **(एल्विन, 1947)।**

जनजातीय प्रतिरोध और विद्रोह

ब्रिटिश नीतियों के कारण उत्पन्न व्यवधान के कारण मध्य प्रदेश में जनजातीय विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1910 का बस्तर विद्रोह था, जिसमें बस्तर क्षेत्र के गोंड और अन्य जनजातीय समूहों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह दमनकारी भूमि राजस्व नीतियों, वन-आधारित आजीविका के विनाश और जनजातीय भूमि के अलगाव के कारण शुरू हुआ था। कोसल राम और अल्लूरी सीताराम राजू जैसे जनजातीय नेताओं ने औपनिवेशिक शोषण का विरोध करने के लिए स्थानीय आबादी को संगठित किया, हालांकि अंग्रेजों ने हिंसक दमन के साथ जवाब दिया **(गुप्ता, 2001)।**

संथाल विद्रोह (1855-1856) और मुंडा विद्रोह (1899-1900) जैसे अन्य विद्रोह, हालांकि मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के जनजातीय समूहों को प्रभावित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के व्यापक पैटर्न में योगदान दिया। ये आंदोलन अक्सर भूमि, स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित थे।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव गहरा और स्थायी दोनों था। शोषणकारी भूमि और वन नीतियों की शुरूआत, पारंपरिक आर्थिक प्रणालियों का विनाश और विदेशी सामाजिक संरचनाओं को लागू करने से स्वदेशी समुदायों में व्यापक असंतोष और प्रतिरोध पैदा हुआ। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, मध्य प्रदेश के आदिवासी समूहों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, जैसा कि औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों में उनकी भागीदारी से प्रदर्शित होता है। इन औपनिवेशिक नीतियों की विरासत आज भी क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है, जो भूमि अधिकारों और संस्कृतियों के लिए उनके संघर्षों को आकार देती है।

उपनिवेशवाद के प्रति जनजातीय प्रतिरोध: जनजातीय विद्रोहों पर नृवंशविज्ञान संबंधी दृष्टिकोण

मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति जनजातीय प्रतिरोध व्यापक उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू था। औपनिवेशिक भूमि नीतियों, वन कानूनों और राजस्व प्रणालियों के लागू होने के कारण शोषण का सामना कर रहे स्वदेशी जनजातियों ने अपनी भूमि, संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए मजबूत प्रतिरोध आंदोलन विकसित किए। इन विद्रोहों पर नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने वाले जनजातीय समुदायों के भीतर प्रेरणाओं, रणनीतियों और नेतृत्व की भूमिकाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। बस्तर विद्रोह और संथाल विद्रोह जैसे प्रमुख विद्रोह इस प्रतिरोध के केंद्र में थे, जो जनजातीय आबादी के शोषण और हाशिए पर होने से प्रेरित थे।

जनजातीय विद्रोहों पर नृवंशविज्ञान संबंधी दृष्टिकोण

नृवंशविज्ञान संबंधी शोध ने औपनिवेशिक उत्पीड़न और विद्रोह के स्वदेशी दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय विद्रोहों की गतिशीलता में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान की है। वेरियर एल्विन (1947) जैसे शोधकर्ताओं ने गोंड, भील और बैगा जैसी जनजातियों की प्रतिक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें उनके प्रतिरोध को उनकी भूमि से अलगाव और उनके पारंपरिक जीवन शैली में व्यवधान की प्रतिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। ये नृवंशविज्ञान अक्सर आदिवासी पहचान और उनकी भूमि के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि आदिवासी विद्रोह केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों द्वारा लगाए गए सांस्कृतिक विघटन के खिलाफ भी थे।

एल्विन जैसे नृवंशविज्ञानियों ने आदिवासी समुदायों को प्रतिरोध की एक जटिल और समग्र समझ के रूप में वर्णित किया, जहां भूमि के लिए लड़ाई धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक प्रथाओं और पिछली स्वायत्तता की सामूहिक स्मृति के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने विद्रोहों को यादृच्छिक विस्फोटों के रूप में नहीं, बल्कि आदिवासी समाजों के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित करने के उद्देश्य से रणनीतिक और संगठित आंदोलनों के रूप में चित्रित किया।

प्रमुख प्रतिरोध आंदोलन: बस्तर विद्रोह और संथाल विद्रोह

औपनिवेशिक भारत में आदिवासी समुदायों से जुड़े दो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह मध्य प्रदेश में बस्तर विद्रोह (1910-1913) और बिहार और बंगाल में संथाल विद्रोह (1855-1856) थे। दोनों विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आदिवासी भूमि और संसाधनों के शोषण से भड़के थे।मध्य प्रदेश के आदिवासी गढ़ में बस्तर विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी वन और भूमि नीतियों से प्रेरित था, जिसने आदिवासी लोगों की उनके जंगलों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया था, जो आजीविका का प्राथमिक स्रोत था। बस्तर के वन क्षेत्रों पर केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण लागू करने के ब्रिटिश प्रयास ने गोंड और अन्य जनजातियों के बीच व्यापक आक्रोश पैदा किया, जिसकी परिणति स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में एक संगठित विद्रोह में हुई। यह विद्रोह कर लगाने, राजस्व को जबरन इकट्ठा करने और जनजातियों को उनकी पैतृक भूमि से हटाने के सरकार के प्रयासों का जवाब था। विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी भी देखी गई, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में सक्रिय भूमिका निभाई **(गुप्ता, 2001)।** ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्रूर थी, उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, लेकिन विद्रोह मध्य भारत में आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक बना हुआ है।

संथाल विद्रोह में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति शामिल थी, और हालांकि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश से दूर, इसका प्रभाव मध्य प्रदेश सहित भारत के आदिवासी क्षेत्रों में फैला हुआ था। अन्य आदिवासी समुदायों की तरह संथाल भी भूमि अलगाव, दमनकारी कर नीतियों और साहूकारों द्वारा शोषण के अधीन थे। सिद्धू और कान्हू भाइयों के नेतृत्व में, संथाल ब्रिटिश नियंत्रण और दमनकारी ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह आदिवासी लड़ाकों और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण लड़ाई से चिह्नित था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए। आंदोलन स्वायत्तता, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए संथाल की इच्छा में गहराई से निहित था **(बाविस्कर, 1995)।**

विद्रोहों में आदिवासी नेताओं और समुदायों की भूमिका

इन विद्रोहों में आदिवासी नेताओं और समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बस्तर विद्रोह में, कोसल राम और संग्राम सिंह जैसे स्थानीय नेताओं ने आदिवासी आबादी को संगठित किया, औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिरोध को संगठित करने के लिए अपने समुदायों के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग किया। इन नेताओं को आदिवासी अधिकारों के रक्षक के रूप में देखा जाता था, जो अक्सर समर्थन जुटाने के लिए अधिकार और एकता के पारंपरिक प्रतीकों का आह्वान करते थे।

नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि ये नेता न केवल सैन्य कमांडर थे, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ विद्रोह के सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। उनका नेतृत्व स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों से प्रेरित था, जिसने उन्हें अपने समुदायों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और व्यापक भागीदारी को संगठित करने की अनुमति दी। इन विद्रोहों में समुदाय की भागीदारी केंद्रीय थी, क्योंकि आदिवासी विद्रोह अक्सर स्थानीय सभाओं और आदिवासी परिषदों के माध्यम से आयोजित किए जाते थे, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। आदिवासी समुदाय, जिन्हें अक्सर औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा हाशिए पर और अलग-थलग माना जाता था, ने भारी बाधाओं का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। उनके विद्रोह केवल सशस्त्र विद्रोह नहीं थे, बल्कि अपनी पहचान, स्वायत्तता और भूमि के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए एक गहरे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। इन आंदोलनों में आदिवासी महिलाओं की निरंतर भागीदारी भी पारंपरिक कथा को चुनौती देती है जो इन समुदायों को उपनिवेशवाद के निष्क्रिय पीड़ितों के रूप में दर्शाती है, उत्पीड़न का विरोध करने में स्वदेशी लोगों की एजेंसी को उजागर करती है।

जनजातीय समुदायों पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव: भूमि और वन नीतियाँ, राजस्व प्रणाली और शिक्षा

मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में जनजातीय समुदायों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव गहरा था, विशेष रूप से भूमि और वन नीतियों, राजस्व प्रणाली और पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत के क्षेत्रों में। इन नीतियों को संसाधनों को निकालने, भूमि पर नियंत्रण करने और जनजातीय समुदायों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वदेशी जीवन शैली में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया, जिससे आर्थिक कठिनाई, स्वायत्तता की हानि और सांस्कृतिक क्षरण हुआ।

भूमि और वन नीतियाँ: जनजातीय भूमि का अलगाव

औपनिवेशिक भूमि और वन नीतियों की शुरूआत ने जनजातीय भूमि जोतों पर विनाशकारी प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन से पहले, मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व की प्रणाली में रहते थे, जहाँ भूमि सामूहिक रूप से रखी जाती थी और निर्वाह खेती, शिकार और संग्रह के लिए उपयोग की जाती थी। हालाँकि, अंग्रेजों ने नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की, जैसे कि महलवारी और रैयतवारी प्रणाली, जिसने आदिवासी भूमि के स्वामित्व की अवहेलना की और उनकी पारंपरिक प्रथाओं को बाधित किया। इन प्रणालियों के तहत, जनजातियों को भूमि कर का भुगतान करने या अपनी भूमि खोने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, एक ऐसी प्रथा जिसने स्वदेशी आबादी को हाशिए पर डाल दिया और इसके परिणामस्वरूप व्यापक भूमि अलगाव हुआ **(गुप्ता, 2001)।**

इसके अतिरिक्त, 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने वन संसाधनों तक आदिवासियों की पहुँच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश प्रशासन ने वन संरक्षण उपायों को लागू किया, जंगलों को साम्राज्य के लिए राजस्व पैदा करने वाले संसाधन के रूप में देखा, जबकि जनजातियों को लकड़ी, फल और अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करने के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया। भूमि और संसाधनों के इस अलगाव ने कई जनजातियों को गरीबी में धकेल दिया और उनकी आत्मनिर्भरता को और कम कर दिया **(बाविस्कर, 1995)।**

राजस्व और कराधान प्रणाली: जनजातीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ब्रिटिश राजस्व और कराधान नीतियों ने जनजातीय समुदायों की आर्थिक दुर्दशा को और बढ़ा दिया। स्थायी बंदोबस्त और ज़मींदारी प्रणाली जैसी भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरूआत ने आदिवासियों पर उच्च करों का बोझ डाला, जो अक्सर उनके भुगतान करने की क्षमता से परे थे। ये कर खेती की गई और बिना खेती की गई भूमि दोनों पर लगाए गए थे, और जनजातीय भूमि स्वामित्व के लिए मान्यता की कमी का मतलब था कि जनजातीय आबादी पर अक्सर अनुचित तरीके से कर लगाया जाता था। कई लोगों को अपनी ज़मीन बेचने या साहूकारों से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे गैर-आदिवासी व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ गई और उनका शोषण और बढ़ गया **(गुप्ता, 2001)।**

इन आर्थिक दबावों ने पारंपरिक जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर दिया, जो निर्वाह कृषि, शिकार और संग्रह पर आधारित थीं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जनजातीय भूमि के एकीकरण ने आत्मनिर्भरता को बाधित किया और जनजातियों को नकद अर्थव्यवस्थाओं में मजबूर किया, जहाँ वे गैर-आदिवासी भूस्वामियों और व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। इस आर्थिक हाशिए ने कई आदिवासी समूहों को गरीबी में धकेल दिया और उन्हें औपनिवेशिक और गैर-आदिवासी अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित शोषणकारी प्रणालियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया।

पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत: आदिवासी संस्कृति पर प्रभाव

पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत ने आदिवासी संस्कृति और पहचान पर गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने स्वदेशी संस्कृतियों को पिछड़ा हुआ माना और शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों को औपनिवेशिक व्यवस्था में आत्मसात करने की कोशिश की। मिशनरी स्कूल और औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य अक्सर पश्चिमी मानदंडों और मूल्यों के अनुसार आदिवासी लोगों को "सभ्य" बनाना था **(एल्विन, 1947)।** इस शिक्षा प्रणाली ने अंग्रेजी, ईसाई धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक तरीकों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को काफी हद तक अनदेखा या अवमूल्यन करता था।

परिणामस्वरूप, कई आदिवासी समुदायों ने एक सांस्कृतिक क्षरण का अनुभव किया जहां पारंपरिक ज्ञान, भाषाएं और प्रथाएं पश्चिमी आदर्शों से प्रभावित थीं। जबकि पश्चिमी शिक्षा ने ऊपर की ओर गतिशीलता के कुछ अवसर प्रदान किए, इसने अक्सर शिक्षित आदिवासी व्यक्तियों को उनके समुदायों से अलग कर दिया। इसके अलावा, शिक्षा प्रणाली ने आदिवासी हीनता की औपनिवेशिक कथा को मजबूत किया, आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी के बीच विभाजन को गहरा किया **(थापर, 2006)।**

जनजातीय संघर्षों और प्रतिरोध आंदोलनों में लैंगिक भूमिकाएँ और भागीदारी

मध्य प्रदेश और पूरे भारत के जनजातीय समाजों में, महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। जबकि कई पश्चिमी आख्यान स्वदेशी समाजों में महिलाओं के योगदान को नज़रअंदाज़ करते हैं, नृवंशविज्ञान अध्ययन और ऐतिहासिक विवरण सामुदायिक जीवन में उनकी केंद्रीय भागीदारी को उजागर करते हैं। ये महिलाएँ न केवल देखभाल करने वाली और घरेलू प्रबंधक थीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, निर्णय लेने और, सबसे महत्वपूर्ण रूप से, औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ़ प्रतिरोध आंदोलनों में भी प्रमुख भागीदार थीं।

आदिवासी समुदायों में, औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक समाजों में पाए जाने वाले कठोर पदानुक्रमों की तुलना में लिंग भूमिकाएँ अक्सर अधिक लचीली और समतावादी होती थीं। महिलाओं ने जनजाति की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं, जिनमें कृषि, वन उत्पादों को इकट्ठा करना और पशुधन प्रबंधन शामिल हैं। मध्य प्रदेश के गोंड और बैगा जैसे कई आदिवासी समुदायों में, महिलाएँ बुवाई, कटाई और फसलों के प्रसंस्करण जैसे कृषि कार्यों के लिए जिम्मेदार थीं। वन संसाधन संग्रह में उनकी भागीदारी जनजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी, क्योंकि वन भोजन, दवा, ईंधन और आश्रय के लिए सामग्री प्रदान करते थे **(बाविस्कर, 1995)।**

सामाजिक रूप से, आदिवासी समाजों में महिलाएँ सांस्कृतिक ज्ञान, रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के प्रसारण में भी महत्वपूर्ण थीं। धार्मिक समारोहों, त्योहारों और अनुष्ठानों में उनकी भूमिकाएँ जनजाति के सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थीं। जबकि कुछ जनजातियों में पुरुषों ने राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाईं, महिलाएँ स्थानीय निर्णय लेने और परिवार और

समुदाय के भीतर संघर्ष समाधान में प्रभावशाली थीं **(एल्विन, 1947)।** इस अनूठी लैंगिक गतिशीलता ने महिलाओं को आदिवासी परंपराओं को संरक्षित करने और संसाधनों के प्रबंधन में काफी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी, भले ही उनके पास हमेशा औपचारिक नेतृत्व की स्थिति न रही हो।

आदिवासी संघर्षों और प्रतिरोध आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी

आदिवासी प्रतिरोध में महिलाओं की भागीदारी के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक मध्य प्रदेश में 1910 का बस्तर विद्रोह है। यह विद्रोह ब्रिटिश द्वारा लगाए गए वन कानूनों के जवाब में था, जिसने आदिवासियों की वन संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया था, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थे। आदिवासी महिलाओं, विशेष रूप से गोंडों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, लोगों को संगठित करने और औपनिवेशिक ताकतों के साथ टकराव में भाग लेने में सक्रिय भूमिका निभाई। नृवंशविज्ञान संबंधी विवरणों के अनुसार, बस्तर में महिलाओं को अक्सर सामुदायिक बैठकों का नेतृत्व करते, विद्रोह की योजना बनाने के लिए गुप्त बैठकों में भाग लेते और यहाँ तक कि सीधे युद्ध में भाग लेते हुए देखा जाता था। इन संघर्षों में उनकी भागीदारी औपनिवेशिक अतिक्रमण के खिलाफ अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा करने में उनकी एजेंसी का प्रमाण थी **(गुप्ता, 2001)।**

भारत के अन्य हिस्सों में, संथाल विद्रोह (1855-1856) जैसे आंदोलनों में भी इसी तरह की भागीदारी देखी गई, जहाँ महिलाएँ न केवल विद्रोहों में सक्रिय भागीदार थीं, बल्कि प्रतिरोध को बनाए रखने में मदद करने वाले समर्थन नेटवर्क में भी थीं। सिद्धू और कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल जनजातियों की महिलाओं ने समुदायों को संगठित करने में सहायता की, और कई प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाइयों में शामिल थीं, जैसे कि ब्रिटिश सैनिकों पर घात लगाना और विद्रोही गुटों के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करना **(बाविस्कर, 1995)।**

इन आंदोलनों में महिलाएँ अक्सर अपने समुदायों, अपने परिवारों और अपनी पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होती थीं। उन्होंने अपनी भूमि पर औपनिवेशिक थोपे जाने, अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के विघटन और अपने संसाधनों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन विद्रोहों में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाएँ निष्क्रिय समर्थन तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने प्रतिरोध और विद्रोह के मार्ग को सक्रिय रूप से आकार दिया।

जनजातीय प्रतिरोध आंदोलनों में महिलाओं का महत्व

ऐतिहासिक आख्यानों में इन विद्रोहों में महिलाओं की भूमिका को अक्सर कम करके आंका गया है। हालाँकि, नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि प्रतिरोध आंदोलनों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। स्थानीय आबादी को संगठित करने, रसद सहायता प्रदान करने और औपनिवेशिक ताकतों का सीधे सामना करने में उनका योगदान संकट के समय में उनकी एजेंसी और नेतृत्व को दर्शाता है।

महिलाओं ने प्रतिरोध नेटवर्क के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए, बस्तर विद्रोह के संदर्भ में, महिलाएँ भूमिगत कोशिकाओं के निर्माण में शामिल थीं जो सूचना फैलाती थीं और अन्य आदिवासी समूहों के साथ समन्वय करती थीं। इन अशांत समय के दौरान समुदायों के भीतर सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका अपरिहार्य थी, क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक दमन के बावजूद सामूहिक ज्ञान और प्रथाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित किया।

मध्य प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी समाजों में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी थी। महिलाएँ केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित निष्क्रिय व्यक्ति नहीं थीं, बल्कि अपने समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदार थीं। औपनिवेशिक काल के दौरान, जब ब्रिटिश नीतियों के कारण आदिवासी समाजों को खतरा था, तब महिलाएँ प्रतिरोध आंदोलनों में प्रमुख व्यक्ति बन गईं, अपनी भूमि, संसाधनों और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रही थीं। बस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह और अन्य आदिवासी विद्रोहों में उनकी भागीदारी आदिवासी महिलाओं की ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। ये योगदान ऐतिहासिक और नृवंशविज्ञान अध्ययनों में महिलाओं के अक्सर सीमित चित्रण को चुनौती देते हैं, औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में उनकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करते हैं।

औपनिवेशिक निगरानी और नियंत्रण: जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना और पुलिस की भूमिका

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सैन्य और पुलिस बलों के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में जनजातीय आबादी पर निगरानी और नियंत्रण की एक सख्त प्रणाली लागू की। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासी समुदाय औपनिवेशिक अधिकार के अधीन रहें, जिसे आर्थिक शोषण को बनाए रखने, संसाधनों को नियंत्रित करने और विद्रोह को रोकने के लिए आवश्यक माना जाता था। इन सैन्य और पुलिस बलों ने प्रतिरोध को दबाने और औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाते हुए स्वदेशी आबादी को वश में करने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

ब्रिटिश सेना और पुलिस मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग थे। 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी, विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे स्थानों पर, जहाँ विद्रोह अक्सर होते थे। सेना का इस्तेमाल विद्रोहों को कुचलने, असहमति को दबाने और स्थानीय आबादी को डराने के लिए किया गया था। पुलिस बल, जिनमें से कई गैर-आदिवासी समुदायों से लिए गए थे, आदिवासी गतिविधियों पर नज़र रखने और औपनिवेशिक कानूनों को लागू करने के लिए गाँवों में तैनात किए गए थे, जैसे कि वन अधिनियम और राजस्व विनियम, जो आदिवासियों की भूमि और संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करते थे **(गुप्ता, 2001)।**

औपनिवेशिक नियंत्रण के प्रमुख औजारों में से एक मार्शल लॉ और सैन्य दमन का उपयोग था। जब मध्य प्रदेश में गोंड और बैगा जैसी जनजातियों ने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, तो सेना को बल के माध्यम से विद्रोह को दबाने के लिए तैनात किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सैन्य चौकियों की मौजूदगी ने प्रतिरोध को कुचलने की ब्रिटिश क्षमता की याद दिलाई, जिससे आदिवासी समुदाय निगरानी और दमन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए **(बाविस्कर, 1995)।**

आदिवासी आबादी के साथ ब्रिटिश अंत:क्रियाओं के नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण

औपनिवेशिक काल के नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण, जैसे कि वेरियर एल्विन जैसे मानवविज्ञानी द्वारा लिखे गए, ब्रिटिश अधिकारियों और आदिवासी समुदायों के बीच अंतःक्रियाओं की एक झलक प्रदान करते हैं। एल्विन के अध्ययनों ने आदिवासी समूहों की "आदिम" प्रकृति पर ब्रिटिश दृष्टिकोण को उजागर किया, अक्सर उन्हें सभ्य बनाने की आवश्यकता वाले विषयों के रूप में देखा। इन धारणाओं का उपयोग उन नीतियों को सही ठहराने के लिए किया गया था जिनका उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता को नियंत्रित करना और दबाना था **(एल्विन, 1947)।** एल्विन के लेखन से यह भी पता चलता है कि ब्रिटिश अधिकारी अक्सर आदिवासी प्रतिरोध को न केवल राजनीतिक अवज्ञा के रूप में देखते थे, बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन के रूप में देखते थे जिसे मिटाने की आवश्यकता थी।

ब्रिटिश रिकॉर्ड और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट यह भी दिखाती हैं कि आदिवासी आबादी के साथ बातचीत अक्सर हेरफेर और जबरदस्ती के मिश्रण पर आधारित होती थी। कुछ मामलों में, अंग्रेजों ने वफादारी के बदले में आदिवासी नेताओं को टोकन पुरस्कार या प्रोत्साहन की पेशकश की, लेकिन अन्य में, उन्होंने जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए सैन्य और पुलिस बलों पर भरोसा किया, जैसे कि फांसी, कारावास और जबरन विस्थापन जैसे दंडात्मक उपायों का उपयोग करना।

जनजातीय स्वायत्तता पर औपनिवेशिक निगरानी के प्रभाव

औपनिवेशिक निगरानी का जनजातीय स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति और पुलिस बलों द्वारा निरंतर निगरानी का मतलब था कि जनजातियों ने अपनी अधिकांश स्वतंत्रता खो दी। जनजातीय नेताओं के पंजीकरण और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा जबरन दौरे सहित निगरानी तंत्र की शुरूआत ने शासन और नेतृत्व की पारंपरिक प्रणालियों को नष्ट कर दिया। जनजातियों ने पहले अपने मामलों को बुजुर्गों या नेताओं की परिषदों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रबंधित किया था, लेकिन विदेशी प्रशासनिक संरचनाओं के लागू होने से ये प्रथाएँ धीरे-धीरे कमज़ोर हो गईं।

इसके अलावा, निरंतर निगरानी ने जनजातीय समुदायों की औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने की क्षमता को दबा दिया। ब्रिटिश सैन्य और पुलिस बलों की उपस्थिति ने भय और धमकी का माहौल बनाया, जिसने खुले विरोध को हतोत्साहित किया और कुछ मामलों में सामुदायिक एकजुटता को तोड़ दिया **(गुप्ता, 2001)।** सैन्य बल के साथ औपनिवेशिक कानूनों को लागू करने से जनजातीय आबादी की अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं, भूमि अधिकारों और शासन के सांप्रदायिक रूपों को बनाए रखने की क्षमता सीमित हो गई।

मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में ब्रिटिश सेना और पुलिस की भूमिका औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ नियंत्रण बनाए रखने और प्रतिरोध को दबाने के लिए ज़रूरी थी। निगरानी, दमन और आदिवासी नेतृत्व के हेरफेर के ज़रिए, अंग्रेजों का लक्ष्य स्वदेशी समुदायों की स्वायत्तता को खत्म करना था। नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण इस बात की बहुमूल्य जानकारी देते हैं कि उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित लोगों दोनों ने इन अंतःक्रियाओं को किस तरह से देखा, जिससे आदिवासी समाजों पर औपनिवेशिक नीतियों के गहरे तनाव और प्रभावों का पता चलता है। इस निगरानी और नियंत्रण के दीर्घकालिक प्रभाव आदिवासी समुदायों द्वारा महसूस किए गए, जिनके पारंपरिक जीवन के तरीके गंभीर रूप से बाधित हुए।

निष्कर्ष

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदायों के नृवंशविज्ञान अध्ययन में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं, जो स्वदेशी आबादी पर औपनिवेशिक नीतियों के गहरे और स्थायी प्रभाव को रेखांकित करते हैं। ये निष्कर्ष आदिवासी आर्थिक प्रणालियों के विघटन, विदेशी शासन संरचनाओं के लागू होने और उनके जीवन के तरीके की रक्षा में आदिवासी प्रतिरोध द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के

इर्द-गिर्द घूमते हैं।सबसे पहले, नृवंशविज्ञान अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से भूमि, वन संसाधनों और राजस्व प्रणालियों से संबंधित नीतियों का आदिवासी स्वायत्तता और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। महलवारी और रैयतवारी जैसी भूमि राजस्व प्रणालियों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीधे तौर पर आदिवासी भूमि का अलगाव हुआ, जिससे स्वदेशी आबादी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई **(गुप्ता, 2001)।** इसके अतिरिक्त, 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने आदिवासियों की उनके पारंपरिक वन संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया, जो उनके निर्वाह के लिए अभिन्न अंग थे। इन नीतियों ने आदिवासी समाजों की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया, जिससे वे जीवित रहने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन पर निर्भर हो गए **(बाविस्कर, 1995)।**

दूसरा, आदिवासी आबादी को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सैन्य और पुलिस बलों की भूमिका ने आदिवासी स्वायत्तता को और भी कमज़ोर कर दिया। नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने आदिवासी समुदायों को आदिम और नियंत्रण की आवश्यकता के रूप में देखते हुए विद्रोहों को दबाने और औपनिवेशिक कानूनों को लागू करने के लिए बलपूर्वक उपाय किए।आदिवासी क्षेत्रों में सैन्य बलों की उपस्थिति ने भय और दमन के माहौल को बढ़ावा दिया, जिससे प्रतिरोध के लिए जगह सीमित हो गई और स्वदेशी शासन प्रणाली कमज़ोर हो गई **(एल्विन, 1947)।**

प्रणालियों को लागू करने से पारंपरिक नेतृत्व और शासन मॉडल का क्षरण हुआ। आदिवासी समुदाय, जो एक बार स्वायत्त थे, ने पाया कि उनके भूमि अधिकार और सांस्कृतिक प्रथाओं में गंभीर रूप से कटौती की गई थी। औपनिवेशिक निगरानी और दमन ने कई आदिवासी समूहों की सामूहिक पहचान और सामाजिक सामंजस्य को कमज़ोर कर दिया, जिससे विस्थापन और सांस्कृतिक विखंडन की भावना पैदा हुई **(गुप्ता, 2001)।**

पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत के भी स्थायी सांस्कृतिक परिणाम हुए। हालाँकि इसने ऊपर की ओर बढ़ने के कुछ अवसर प्रदान किए, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अक्सर शिक्षित आदिवासी व्यक्ति अपने समुदायों से अलग-थलग पड़ गए, जिससे पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और प्रथाएँ नष्ट हो गई। यह सांस्कृतिक विघटन उत्तर-औपनिवेशिक युग में भी जारी रहा, जहाँ कई आदिवासी समुदाय अभी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आजीविका को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं **(थापर, 2006)।**

औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी प्रतिरोध की विरासत और उसका महत्व औपनिवेशिक काल के बाद के भारत में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। बस्तर विद्रोह और अन्य आदिवासी विद्रोह न केवल औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ़ लड़ाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि आदिवासी पहचान, स्वायत्तता और संस्कृति की रक्षा भी करते हैं। इन विद्रोहों के दौरान आदिवासी नेताओं और समुदायों द्वारा प्रदर्शित लचीलापन ने बाद के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया, जिसमें आदिवासी अधिकारों और स्वायत्तता की वकालत की गई, जिसमें स्वतंत्रता के बाद आदिवासी भूमि अधिकारों की मान्यता भी शामिल है। समकालीन भारत में, आदिवासी समुदायों के संघर्ष भूमि अधिकारों, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में बहस में गूंजते रहते हैं। उपनिवेशवाद के सामने आदिवासी प्रतिरोध की विरासत ने वकालत और कानूनी ढाँचे के लिए एक आधार प्रदान किया है जो स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे कि 2006 का वन अधिकार अधिनियम, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार बहाल करना है। स्वायत्तता और मान्यता के लिए यह चल रहा संघर्ष उत्तर-औपनिवेशिक भारत के आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में ऐतिहासिक प्रतिरोध आंदोलनों की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है **(बाविस्कर, 1995)।**

सन्दर्भ सूची

Das, V. (2012). The Gonds of Madhya Pradesh. Tribal Research Institute.p.56.

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.pp.32.

Elwin, V. (1947). The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press.p.65.

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.pp.65-78.

Thapar, R. (2006). The Past and the Present: Reflections on the History of Tribal India. Sage Publications.p.45.

Baviskar, A. (1995). In the Belly of the River: Tribal Conflict over Development in the Narmada Valley. Oxford University Press.p.76.

Elwin, V. (1947). The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press.p.3.

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.pp.89-90.

Baviskar, A. (1995). In the Belly of the River: Tribal Conflict over Development in the Narmada Valley. Oxford University Press.p.87.

Elwin, V. (1947). The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press.p.32.

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.p.76

Thapar, R. (2006). The Past and the Present: Reflections on the History of Tribal India. Sage Publications.p.54

Baviskar, A. (1995). In the Belly of the River: Tribal Conflict over Development in the Narmada Valley. Oxford University Press.pp.78-79.

Elwin, V. (1947). The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press.p.1

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.p.2.

Baviskar, A. (1995). In the Belly of the River: Tribal Conflict over Development in the Narmada Valley. Oxford University Press.p.43.

Elwin, V. (1947). The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press.p.54.

Gupta, S. (2001). Tribal Uprisings in India: A Study of Resistance Movements. Oxford University Press.p.89.

Thapar, R. (2006). The Past and the Present: Reflections on the History of Tribal India. Sage Publications.p.76.

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए आयोगों, समितियों के प्रस्तावऔर क्रियान्वयन

डॉ. व्यंकट धारासुरे*

सारांश

दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रअपने को विकसित बनाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आयोगों तथा समितियों कागठन कर अपने समाज को मजबूत करने विद्वानों का मार्गदर्शन लेते हैं। भारत में भी संवैधानिकऔर सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा आकार दिया गया है।जिनमें आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। "आयोग सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञोंका एक निकाय होता है, जो किसी विशेष कार्य की जाँच करने या किसी मुद्दे पर रिपोर्टदेने के लिए बनाया जाता है और इसके पास सिफारिशें करने या निर्णय लेने का अधिकार होसकता है। वहीं, समिति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का एक समूह होता है, जिसेकोई भी सरकारी या गैर सरकारी निकाय बन सकता है, और इसका कार्य रिपोर्ट देना होता है, लेकिन इसके निर्णय बाद्यकारी नहीं होते हैं।"आयोग अपनी रिपोर्ट विधानमंडल को प्रस्तुतकर सकता है, जिस पर विचार - विमर्श किया जाता है। वहीं, समिति अपनी रिपोर्ट किसी विशिष्टमंत्रालय या विभाग को सौंपती है।दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रअपने को विकसित बनाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आयोगों तथा समितियों कागठन कर अपने समाज को मजबूत करने विद्वानों का मार्गदर्शन लेते हैं। भारत में भी संवैधानिकऔर सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा आकार दिया गया है।जिनमें आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। "आयोग सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञोंका एक निकाय होता है, जो किसी विशेष कार्य की जाँच करने या किसी मुद्दे पर रिपोर्टदेने के लिए बनाया जाता है और इसके पास सिफारिशें करने या निर्णय लेने का अधिकार होसकता है। वहीं, समिति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का एक समूह होता है, जिसेकोई भी सरकारी या गैर सरकारी निकाय बन सकता है, और इसका कार्य रिपोर्ट देना होता है, लेकिन इसके निर्णय बाद्यकारी नहीं होते हैं।"आयोग अपनी रिपोर्ट विधानमंडल को प्रस्तुतकर सकता है, जिस पर विचार - विमर्श किया जाता है। वहीं, समिति अपनी रिपोर्ट किसी विशिष्टमंत्रालय या विभाग को सौंपती है।भारत में आयोगों और समितियोंने देश की नीतियों और सुधारों को काफी हद तक परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए, मंडलआयोग की स्थापना 1989 में नौकरियों और शिक्षा में पिछड़े वर्गों की संख्या में सुधारकरने के प्रयास में की गई थी। नरसिम्हा समिति की स्थापना 1991 में और 1998 में की गईथी। इसने बैंकों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए। जस्टिस वर्मा समिति (2013) ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित किया। इसका गठन 2012 के दिल्ली गैंगरेपके बाद किया गया था। कोठारी आयोग (1964) में शिक्षा पर काम किया। ये सभी आयोग और समितियाँसरकार के मददगार रही हैं। इसी प्रकार भारत के विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के परिवर्तनहेतु आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया था। उनका विकास होना केवल एक समूह विशेषका बदलाव नहीं बल्कि उनके सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, संवैधानिक तथा भाषिक परिवर्तनकी अपेक्षा करता है। जिसे विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए विकास हेतु बनाए गए, आयोगों और समितियों के माध्यम से विस्तार से देख सकते हैं।

बीज शब्द: विमुक्त, घुमंतू, अपराधी, अधिनियम, आयोग, समिति।

प्रस्तावना

इस देश का एक नक्शा होतेहुए भी इसमें अनेक देश बसे हुए हैं। वे स्वंय की जाति, संप्रदाय, धर्म के रीति-रिवाज, प्रथा-परंपरा, पूजा-आर्चना में उलझाकर रहनेवाले देश हैं। सार्वजानिक जीवन में कुछ प्रतिशतदेश एकत्रित दिखायी देता हो, किंतु अन्य व्यवहारों में विविध जातियाँ खुद के संसारमें मशगुल रहती हैं। आज भी इस देश का इंसान जाति में पैदा होता है, और जाति में हीगुजर जाता है। जाति यहाँ की वास्तविक सच्चाई है। जाति यहाँ इंसान को इंसान से दूर रखतीहै। आत्मसम्मान छीन लेती है। लाखों लोगों की पहचान मिटा देती है। उनका इतिहास, वर्तमान, भविष्य और भूगोल भी नकारा जाता है। जिनका गाँव न हो, सरकारी विभाग में नाम, जिन्हेंसम्मान-प्रतिष्ठा नहीं ऐसी अनेक जाति-जनजातियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो सैकड़ों सालों सेबिना घर, गाँव के उदरनिर्वाह की तलाश घुमक्कड़ी कर रही है, उन्हें 'घुमंतू' कहा जाताहै।घुमंतू जनजातियों के लिएमराठी विश्वकोश में लिखा गया है कि-"उदरनिर्वाह अथवा व्यवसाय के कारण भटकने वाले समूहको सामान्यतः 'घुमंतू' कहा जाता है। किंतु उनका उद्गम बहुत प्राचीन संस्कृति में पायाजाता है। अंग्रेजी में 'नोमड्स' का प्रयोग होता है।

'नोमड्' शब्द 'नोमी' अथवा 'नेमो' (मवेशी चारण) के ग्रीक शब्द से तैयार हुआ है। स्थायीरूप से घर और जमीन नहीं, परंतुमवेशियों के झुंड है, ऐसे समूह जानवरों के चारे की तलाश में घूमते हैं। इस प्रकार केसमूहों के लिए 'नोमड्स' इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।"2 सदियों से अपनी घुमंतू प्रवृत्तिके कारण ये समूह अस्थायी रूप से किसी न किसी कार्य, लेन-देन के संपर्क से समाज मेंमौजूद हैं।

*डॉ. व्यंकट धारसुरे, सेंट मेरिस कनिष्ठ महाविद्यालय, माधपुर, हैदराबाद – 500081

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राममें घुमंतू जनजातियाँ स्थानिक सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का गोला-बारूद, बंदूके, खजाना लूटकर और अपने गोरिल्ला युद्ध नीतियों को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लढाई मेंअपना एहम योगदान दिया। आगे भी अंग्रेजों के प्रति जनजातियों का रुख देश की आजादी काही रहा। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कायम करने के लिए, और जनजातियों को काबू मेंलाने का तरीका सन् 1871 में 'अपराधिक जनजाति अधिनियम' बनाकर सभी लड़ाकू जातियाँ-जनजातियोंको 'गुनाहगार' के अपराध में बंदी बनाया गया। वहाँ पर इन जनजातियों को काम करवाया था, और जो काम नहीं करते उसे कड़ी सजा थे। बाद में इंग्रेजों को पता चला की मारने से कामसंभव नहीं, इस लिए अंग्रेजों ने इन लोगों को दिन में तीन बार हजेरी देने की शर्त लगाई।अंग्रेज यह भी समझते थे की 'इंसान बुरा नहीं होता है' इसलिए अंग्रेजों ने जेल में हीजनजातियों के लिए रोजगार, स्वस्थ्य और शिक्षा का प्रबंध किया और उनमें सुधार लाने काप्रयास भी किया था। यह सिलसिला भारत की आजादी तक चलता रहा।

सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सन् 1949 में भारतीय संविधान लागुहुआ, किंतु इन जनजातियों को जेल (सेटलमेंट) से बाहर निकालने का प्रावधान नहीं किया।इसलिए भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ.अम्बेडकर ने अपने साथी सांसदों के द्वारा संसदमें जनजातियों को सेटलमेंट से बाहर निकलने का प्रस्ताव रखा। तब भारत तत्कालीन सरकारद्वारा एक समिति का निर्माण किया गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं.नेहरु ने 1871 के 'अपराधीक जनजाति अधिनियम' (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) को ख़त्म कर 31 अगस्त 1952 को 'आदतनअपराधीक अधिनियम' (हँबिचुँल अफेंडर्स एक्ट) के तहत बंदिस्त जनजातियों को 'विमुक्त'किया। तब से यह जनजातियाँ 'विमुक्त जातियाँ' कहलाती हैं। 'विमुक्त' जनजातियों की अपराधीप्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए दादासाहब मोरे लिखते हैं-"परिस्थितियों का दबाव और आर्थिकविपन्नता के कारण कुछ घुमंतू जनजातियाँ गुनाहगार की प्रवृत्ति को मजबूरन स्वीकार किया।जिन्हें 'अपराधी जनजाति' के नाम से पहचाना जाता है।"3 स्वतंत्र भारत में 'समाज के नकारात्मकदृष्टिकोण और पुलिस प्रशासन में अंगेजों द्वारा बनाये गए 'अधिनियम' के तहत चले आ रहे 'कानून' से प्रताड़ित जनजातियों को 'विमुक्त' कहा जा सकता है। इनके लिए बनाए गए आयोगोंऔर समितियों की चर्चा निम्नलिखित की गई है।

आयोगों और समितियों के प्रस्ताव

भारतीय समाज में विमुक्त जातियाँ और घुमंतू जनजातियाँ शामिल है। जिनमें से कुछ जातियों को अंग्रेजी सरकार द्वारा बंदी बनाया गया था और जो बची हुईथी वह समाज में किसी-न-किसी रूप में अपना सहभाग निभाया।जिसमें गोपाल गाय पलने का काम किया, वैदू दवाई बनानेका कार्य किया, जोशी ज्योतिषी का काम किया, खेल, चमत्कार, भिक्षाटन करनेवाली जातियाँशामिल हैं। परंतु भारत स्वतंत्रता के बाद देश सभी लोगों, समुदायों को आजादी मिली किंतुअंग्रेजों द्वारा बंदी बनायी गयी जातियों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। जिन्हें स्वतंत्रतादिलाने के लिए आयोग का गठन किया गया और अन्तः 31 अगस्त 1952 को 'विमुक्त' किया गया।परंतु उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए किसी भी सरकारी प्रावधान का गठननहीं किया। इसी कारण इन जनजातियों को समाज में उचित स्थान दिलाना सामाजिक माँग रही।उनके विकास हेतु तमाम समितियों और आयोगों का गठन किया। जिसे निम्नलिखित देख सकते हैं।

अंत्रोलीकर समिति, 1949

सन् 1948 में मद्रास प्रांत में 'अपराधिक जनजाति अधिनियम' 1871 द्वारा अपराधी घोषित जनजातियों को निरस्त किया। इसी का आधार बनाकर मुंबई प्रांत कीसरकार ने 'अंत्रोलीकर समिति' की स्थापना की। मुंबई क्षेत्र का कानून ख़त्म होगा इस भनकसे 'अपराधी जनजाति' कोलनी में सुगबुगाहट शुरू होती है। कोलनी में अपराधी जनजातियोंको ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए सुधार हेतु स्कूल, उद्योग, खेती, ऋण संस्था जैसी सुविधाओंपर धीरे-धीरे दबंग तथा राजनितिक लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। कोलनी के अपराधी जनजातियोंका पुनर्वास और सुविधाओं पर अंत्रोलीकर समिति ने कहा कि-"सरकार को कानून निरस्त करनेसे पहले, निरस्त होने के बाद की परिस्थितियों पर विचार कर उनके पुनर्वास की सविधाओंका विस्तार देना था।"4 प्रांत सरकार ने कानून तो निरस्त किया, परंतु अंग्रेजों द्वारादी गयी सुविधाओं से दूर किया। इससे विमुक्त जातियाँ के सराय का स्थान नयी दमनकारी व्यवस्थाने ले ली।

अयंगर समिति, 1949

सन् 1949 में एम. ए. अयंगर (मद्भूषि अनंतशयनम् अयंगर) की अध्यक्षतामें एक समिति की स्थापना की गयी। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था। जिसकी शुरुआतही 'हम भारत के लोग' से होती है और अनुच्छेद 15 भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थानके आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।' इसी सोच से राष्ट्र निर्माताओं ने पुरे देशमें 'अपराधी जनजाति अधिनियम' के अंतर्गत बंधी हुई जनजातियों पर शोधकार्य शुरू किया।सन् 1950 में अपनी सिफारिशें तत्कालीन सरकार को प्रस्तुत की। जिसमें 'अपराधी जनजातिअधिनियम' निरस्त करने की माँग को मुख्य मुद्दा बनाया। समिति द्वारा उनके कल्याण औरपुनर्वास के लिए पर्याप्त धन के आवंटन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और दस साल तक कीअवधि का प्रस्ताव दिया।

भारत सरकार ने अयंगर समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया। जिसकापरिणाम 31, अगस्त 1952 को 'अपराधिक जनजाति अधिनियम-1871(Criminal Tribe Act-1871)' को निरस्त कर 'आदतन अपराधी अधिनियम-1952 (Habitual Offender Act-1952)' के तहत बंदिस्तजनजातियों को 'विमुक्त (De-Notified) किया गया। परंतु इसमें 'आदतन अपराधी' नाम की पूंछछोड़ दी, वह अब तक इनका पीछा कर रही है।

काका कालेलकर आयोग, 1953

पिछड़ी जातियों के विकास हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में सर्वप्रथमआयोग गठित किया। आयोग ने भारत के राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए क्या कार्यक्रम बनायेहैं, राज्य उनको किस तरह की सुविधाएँ प्रदान करता है, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्तहेतु राज्य सरकारों को पत्र से अनुरोध किया। आयोग ने भी भारत भर पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षणकिया। अतः कालेलकर आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी सिफारिशें तत्कालीन केंद्र सरकारको सौंप दी। इस सिफारिशों का समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने विरोध दर्शाया और तत्कालीनप्रधान मंत्री को इस रिपोर्ट का संज्ञान लेने का प्रस्ताव किया। बी. बी. सी. हिंदीके अनुसार-"कालेलकर रिपोर्ट जब आई तो बाकी लोग चाहते थे कि आरक्षण के लिए जाति के आधारलेने चाहिए। 1955 ई. से लेकर 1978 ई. तक मामला इसी बात पर रुका रहा कि जाति के आधारपर हमें आरक्षण देना चाहिए या नहीं।"5 अतः प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने सामाजिक सद्भावको मध्यनजर रखते हुए काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागु नहीं किया।

बी. डी. देशमुख समिति, 1961

सन् 1947 में स्वतंत्रता के बाद स्वयं की कार्यप्रणाली निर्माणहेतु संविधान का निर्माण किया। जिसमें देश में दबी-कुचली, वंचित, अछूत जाति-जनजातियोंको अन्यों से समान लाने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। जिनमें विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियोंको ओझल रही। उनके लिए पिछड़े वर्गों की श्रेणी में रखते हुए संविधान के 'अनुच्छेद 340' अनुसार उनकी दशा को सुधारने के लिए आयोग निर्माण की बात की और 'अनुसूचित' करनेकी बात को किनारे किया गया। बाद में इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार नेविमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों बारे में विचार-विमर्श किया।

1, मई 1960 स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण के बाद पारंपरिक प्रवृत्तिसे घूमते आ रही घुमंतू जनजातियों और 1952 ई. में 'आदतन अपराधिक अधिनियम' द्वारा 'विमुक्त'हुई विमुक्त जातियों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से बी.डी. देशमुखसमिति का गठन किया। बी.डी. देशमुख समिति द्वारा विमुक्त जातियों और घुमंतू जनजातियोंकी जनसंख्या का आंकड़ा केंद्रित करके आरक्षण संबंधी प्रावधान किया। डॉ. अशोक पवार केअनुसार-"1960 ई. में गठित 'विशेष कार्यकारी अधिकारी' की रिपोर्ट के अध्ययन से महाराष्ट्रसरकार द्वारा नवंबर 1961 में विमुक्त जाति-घुमंतू जनजातियों की सूची प्रकाशित की गयी।अपराधी जनजाति अधिनियम-1871 अनुसार गुनहगार समझी गयी विमुक्त जातियों व घुमंतू जनजातियोंको रियायतें शामिल की और उनकी जनसंख्या के अनुसार सेवाओं में 3 % आरक्षण लागु कियागया।"6 सन् 1961 की विशेष कार्यकारी अधिकारी रिपोर्ट का संज्ञान लेकर सन् 1964 मेंबी.डी. देशमुख समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपी। महाराष्ट्र सरकार ने सन् 1979 में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को पिछड़ा वर्ग में 3 % आरक्षण लागू किया। महाराष्ट्रपिछड़े वर्गों को आरक्षण मुहैया करने वाला भारत का पहला राज्य बना है।

लोकुर समिति, 1965

लोकुर समिति का गठन सन् 1965 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषितकरने के विचार से किया गया। समिति द्वारा उनकी पहचान के लिए पाँच मापदंडों की सिफारिशेंकीं। जिनमें-आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बाहरी समुदायों के संपर्कमें संकोच तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन की सिफारिशें की थी। हालाँकि विमुक्त एवं घुमंतूजनजातियाँ संविधान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की दोनों श्रेणियों में पायीजाती है। बेशक इस समिति की योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए की गयी हों, परंतु यह भीस्पष्ट है की विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के पास भी इसकी कुछ विशेषताएँ पायी जातीहैं । जो प्रायः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुडी होती है। आजीविका, रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य, अनैच्छिक विस्थापन और कानूनी उपेक्षा देखी जा सकती है। अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनायीं गयी अधिकांश कल्याणकारी योजनाएँ इन जातियोंतक नहीं पहुँच पायी। इसलिए इन जाति-जनजातियों को अलग विकासात्मक कार्यक्रम का सुझावदिया गया। इन परिस्थितियों को चित्रित कर दर्शाया गया कि समाज में स्थित बिखरी हुई 'विमुक्त एवं घुमक्कड़ जनजातियों' की विस्तृत जांच कर जल्द-से-जल्द न्याय देने की जरुरतहै।

बी.पी. मंडल, 1979

आजादी के बाद 'पिछडे वर्गों के लिए बना दूसरा आयोग है। यह आयोगआपातकाल के बाद सन् 1977 में बनी 'जनता पार्टी' की सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रीबी.पी. मंडल (बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल) की अध्यक्षता में 1979 ई. में बी.पी.मंडल नामसे आयोग का गठन हुआ। आयोग ने संपूर्ण भारत की पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण किया। देशलगभग 3000 जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और गरीबी आधारित बाधाओं कीवजह से पिछड़ा घोषित कर 31 अगस्त 1980 को अपनी सिफारिशें भारत सरकार को सौंपी।

जिसमें निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गयी थी-पिछड़ों के लिए सरकारीसेवाओं में 27 % आरक्षण, प्रोंन्नात्ति में पिछड़ों को आरक्षण, पिछड़ों का कोटा न भरनेपर तीन साल खली रखने की संस्तुति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह ही आयु सीमामें छूट देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह ही पदों के प्रत्येक वर्ग केलिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली अपनाने का प्रावधान, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आरक्षण योजना की सिफारिश, पिछड़े वर्ग को फ़ीस राहत, वजीफ़ा, छात्रावास, मुफ़्त भोजन किताब, कपड़ा उपलब्ध कराने की सिफारिश, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यवसायिक संस्थानोंमें पिछड़ों की 27 % आरक्षण देनी की सिफारिश, पिछड़े वर्गों में भूमिहीन मजदूरों को भूमिदेने की सिफारिश, पिछड़े वर्ग के छात्रों को विशेष कोचिंग का इंतजाम करने की सिफारिश, पिछड़ों की तरक्की के लिए

पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने की सिफारिश, राज्य व केंद्र स्तरपर पिछड़े वर्ग का अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सिफारिशकी। परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने और उनके बाद बने प्रधानमंत्री राजीवगांधी ने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया।

अतः राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार के बाद वि.पी. सिंह की सरकारने मंडल आयोग की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को आंशिक रूप से लागु किया । जो सुप्रीम कोर्टमें आव्हान बन गयी। लंबी लढाई के बाद 16, नवंबर 1992 को क्रीमीलेयर की बाधा के साथमंडल आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला हुआ। पिछड़े वर्गों के आरक्षणको लेकर मुक्त ज्ञानकोश में स्पष्ट किया कि-"अन्य पिछड़ा (ओबीसी) एक वर्ग है, यह सामान्यवर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है पर इसमें आने वाली जातियाँ गरीब और शिक्षाके रूप में पिछड़ी होती हैं, यह भी सामान्य वर्ग का भाग है। जो जातियाँ वर्गीकृत करनेके लिए भारत साकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचितजनजातियों के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। 'भारतीयसंविधान' में ओबीसी 'सामाजिक और शैक्षिक' रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्णित कियाजाता है, और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं-उदाहरण के लिए ओबीसी सार्वजानिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27 % आरक्षण के हक़दार हैं।"

भारत सरकार द्वारा मंडल आयोग के निर्णय (22, मार्च 1994) अनुसारमहाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। विमुक्तएवं घुमंतू जनजातियों को बी.डी देशमुख समिति (1979) ने दिए 3 % आरक्षण को मंडल आयोगने व्यापक किया। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के 27 % आरक्षण का वितरण किया । वह निम्न-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग- 16 %
2. विमुक्त जातिऔर घुमंतू जनजाति- 11 %
3. विमुक्त जाति-अ 3 % (14 जातियाँ शामिल)
4. घुमंतू जनजाति-ब 2.5 % (37 जनजातियाँ शामिल)
5. घुमंतू जनजाति-क 3.5 % (1 जनजाति शामिल)
6. घुमंतू जनजाति-ड 2 % (1 जनजाति शामिल)

कुल 11 % आरक्षण और 53 विमुक्त-घुमंतूजनजातियाँ इस प्रकार महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की पृथक किया। विमुक्तएवं घुमंतू जनजातियों की 53 जातियों को 11 % आरक्षण वितरित किया। परंतु अब भी इन जनजातियोंके कुछ समुदायों तक ही सिमित है। जिसकी यथास्थिति महाराष्ट्र के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में बनी हुई है। जिसे मध्यनजर रखते हुए सन् 2005 में राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतूऔर अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग अर्थात रेणके आयोग तथा सन् 2015 में राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग अर्थात इदाते आयोग का गठन किया गया।

वेंकटचलैया आयोग, 2002

सन् 2002 में वेंकटचलैया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों सूची में विमुक्त एवं घुमंतूजनजातियाँ शामिल हैं। परंतु सरकारी क्रमिक योजनाओं में विकास के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को विशेष चित्रित किया गया। उपर्युक्त तीनोंवर्गों में शामिल विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को इंगित करते हुए आयोग का कहता थाकि इन समूहों की निरंतर दुर्दशा देश के नियोजन, वित्तीय संसाधनों के आवंटन, बजट औरप्रशासन के लिए विफलता का एक स्पष्ट चित्र है। जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जनादेशका पालन करने के लिए अनुच्छेद 46 तहत 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्यदुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि' की ओर विशेष ध्यान देने कीआवश्यकता है। इस प्रकार आयोग ने विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक औरशैक्षणिक स्थितियों के वृद्धि की शिफरिशें की।

रेणके आयोग, 2005

2, फरवरी 2005 में बालकृष्ण रेणके की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीयविमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग' अर्थात 'रेणके आयोग' का गठन भारत सरकारके सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय, दिल्ली द्वारा किया गया था। आयोग ने अपनेसर्वेक्षण में भारत के प्रमुख राज्यों दौरा किया। आयोग ने अपने पारदर्शी निरिक्षण मेंपाया कि विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की पहचान का मुद्दा गंभीर है। ये जनजातियाँ संविधानकी विशेष अधिकार की तीनों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) सूचियोंमें बिखरी हुई है, इनके भविष्य में किसी भी अस्पष्टता से बचने और संपूर्ण देश में घुमक्कड़जनजातियों को एकरूपता में बनाये रखने के लिए इनके पहचान को व्यापक रूप में परिभाषितकरने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इन जनजातियों की जनगणना करना आवश्यक है। एक बार इनघुमंतू जनजातियों की पहचान हो जाने पर वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित हो सकेंगे।

रेणके आयोग ने बताया कि जिन विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतूजनजातियों का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के रूप मेंवर्गीकृत किया गया है, वे आरक्षण नीति से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं या उनकी बराबरीनहीं कर पाए हैं। आयोग के अनुसार देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी को 150 विमुक्त जातियों, 500 घुमंतू जनजातियों के साथ निरुपित किया जाता है। आयोग ने इन जातियों

की एक राज्यवारसूचि तैयार की जो विमुक्त और घुमंतू जनजातियों से संबंधित उपजातियों की पहचान की जिन्हेंअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में समावेश नहीं किया। उनका नयावर्ग बनाकर उनके लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की माँग की।

आयोग ने संपूर्ण देश में 18 राज्यों, 89 जिलों और 277 बस्तियोंमें 841 समुदायोंका निरिक्षण किया है। आयोग अपनी सिफारिशों में 14 व्यापक श्रेणी में 75 सिफारिशें सुझाई, जिसमें भारतीय संविधान में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों का उल्लेखन हो कर अन्य पिछड़ा वर्ग में है, इनके नाम को स्वतंत्र रूप से शामिल कर, स्वतंत्र बजेट, अलग मंत्रायल, देहाती समुदायों के लिए विशेष योजनाएँ, सरकारी नौकरी में आरक्षण, आश्रमस्कूल, मानवाधिकार तथा महिला आयोग में प्रतिनिधित्व के साथ बी.पी.एल राशन कार्ड, मतदातापहचान पत्र, आधार कार्ड, आवास एवं रोजगार के साथ कला, संस्कृति और विरासत का संरक्षणऔर संवर्धन का प्रावधान शामिल है। इसे समाज का सबसे वंचित तबका माना गया है। आयोग ने 30, जून 2008 को अपनी सिफारिशें केंद सरकार को सौंप दी है परंतु अब तक उन्हें किसीभी सरकार द्वारा कार्यवाही लागु नहीं किया गया।

इदाते आयोग, 2015

'राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति आयोग' अर्थात 'इदाते आयोग' का गठन जनवरी 2015 में हुआ। जिसके अध्यक्ष भीकू रामजी इदाते, सदस्य सचिवबी.के. प्रसाद, सदस्य श्रवण सिंह राठोड थे। भारत के संपूर्ण राज्यों का 'विमुक्त एवंघुमंतू जनजातियों' के लिए दौरा करने वाला प्रथम आयोग है। जिसके अनुसार संपूर्ण भारतमें विमुक्त जातियों की संख्या 425 तथा घुमंतू जनजातियों की संख्या 810 बताई गयी है।आयोग ने इन समुदायों को राज्यवार सूची के अनेक श्रेणियों में पाया है, वह विशेष पिछड़ावर्ग (SBC), सबसे पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC), घुमंतू जनजाति (NT), अत्यंतपिछड़ा वर्ग (EBC), विशेष कमजोर जनजाति समूह (PVTG) है। इन्हीं में से ऐसे कुछ समुदायहैं वे किसी में भी शामिल नहीं है, जिनमें विमुक्त जाति के 94 समुदाय, घुमंतू जनजातिके 173 समुदाय और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति के 2 समुदाय वंचित हैं। संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्यमें देखा जाये तो विमुक्त जातियों 35 प्रतिशत हैं, घुमंतू जनजतियाँ 64 प्रतिशत हैंऔर अर्द्ध-घुमंतू 1 प्रतिशत पायी गयी हैं। आयोग ने इन समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और शैक्षणिक स्थितियों का सर्वेक्षण कर कहा है कि भारत की सर्वाधिक वंचितऔर उपेक्षित जाति-जनजातियाँ हैं।

इस आयोग ने पहले गठित आयोगों को अपेक्षा विस्तृत और अधिक राज्योंका सर्वेक्षण किया है। आयोग ने अपनी 20 सूत्री सिफारिशों में प्रथम इन समुदायों केलिए स्थायी आयोग के गठन की माँग किया है। जिसमें विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति के प्रभावशालीनेता की अध्यक्ष और भारत सरकार के सचिव या अवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारीको आयोग का सचिव बनाया जाए। ऐसे दो व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए जो प्रशासनिक विज्ञानिकसमाजशास्त्री या पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता हों। ऐसे बनाये गए आयोग को वैधानिक दर्जादिया जाए और अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाए। आयोगको विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के जवाबी वक्तव्य और शिकायतें सुनने का अधिकार हों।

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के अधिकांश समुदाय किसी भी वर्ग केअंतर्गत नहीं है जो हैं भी उन्हें विभाग और निदेशालय से कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिएविमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए प्रत्येक राज्य में पृथक विभाग और शिक्षा निदेशालयविभाग का गठन किया जाए। जो समुदाय आरक्षण के लाभ से वंचित है उन्हें चिन्हित कर पिछड़ावर्ग के प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाए। रोजगार एवं सेवाओं में आरक्षण के लाभ दिलानेहेतु पिछड़ा वर्ग में उपश्रेणियों में विभाजित करें ताकि वंचित समुदायों को भी आरक्षणका लाभ मिलें।

इन समुदायों की पहचान हेतु सूचीकरण एवं प्रत्येक राज्य में उनकीपरिभाषा करने की आवश्यकता है। इनके संख्या की गणना करके उनकी संख्या को ज़ाहिर करनाताकि उनके विकास एवं उत्थान के लिए उचित योजनाएँ बनायीं जा सकें। इनके सामाजिक उत्पीड़नऔर बहिष्कार निवारण के लिए संवैधानिक संरक्षण और विधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिएइनके 'अत्याचारों का संरक्षण अधिनियम' (PROTECTION OF ATROCITIES ACT) के दायरे मेंलाया जाए। कलंकीकरण एवं उत्पीड़न से बचाव के लिए भारत स्वतंत्रता के बाद 1952 में 'विमुक्त'कर लागु किए 'आदतन अपराधी अधिनियम' को ख़त्म किया जाए। ताकि समाज में इनके प्रति औरस्कूल में बच्चों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदलें। सामान्य जनता, पुलिस प्रशासनऔर मिडिया के पास इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए समाज में इन समुदायोंको पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखा जाता है, इसके निवारण के लिए रेडिओ टी.वी. जैसे प्रसारमाध्यमों से प्रचार-प्रसार करें और इनके इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करें।

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जरुरीशिक्षा उपलब्ध किया जाए। उनके लिए निशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, छात्रवृत्ति, भोजन दियाजाए। माता-पिता को प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों को स्कूल में जरुर भेजें। स्वास्थ्यहेतु हेतु बच्चों तथा स्त्रियों को दवाएं एवं पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित किया जाए।महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार हेतु प्राथमिक केआधार पर ऋण उपलब्ध किया जाए। समुदाय के स्त्री-पुरुषों को रोजगार उपलब्ध करने हेतुउनके कौशल का विकास किया जाए।

इन समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धितकिया जाए। इन समुदायों के द्वारा उत्पादित कलाकृतियों एवं घरेलू उपयोगी सामान की बिक्रीके लिए कारगर उपाय किए जाए। वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को प्रायः अधिकारीयोंके उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आधिकारियों को इसके लिए संवेदनशील बनाना होगा। 'अनुसूचित जनजाति अधिनियम' 2006 का विस्तार कर घुमंतू जनजातियों को शामिल किया जाए।विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए भूमि और आवास का प्रश्न बार-बार सामने आता है।इसलिए वे सड़कों

किनारें, रेल स्टेशनों और सरकारी जमीनों पर अस्थायी झोपड़ियों में रहतेदिख जाते हैं। उन्हें जमीन के पट्टे उपलब्ध किए जाए और आवास हेतु अनुदान उपलब्ध कियाजाए।

निष्कर्ष

भारत में स्वतंत्रता के बादसमाज से पिछड़ी, वंचित जातियों के विकास हेतु समितियों और आयोगों का गठन किया गया ।जिनमें विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए ‘अंत्रोलीकार समिति 1949, अयंगर समिति 1949, काका कालेलकर आयोग 1953, बी.डी. देशमुख समिति 1961(म.स), लोकुर समिति 1965 (म.स), बी.पी. मंडल आयोग 1979, वेंकटचलैया आयोग 2002, रेणके आयोग 2005 तथा इदाते आयोग अर्थातराष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग 2015 आदि समितियाँ और आयोगोंका गठन हुआ है । वर्तमान समय रेणके आयोग और इदाते आयोग की शिफरिशें (क्रमशः 2008 और 2018) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी गयी है। रेणके आयोगको लगभग सत्रह साल तथा इदाते आयोग को दस साल से अधिक समय बिता है, परंतु किसी भी सरकारने आयोग की सिफारिशें लागु करने हेतु कोई निर्णय नहीं दिया। आयोगों के सर्वेक्षण सेपाया गया है कि विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और शैक्षणिकदृष्टियों से भारत की सर्वाधिक वंचित एवं उपेक्षित जाति-जनजातियाँ हैं। आशा है कि वर्तमानसरकार इदाते आयोग लागु करके समाज के सबसे वंचित और उपेक्षित समुदायों के साथ न्यायकरेगी।

सन्दर्भ सूची

जोशी, संपा-लक्ष्मणशास्त्री (1985), मराठी विश्वकोश खंड-12, म.रा.म.वि.नि. मं. मुंबई, पृष्ठ सं- 21

जोशी, संपा-लक्ष्मणशास्त्री (1985), मराठी विश्वकोश खंड-12, म.रा.म.वि.नि. मं. मुंबई, पृष्ठ सं- 19

लिंबाले, संपा-शरणकुमार (2014), साठोत्तरी मराठी वांग्मयातील प्रवाह, दिलिपराज प्रकाशन प्रा.लि. पुणे, पृष्ठ सं- 323

डिसूझा, दिलीप (2008), अनुवाद- कामत, साधना, जन्माने गुन्हेगार, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, पृष्ठ सं- 21

माने, लक्ष्मण (1997), विमुक्तायन, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, पृष्ठ सं- 174

https://www.bbc.com/hindi/regonalnews/story/2005/09/050908-mandal-devdutt (07.04.21, 1.23pm)

पवार, अशोक सुनीता (2013), भारतीय भटक्यांचा विमुक्तनामा : रेणके आयोग वस्तुस्थिति व विपर्यास, लोकपाल पब्लिकेशन, औरंगाबाद, पृष्ठ सं- 23-24

https://hi.wikipedia.org/wiki/अन्य_पिछड़ा_वर्ग, (08/04/2021, 05.19 pm)

महाराष्ट्र शासन, परिपत्रक क्र. बीबीसी-2001/1897/प्र.क्र.64/2001/16-ब, मंत्रालय, मुंबई- 32

एक राष्ट्र एक सदस्यता : उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पहल और विकसित भारत 2047 की अवधारणा : एक अध्ययन

डॉ. ओमप्रकाश पटेल*
डॉ. सलिता पटेल**
ओमप्रकाश राठौर***

सारांश :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भारत में लागु होने के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र मंे क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान को भी विशेष महत्व दिया गया है। एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी इसी कडी से जोडकर देखा जा रहा है। (ओ.एन.ओ.एस) एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को नंवबर 2024 में मंजुरी दी गयी एवं 01 जनवरी 2025 से लागु किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना 30 विश्व स्तरीय प्रकाशकों की विद्वत्तापूर्ण सामग्री तक केंद्रीकृत पहुच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सदस्यों को प्राप्त होने वाले संसाधनों में दोहराव से बचा जा सकता है इसके तहत् सदस्य संस्थानों को लगभग वर्तमान में 13000 ई-जर्नल्स प्राप्त होगे। ई-संसाधनों तक सभी 6500 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों तक पहुॅच का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। लाभार्थी उपयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः 2360 संस्थानों तक 56.7 लाख से 177.82 लाख तक बढ़ाई जाएगी। पूरे भारत में यह योजना तीन चरणों 2025 से 2027 में लागु की जावेगी। ओएनओएस देश में ज्ञान तक पहुच को आसान बनाने के व्यापक दृष्किोण को बढावा देता है जो बहुआयामी दृष्टिकोण के पहले चरण के रूप में सदस्यता मॉडल के माध्यम से पहुॅच का विस्तार करता है, इसके बाद के चरण में भारतीय पत्रिकाओं एवं रिपॉजटरी को बढावा देने और नये शोध को गति देने के साथ-साथ जर्नल्स मैट्रिक्स, नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढावा देने पर जोर देता है।
कीवर्डः ओ.एन.ओ.एस, एक राष्ट्र एक सदस्यता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इंनफिलबनेट, ई-संसाधन, लाइब्रेरी नेटवर्क।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भारत में लागु होने के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र मंे क्रांतिकारी परिवर्तन के होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। भारत में लंबे समय से उच्च शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत मे आजादी के बाद एक बहुत बडे बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान को भी विशेष महत्व दिया गया है। एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी इसी कडी से जोडकर देखा जा रहा है (ओ.एन.ओ.एस, 2025, प्र.पं.)। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को नंवबर 2024 में मंजुरी दी गयी एवं 01 जनवरी 2025 से लागु किया जा रहा है।

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इंनफिलबनेट की भूमिका

एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को प्रभावी ढ़ग से लागु करने का जिम्मा इंनफिलबनेट को सौपा गया है। इसका पूरा नाम है इन्फारमेशन एण्ड लाइब्रेरीज नेटवर्क है इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ UGC ने किया था। यह 1988 मे अस्तित्व में आया, इसका कार्यालय अहमदाबाद में हैं। इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक एवं शोध संस्थानों के पुस्तकालयों के बीच कम्प्यूटर आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को पूर्ण रूप से देश में लागु करने हेतु इंनफिलबनेट को अधिकृत किया गया है। इंनफिलबनेट के द्वारा इससे पूर्व भी कई योजनाओं को सफलता पूर्ण संपन्न किया गया है। इंनफिलबनेट को ओएनओएस के और निष्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इनफ्लिबनेट केन्द्र वर्तमान में देश के सबसे बडे पुस्तकालय संघ यानी ई-शोध सिंधु ईएसएस के लिए निष्पादन एजेसी के रूप में कार्य कर रहा है और निरंतर इसके विकास हेतु अग्रसर है, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है।

ओ.एन.ओ.एस.की पृष्ठभूमि एवं क्रियाविधि

*ग्रंथपाल, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) मो. नं. 98279 93693 ई-मेल, patelop75@gmail.com
**अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), मोहन लाल जैन (मोहन भैया) शास. नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई दुर्ग (छ.ग.) salitaop75@gmail.com
***शोधार्थी, ग्रंथालय एंव सूचना विज्ञान विभाग, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.), मो. नं. 90984 74716

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सकारात्मक रूप से क्रियावयन के पश्चात् अनुसंधान की गुणवत्ता पर बल देने एवं उच्च शिक्षा में शोध के कार्यो को बढावा देने के लिए एक ऐसे योजना पर विचार किया जा रहा था, जिसे पूरे देश मे एक साथ लागु किया जा सके। एक राष्ट्र एक सदस्यता की नींव 15 अगस्त 2022 को जय अनुसंधान के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से रखी।
वर्तमान में सदस्यता पत्रिकाओं तक पहु्ँच सरकारी विभागों, शैक्षणिक और अनुसंधान केन्द्र एवं विकास संस्थानों के पुस्तकालय संघों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और विभिन्न संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत सदस्यता के माध्यम से। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना 30 विश्व स्तरीय प्रकाशकों की विद्वत्तापूर्ण सामग्री तक केंद्रीकृत पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सदस्यों को प्राप्त होने वाले संसाधनों में दोहराव से बचा जा सकता है इसके तहत् सदस्य संस्थानों को लगभग वर्तमान में 13000 ई-जर्नल्स प्राप्त होगे। पूरे भारत में यह योजना तीन चरणों 2025 से 2027 में लागु की जावेगी।

चित्र क्रमांक 01 ओ.एन.ओ.एस.का क्रियान्वयन 2022 से वर्तमान (One Nation One Subscription (ONOS) तक 2024, पे. अ.)

पत्रिकाओं तक पहुॅंच

INFLIBNET को ONOS के क्रियान्वयन का कार्य सौपा गया है। पत्रिकाओं तक पहुँच संस्थान के कैपस IP पते या कैपस के बाहर INFLIBNET में स्थापित INFED एक्सेस फेडरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जायगी। संसाधनों तक मोबाइल सहित किसी भी डिवाइस के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

प्रकाशकों और पत्रिकाओं की संख्या

पूर्ण-पाठ पत्रिकाओं के विश्वस्तरीय 30 प्रकाशकों का चयन किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि पत्रिका प्रकाशकों से उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के पूर्ण सग्रंह के लिए लाइसेस प्राप्त किए जाएं। इसलिए पत्रिकाओं की सख्या बढ़कर लगभग 13,000 हो गयी है।

Sl.No	Publisher	No. of Journals
1.	AAAS-Science	01
2.	ACM Digital Library	158
3.	American Chemical Society Journals	87
4.	American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) Journals	09
5.	American Institute of Physics Journal	28
6.	American Mathematical Society Journals	09
7.	American Physical Society	15
8.	American Society for Microbiology Journals	25
9.	Annual Reviews Journals	51

10.	ASCE Journals Online	36
11.	ASME Journals Online	35
12.	Bentham Science Journals	118
13.	BMJ Journals	36
14.	Cambridge University Press Journals	442
15.	Cold Spring Harbor Laboratory Press Journals	08
16.	Elsevier Science Direct Journals	2387
17.	Emerald Publishing Journals	311
18.	ICE Publishing Journals	34
19.	IEEE Journals	210
20.	Indian Journals.com	258
21.	Institute of Physics Journals	74
22.	Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer)	305
23.	Oxford University Press	375
24.	Project Muse	731
25.	Sage Publishing Journals	988
26.	SPIE Digital Library	11
27.	Springer Nature Journals	2404
28.	Taylor and Francis Journals	2548
29.	Thieme Journals	51
30.	Wiley Journals	1333
31.	CSIR- NIScPR	18

तालिका क्रमांक 01

लाभार्थी संस्थाएं

ई-संसाधनों तक सभी 6500 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं संस्थानों तक पहुँच का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है जो देश भर में 10 संधों में मौजुदा लाभार्थियों की संख्या का लगभग तीन गुना है। लाभार्थी उपयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः 2360 संस्थानों तक 56.7 लाख से 177.82 लाख तक बढ़ाई जाएगी।

Sl.No	University	No. of Institute
01	Central University	54
02	Institute of National Importance	158
03	State Public University	464
04	State Private University	489
05	State Open University	17
06	Deemed University - Government	39

07	Deemed University – Private	85
08	Central Open University	1
09	State Private Open University	1
10	Institute under State Legislature Act.	6
11	Deemed University – Government Aided	11
12	Others	0
Colleges		
13	Affiliated Colleges	48621
14	Constituent / University College	2363
15	PG Centre / Off-Campus Centre	252
16	Recognized Centre	1335
PM Vidyalaxmi		
17	Central Government	427
18	State Government	230
19	Private	203
Standalone		
20	Hotel Management and Catering	95
21	Institute under Ministries	128
22	Nursing	4624
23	Paramedical	1412
24	PGDM Institute	377
25	Teache Traning	4250
26	Polytechnic	5484
Institute of National Importance		
27	AIIMS	20
28	IIIT	25
29	IIM	21
30	IISER	07
31	IIT	23
32	ISI	01
33	NID	05
34	NIFT	01

35	NIT	31
36	SPA	03
37	NISPER	04
38	OTHERS	16

तालिका क्रमांक 02 Source: AISHE (All India of Survey of Higher Education) 07 Feb. 2025

चित्र क्रमांक 02 ओ.एन.ओ.एस.जर्नल्स एवं लाभार्थी संस्थाए(About ONOS, 2025 पे.अ.½

एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की आवश्यकता:- ओएनओएस योजना उच्च शिक्षा के विकास एवं संस्थाओं के ई-प्लेटफार्म में कई महत्वपूर्ण आयामों को पूरा कर सकती है

1. विस्तारित पहुँचः एक राष्ट्र एक सदस्यता उच्च गुणवत्ता वाली विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाएगा, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित 6,300 संस्थानों में 1.8 करोड़ से अधिक छात्र, संकाय और शोधकर्त्ता लाभान्वित होंगे। यह विस्तारित पहुँच समग्र शैक्षणिक वातावरण को बढ़ाएगी और उच्च स्तरीय शोध की संस्कृति को बढ़ावा देगी।
2. लागत दक्षताः सदस्यता को केंद्रीकृत करके, एक राष्ट्र एक सदस्यता का लक्ष्य विभिन्न पुस्तकालय संघों और व्यक्तिगत उच्च शिक्षा संस्थानों में दोहराव को खत्म करना है। इस समेकन से ओवरलैपिंग जर्नल सदस्यता पर अतिरिक्त व्यय को काफी हद तक कम करने और संसाधन आवंटन को सीमित करने की उम्मीद है।
3. मजबूत सौदेबाजी शक्तिः सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल, केंद्रीकृत सदस्यता केंद्र सरकार की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाती है। प्रकाशकों के साथ मजबूत बातचीत ने पहले ही शुरुआती लागत को 4,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 1,800 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कार्यक्रम की लागत-प्रभावशीलता को दर्शाता है।
4. डेटा-संचालित योजनाः एक राष्ट्र एक सदस्यता केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों में जर्नल उपयोग पैटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। यह डेटा दीर्घकालिक योजना बनाने, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और निष्क्रिय संस्थानों के बीच योजना के लाभों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'(एक राष्ट्र एक सदस्यता) योजना की मुख्य विशेषताएंः- एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस) योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः

1. केंद्रीकृत पहुंच मंचः इनफ्लिबनेट द्वारा प्रबंधित एकल, एकीकृत मंच 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।
2. व्यापक कवरेजः यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को कवर करती है, तथा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान निकायों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) सहित विभिन्न संस्थानों में समान पहुंच सुनिश्चित करती है।
3. बजट आबंटनः तीन वर्षों (2025-2027) के लिए 6,000 करोड़ रुपये का स्वीकृत बजट शैक्षणिक संसाधनों की सुलभता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
4. बातचीत के माध्यम से सदस्यता दरेंः सरकार ने बड़ी लागत बचत पर बातचीत की है, जिससे प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो गई है।

5. ए.पी.सी. वार्ताः दूसरा चरण भारत के लेखकों के लिए प्रकाशन की लागत को कम करने के लिए पत्रिका प्रकाशकों के साथ ए.पी.सी. वार्ता करना है।

एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के प्रभावः- एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस) योजना के सफल कार्यान्वयन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे

1. उन्नत अनुसंधान क्षमताएंः विद्वानों की पत्रिकाओं की व्यापक श्रृंखला तक पहुंच से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के परिणाम, शैक्षणिक गुणवत्ता और नवाचार में वृद्धि होगी।
2. समान शैक्षणिक अवसरः इस योजना से प्रतिस्पर्धा के मैदान में संतुलन स्थापित होगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों को बड़े शहरों के समान ही संसाधन मिलेंगे।
3. संसाधन अनुकूलनः केंद्रीकृत सदस्यता के साथ बेहतर संसाधन उपयोग होगा, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक जर्नल सदस्यता पर कुल व्यय कम होगा।
4. दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक ताकतः ओएनओएस भारत की अकादमिक पत्रिकाओं तक वैश्विक शोध रैंकिंग तक पहुंच बढ़ाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
5. नीति नियोजन और कार्यान्वयनः ओएनओएस से प्राप्त उपयोग डेटा से सरकार को साक्ष्य-आधारित नीतियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी, जिससे शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सही हस्तक्षेप सुनिश्चित होगा।

एक राष्ट्र एक सदस्यता’योजना के कार्यान्वयन में समस्याएँ% यद्यपि ओएनओएस योजना आशाजनक है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कई कठिनाइयां हैंः

1. तकनीकी अवसंरचनाः केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच के लिए एक मजबूत आईटी अवसंरचना स्थापित करने और बनाए रखने के लिए धन और तकनीकी विशेषज्ञता का एक महत्वपूर्ण निवेश होगा।
2. प्रकाशकों का प्रतिरोधः अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ ए.पी.सी. की वार्ताओं को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ प्रकाशक कम दरों पर सहमत नहीं होंगे।
3. संस्थागत तत्परताः यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि सभी संस्थान, विशेषकर दूर स्थित संस्थान, ‘एक राष्ट्र एक सदस्यता’ संसाधनों के साथ तैयार और एकीकृत हों।
4. स्थिरताः योजना को बनाए रखने के लिए वित्तीय निवेश को उचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य तीन वर्ष की अवधि के बाद आने वाले वर्षों के लिए गारंटीकृत किया जाना चाहिए।
5. निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल करनाः ‘एक राष्ट्र एक सदस्यता’ के अंतर्गत निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल करने का कार्य अभी भी लंबित है, जिससे योजना के समग्र विकास पर असर पड़ने की संभावना है (केंद्र की एक राष्ट्र एक सदस्यता, 2024 पे. अ.)।

भविष्य हेतु क्रियाकलापः- योजना की सफलता और स्थिरता के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करनाः सभी संस्थानों में संसाधनों की निर्बाध पहुंच और एकीकरण का समर्थन करने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करें।
2. सतत् वार्ताः ए.पी.सी. के लिए अनुकूल शर्तें सुनिश्चित करने तथा सुलभ पत्रिकाओं की सीमा का विस्तार करने के लिए पत्रिका प्रकाशकों के साथ सतत वार्ता स्थापित करना।
3. क्षमता निर्माणः ‘एक राष्ट्र एक सदस्यता’ प्लेटफॉर्म और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए संस्थागत प्रशासकों और संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. निगरानी और मूल्यांकनः फीडबैक के आधार पर निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए उपयोग पैटर्न की निगरानी और योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत तंत्र।
5. हितधारक सहभागिताः योजना में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए उनके साथ सहभागिता करना, तथा अधिक व्यापक प्रभाव के लिए उनकी भागीदारी का लाभ उठाना।
6. दीर्घकालिक वित्तपोषणः प्रारंभिक चरण से आगे निरंतर वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, जिससे योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और विस्तार सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना भारत के उच्च शिक्षा में अनुसंधान हेतु एक दीर्घकालिक योजना है। इस योजना में 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के 13000 से अधिक पत्रिकाओं का उच्च शिक्षा के संस्थानों को डिजिटल पहुँच प्रदान करके शोध के क्षेत्र मे क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। ओएनओस चरण बद्ध तरीके से पूरे भारत में प्रभावी क्रियावयन के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढाने, नवाचार को बढावा देने, और देश को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वैश्विक स्तर पर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में विश्व स्तरीय जर्नल्स की प्राप्ति से निश्चित रूप से ज्ञान के प्रसार में एक नये दृष्टिकोण का आगाज होगा जिससे शोध के कार्यो में गुणवत्ता परिलक्षित होगी। इस योजना से शोधकर्त्ताओं और छात्रों की नई पीढी में नवीन ऊर्जा का संचार होगा, जो उनको संसाधनों के व्यापक उपयोग के साथ-साथ सशक्त बनायेगा।

ओएनओएस देश में ज्ञान तक पहुँच को आसान बनाने के व्यापक दृष्किोण को बढावा देता है जो बहुआयामी दृष्टिकोण के पहले चरण के रूप में सदस्यता मॉडल के माध्यम से पहुँच का विस्तार करता है, इसके बाद के चरण में भारतीय पत्रिकाओं एवं रिपॉजटरी को बढावा देने और नये शोध को गति देने के साथ-साथ जर्नल्स मैट्रिक्स, नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढावा देने पर जोर देता है।

सन्दर्भ सूची

Joshi, Y. (2025, Novemver 25). *The Hndustan*. Retrieved from https://www.livehindustan.com/career/one-nation-one-subscription-know-everything-about-onos-201732551984757.html/

Kumar, A. (2024, November 26). ONOS: Will the 'One Nation One Subscription' scheme, which will benefit 1.8 crore students? Know about it *Amar Ujala*. Retrieved from https://www.amarujala.com/education/centre-launched-one-nation-one-subscription-central-scheme-know-about-it-in-4-points-2024-11-26?pageId=1/

Kumar, S., Meena, S., Biswas, I., & Aggarwa, R. (2025, January). One Nation One Subscription Empowering India's Research Ecosystem. *Ministry of Education*. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089179

One Nation One Subscription (ONOS). (2024, December 13). Retrieved from https://www.psa.gov.in/oneNationOneSubscription.

Sharma, B. (2024, November 26). ONOS Scheme: One Nation One Subscription Scheme approved, what is the new scheme of Modi government for students. *NBT*. Retrieved from https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/one-nation-one-subscription-modi-government-onos-scheme-for-students-teachers-researchers/articleshow/115678051.cms/

About ONOS. (2025, January 6). ONOS One Nation One Subscription An Initiative of Govt. of India. Retrieved from https://www.onos.gov.in/

Centre's One Nation One Membership (ONOS) Scheme. upsc editorial. (2024, November 27). https://testbook.com/hi/editorials/centres-one-nation-one-subscription-onos-scheme

Indian Science, Technology and Innovation Portal. (2024, December 20). Retrieved from https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/listingpage/one-nation-one-subscription-scheme/20%20Dec.%202024